(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 12वां दिवस [संख्या.10

शुक्रवार

28 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, कृषि, शिक्षा, अकाल सहायता, उपनिवेशन, विधि, उद्योग, पुनर्वास, खाद्य एव गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री मोहरसिंह, सादूलपुर !

स्वतन्त्रता सेनानियों की सुविधायें

217. श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला चूरू के कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को कहां-कहां, कितनी-कितनी जमीन कब-कब से अलॉट की गई है तथा कितनों की दरख्वास्तें पेन्डिग हैं ? कृपया नामवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(2) उपरोक्त जिले के कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को कितनी-कितनी पेन्शन केन्द्र या राज्य सरकार से कब से स्वीकृत हुई हैं और कितनी पेन्डिग दरख्वास्तें पड़ी हैं और उन पर मंजूरी कब तक हो जायेगी ?

(3) उपरोक्त व्यक्तियों को जमीन एवं पेन्शन दिये जाने का आधार क्या रखा गया है ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) वांछित सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ?

(2) स्वीकृत पेन्शन के सम्बन्ध में वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 में जमीन व पेन्शन देने का प्रावधान है जबकि केन्द्रीय योजनान्तर्गत पेन्शन दिये जाने का ही प्रावधान है ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि इसके अन्दर कितने ही व्यक्तियों का नाम अब तक शामिल नहीं है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जिन व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई है उनके मामले विचाराधीन हैं। जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त होना बाकी है और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन मामलों पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मोहरसिंह : क्या इस सिलसिले में यह सही नहीं है कि बहुत से व्यक्तियों को प्रजा परिषद् के आन्दोलन में छः महीने, नौ महीने की सजा दी गई और आजादी आने पर 15 अगस्त को छोड़ दिया गया ? उनको किस श्रेणी में गिनते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): जो नियम के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें वह सुविधा दी जाती है, जो नहीं आते हैं उन्हें नहीं दी जा सकती है।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या यह सही है कि पॉलिटिकल सफरर को आज तक जमीन नहीं दी जा रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं कह सकता, कोई स्पेसिफिक केस होगा तो मैं कह सकूंगा।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक केस लेकर मैं आया था—गंगानगर का, आपने कहा था कि जमीन देने की प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : एक अमुक हद तक जमीन के लिए एनकरेज नहीं करते हैं, पेन्शन देना पसन्द करते हैं।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपरोक्त जिला, चूरू की सूचना है, उस जिले में जमीन उपलब्ध न होने की सूरत में राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन दी जायगी ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या आप स्वतन्त्रता सेनानियों की जांच कराने को तैयार हैं कि वास्तव में सही तरीके से उन्होंने अपना विवरण लिखा है ? क्या कोई इस तरह का सर्क्यूलर जारी हुआ है, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता सेनानी अपना नाम लिख कर दें और साल लिख कर दें जब वह जेल गये ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच तो कर सकते हैं। अलग से प्रश्न तो है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों में अडल्ट्रेशन हो रहा है, उसकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : आप स्पेसिफिक केस देंगे तो जांच करा लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या आपकी जमीन देने के सम्बन्ध में जो नीति है उसमें भिन्नता नहीं है ? कई लोगों को जमीन दे दी है, कई को नहीं दी है और आमतौर पर आप जमीन देने की बात एन्करेज नहीं करते हैं ? इसका अर्थ क्या है कि कुछ लोगों को दे देते हैं और आमतौर पर नहीं देते हैं ? आपकी यूनीफार्म पॉलिसी क्या आप तय करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है, किस प्रकार का आदमी है, पार्टीसिपेशन कैसा है, क्या है, इन चीजों को देखना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई मान्यता तय करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, वह डिस्कस करके फैसला देती है कि जमीन देनी है, दूसरी सुविधा देनी है या पेन्शन देनी है।

श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) : मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, छः महीने जिन्होंने जेल काटी है, उनके लिए प्रावधान है-लेकिन प्रजा परिषद् की नीति के अनुसार, प्रोग्राम के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को जेल में नहीं भेजा गया और बाहर ही काम लिया गया, चार-पांच वर्ष कई लोगों को बेघर रहना पड़ा, उनके लिए नीति में परिवर्तन करने की इच्छा है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : रूल्स में एक जनरल क्लॉज है, कमेटी रिलेक्स कर सकती है कन्डीशन और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस पर विचार करके किसी को देख सकती है सुविधा। लेकिन यह रूल रिलेक्सेशन हर केस में नहीं हो सकता। अगर इस प्रकार के कार्यकर्त्ता हैं आपके ध्यान में, अदरवाइज जिनकी सफरिंग बहुत ज्यादा है, सिवाय जेल जाने के, तो निश्चित रूप से विचार किया जायेगा।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : स्वतंत्रता सेनानियों में से कुछ लोगों के पाठ्य पुस्तकों में जीवन चरित्र लिखने की बात तय हुई थी, उसमें स्वामी कुमारानन्द का नाम था। मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है या कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग-अलग पाठ्य पुस्तकों में जीवन चरित्र शरीक करने की बात ध्यान में नहीं है लेकिन पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आये—यह जरूर चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू की जायेगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जो अण्डर ग्राउण्ड रहे और जागीर एट्रोसिटीज के शिकार रहे, जागीरी जुल्म के, उनको किसी प्रकार फ्रीडम फाइटर मानने को तैयार नहीं। राजस्थान की स्थिति अलग थी, वे जेल नहीं गये लेकिन जागीरों के खिलाफ लड़े, उनको नुकसान पहुंचा है, उनको यदि जमीन नहीं दें, पेन्शन नहीं दें, लेकिन ताम्रपत्र तो दें।

श्री हरिदेव जोशी : ताम्रपत्र सेन्टर का है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह उसी को मिल सकता है जो छः महीने तक जेल में रहा हो। ताम्रपत्र की बात भिन्न है, यह गवर्नमेंट आॅफ इण्डिया का है। पेन्शन भी, जो छः महीने जेल में रहा है, उसको दो सौ रुपये देती है। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि जो भाई जेल नहीं गये हैं, यह नहीं कि जो जेल गये हैं वही स्वतंत्रता सेनानी हैं—ऐसी बात नहीं है, जेल के बाहर रह कर जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है आजादी के आन्दोलन में, वह भी हमारे लिए उतने ही आदरणीय हैं। इस प्रकार के कोई हों और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो उनकी मदद करना भी राज्य सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन !

श्री गोपाल जोशी : 218 !

Page No 4

(५)

श्री अध्यक्ष : How you ?

श्री गोपाल जोशी : लिखित में ऑथोरिटी दी थी लेकिन मिस प्लेस हो गई इसलिए नहीं दे सकें। वे देकर गये थे। आप मेरी बात मानें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : I take your word of honour.

उपनिवेशन से उद्योग विभाग को भूमि हस्तान्तरित करने की मांग

218. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) [श्री भीमसेन (लूणकरणसर) की अनुपस्थिति में] : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कस्बा लूणकरणसर (बीकानेर) में पिछले 4-5 वर्षों से उद्योग लगाने हेतु उपनिवेशन विभाग से भूमि के सेट अपार्ट करके उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की मांग की जाती रही है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में भूमि उद्योग विभाग को कब तक हस्तांतरित कर दी जायगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मूलचंद मीणा) : जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता ?

श्री गोपाल जोशी : किस बात का प्रश्न नहीं उठता ? आप बतायें तो सही। लूणकरणसर कस्बे में लोगों ने उद्योग लगाने के लिए जमीन उपनिवेशन विभाग से सेट अपार्ट करने के लिए अर्जी दी है, विशेष कोशिश की जा रही है। आप कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता है। किस बात का प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उठता नहीं, जबर्दस्ती उठायें।

श्री गोपाल जोशी : उद्योग लगाने का प्रश्न नहीं उठता, या जमीन देने का प्रश्न नहीं उठता, या जमीन के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी है, मांगी है, उसका प्रश्न नहीं उठता ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : जो लिखकर दे दिया, वैसा पढ़ दिया।

श्री मूलचन्द मीणा : प्रश्न इसलिए नहीं उठता, इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना है उसके लिए कोई डिमाण्ड किसी तरफ से नहीं आयी है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोपाल जोशी : वहां औद्योगिक विकास करने के लिए काफी स्कोप है, जिप्सम निकलता है।

श्री मूलचन्द मीणा : डिमाण्ड नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : डिमाण्ड है और बाकायदा डिमाण्ड दी हुई है, चार-पांच साल हो गये। क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य को उपनिवेशन विभाग से नहीं पूछ कर, क्योंकि जमीन सेट अपार्ट कर दी गई है, यह उद्योग विभाग से पूछना चाहिए था। एप्लीकेशन होगी तो देख लेंगे।

उपनिवेशन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, लैण्ड सेट अपार्ट नहीं की गई है। एरिया डवलपमेंट कमिश्नर मण्डी कमेटी के चेअरमैन हैं वह सेट अपार्ट

(श्री परसराम मदेरणा)
करते हैं। राजस्थान कोलानाइजेशन एक्ट में अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड इन मण्डी एरियाज के लिए भाखरा और राजस्थान कैनाल कॉलोनी रूल्स, 1963 की शर्त 4 के अन्तर्गत यह बात जरूर है कि मण्डी कमेटी के अपने मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं। इस बात की तजवीज कमिश्नर और मण्डी कमेटी ने जरूर की है कि इस क्षेत्र में 200 एकड़ भूमि सेट अपार्ट की जानी चाहिए। अब तक उद्योग विभाग या उद्योग लगाने वाले आये हैं—इस प्रकार की बात और डिमाण्ड न मण्डी कमेटी के सामने है, न राज्य सरकार के सामने है। 200 एकड़ जमीन सेट अपार्ट करने की तजवीज की जा रही है। मण्डी कमेटी यह सेट अपार्ट करेगी। अभी तक किसी इण्डस्ट्रियलिस्ट या कोई अन्य की तरफ से आवेदन-पत्र पैंडिंग नहीं है ?

श्री गोपाल जोशी : योजना के आधार पर आप जरूरी नहीं समझते कि किसी भी जगह उद्योग पनपें उसके लिए आप उपनिवेशन विभाग की जो जमीन है उसमें ईयरमार्क करके उद्योगों के लिए जमीन अलग कर दी जाए ? आप डिक्लेयर कर दें।

श्री परसराम मदेरणा: मास्टर प्लान बन जाएगा लूणकरणसर मंडी का। हर मंडी के मास्टर प्लान में रेजीडेन्शियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, ओपन प्लेसेज रिक्रीएशन सेंटर्स, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। हमारा मास्टर प्लान जून तक बन जाएगा। जमीन सेट अपार्ट करने जा रहे हैं लेकिन इस प्रकार की मांग नहीं है। हर मंडी में जमीन सेट अपार्ट होती है चाहे मांग हो या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ !

खरीफ की फसल के लिए खाद

219. श्री केदारनाथ (गंगानगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने खरीफ की फसल के लिए कितने टन खाद की मांग की थी (किस किस किस्म से कितना कितना खाद) 31 जनवरी, 1975 तक राज्य सरकार को कितना खाद प्राप्त हुआ ? राज्य सरकार ने इस खाद को वितरण करने की क्या व्यवस्था की है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): राज्य सरकार ने खरीफ 1974 के लिए 34251 मे. टन नत्रजन, 5212 मे. टन फॉसफेटिक एवं 1576 मे. टन पोटाशिक व रबी के लिए 76696 मे. टन नत्रजन, 109677 मे. टन फॉसफेटिक व 6427 में. टन पोटाशिक उर्वरकों की मांग भारत सरकार से की थी। 31 जनवरी, 1975 तक राज्य में 55126 मे. टन नत्रजन, 7805 टन फॉसफेटिक व 1999 मे. टन पोटाशिक उर्वरक प्राप्त हुआ। उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी रजिस्टर्ड डीलर, एग्रो सर्विस सेंटर आदि से उर्वरक क्रय कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ : यह जो आपका खाद देरी से पहुंचा है क्योंकि गेहूं और सरसों की सोइंग होती है व नवम्बर में उस समय

(श्री केदारनाथ)
खाद नहीं मिला वह मिला जनवरी में तो शुरू-शुरू में कितना नुकसान हुआ, इसका क्या कारण था ?

श्री शिवचरण माथुर : उन दिनों खाद न मिलने के कारण थे। एक तो जो हमारा कोटा का कारखाना है वह दो ढ़ाई महीने तक बंद रहा। बाहर से जो पूल सोर्सेज थे वहां से भी कम आया। माननीय सदस्य को मालुम है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में मैं गंगानगर गया था और भारत सरकार के कृषि मंत्री आए थे। वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए हमने क्रैश प्रोग्राम खाद की उपलब्धि के लिए चालू किया और आप जानते हैं कि उसके बाद गंगानगर में काफी खाद आया और आज भी वहां कमी नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): सोइंग सीजन था हमने गेहूं और सरसों का नवम्बर में सोइंग कर दिया था और आपने कहा था कि 15 जनवरी के बाद पानी नहीं मिलेगा। इसलिए 15 जनवरी के बाद खाद डालने का प्रश्न ही नहीं है। आपका खाद 15 जनवरी के बाद आया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर: 15 जनवरी के बाद नहीं आया उससे पहले भी आया है। दिसम्बर, 1974 तक खाद राजस्थान में आया था लेकिन गगानगर की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए क्रैश प्रोग्राम हमने लागू किया, उसके बाद में अधिक मात्रा में आया।

श्री गुरदयालसिंह संधु: जो दिसम्बर में खाद आया वह इतना कम था कि सब किसानों को नहीं मिल सका। जनवरी में जो खाद आया वह काफी था लेकिन लोगों ने यूज नहीं किया, आज भी वहां पड़ा हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने बताया कि हमारे यहां कोटा वाली फैक्ट्री दो-ढ़ाई महीने बंद रही और बाहर से आने वाले पूल सोर्सेज में भी खाद में कमी रही लेकिन इसके बाद में हमने क्रैश प्रोग्राम के आधार पर राजस्थान का जो बैकलॉग रह गया था उसकी पूर्ति के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं उसका अच्छा परिणाम आया। जहां तक आगे की आवश्यकता है, अब हम खाद की ऐसी एरैटिक कन्डीशन्स को एवॉइड करने के लिए खाद का स्टॉक करना चाहते हैं ताकि फसल के मौके पर किसानों को आवश्यकताओं के अनुरूप मिल जाए।

श्री निरंजननाथ आचार्य: क्या असेसमेंट कर रहे हैं ? देर से खाद आने से कितना पर्सेंट उत्पादन पर असर पड़ा है ? असेसमेंट करने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप पहले स्वीकार कर चुके हैं कि जब खाद की आवश्यकता थी तब कोटा फर्टीलाइजर फैक्ट्री बंद थी, इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं करवा सके। बाद में जब पानी से उसका तालमेल नहीं बैठा, तब खाद उपलब्ध करवा सके जब कतई आवश्यकता नहीं थी। क्या आपने इन कारणों की जानकारी की है कि काइसिज जो श्रीराम फर्टीलाइजर्स, कोटा ने पैदा किया उसके क्या कारण थे जिससे फसल पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

क्या यह सही है कि श्रीराम फर्टीलाइजर्स के साथ जो आपकी शर्तें हैं उनके अनुसार 30 पर्सेन्ट से ज्यादा फर्टीलाइजर आप नहीं ले सकते ? क्या यह सही है कि जब शॉर्टेज थी तब बड़ौदा से कैरेज का प्रबन्ध नहीं कर सके ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आपका एग्रीमेंट श्रीराम फर्टीलाइजर्स के साथ किस प्रकार का था ? क्या उतना खाद आपको मिलता है ? उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कितना पर्सेन्ट राजस्थान को मिलता है और कितना औरों को वह देता है ?

श्री गुरदयालसिंह संधु : परसों संसद में भी चर्चा हुई और वहां पर बताया गया कि दिसम्बर तक 30 लाख टन खाद के दिए गए तो आपको पहले क्यों नहीं मिल पाया ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जैसा निवेदन किया कि केवल गंगानगर में कमी आपको महसूस हुई। बाकी राजस्थान के बहुत हिस्सों में खाद पड़ा रहा उसके कई कारण थे जैसे कीमतों में वृद्धि। गंगानगर के किसान काफी खाद लेते हैं, वहां कमी हो सकती है। जहां तक श्रीराम कैमीकल्स द्वारा खाद उपलब्धि का सवाल है, राजस्थान की जो फैक्ट्री है वह केवल राजस्थान के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे उत्तरी क्षेत्र के लिए है। इसलिए भारत सरकार नॉन-पूल सोर्सेज से जब एलॉटमेंट करती है तब उसमें से राजस्थान को विशेष रूप से और दूसरे राज्यों को भी इसमें शामिल करती है। केवल श्रीराम फैक्ट्री का अंदाजा लगाये तो आवश्यकता के अनुकूल हमारी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए दूसरी फैक्ट्रीज से भी मिलता है, विदेशों से भी खाद मिलता है। इसलिए यह कहना कि श्रीराम कैमिकल्स से हमारी पूर्ति हो जाएगी, यह गलत होगा। सारा राष्ट्रीय स्तर पर एलोकेशन होता है। हमने निरन्तर भारत सरकार से कहा है कि हमें अधिक से अधिक खाद नॉन-पूल सोर्सेज से, खासतौर से हमारी फैक्ट्री से दिया जाए और पूल सोर्सेज को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए। भारत सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया है और उन्होंने इस बार हमारी फैक्ट्री से ज्यादा एलॉट करना सिद्धांततः स्वीकार किया है।

श्री नत्थीसिंह यादव (नदवई) : मंत्री महोदय ने कहा कि केवल गंगानगर में ही कमी रही। भरतपुर में सबसे ज्यादा कमी रही। मंत्रीजी का जब दौरा हुआ, जनता ने और हम लोगों ने मंत्रीजी से कहा था कि जल्दी से जल्दी खाद भेजा जाए लेकिन भरतपुर में खाद समय पर न पहुंचने से रुपये में से चार आना उत्पादन में कमी आई है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला !

विधि सलाहकारों की नियुक्ति

220. श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशनपोल, जयपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विधि सलाहकारों की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो कृपया उनके नाम, पते एवं योग्यता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8)

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) : जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वैसे तो मैं राठौड़ी का लोहा मान चुका हूं लेकिन जो पी.पीज. और ए.पी.पीज. नियुक्त हुए हैं उनके बारे में मेरा प्रश्न है, आपने जो उत्तर दिया है जी नहीं, यह गलत है।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता मेरे मित्र हैं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर): नहीं, पुत्र हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने आपकी राठौड़ी का लोहा माना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने भयंकर उत्तर दिया है।

श्री खेतसिंह : लीगल एडवाइजर्स हमने नहीं रखे हैं लेकिन यह सही है कि जन अभिवक्ता रखे हैं। वह सूची चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितने रखे हैं टोटल ?

श्री खेतसिंह : हर जिले में, हर सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर पर रखे हुए हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा। क्या मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में हैं कि एडवोकेट जनरल के अलावा एडीशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट के नाम क्या-क्या हैं ? मेरे ख्याल में राजस्थान में कुल मिलाकर 10-15 से अधिक नहीं होंगे।

एक माननीय सदस्य : कुल मिलाकर 13-14 होंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ठीक 13-14 ही नाम हैं वह तो आप बता सकेंगे। उनकी सूची तो आपके पास होगी। वह सदन में बता दें ताकि पता लग जाय कि कौन-कौन हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मीमल सिंघवी, एडवोकेट जनरल, श्री सुशील कुमार तिवाड़ी, श्री अशोक कुमार माथुर, श्री दलपतसिंह सिसोदिया और श्री मुरलीधर पुरोहित यह हैं एडीशनल गवर्नमेंट एडवोकेट, इसके अलावा श्री केदारचन्द भण्डारी, श्री दिनकरलाल माथुर, श्री बलवन्त अरोरा, श्री हरनाथ कल्ला यह हैं डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट। इसके अलावा गफूर अहमद, श्री जितेन्द्रकुमार, श्री महावीर राज भण्डारी और श्री मनमोहन चारन यह हैं असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज ! एक-एक माननीय सदस्य पूछें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सारे के सारे व्यक्ति हैं सिवाय दिनकर लाल माथुर के, सभी लोग वहीं के ही हैं जहां से कि विधि मंत्री जी आते हैं ? क्या सभी उसी क्षेत्र के हैं ? इसका क्या कारण है कि सभी उसी क्षेत्र के लोग हैं ?

(9)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है कि इन लोगों के एपॉइन्टमैंट करने में क्या क्राइटेरिया है ? अगर कोई क्राइटेरिया है तो उससे सदन को अवगत कराया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को गवर्नमेन्ट एडवोकेट और डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट वगैरह बनाया गया है उनकी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की कितने साल की स्टैंण्डिग है ? और क्या यह सही है कि यह लोग जो काम कर रहे हैं वह क्षेत्रीय भावना के आधार पर बनाये गये हैं और यह हमेशा केस हारते हैं ? क्या उनसे ज्यादा योग्य एडवोकेट्स राज्य सरकार को नहीं मिल रहे थे जिसके कारण इनको ही बनाया गया ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि यह लोग काफी अर्से से हाईकोर्ट में वकालत कर रहे थे और इनकी हाईकोर्ट में स्टैंण्डिग प्रैक्टिस होने के कारण ही इन्हें बनाया गया और दूसरे इनसे ज्यादा योग्य नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आमतौर पर जो एडवोकेट जनरल, गवर्नमेन्ट एडवोकेट तथा डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट की नियुक्तियां हुई हैं वह सभी जोधपुर से ही हुई हैं और चूंकि मन्त्री महोदय खुद जोधपुर डिवीजन से ही आते हैं अतः ईन्होंने वहीं के लोगों को यह नियुक्तियां दी हैं ? तो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं क्षेत्रीय भावना से हमेशा ऊपर उठ कर चलता हूं और क्षेत्रीय भावना के संकुचित विचार में नहीं रखता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप तो इसको कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी कहना उचित समझता हूं कि जिस वक्त इन लोगों का एपॉइन्टमेन्ट हुआ था तो मैंने इनके घर के पते नोट नहीं किये थे।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो सारे के सारे जोधपुर के ही हैं एक दो को छोड़ कर।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने भी एपॉइन्टमेन्ट्स हुए हैं चाहे एडवोकेट जनरल का हो, गवर्नमेन्ट एडवोकेट के हों, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के हों इनमें अधिकांश लोगों का एपॉइन्टमेन्ट तो पहले ही यहां हो चुका था। इनमें से अधिकांश तो ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेन्ट में एम्प्लॉयड थे।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक-एक करके पूछें।

Page No 10

(10)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इनमें मन्त्री महोदय यह बतावें कि कौन-कौन कब से यहां पर एम्प्लॉयड हैं और उन्हें ही इस पोस्ट के लिये क्यों चुना गया ?

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह है कि इनमें जिन लोगों को एपॉइन्टमेन्ट दिया गया है उनमें नये नये लोगों को एपॉइन्टमेन्ट दे दिया गया है और उनको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का तजुर्बा नहीं होने के कारण राज्य सरकार को कई मामलों में हार का मुंह देखना पड़ता है ? क्या इनसे ज्यादा लोग कॉम्पीटेन्ट राज्य सरकार को हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते नहीं मिले जिससे कि इन्हीं लोगों को बार-बार लिया जा रहा है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इतना क्षेत्रीयवाद की संकुचित भावना का नहीं हूं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि कई लोगों को (औरों को भी) एपॉइन्टमेन्ट लेटर्स भेजे गये थे लेकिन उनमें से कइयों ने ज्वॉइन करने से इन्कार कर दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन नियुक्तियों में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी हुई है जो कि लॉ सेक्रेट्री साहब का लड़का है और आपने उसे एसिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट के पद पर नियुक्त किया है। उसकी हाई कोर्ट में क्या स्टेण्डिंग है ? यह भी बतावें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्षेत्रीय भावना की बात है, मैं यह कह सकता हूं कि श्री बलवन्त अरोड़ा और श्री सुशीलकुमार तिवाड़ी जोधपुर के नहीं हैं और जोधपुर हाई कोर्ट में काफी अर्से से प्रैक्टिस कर रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे कि अभी जो ए.पी. पीज. की पोस्ट पर सी. आर. पी. सी. के लागू होने के कारण फिलहाल जो पुराने लोग काम कर रहे थे उन्हीं को ए. पी. पीज. की पोस्ट पर काम करने दिया गया जब तक नये ए. पी. पीज. लॉ ग्रेजुएट नहीं आवें। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि नये ए. पी. पीज. पुरानों की जगह कब लगाये जायेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो जयपुर से जोधपुर हाई कोर्ट में एडवोकेट्स गये थे वह वहां ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए थे दूसरों के मुकाबले में ?

एक माननीय सदस्य : फिर भी राज्य सरकार ने जोधपुर के लोगों को ही उपयुक्त माना।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो सारी मिलीभगत है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है हाई कोर्ट में जितने भी एडवोकेट्स वकालत करते हैं उनमें जयपुर के एडवोकेट्स की प्रैक्टिस जोधपुर के एडवोकेट्स से सुपीरियर है ? क्या राज्य सरकार इसको मानती है ?

Page No 11

(11)

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। क्या राज्य सरकार भविष्य में एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट और असिस्टेन्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को नियुक्त करने से पहले हाई कोर्ट से इनकी नियुक्ति के लिये पेनल मंगा लिया करेगी और उसी के अनुसार अपॉइन्टमेंट किया जायेगा ? क्या ऐसा करने का विचार राज्य सरकार रखती है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न करना है अगर आपकी आज्ञा हो तो ?

श्री अध्यक्ष : हां-हां, जरूर कहिये। मैं आपको मना कैसे कर सकता हूं।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने भी यह गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स वगैरह हैं उनमें से अधिकांश इस नामावली में ऐसे हैं जो कि सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार कराते हैं और उनकी प्रैक्टिस हाई कोर्ट में कोई स्टेण्डिग नहीं रखती है ? क्या उनका धन्धा बिलकुल ही नहीं चलता था और उन्होंने अपनी जोड़-तोड़ करके यह नियुक्तियां ले लीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के अपॉइन्टमेन्ट का है, इनकी नियुक्ति का प्रश्न है, राज्य सरकार ने लोगों को अपॉइन्टमेन्ट भेजा लेकिन कुछ ने ज्वोइन करने से मना कर दिया और जिन्होंने एग्री किया उन्हें रख लिया गया। इसके अलावा उनके बारे में अपॉइन्टमेन्ट करने से पहले राज्य सरकार ने विधि विभाग द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज से राय भी मांगी थी। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों की हाई कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस थी और इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर दूं कि असिस्टेन्ट गवर्नमेन्ट एडवोकेट के लिये हाई कोर्ट में पांच साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट के लिये हाई कोर्ट में सात साल की प्रैक्टिस की स्टेण्डिंग होना अनिवार्य है। इसके अलावा गवर्नमेन्ट एडवोकेट के लिये और एडीशनल गवर्नमेन्ट एडवोकेट के लिये 14 व 15 साल की प्रैक्टिस स्टेण्डिंग हो, वह इन लोगों की है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मैंने यह भी पता लगा लिया है कि इनमें सिर्फ जोधपुर के ही लोग नहीं बल्कि उदयपुर और जयपुर के लोग भी हैं, गंगानगर के भी हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौन-कौन हैं ? बता दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं प्रश्नकर्ता हूं। इनमें कौन-कौन को, कब कब लिया गया है और कहां-कहां ? नाम मय स्थान के बता दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अजी आप तो सभी जानकारी रखते हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बिल्कुल गलत जानकारी है, बिल्कुल गलत आधार पर यह सारी बात हो रही है। मेहरवानी करके यह बता दीजिए कि पैनल में कौन-कौन के नाम हैं और इसमें कौन-कौन आदमी जोधपुर के हैं, कौन जयपुर के हैं कौन उदयपुर के हैं? उनके मेहरबानी करके नाम बता दीजिए। और उसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर बार एसोसियेशन के अन्दर वकील 1969 से पूरे डिविजन के 709 हैं। एक सुरेश तिवाड़ी को आपने रख दिया और उसमें जयपुर का सारा रिप्रेजेन्टेशन हो गया? मैं निवेदन करूंगा, जैसा आप कहते हैं कि सबका रिप्रेजेण्टेशन हो गया तो कृपया उनकी लिस्ट बता दें।

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य गलत ढंग से इस चीज को ले रहे हैं। कभी भी किसी चीज को इतने सीमित दायरे में लेकर नहीं चलना चाहिए। गवर्नमेंन्ट एडवोकेट, जो भी असिस्टेंट एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट लिए जाते हैं उसमें इस तरह से अमुक जगह के आदमियों को ही लेने का प्रश्न नहीं है बल्कि जो बैस्ट सलेक्टेड हैं उनको लिया जाता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं होता यदि सारे के सारे आदमी उसमें जोधपुर के आ जाते अथवा जयपुर के आ जाते अथवा उदयपुर के आ जाते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पैनल हाई कोर्ट से मंगवाने के बारे में क्या विचार है आपका?

(व्यवधान-अश्रव्य)

इसमें पैनल नहीं मंगाया गया है। यह बाद में कह दिया कि ये लोग हैं और कह दिया कि हां साहब ठीक है। पैनल हाई कोर्ट से नहीं मंगाया गया।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण रौत !

श्री हरिदेव जोशी : मैं अधिकृत तौर पर निवेदन कर रहा हूं कि पैनल मंगाया गया है।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न.......

श्री अध्यक्ष : छोटा बड़ा कुछ नहीं।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : No, श्री जयनारायण रौत !

फर्जी उद्योगों के मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

221. श्री जयनारायण रौत (लसाड़िया) एवं **श्री महेन्द्रकुमार** (पाड़वा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग ने गत वर्ष (1974) में समस्त राज्य में उद्योगों की गणना का कार्य किया है? यदि हां, तो इस गणना में ऐसी कितनी इकाइयां किस-किस जिले में बन्द पाई गई जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन होने से गणना तक विभाग से कच्चा माल तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करके दुरुपयोग किया?

(श्री जयनारायण रौत)

(2) उक्त फर्जी इकाइयों को कब-कब, किस-किस अधिकारी ने प्रत्येक जिलेवार कितनी-कितनी और किस-किस प्रकार की सुविधायें दीं ?

(3) उक्त फर्जी इकाइयों के मालिकों तथा इनको सहयोग देने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) जिन मामलों में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसका क्या कारण है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है वह काफी विस्तृत है जिसके लिए समय की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें काफी भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं जयपुर के अन्दर इसमें क्या विशेष जानकारी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित ही किया है।

प्रश्न सं. 222

श्री गिर्राजप्रसाद तिवारी !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदनकौर !

बाड़मेर जिले को अनाज का आवंटन

223. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले को सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक प्रति माह कितना-कितना अनाज आवंटित किया और कितना अनाज भौतिक रूप से उपलब्ध कराया गया ?

(2) इस प्रकार उपलब्ध कराया गया अनाज जिले में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना-कितना वितरण किया गया ?

(3) इन्हीं महीनों में बाड़मेर के पड़ौसी जिले जैसलमेर की जनता को प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया गया ?

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) बाड़मेर जिले को सितम्बर, 74 से फरवरी, 75 तक किये गये आवंटन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा की सूची संलग्न है।

(2) जिला मुख्यालय पर 3 किलो तथा अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 2 किलो गेहूं व ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धि के अनुसार 2 किलो मोटा अनाज प्रति यूनिट प्रति माह की दर से वितरण कराया गया।

(3) इस अवधि में जैसलमेर की जनता को प्रति व्यक्ति प्रति माह जो अनाज उपलब्ध कराया है उसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, अनाज की उपलब्धि के अनुसार वितरण होता है तो गांवों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्रीमती मदनकौर : क्या राज्य सरकार यह बताने को तैयार है कि जैसलमेर जिले को इन्हीं महीनों में कितना-कितना अनाज दिया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह मैंने सूची दी है आपको।

श्रीमती मदनकौर : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले की खाद्यान्न की उपलब्धि में कोई फर्क है ? वहां की फसल पूरी तरह से फेल हुई और बाड़मेर जिले के अन्दर सारे गांव अकाल में हैं।

श्री शिवचरण माथुर : वह ठीक है लेकिन जैसलमेर जिले में खासतौर से स्थिति ऐसी है, वहां की जो विशेष स्थिति है उससे प्रभावित रहता है और वहां पैदावार नहीं के बराबर होती है। जबकि बाड़मेर का कुछ इलाका ऐसा हो सकता है और है भी कि जहां कुछ सालों में अच्छी फसल भी पैदा हो जाती है। इसलिए जैसलमेर और बाड़मेर को बिल्कुल एक धरातल पर रखना सम्भव नहीं है। लेकिन बाड़मेर की स्थिति भी खराब है और वहां पर निरन्तर अनाज की उपलब्धि बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। आप दोनों तालिकाओं को देख लीजिए, निरंतर बाड़मेर में अनाज की उपलब्धि बढ़ाई है और मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि जैसे-जैसे राजस्थान में अनाज की उपलब्धि होगी और जो लगातार हो रही है निरन्तर बाड़मेर जिले की मात्रा भी बढ़ा दी जायेगी।

श्रीमती मदनकौर : क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि बाड़मेर जिले की बहुत सारी पंचायतें ऐसी रही हैं कि जिनमें सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही दो किलो अनाज दिया गया है, बाकी दूसरी आबादी को नहीं दिया गया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह सही है। इसको स्वीकार करना होगा, इधर उधर करने की बात नहीं है। जिला जैसलमेर को हम विशेष प्रकार का व्यवहार दे रहे हैं और वह व्यवहार दूसरों को नहीं दे पा रहे हैं। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। इस चीज के अन्दर हमारे सामने बाधायें रही हैं।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जब लेवी वसूल की गई तो बाजरे में बाड़मेर जिले से निर्धारित लेवी से भी अधिक लेवी वसूल की गई और उसका ही यह परिणाम है कि कम अनाज दिया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो अनाज की उपलब्धि के अनुसार अनाज देने की बात आप कह रहें हैं और जो आपने जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय, यह जालोर, बाड़मेर हमेशा से टार्जेट से ऊपर आते हैं लेवी के मामले में। वहां पर सख्ती से लेवी वसूल की जाती है। अब हालत इतनी खराब है कि आप प्रति व्यक्ति गांव में दो किलो भी नहीं दे पाते हैं। मतलब यह है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
कि वह भी केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही दे पाते हैं। बाकी ग्रामीण लोगों को कम से कम दो किलो, तीन किलो जो भी आप दे सकते हों वह तो दें।

श्रीमती मदनकौर : माननीय मन्त्री महोदय ने........

श्री किशोरीलाल (सलूम्बर) : ऐसा है कि जैसी स्थिति बाड़मेर की है वैसी ही हालत उदयपुर जिले की है। उदयपुर जिले में अस्सी प्रतिशत अकाल की स्थिति है। ऐसे लोगों के लिए वहां पर अनाज की कोई व्यवस्था नहीं है........

श्री हरिदेव जोशी : बाड़मेर जिले की हा नहीं पूरे राजस्थान की स्थिति है।

श्री किशोरीलाल : अनाज की व्यवस्था नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है।

श्री किशोरीलाल : वहां पर तहसीलों में, जिला हैडक्वार्टर सब जगह यही हालत है। मैं जानना चाहूंगा कि वहां के लिए क्या करने जा रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : वह सारा का सारा उदयपुर जिले का प्रश्न ही नहीं, बाड़मेर या जालोर जिले का प्रश्न ही नहीं, अनाज के मामले में सम्पूर्ण राजस्थान की स्थिति खराब है, इसको अपने को स्वीकार करना होगा। हम सारे को रिवाइज कर रहे हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर आप आज बैठ जायेंगे तो हम री-एलोकेशन करके स्थिति सुधारेंगे। जो स्थिति कल थी वह आज नहीं रहेगी, यह मैं कह सकता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आज आप क्या कर लेंगे। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिले, लेवी लेते समय सख्ती से लेवी वसूल करें और अनाज की गांवों में विकट समस्या है। लोगों को खाने को रोटी नहीं मिले। अभी उदयपुर जिले के बारे में जैसा माननीय सदस्य सलूम्बर से आने वाले बता रहे थे लोगों को खाने को दाना नहीं और आपसे व्यवस्था नहीं हो।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : मैं एक प्रश्न के लिए खड़ा होऊंगा, अध्यक्ष महोदय। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी आपने जो कहा है उससे यह आभास होता है कि आपके पास अनाज देने के लिए हैं लेकिन आपने सही तरीके से वितरण करने की व्यवस्था नहीं की और जो स्थिति कल थी आज नहीं रहेगी तो आज ऐसा कौनसा चमत्कार होगा कि जिसमें आप वितरण व्यवस्था में सुधार कर देंगे। अगर कर देंगे तो अब तक जिस नेग्लीजेंस की वजह से लोगों को कष्ट है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह फर्मा दें आप कि देहातों में अनाज न देने का क्या कारण है ? जब लेवी लेते हैं तो जायज, नाजायज तरीकों से, सख्ती से लेवी वसूल कर लेते हैं। लोगों को कम से कम तीन महीने के लिए खाने का अनाज दें।

(व्यवधान - अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम !

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जालोर में सबसे ज्यादा लेवी ली है और उसमें आपने पूरी ताकत लगा दी लेवी वसूल करने में लेकिन आज उनके पास अनाज नहीं खाने को। आपने यह कर दिया कि जिसके पास इतनी जमीन होगी उसको अनाज नहीं देंगे तो यह जमीन कम ज्यादा तो होती रहती है। उनके घर में अनाज नहीं है। अनाज देने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और मजदूर वर्ग के लिए कर दिया। तो मजदूर तो सभी हैं। शहरों की मिलों में मजदूर होते हैं वैसे नहीं हैं लेकिन सभी मजदूरी करते हैं। जो गरीब काश्तकार हैं उनकी हालत खराब है और उनके पास अनाज नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि शहरों में दो किलो गेहूं और गांवों में दो किलो मोटा अनाज देंगे। तो क्या सरकार की यह नीति है कि गांवों में मोटा अनाज ही दिया जाय? यह इसमें डिस्क्रीमिनेशन क्यों कि गांवों में तो मोटा ही अनाज देंगे और शहरों में गेहूं दिया जायगा?

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री केसरीमल (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसमें माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट तो कर दिया लेकिन मेरे यहां, मेरे इलाके में तो पिछले कई महीनों से गांवों में राशन नहीं मिला है, राशन नहीं दिया है। तार दिया है, चिट्ठी दी है लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की है। बाजार बन्द हुआ है। ऐसी स्थिति हुई है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मदनकौर! Last supplementary now.

श्रीमती मदनकौर: जो अनाज बाड़मेर जिले को आवंटित किया जाता है उसमें से शरणार्थियों को भी दिया जाता है या अलग दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष: खाद्य मंत्री जी!

खाद्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): यह प्रश्न केवल बाड़मेर से आने वाली माननीय सदस्या ने पूछा है इसलिये यह जानकारी प्रस्तुत की है। इसका यह मतलब नहीं है कि और जिलों में अनाज नहीं दिया गया है। सब जगह अनाज दिया है....

एक माननीय सदस्य: गोलमाल नहीं।

श्री शिवचरण माथुर: गोलमाल नहीं है। मैं अलग-अलग जिलेवार सूची दे चुका हूं जहां तक उपलब्धि का सवाल है लेवी से एक लाख 19 हजार टन लेवी इकट्ठी हुई है लेकिन साल भर में तीन साढ़े तीन लाख टन बांट चुके हैं। भारत सरकार से नहीं मिले तब तक नहीं बांट सकते हैं इसलिए लेवी से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं हमको मार्च के महीने में 50 हजार टन का अलॉटमेंट हुआ है उसमें अब सब जगह

Page No 17

(17)

(श्री शिवचरण माथुर)
ठीक रूप में बंट जायगा। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी अब गेहूं दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुरेशचन्द्र !

(व्यवधान : अश्रव्य)

No, No

कोटपूतली की ए. आर. सी. स्कीम

224. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली की ए. आर. सी. स्कीम बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो कितना समय हो गया ?

(2) उक्त योजना अनुमानतया कितनी राशि की है तथा इसकी स्वीकृति में देरी का क्या कारण है ?

कृषि मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं। योजना अभी तैयार की जा रही है। पंचायत समिति, कोटपूतली क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कुओं एवं पम्प सेटों की संख्या तथा पानी की निकासी की मात्रा की गणना के आधार पर यह अध्ययन किया जा रहा है कि कितने गांव योजनान्तर्गत आ सकते हैं और कितना कार्यक्रम लिया जा सकता है।

(2) योजना की अनुमानित राशि के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह राशि कार्यक्रम में अन्तिम रूप से प्रस्तावित होने वाले कार्यक्रम के परिणाम पर निर्भर करेगी। चूंकि योजना अभी अन्तिम रूप से तैयार करके कृषि पुनर्वित्त निगम को प्रस्तुत नहीं की गई है अतः इसकी स्वीकृति में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या यह सही सही है कि योजना वास्तव में तैयार कर ली गई है और ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का सर्वे हो चुका है और योजना पूरी तरह तैयार है केवल किसी फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन से बात नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल से मन्त्री महोदय टाइम फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इसलिये यह बता दिया है।

श्री शिवचरण माथुर : जो सूचना पंचायत समिति के आधार पर आई और जो सूचना जिलाधीश की ओर से आई उसमें कुछ अन्तर था। इसमें तकनीकी दृष्टि से विभाग ने जांच की है। उसके बाद योजना आगे भेजी गई है। स्वीकृत होने पर और जो अनुमानित राशि होगी.........

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अनुमानित राशि के लिये आप कुछ मत कहिये। क्या जो सूचना कलेक्टर से आई है वह छः महीने पहिले आई थी। छः महीने से आपके पास कागजात पड़े हैं। आप बता दीजिये। (विराम) क्या सही है ?

श्री शिवचरण माथुर : अक्टूबर 74 में में यह सूचना भेजी गई और मार्च के अन्त तक यह सूचना आई है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : जिस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने वाला है उसमें ए. आर. सी. स्कीम यों ही पड़ी रहे। क्या इसको अब जल्दी करवा कर भेजेंगे ?

Page No 18

18

श्री मीठालाल (लालसोट) : मैं भी एक निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। प्रश्न कोटपूतली से ही सम्बन्धित नहीं है पूरे जिले से है। अब ए. आर. सी. की स्कीम जल्दी पास करवाने में मन्त्री महोदय कोशिश करें ?

श्री शिवचरण माथुर : जिनका ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का सर्वे हो चुका है उनकी कार्यवाही की जा रही है। अन्तिम रूप से सर्वे होने के बाद तकनीकी फीजिबल मान कर आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या विचार करके (अश्रव्य)····

प्रश्न संख्या 225.

श्री अध्यक्ष : श्री चेतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट; श्री प्रद्युम्नसिंह !

केन्द्र सरकार से सहायता के रूप में मिली राशि

226. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को चालू वर्ष में अकाल के लिए केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिली है ?

(2) क्या यह सही है कि जितनी राशि मिली है वह राजस्थान के अकाल को देखते हुये ना काफी है ?

(3) क्या यह सही है कि धन के अभाव में काफी जिलों में अभी तक अकाल राहत कार्य नहीं खोले जा सके हैं ?

(4) जिन जिलों में अभी तक अकाल राहत कार्य नहीं खोलें गये हैं, वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, अकाल राहत (श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : (1) राज्य सरकार को चालू वर्ष में अभाव सहयाता के मद में भारत सरकार की ओर से कोई धनराशि नहीं मिली। केवल योजना कार्यों के लिए भारत सरकार ने 10 करोड़ 24 लाख रुपये की धनराशि आवंटित राज्य सरकार को की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(अ) राजस्थान नहर परियोजना के लिए 5 करोड़ 24 लाख रुपये।

(ब) वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना के लिए 2 करोड़ रुपये।

(स) सड़क व एम. एन. पी. कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपये।

यह धनराशि योजनाबद्ध कार्यों के लिए अग्रिम रूप से मिली है जो कि अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को इन योजनाबद्ध कार्यों पर लगाने के लिए है।

(2) जो धनराशि भारत सरकार से योजनाबद्ध कार्यों को चलाने के लिए अग्रिम रूप से आवंटित की गई है वह राज्य की अभाव की स्थिति को देखते हुये काफी नहीं है। भारत सरकार द्वारा सहायता व्यवस्था से सम्बन्धित निर्धारित नीति के अनुसार अभावग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को केवल योजनाबद्ध कार्यों पर लगाये जाने का निर्णय था। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

नहर परियोजना पर 7 जिलों के अभावग्रस्त श्रमिकों को कार्य देने का प्रबन्ध किया गया है। यह जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, गंगानगर व नागौर हैं। इसके अतिरिक्त जो वृहत व मध्यम सिंचाई योजनायें जिन जिलों में चल रही हैं उन जिलों के श्रमिकों को योजनाबद्ध कार्यों पर भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में डी. पी. ए. पी. के कार्य सड़कों के योजनाबद्ध कार्य और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई कार्यों को शुरू किया गया है जिससे अभाव ग्रस्त श्रमिकों को राहत मिल रही है।

(3) लगभग सभी जिलों में योजनाबद्ध कार्य चल रहे हैं जिन पर श्रमिकों को कार्य देने की व्यवस्था की गई है।

(4) अभावग्रस्त क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार दिलाने का प्रबन्ध किया गया है। कुछ जिलों में योजनाबद्ध कार्य खोलकर और कुछ जिलों में बृहत् एवं मध्यम (मेजर एण्ड मीडियम) कार्य खोलकर श्रमिकों को भेजा जा रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जो राशि योजनाबद्ध कार्यों के लिए मिली है वह अकाल की स्थिति को देखते हुये नाकाफी है। इतने लोग अकाल से पीड़ित हैं उनका रोजगार नही मिल पा रहा है तो यह साफ है जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है या योजनाबद्ध कार्यों पर नहीं लगा सकी है उन लोगों के लिए सरकार क्या करने जा रही है और क्या इन योजनाबद्ध कार्यों के अलावा दूसरे कार्य विभिन्न जिलों में लेने का विचार रखती है? और क्या सरकार ने खर्च आदि का एस्टीमेट बना लिया है कि कुल कितना खर्च आवेगा और उस रुपये का किस प्रकार प्रबन्ध किया है? मैं यह जानकारी मन्त्री महोदय से चाहूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राज्य सरकार ने आगामी महिने में जिन जिन जिलों में अभाव की स्थिति में उन्हें रोजगार देने की योजना तैयार कर ली है और इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अनुरोध किया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों अकाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी भेजी थी और 10 करोड़ 24 लाख रुपये दिए गए। दुबारा भारत सरकार से फिर अनुरोध किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में भारत सरकार कमेटी भेज रही है जो अभाव की स्थिति का अध्ययन करके भारत सरकार को सिफारिश करेगी। जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य के बजट में 10 करोड़ 19 लाख का प्रावधान है। जो अभाव की स्थिति है उससे काम चलाना मुश्किल है इसलिए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि टीम को भेजे और यहां की आवश्यकता को देखते हुये केन्द्र सरकार फिर मदद करे।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार योजनाबद्ध कार्यों का विवरण दिया है उससे यह जाहिर होता है कि जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं न तो वहां पर इरिगेशन का

Page No 20

(२०)

(श्री प्रद्युमनसिंह)
काम हो सकता है, न वन सरंक्षण का काम हो सकता है, न सोइल कन्जर्वेशन का काम हो सकता है। जिस प्रकार की कण्डीशन है उससे योजनाबद्ध कार्यों के रास्ते में रुकावट आ रही है इसलिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार की क्या नीति है ? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं....

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): मुझे थोड़ा सा कह लेने दें। यह बात सही है कि कोई दूसरे काम भी नहीं हैं उन इलाकों के अन्दर किन्तु इस डिफिकल्टी को स्टेट गवर्नमेंट महसूस कर रही है कि डेजर्ट एरिया के अन्दर जिसे हम प्रॉडक्टिव वर्क कहते हैं उतने नहीं हैं जिससे कि अकाल के अन्दर लेबर आते हैं उन सबको खपाया जा सके। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर या बाड़मेर में डी. पी. ए. पी., मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और दूसरे सारे कामों को भी ले लिया लाये तब भी जितना टर्न आउट होता है। लेबर के पीक पीरियड में उन सबको शायद नहीं खपाया जा सके इसलिए गवर्नमेंट एडवान्स प्रोग्राम हाथ में लेने की बात भी बना रही है। वैसे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया किस प्रकार से उस काम के लिए एडवान्स देती है लेकिन सारी स्थिति 15-20 दिनों में साफ हो जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो जॉब कार्ड्स दिए हैं अवसरमन्द मजदूरों को सरकार काम देने की क्षमता रख सकेगी भविष्य में ?

श्री हरिदेव जोशी : प्रश्न यह नहीं है कि सरकार क्षमता रख सकेगी या नहीं। सवाल यह है कि जो भी आवश्यकमन्द हैं उनको जिन्दा तो रखना ही पड़ेगा और जब उनको जिन्दा रखना पड़ेगा तो काम बढ़ाने पड़ेंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार ने केन्द्र से इस बारे में मांगी है ? फेज प्रोग्राम किस प्रकार से आप राजस्थान में लागू करना चाहते हैं और फेज प्रोग्राम में किस प्रकार राशि आप केन्द्र से प्राप्त करना चाहते हैं ? यह ओपिन कार्ड्स के रूप में राज्य सरकार को सदन के सामने आना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार ने वैसे अगस्त महीने में योजना बनाकर भारत सरकार को दे दी, जो चालू वर्ष है उसके लिए 18 करोड़ की और आने वाले वर्षों के लिए 25 करोड़ की किन्तु भारत सरकार ने यह कहा कि हम अभी इसी वित्तीय वर्ष की बात करेंगे और आगे के लिए टीम भेज कर असेस करेंगे। इस बीच में सिचुएशन थोड़ी बदल गई, विन्टर रेन्स होने की वजह से बहुत फर्क आ गया। अब हम इसको री-असेस कर रहे हैं। सारी चीज पर फार्मल और इनफार्मलवे में गवर्नमेंट से काफी बातचीत हुई है। मैं आशा करके चलता हूं कि मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की टीम आ जायेगी और इसको असेस कर लेगी और जैसा कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में निवेदन कर चुका हूं। सवाल यह नहीं कि है गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया कितना देगी और हम क्या करेंगे।

(श्री हरिदेव जोशी)
वह तो आधार हो गया लेकिन इसका पूरा वर्डन राज्य सरकार को भुगतना होगा भारत सरकार की मदद से।

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : अध्यक्ष महोदय, मार्च के आखिर तक हम मजदूरों के लिए व्यवस्था करेंगे लेकिन भारत सरकार मार्च तक पैसा नहीं देगी तो लोग अभी ही भूखों मर रहे हैं, लोग मजदूरी के लिए भटक रहे हैं और उनको मजदूरी नहीं मिल रही है और कम से कम 15-20 रोज में आपने कोई व्यवस्था नहीं की तो आगे के लिए क्या आश्वासन दे सकते है ?

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा नहीं है कि काम नहीं खोले गये हैं।

श्री विट्ठल भाई : जून में तो बरसात हो जायेगी फिर क्या मजदूरी मिलेगी। आप भारत सरकार के लिए बैठे हुए हैं और राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है आप सोये हुए हैं और अब कहते हैं कि मार्च के आखिर तक करेंगे। अप्रेल और मई में मजदूरी नहीं मिलेगी और झूठे आश्वासन लोगों को आप देंगे कि मजदूरी देंगे। फिर लोगों को हम कह कर आये हैं कि हम विधान सभा में जायेंगे और आप लोगों की बात को वहां पर सरकार के सामने रखेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : आप लोगों से क्या कह कर आये मैं नहीं कह सकता परन्तु.......

श्री विट्ठल भाई : मंत्री महोदय इसका सही जवाब दें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हांडा !

(व्यवधान-अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री विट्ठल भाई : आज लोग भूख से मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री विट्ठल भाई।

श्री हांडा।

आनन्द मार्गियों के विरुद्ध कार्यवाही

227. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) एवं **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार,) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आनन्द मार्गियों के कितने केन्द्र चलते हैं और इनका मुख्य कार्यालय कहां है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के कई उच्च अधिकारी आनन्द मार्ग से दीक्षित हैं और इसके सक्रिय प्रचारक हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

(3) क्या सही है कि राजस्थान में जे. पी. के आन्दोलन को उकसाने में आनन्द मार्गी अधिकारी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं ? राजस्थान सरकार ने इनकी गति विधियों पर रोक लगाने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि कुछ निजी किन्तु सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण

Page No 22

(२४)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
संस्थाएं आनन्दमार्गी प्रवृत्तियों का विधिवत संचालन करती हैं ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ सरकारी भवनों में भी आनन्द मार्ग के केन्द्र चलाये जाते हैं ?

(स्थगित किया गया)

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दे दूं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

कई माननीय सदस्य : ····(अश्रव्य)

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट का सवाल है····

श्री विट्ठल भाई : ····(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : कृपया सभी माननीय सदस्य बैठें । तशरीफ रखिये, बैठिये ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 10 आदमी एक साथ बोलते हैं तो किस नतीजे के लिए बोलते हैं ? उत्तर चाहते हैं, सरकार से मिल जायेगा लेकिन दस आदमी एक साथ बोलेंगे तो उत्तर आता नहीं और कोई नतीजा नहीं निकलता । मैं सबको मौका देता हूं और उसका उत्तर भी सिलसिलेवार आता है और आपको भी लाभ होता है । दस आदमी बोलगे और बराबर बोलते रहेंगे तो नतीजा यह होगा कि आपका सारा समय व्यर्थ जायेगा और नतीजा कुछ निकलेगा नहीं । मैं हर एक को मौका देने की कोशिश करता हूं । आप एक एक करके बोलें तो उसका जवाब भी आ जायेगा और आपको लाभ भी होगा ।

श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न सं. 227

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष-महोदय,·······

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं और वह कुछ कहना चाहते हैं तो मैं प्रायोरिटी दूंगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लोग भूखों मर रहे हैं तो सरकार यह तो बताये कि क्या राहत कार्य उनके लिए खोलना चाहती है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पीपलखूंट से आने वाले माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा जिले में भूख की बात कही । मैं ऐसा समझता हूं कि वे इस सदन को भ्रम में डालना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आदत पड़ी हुई है ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिए कि बांसवाड़े का दायरा तो इतना सा है छोटा बमुकाबले जैसलमेर जिले के, बाड़मेर के और दूसरे जिलों के, और वहां पर माही जैसा बड़ा काम चल रहा है । अगर भूखा आदमी है तो निश्चित रूप से वहां पर उसको काम मिल सकता है । यह केवल राजनैतिक प्रोपेगण्डा है कि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं····

श्री विट्ठल भाई : भूखों मर रहे हैं····

श्री हरिदेव जोशी : मेहरबानी करके सुनने की क्षमता रखिये ।

इसके सिवाय अभी भी बांसवाड़े जिले के अन्दर केवल माही का काम ही नहीं डी. पी., ए. पी. का क्रैश प्रोग्राम और ट्राइबल लेवल के वर्क्स इस तरह के कई काम चल रहे हैं जो कि प्लान के वर्क्स हैं, डी.पी., ए.पी. के वर्क्स हैं और दूसरे वर्क्स हैं । यदि कोई बाड़मेर जिले की शिकायत करते हैं तो उनकी बात मेरी समझ में आती है, जैसलमेर जिले की कोई शिकायत करता है तो उनकी बात मेरी समझ में आ सकती है, चूरू जिले की कोई शिकायत करता है तो वह मेरी समझ में आती है, जयपुर के आसपास के लोग शिकायत करते हैं तो उनकी बात समझ में आती है, मगर बांसवाड़े के लोग जहां पर डी. पी., ए. पी., जहां पर आपको····

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर जिले की हालत खराब है।

श्री हरिदेव जोशी : ट्राइबल एरिया का काम चल रहा है, और माही का इतना बड़ा काम चल रहा है, वहां पर कोई आदमी अगर यह कहता है कि वह भूखों मर रहा है तो वह आदमी आलसी है और बैठे बैठे खाना चाहता है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी भूखों मर रहा है तो उसको काम दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है । किन्तु एक चीज बहुत साफ समझ लेना चाहिये कि पुराने जमाने में जैसे घर के पास में काम खोल दिये गये थे वह काम नहीं खोले जायेंगे । योजना के काम खोले जायेंगे, जो प्रोडक्टिव वर्क्स हैं वह खोले जायेंगे । बांसवाड़े में डी.पी.,ए.पी. के जो प्रोडक्टिव वर्क्स हैं उनको खोला जायगा, अकाल के स्तर के काम नहीं खोले जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न संख्या 227 ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 227 का उत्तर आना चाहिए ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप बोल चुके थे ।

श्री अध्यक्ष : सब एक साथ बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 227 को पुकारा और माननीय सदस्य श्री हांडा ने उसको रेस्पॉण्ड किया था इसलिए यह प्रश्न स्थगित किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित करता हूं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर में पार्ट टाइम लेक्चरार्स की नियुक्ति

222. श्री गिर्राजप्रसाद तिवारी (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान शिक्षा सत्र में भरतपुर में कानून की कक्षाओं के लिए पार्ट टाइम लेक्चरार्स की नियुक्ति किस माह की किस तारीख को की गई ?

(श्री गिर्राजप्रसाद तिवारी)

(2) पार्ट टाइम लेक्चरार्स नियुक्त करने में सरकार ने किस तरीके को अपनाया ?

(3) इतनी देर से नियुक्ति के क्या कारण थे ?

(4, क्या इतनी देर से नियुक्ति के कारण कानून के छात्रों को अध्ययन का नुकसान नहीं हुआ ?

(5) इस सबके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान सत्र में भरतपुर में कानून की कक्षाओं के लिये पार्ट टाइम लेक्चरार्स की नियुक्ति दिनांक 30-10-74 को की गई।

(2) उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बना रखी है। उस कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं:—

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधीश और सम्बंधित प्राचार्य। यह कमेटी योग्य व्यक्तियों के नाम की सिफारिश राज्य सरकार को भेजती है।

(3) विज्ञापन निकालने, स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करने, चयन समिति की बैठक आयोजित करने तथा अन्य औपचारिकताओं में कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है। वैसे भी स्नातक कक्षाएं एवं एल. एल. बी. प्रथम वर्ष आदि की परीक्षाओं के परिणाम काफी विलम्ब से निकलते हैं और इसके पश्चात् ही प्रवेश का कार्य प्रारम्भ होता है, अतः लॉ की कक्षायें प्रायः देर से ही प्रारम्भ होती हैं।

(4) पार्ट टाइम लेक्चरार्स के अलावा वहां पर पूर्णकालीन व्याख्याता भी हैं, जिन्होंने पार्ट टाइम लेक्चरार्स की अनुपस्थिति में अध्ययन का कार्य सम्पन्न किया।

(5) नई नियुक्तियों में कुछ विलम्ब होना स्वाभाविक है।

जागीरदारों से मालगुजारी की वसूली

225. श्री चेतराम (टोड़ाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब से जागीरें समाप्त हुई हैं और जागीरदारों से मालगुजारी वसूल करने का प्रावधान हुआ है तब से लेकर आज तक सवाई माधोपुर जिले के बहुत से जागीरदारों ने मालगुजारी अदा नहीं की है ? यदि हां, तो इन जागीरदारों के नाम, गांव, पता व सालवार बकाया तथा पूर्ण बकाया राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार इस मालगुजारी को वसूल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने जा रही है और कब तक धनराशि वसूल कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जिन जागीरदारों ने मालगुजारी जमा नहीं कराई है उनकी सूची सदन की मेज पर है।

(2) जी हां, बकाया राशि शीघ्र वसूल की जा रही है। प्रत्येक जागीरदार के खिलाफ कार्यवाही वसूली की सूची सदन की मेज पर है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

Page No 25

(25)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल राहत कैम्प बिग्गा (चूरू) में मजदूरों की मजदूरी का चुकारा

103. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कैम्प बिग्गा, जिला चूरू के गेंग नं. 33 से 40 का 16-6-69 से 30-6-69 तक का चुकारा किस दिनांक को, किस अधिकारी द्वारा किस स्थान पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह चुकारा जिन मेटों, सुपरवाइजरों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों तथा जन-प्रतिनिधियों के सामने किया गया व जिनके मस्टर रोल पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है उनका विवरण मय वल्दियत, सकूनत अगर दर्ज हो तो तथा पद अलग अलग मस्टर रोल वार व गेंग वार बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कैम्प बिग्गा जिला, चूरू के गेंग नं. 33 से 40 तक का 16-6-69 से 30-6-69 तक का चुकारा श्री एस. के. तिवारी, ओवरसियर द्वारा किया गया। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कैम्प के श्रमिकों का चुकारा सूची में अंकित, मेट और सरपंचों के सामने किया गया था, विवरण पटल पर प्रस्तुत है?

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बीकानेर जिले में ऊन की खरीद

1043. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या मंत्री, भेड़ व ऊन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) लूणकरणसर में ऊन के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उसकी राजकीय खरीद हेतु कर्मचारियों की संख्या इस क्षेत्र में बढ़ाने के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? यदि बढ़ाना चाहती है, तो विवरण देने का कष्ट करें।

(2) जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक बीकानेर जिले में किन किन केन्द्रों द्वारा कब कब, कितनी कितनी, किन किन दरों पर, किन किन से ऊन खरीदी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऊन के बिचौलियों (खरीददारों) की समाप्ति हेतु कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ? पूर्ण योजना प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक बीकानेर जिले में जिन जिन केन्द्रों द्वारा जितनी जितनी ऊन जिन जिन दरों पर खरीदी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। यह ऊन लगभग 1043 भेड़पालकों से विभिन्न मात्राओं में खरीदी गई है। इसलिए उनकी सूची इतने कम समय में तैयार नहीं की जा सकी।

(मन्त्री भेड़ व ऊन विभाग)

(3) भेड़ व ऊन विभाग द्वारा ऊन की खरीद और विपणन का कार्य-क्रम हाथ में लेने का एक मुख्य उद्देश्य भेड़पालकों को बिचौलियों के शोषण से संरक्षण देना ही है। विभाग द्वारा ऊन खरीदने से इस उद्देश्य की काफी हद तक पूर्ति भी हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राजस्थान नहर व चम्बल सिंचित क्षेत्र में भूमि के समतल एवं पक्के खाले बनाने हेतु धनराशि

105. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान व चम्बल सिंचित क्षेत्र में विकास, भूमि को समतल करने के लिए एवं पक्के खाले बनाने के लिये राज्य सरकार को विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? यह धनराशि कहां कहां, किस किस क्षेत्र में, कितनी कितनी उपयोग में लाई जा रही है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम सेवा सहकारी समिति बिग्गा को अनाज ढुलाई के बिलों का भुगतान

106. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965-66 में चूरू जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति, बिग्गा ने सस्ते अनाज की ढुलाई व वितरण का कार्य किया था ? यदि हां, तो क्या ढुलाई के बिल बना कर तहसील कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ में दिए गए थे ?

(2) क्या उक्त समिति आज तक किराया न मिलने के कारण बिलों की नकल बना कर जिलाधीश, चूरू व रसद विभाग से बराबर किराया लेने की मांग करती आ रही है ?

(3) क्या इसी प्रकार से कई और भी डीलरों का किराया बकाया है ?

(4) यदि हां, तो किस किस संस्था व डीलरों का ?

(5) यह किराया आज तक क्यों नहीं चुकाया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(6) अब यह किराया कब तक चुका दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) समिति के द्वारा माह 10/72 में बिल तहसील श्री डूंगरगढ़ में प्रस्तुत कर नकल इस कार्यालय में प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार तहसील से पत्र व्यवहार जारी है।

(3) जिला रसद कार्यालय, चूरू में ऐसे कोई डीलरों के बिल्स पेण्डिग नहीं हैं।

(4) जी नहीं।

(5) यह बिल तहसील श्रीडूंगरगढ़ में पेण्डिग है जिसके लिए तहसील को जिला

(खाद्य एवं नागरिक रसद मन्त्री)
रसद कार्यालय चूरू के पत्र क्रमांक 7506, दिनांक 22-12-72, 329, दिनांक 19-3-74, 757, दिनांक 31-6-74, 1035, दिनांक 21-10-74 एवं अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 1544, दिनांक 5-12-74 को लिखा जाने पर तहसील के द्वारा पत्र क्रमांक 860/74, दिनांक 7-12-74 के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. विग्गा को बिल पूर्ण वाऊचर सहित मय इण्डिमिनिटी बोण्ड के साथ भिजवाने को लिखा गया था जहां से बिल न आने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं हुई है।

(6) तहसील श्रीडूंगरगढ़ को पुन: लिखा गया है कि बिल विशेषवाहक के साथ जवाब देते हुये भेजा जावे। बिल के भुगतान में कुछ समय अवश्य लगेगा क्योंकि बिल टाईमबार्ड है। अत: औपचारिकता पूर्ण कराकर महालेखाकार राजस्थान जयपुर से प्रिंआडिट कराना होगा।

कृषि उपज मंडी समिति, सीकर को जमीन खरीदने की स्वीकृति

107. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर के नये मंडी यार्ड का स्थान जयपुर रोड पर निश्चित हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कुल कितने एकड़ जमीन खरीदी जावेगी और अब तक कितने एकड़ जमीन खरीद ली है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति को विभाग से जमीन खरीदने की स्वीकृति नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों? अब कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां, कृषि उपज मंडी समिति, सीकर के नये मंडी यार्ड का स्थान जयपुर रोड पर नगर आयोजन विभाग द्वारा निश्चत किया गया है। इसके लिए 62 एकड़ भूमि खरीदी जायेगी। अभी तक कृषि उपज मंडी समिति, सीकर द्वारा 27 बीघा 3 बिस्वा अर्थात करीबन 17 एकड़ भूमि खरीदी जा चुकी है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, विभाग द्वारा अभी तक जमीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में मंडी समिति द्वारा नियमानुसार वांछित कार्यवाही अभी शेष है। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग द्वारा मंडी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

चक 9 एन. डब्ल्यू. डी. की भूमि का मामला

108. श्री गुरदयालसिंह संन्धु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री मुखराम पुत्र श्री पेमाराम हरिजन, भाम्बर का नाम निर्वाचन सूची भाम्बर तहसील, हनुमानगढ़ में क्रम संख्या 479 पर वर्ष 1955 में दर्ज है और इसी आधार पर श्री मुखराम को चक 9 एन. डब्ल्यू. डी. तहसील रायसिंहनगर (सूरतगढ़) में भूमि आवंटित है और

Page No 28

(28)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
आज तक उस भूमि पर श्री मुखराम का कब्जा चला आ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि के प्रार्थना-पत्र को तहसीलदार, हनुमानगढ़ ने बाद जांच देने से इन्कार कर दिया ? जिसके फलस्वरूप उपरोक्त भूमि श्री मुखराम के नाम से खारिज की जा चुकी है और श्री मुखराम की उपरोक्त भूमि पर तावान लगाया जा रहा है ?

(3) क्या यह सच है कि श्री मुखराम ने बार बार राजस्व तहसीलदार, हनुमानगढ़ व उपनिवेशन तहसीलदार, सूरतगढ़ को इस मामले की सूचना दी मगर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी और तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

वन्य पशुओं का आरक्षण क्षेत्र

109. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार हिरन व मोर आदि जिनकी बंजड़ भूमि न रहने व शिकार की प्रवृत्ति बढ़ जाने से संख्या घट रही है, के लिए रेगिस्तानी क्षेत्र में तहसीलवार आरक्षण क्षेत्र स्थापित करना चाहती है ? यदि हां, तो कहां कहां ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

रेगिस्तान क्षेत्र में तहसीलवार आरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र में वन पशु-पक्षियों के आरक्षण हेतु जैसलमेर जिले को छोड़, देवीकोट, पानासर, लखमाना, मातानी, छोरड़िया, सांवता, मुलाना और भोपा ग्रामों के क्षेत्र में लगभग 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में मरुस्थल नेशनल पार्क बनाने की एक योजना तैयार की गई है जो विचाराधीन है। 29.38 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है (जिसमें भारत सरकार द्वारा 20.60 लाख रुपये एवं 8.78 लाख रुपये राजस्थान सरकार द्वारा व्यय होंगे) ।

पटवारी के लिए चयन

110. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री खेमराज पुत्र श्री बुद्धाराम जाटव, ग्राम सरमथुरा, तहसील बसेड़ी, जिला भरतपुर को सन् 1967 में पटवारी पद के लिए चयन कर लिया गया था और अनुसूचित जाति का चयनित सूची में एक मात्र प्रत्याशी था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस सूची के सभी चयनित प्रत्याशियों को श्री खेमराज को छोड़ कर नियुक्ति दे दी गई है ?

(3) यदि हां, तो राज्य सकार के आदेश के खिलाफ जिन अधिकारियों ने जो अनियमितता बरती है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि चयनित प्रत्याशियों की नियुक्तियों के बाद भी बिना

(श्री रामकिशन)
चयन तथा परीक्षा के सन् 1968 में नियुक्ति होती रही है ? यदि हां, तो उस समय नियुक्त सभी पटवारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) जी हां । सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

तहसील लूणकरणसर में भूमि का अलॉटमेंट

111. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले की तहसील लूणकरणसर के गांवों में 1 जनवरी, 1970 से अब तक किस किस ग्राम में किन किन व्यक्तियों को कितने कितने बीघा भूमि कब कब अलॉट की गई ? व्यक्तियों का नाम, वल्दियत, सकूनत एवं जाति सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि तहसील के भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलॉट नहीं करके बहुत से बड़े भूमिधारक, तहसील, जिला एवं प्रांत के बाहर के लोगों को भी भूमि दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अध्यापकों के स्थानान्तरण

112. श्री विक्रमसिंह भाटी (श्रीमं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में अध्यापकों के स्थानान्तरण के क्या नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किसी भी अध्यापक की यदि उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है तो दो साल से पूर्व नहीं बदला जायेगा ? यदि हां, तो क्या इन नियमों की पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 72-73 में निम्न अध्यापकों को उनकी पदोन्नति पर सीकर, टोंक एवं झुंझुनूं जिलों में लगाया गया था और एक साल में ही उन्हें वापस अजमेर जिले में भेज दिया गया था ? अल्पावधि में स्थानान्तरण का कारण क्या था ? और क्या इन स्थानान्तरणों के बारे में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई ?

1.	श्री प्रतापसिंह चौहान,	माध्यमिक विद्यालय,	नेदवा (सीकर) से जवाजा (अजमेर)
2.	श्री गोकुलसिंह रावत	,,	,, सिगरावट (सीकर) से सावर ,,
3.	श्री सज्जनसिंह	,,	,, खूड (सीकर) से केकड़ी ,,
4.	श्री भंवरलाल मूंदड़ा	,,	,, दतोब (टोंक) से तिहारी ,,
5.	श्री बुधमल जोशी	,,	,, पावेलिया (टोंक) से भदूण ,,
6.	श्री धनराज शर्मा	,,	,, दतोब (टोंक) से हिंगोनिया ,,
7.	श्री जगदीशप्रसाद शर्मा	,,	,, विराना (झुंझुनूं) से पुष्कर ,,
8.	श्री तेजसिंह शक्तावत	,,	,, गोठड़ा (झुंझुनूं) से कादेड़ा ,,
9.	श्री मंसूर अहमद	,,	,, खेरड़ा (टोंक) से सुरसना ,,

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त 9 अध्यापकों को अपनी इच्छानुसार आवेदन पर अजमेर जिले में वापस स्थानान्तरण किया गया और इन्हीं के साथ के श्री पन्नासिंह अध्यापक उ. मा. वि., पृथ्वीपुरा (सीकर) को आवेदन करने पर भी अजमेर नहीं भेज कर पृथ्वीपुरा (सीकर) से खूड़ (सीकर) स्थानान्तरित किया गया जिसका उन्हें यात्रा व्यय भी नहीं दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त 9 अध्यापकों को स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहने पर भी यात्रा व्यय व अन्य खर्च नियमानुसार दिया गया ?

(6) श्री पन्नासिंह को जिन्होंने इनके साथ अजमेर का आवेदन-पत्र भरा था, बिना यात्रा व्यय पृथ्वीपुरा (सीकर) से खूड़ क्यों स्थानान्तरित किया गया ?

उत्तर

(1) विभागीय स्थाई आदेश 4, 67 तथा 12, 1968 के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) हां, यह सही है कि बिना किसी शिकायत के दो साल से पूर्व किसी अध्यापक को नहीं बदला जावे, इस नियम की पालना की जा रही है।

(3) हां, यह सही है कि प्रश्न में वर्णित अध्यापकों की 72-73 में तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति संयुक्त निदेशक के आदेश संख्या संनिशि/जय/संस्था-4/150(2) पदोन्नति/7/72, दिनांक 29-8-72 द्वारा दी जाकर सीकर/टोंक एवं झुंझुनूं आदि जिलों में पदस्थापित किया गया था। इन अध्यापकों ने गृह जिले में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना की थी। उपलब्ध रिक्त स्थानों पर अध्यापकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके स्थानान्तरण उनके इच्छित गृह जिलों में किये गये थे। ऐसे स्थानान्तरण करने हेतु तत्कालीन निदेशक, प्रा. एवं मा. वि., बीकानेर महोदय से मौखिक स्वीकृति ले ली गई थी।

(4) श्री पन्नासिंह तदर्थरूप से उ.प्रा.वि. के प्र. अ. थे एवं पद हेतु चयनित अध्यापक को दो पद स्थापित करने हेतु वि. नि. के प्रस्तावानुसार खूड़ (सीकर) स्थानान्तरित किया गया था। इन्हें यात्रा व्यय दिये जाने हेतु संयुक्त निदेशक के कार्यालय के आदेश संख्या संनिशि/जय/संस्था-2/62/64/73-74, दिनांक 13-9-73 के द्वारा आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये गये थे।

(5) हां, 9 अध्यापकों को अजमेर में वापिस स्थानान्तरण पद रिक्त हो जाने के कारण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया था। स्थानान्तरण आदेशों में यात्रा-व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कार्य कोई आदेश उल्लेखित नहीं किया गया था।

(6) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में वर्णितानुसार समझा जावे।

पदमपुर में कॉलेज

113. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पदमपुर तहसील जिसकी आबादी एक लाख से अधिक है, में क्या सरकार उच्च

Page No 31

(३१)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
शिक्षा को ध्यान में रखते हुए पदमपुर में एक कॉलेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में सरकार वित्तीय स्थिति ठीक न होने से कहीं भी नया महाविद्यालय खोलने का विचार नहीं रखती। पदमपुर कस्बा गंगानगर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर है जिसकी कि आबादी 1971 का जनगणना के अनुसार 6359 है, जो कि राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त नहीं है इसके अतिरिक्त गंगानगर जिले की किसी भी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है जबकि उनकी जनसंख्या पदमपुर कस्बे से अधिक है। फिलहाल गंगानगर जिला-मुख्यालय पर निम्नलिखित राजकीय व अराजकीय महाविद्यालय हैं वहां पदमपुर से विद्यार्थी सुविधापूर्वक आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

(1) राजकीय महाविद्यालय, श्रीगंगानगर।

(2) राजकीय कन्या महा. वि., श्री गंगानगर।

(3) एम. जी. कॉलेज, श्रीगंगानगर।

(4) एम.डी. कॉलेज, श्रीगंगानगर।

(5) खालसा कॉलेज, श्रीगंगानगर।

(6) एस.डी. बिहाणी कॉलेज, श्रीगंगानगर।

(7) ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, श्री करणपुर।

बाड़मेर जिले के स्कूल

114. वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले की प्राइमरी, मिडिल, सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजे गये विद्यार्थी

115. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत पांच वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी सीधे भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजते हैं।

छाबड़ा सब-डिवीजन में हत्याओं के दर्ज मुकद्मे

116. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छबड़ा-सब-डिवीजन में सन 73 एवं सन् 1974 में कुल कितनी हत्याओं के मुकदमें दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें किस किस में क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं और अब सरकार इन केसेज में क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) छबड़ा सब डिवीजन मण्डल कोटा में सन् 1973 में 8 व सन् 1974 में 11 हत्याओं के अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं। तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1973 में हत्याओं के जो 8 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं इन समस्त अभियोगों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सन् 1974 में हत्याओं के जो 11 अभियोग पंजीवद्ध हुये हैं जिनमें से चालान 8, एफ. आर. अदमसबूत 1, एफ. आर. अदमपता 1, व जेर तफतीश 1 है। एक अभियोग जो जेर तफतीश है जिसमें समझौता सम्पूर्ण कर शीघ्र ही नतीजा प्रस्तुत किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी देने के कारण जोधपुर नगर में पीने के पानी का अभाव हो गया है, इस विषय में,

(2) श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर में गत माह महावीर निर्माण महोत्सव के वर्ष में हजारों तिलौर पक्षियों का शिकार किए जाने के विषय में,

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से भारत सरकार के निर्णय के अनुरुप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-1-1973 को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि न करने के विषय में,

(4) सर्व श्री सुरेशचन्द्र व हनुमान सहाय, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय कन्या मिडिल स्कूल बनेठी (जयपुर) में पूरे सत्र में अध्यापिकाओं के न होने के विषय में,

इन सब स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(5) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ के लिए बने हुये ट्रस्ट में सदस्यों को हटाने अथवा नये नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं होने के विषय में। यह मामला किसी भी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और प्रश्न का विषय है,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1962-63 के पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर एक भी नियुक्ति न करने के विषय में। यह भी एक प्रश्न का विषय है।

(7) श्री जीथिंग, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 17 नवम्बर को जिला बांसवाड़ा, तहसील कुशलगढ़ के ग्राम रसोड़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले के कारण एक व्यक्ति श्री कल्ला की मृत्यु हो जाने के विषय में, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(8) श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नाथद्वारा में दो एडवोकेट्स सर्व श्री रामचन्द्र पालीवाल तथा पुरुषोत्तम लाल धाकड़ की गिरफ्तारी के विषय में। इस घटना की कोई तिथि नहीं दी गई है और यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(9) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय, के सिन्डीकेट ने यू. जी. सी. के आधार पर नये वेतनमान तुरन्त लागू करने की मांग की है, इस विषय में। इस प्रश्न पर आज राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा रहा है।

अतः मैं इन सब स्थगन-प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जोधपुर में पानी के अभाव की स्थिति के बारे में स्थगन-प्रस्ताव दिया है, और आपने कृपा करके राज्य सरकार से इसके बारे में जानकारी मांगी है। मेरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, यह है कि पानी एक ऐसी चीज है कि यदि मनुष्य को पीने के पानी का अभाव हो जाय और उसके कारण से सारे के सारे नगर में त्राहि-त्राहि की स्थिति मच जाय तो इससे बढ़कर राज्य सरकार के लिए अन्य कोई शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के पश्चिमी एरिया के अन्दर कोई जल-प्रदाय योजना, रामपुरा के अतिरिक्त जो बहुत पहले की गई थी, आजादी के बाद में नहीं की गई है, परन्तु जोधपुर राज्य के समय में जवाई बान्ध का निर्माण इसलिए किया गया था कि जोधपुर नगर की जनसंख्या को और पाली को इससे पानी प्राप्त हो सके, और रास्ते में आने वाले छोटे मोटे कस्बे हैं उनको पानी प्राप्त हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से, अध्यक्ष महोदय, पिछले साल के अन्दर राजनैतिक प्रभाव के कारण से जो पानी जवाई बान्ध से जोधपुर नगर के अन्दर पीने के लिए आता था और जिसके कारण सारे जोधपुर नगर की करीब 4 लाख की जन संख्या सारे साल भर तक पानी का उपयोग करती थी, छोटी मोटी इन्डस्ट्रीज को भी कुछ पानी दिया जाता था, इसके साथ में सब प्रकार के कार्य के लिए पीने के पानी का जो प्रावधान था मुझे यह प्रकट करते हुए खेद होता है कि राजनैतिक दबाव के कारण कुछ मन्त्रियों के दबाव के कारण और कुछ विधायकों के दबाव के कारण से जो पीने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का पानी था, पाली जिले के अन्दर जवाई बान्ध के पास नौ बड़े-बड़े बान्ध लगे हुए हैं उनको केवल सिचाई के लिए, जिससे धन उपार्जन कर सकें बड़े-बड़े भूपति और कुलक, इस दृष्टि से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ षड्यन्त्र करके करीब 200 मिलियन क्यूबिक फीट पानी दे दिया। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बनती है कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सिचाई के लिए देने के कारण छोटे काश्तकारों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बड़े-बड़े फार्म्स, जो उन लोगों को जवाई बान्ध के पास में हैं, को दिया जाता है जिससे जोधपुर नगर में पीने के पानी का अभाव हो गया है। आज स्थिति यह है कि पानी एक समय दिया जाता है और वह भी केवल आधा घन्टा के लिए दिया जाता है और पानी का फोर्स इतना कम होता है कि एक बाल्टी को भरने के लिए आधा घन्टा, पौन घन्टा एक व्यक्ति को खड़ा रहना पड़ता है। यह स्थिति आज है, और आगे आने वाले समय में, एक माह के अन्दर यह स्थिति बन सकती है कि यदि जवाई बान्ध का पानी ईरिगेशन के लिए दिया जाता है तो जोधपुर नगर के कुछ भागों को खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पानी का साधन प्रमुख रूप से जवाई बान्ध है। यह स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को चाहिए कि फौरन इसका प्रबन्ध करे। जो जवाई बान्ध से 200 मिलियन क्यूबिक फीट पानी सिचाई के लिए देने के लिए इन्जीनियर्स से एग्रीमेंट कर लिया आपस के अन्दर राजनैतिक दवाव के कारण से, उसको रद्द किया जाय और पहले की पोजीशन को रेस्टोर किया जाय, और जोधपुर नगर को पानी के अभाव से निकाला जाय। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसमें सजग रहेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं वह इसमें इन्ट्रेस्ट लें। इसमें कई मंत्री इन्ट्रेस्टेड हैं क्योंकि उनके रिश्तेदारों के फार्म्स आये हुए हैं। वह नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार यह पानी जोधपुर को जाता रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में हाई लेवल पर विचार किया जाय और जोधपुर को पानी के अभाव से बचाया जाय। मैं समझता हूं कि सरकार का जवाब आपके पास में आयेगा उसके बारे में पाली जिले और जोधपुर जिले के प्रतिनिधि, ईरिगेशन मिनिस्टर, पी. एच. डी. मिनिस्टर और माननीय मुख्य मंत्रीजी आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सन्धु !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (श्री करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव गंगानगर जिले के गुरुद्वारों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में कुछ ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पर लाखों रुपयों की सालाना आमदनी होती है और उन पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। मैं पुरानी हिस्ट्री को दोहराना नहीं चहता। पंजाब के अंदर गुरुद्वारों के मामले में लरकाने का वाका हो चुका है। गंगानगर के अन्दर बुड्ढा जोहड़ नाम का गुरुद्वारा है। वहां पर एक आदमी ने ट्रस्ट बना रखा है। उसका चुनाव नहीं होता है और उसके वर्कर्स जो वहां पर बैठे हैं, उसके सेवादार हैं, एक-एक सेवादार ने कई-कई लाख की कोठियां दिल्ली और

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
पंजाब के अन्दर जाकर बनाली है वहां यह स्थिति है कि लाखों रुपयों का गबन हो रहा है मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार इसके लिये शीघ्र ही प्रबन्ध करे नहीं तो गंगानगर में हवा खराब होने जा रही है। अभी 24 तारीख को दो-चार दिन पहले वहां के सिक्खों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि सरकार इस मामले में शीघ्र ही हस्तक्षेप करके इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गुरुद्वारों का प्रबन्ध शीघ्र ही अपने हाथ में लें वरना ऐसी स्थिति न हो जाय कि बाद में उसको संभालना मुश्किल हो जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्ट श्री भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव उन राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित है जिन्होंने वर्षों राज्य की सेवा में रह कर राजस्थान की सेवा की। राजस्थान सरकार ने 1-9-74 से जो लोग रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता जोड़ कर उनको पेन्शन देने का निर्णय लिया है, यहां तक तो राज्य सरकार की इस भावना का मैं स्वागत् करता हूं। पर राजस्थान की सरकार ने जो लोग 1-9-74 से पहले रिटायर हो गये थे उन लोगों का केवल जो मूल वेतन था उस मूल वेतन के आधार पर ही उनकी पेन्शन की राशि निर्धारित की है। यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि दोनों ही, 1-9-74 से पहले जो रिटायर हुए राज्य कर्मचारी, हैं और जो बाद में रिटायर हुए हैं, लेकिन उनमें से एक को सहुलियत प्रदान की गई उनके मूल वेतन में महगाई भत्ता जोड़ने की। इसी प्रकार से 1-9-74 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको भी उनके मूल वेतन में मंहगाई भत्ता जोड़कर पेन्शन की राहत राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई नई बात नहीं है। भारत सरकार ने भी 1-1-73 से जो केन्द्रीय कर्मचारी रिटायर हुए हैं और 1-1-73 के पहले जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं दोनों ही जो केन्द्रीय कर्मचारी हैं उनको भी मंहगाई भत्ता और वेतन जोड़कर उनकी पेन्शन की राशि तय की है। यह सवाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी पिछले सत्र में आया था, और अनेक बार इस सदन में आया है। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने उस समय यह कहा था कि आगामी सत्र में इस पर विचार किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, बजट तीन तारीख को पेश किया जायगा, बजट की रूप रेखा बन रही होगी इसलिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन कर्मचारियों ने वर्षों से राज्य सरकार की, राजस्थान की सेवा की है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जावे। उनको मेडिकल की सुविधाएं व शिक्षा की सुविधाएं भी नहीं हैं। ये सुविधाएं भी उनसे छीन ली गई हैं। यदि वे बीमार होते हैं, उनके बच्चे बीमार होते हैं या पत्नि बीमार होती है तो उनको स्वयं को उसका खर्चा करना पड़ता है। उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधायें उनसे छीन ली गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने 1-1-73 के बाद और उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते को जोड़कर उनको पेन्शन की राहत दी है, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी यह सुविधा देकर उनको राहत पहुंचावे। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे इसी बजट सत्र में 1-9-74 से पहले जो राज्य कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनको भी मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़कर पेन्शन देने की कृपा करगे, और इसका प्रावधान बजट में करेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी श्री भानुकुमार जी शास्त्री ने जो एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया था उसी के संबन्ध में निवेनद कर रहा हूं कि जैसलमेर के अन्दर हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है और वह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि सन् 1971 के युद्ध के अन्दर इस क्षेत्र में जब पाकिस्तान के टैंकों ने यह कहा था कि हम किशनगढ़ में ब्रेकफास्ट करेंगे, पोकरण में लन्च लेंगे और जोधपुर में डिनर करेंगे। यह दूसरी बात है कि बाद में वहां उन्हीं के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। वहीं पर किशनगढ़ के पास के रेनियार में एक महल बना हुआ है, वहां पर उस महल में अबूधाबी के एक शेख रहते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : There is no question of Point of order on adjournment motion.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लेकिन भाषण पर तो हो सकता है यह ऐसी बात है, अध्यक्ष महोदय, उधर से उनके कुछ मेहमान आये हुए हैं, उनसे इनको सूचना मिली है, यह तो मेलमिलाप की बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो भी सूचना मिली है, मैं तो उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं, आप अपनी बात कह रहे हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साइबेरिया के बोर्डर पर तिलोर एक बर्ड होती है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम एक ओर वहां पर लोगों को जाने के लिये मना कर रहे हैं वहां किशनगढ़ से 35 मील दूर पाकिस्तान के रहमीरयार में एक महल है जिसमें यह शेख रहते थे सारे देश के अन्दर इसका प्रचार हो रहा है कि जैसलमेर के अन्दर वे राजस्थान सरकार की अनुमति से 6 हजार तिलोर पक्षी लेकर आये और वहां पर उनको एक शानदार दावत दी गई और उस पार्टी में लगातार एक माह तक उन तिलोरों का शिकार उनको उड़ा-उड़ाकर किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि वह सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर आपके आर. ए. सी. और बी. एस. एफ के 350 जवान उनकी सेवामें लगे रहे और 16 वायरलैस सैट लगे हुए थे वे ऐसे सेट थे जो कि युद्ध के काम में आया करते हैं। वे लोग किशनगढ़ में, पोकरण में और सारे एरिया में बिना किसी रोक-टोक के घूमते रहे। पोकरण में एटम बम का विस्फोट किया गया था इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
से अबूधाबी के शेख को जो शिकार करने का अवसर दिया गया वह हमारे देश के लिये बहुत खतनाक साबित हो सकता है। सामरिक दृष्टि से यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि वे लोग 6 हजार तिलोर बाज आकाश में उड़ाते रहे और उनका शिकार करते रहे। इतना बड़ा काण्ड हो गया इसकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : कुछ हमारे माननीय सदस्य ने जो अपोजीशन में बैठते हैं और तीन साल पहले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ मैन्डेट लेकर आये थे, के बारे में जो समाचार मिले हैं।.......

श्री अध्यक्ष : बोल किस पर रहे हैं आप ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसे कौन आदमी हैं ? माननीय आचार्य जी तो कम से कम नहीं हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, ऐसे समाचार से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी के स्टेटमेंट के बाद मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके संबन्ध में अर्ज करूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इससे पहले कि माननीय मन्त्री जी स्टेटमेंट देवें मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख को माननीय मन्त्रीजी ने इस सदन में घोषणा की थी कि चूरू के मामले में किसी सीनियर ऑफिसर को जांच करने के लिये भेज रहे हैं और एक सप्ताह में उसकी सूचना आ जायगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल से लगातार इस बात के समाचार आ रहे हैं कि वहां बीस दिन हो गये हैं, शिव पूजन और विमल....

श्री अध्यक्ष : आप इस बारे में चेम्बर में मुख्य मंत्री से बात कर लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बालमुकन्द, ओझा और मूलचन्द और उनके साथी जो गिरफ्तार हुए थे, वह आठ तारीख से जेल में पड़े हुए हैं। उस दिन मुख्य मंत्री ने कहा था कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है और अपोजीशन की बेन्चेज ने भी इस बात से सन्तोष कर लिया कि एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट आ जायेगी। लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार....

श्री अध्यक्ष : आप तो रेग्युलर तकरीर कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बाई वाच। हूजा साहब वहां गए और उन से अच्छी तरह मिले। जो जेल में थे उन्होंने लिख कर दिया कि जब तक डी. एस. पी. और एस. पी. ट्रान्सफर नहीं किये जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमको गुण्डों से दबाया जा रहा है और कह रहे हैं कि तुम्हारा भी वही हाल किया जायेगा जैसा कि ओझा के साथ किया गया है, तुम्हें भी मल-मूत्र पिलाया जायेगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि

Page No 38

(38)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सात दिन समाप्त हो गये हैं, आपने क्या किया। वहां पर उन्होंने यह भी कह दिया है कि हम अनशन करेंगे। हमने उनसे कहा कि आप इसको कुछ स्थगित रखिये, मुख्य मंत्री जी ने सप्ताह का समय दिया है और आश्वासन दिया है कि उचित कार्यवाही की जा रही है। आप स्पष्ट शब्दों में बतायें कि हूजा साहब की रिपोर्ट के बारे में क्या हो रहा है ताकि हम वहां पर लोगों को सही स्थिति बता सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सात दिन का समय यहां पर इसी सदन में ही दिया गया था। इसका स्पष्टीकरण किया जाये।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी !

श्री केदारनाथ : चूरू जांच के लिये....

श्री अध्यक्ष : उसके लिये आप मुख्य मंत्री जी से बात कर लें।

श्री केदारनाथ : ओझा साहब ने अपनी रिपोर्ट आपको पेश कर दी क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप उनसे चेम्बर में बात करलें। शिक्षा मंत्री !

श्री जोगिंग : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : तो आप बोले क्यों नहीं ? मैं देखता रहा पर कोई बोले ही नहीं। अब मैंने शिक्षा मंत्री को कॉल कर दिया है।

शासकीय वक्तव्य

युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन द्वारा निर्धारित वेतनमान

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मावली और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन द्वारा निर्धारित जो वेतनमान हैं वह राजस्थान में मिलने चाहिये। उसके बारे में मेरा स्टेटमेंट इस प्रकार है :

भारत सरकार ने यू. जी. सी. की सिफारिश पर दिनांक 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के प्राध्यापकों के वेतनमानों को संशोधित किया है। इन वेतनमानों से मंहगाई भत्ता, अन्तरिम राहत जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 को मिलती थी, जोड़ दिया गया है। पुराने वेतनमान व संशोधित वेतनमान की तालिका इस प्रकार है :

(क) विश्वविद्यालयों में

पद	पुराने वेतनमान	संशोधित वेतनमान
(1) लेक्चरार	400-950	700-40-1100-50-1600
(2) रीडर	700-1200	1250-50-1300-60-1900
(3) प्रोफेसर	1100-1600	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500

(89)

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालयों में

	पद	पुराने वेतनमान	संशोधित वेतनमान
(1)	लेक्चरार	375-850	700-40-1100-50-1300-मूल्यांकन-50-1600
(2)	सीनियर लेक्चरार	600-1100	
(3)	पोस्ट ग्रेजुएट हैड, सहायक पोस्ट ग्रेजुएट हैड, वाइस प्रिन्सीपल, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज	700-1200	
(4)	प्रिन्सीपल, डिग्री कॉलेज	700-1200	1200-50-1300-60-1900
(5)	प्रिन्सीपल, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज	1100-1500	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकारें इन संशोधित वेतनमानों को अपने यहां लागू करें तो वे दिनांक 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1979 तक 80 प्रतिशत व्यय अनुदान के रूप में देगी किन्तु दिनांक 1 अप्रेल, 1979 से शत प्रतिशत व्यय राज्य सरकारों को करना होगा।

केन्द्रीय सरकार ने इन वेतनमानों को देने के लिये कुछ शर्तें भी लगाई हैं जो निम्न प्रकार हैं :

(अ) लेक्चरार, रीडर, प्रोफेसर, कॉलेजों के प्रिन्सीपल आदि पदों पर व्यक्तियों का चयन पूर्णत: योग्यता के आधार पर होगा तथा बिना किसी क्षेत्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन दिये जाने के बाद चयन द्वारा किया जावेगा।

(ब) इन अध्यापकों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष की रहेगी।

(स) इन्हें परीक्षा के कार्य के लिये अथवा इनवीजिलेशन के लिये किसी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 29-3-74 को लोक सभा में इन नये वेतनमान की घोषणा की तथा शिक्षा मंत्री, राजस्थान को दिनांक 2-11-74 को इस निर्णय की सूचना दी। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में इन वेतनमानों के अतिरिक्त भी वेतन शृङ्खलाएं दे सकती हैं किन्तु ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजना होगा जो यू. जी. सी. से परामर्श के बाद इस पर निर्णय लेगी। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय,

(श्री खेतसिंह)
उदयपुर विश्वविद्यालय, कॉलेज अध्यापक संघ, मालवीय रीजनल इन्जनियरिंग कॉलेज अध्यापक संघ आदि इन नये वेवनमानों को लागू करने के लिये सरकार से बराबर कह रहे हैं।

यदि राज्य सरकार उक्त संशोधित वेतनमानों को दिया जाना स्वीकार कर ले तो राज्य सरकार के ऊपर दिनांक 1 जनवरी, 1973 से मार्च, 1979 तक का व्यय लगभग 50 लाख रुपया होगा जो कुल अतिरिक्त व्यय का 20 प्रतिशत होगा जिसे राज्य सरकार को वहन करना होगा। इसके अलावा 80 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार देगी। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग 10 लाख रुपया अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। राज्य सरकार को दिनांक 1 जनवरी, 1973 से 28 फरवरी, 1975 तक उक्त वेतनमानों का एरियर लगभग 17 लाख रुपया चुकाना होगा। इसी प्रकार 1 अप्रेल, 1979 से केन्द्रीय अनुदान बन्द हो जाने पर प्रति वर्ष राज्य सरकार को 60 लाख रुपये का वित्तीय भार उठाना पड़ेगा, इस प्रकार यह प्रस्ताव बहुत व्यय साध्य है।

वर्तमान में राज्य में अन्य राज्य सेवाओं जैसे आर. ए. एस., आर. पी. एस., आर. जे. एस. आदि तथा आर. ई. एस. (कॉलेज ब्रांच) की वेतनमान समान हैं अतः यदि आर. ई. एस. (कॉलेज ब्रांच) की वेतनमानों को ऊंचा करके यू. जी. सी. के वेतनमानों के अनुसार कर दिया जायेगा तो लगभग 5,400 वे अधिकारी जो विभिन्न समान वेतनमानों वाली राज्य सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, उनके वेतनमानों को भी संशोधित करना होगा। यदि अन्य समान सेवाओं के वेतनमानों को भी इसके अनुरूप संशोधित किया जाये तो तत्काल 60 लाख रुपया व्यय होगा जो हर वर्ष और भी अधिक बढ़ता जायेगा।

इसी प्रकार स्कूल ब्रांच में काम करने वाले प्रिन्सीपल व प्रधान अध्यापकों के भी ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिसमें वे अपने वेतनमान कॉलेजों के लेक्चरार के वेतनमान के बराबर कर देने के लिये आग्रह कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1 लाख 10 हजार कर्मचारी तो अकेले शिक्षा विभाग में ही कार्य कर रहे हैं। यद्यपि राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे हैं, किन्तु जब उनसे ऊपर के व्यक्तियों के वेतनमानों में संशोधन होगा तब ये सभी मिलकर अपने वेतनमानों में संशाधन करने और विभिन्न वेतनमानों में संतुलन बनाने के लिये आवाज उठायेंगे, जिसका अर्थ होगा करोड़ों रुपयों का व्यय।

यू. जी. सी. द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों में एक शर्त यह भी है कि प्रत्येक पद जैसे लेक्चरार, रीडर, प्रिन्सीपल आदि पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती से चयन द्वारा की जायेगी। यह शर्त आर. ई. एस. (कॉलेज) में लगाया जाना सम्भव नहीं होगा क्योंकि यहां केवल लेक्चरार के पद पर सीधी भर्ती से चयन होता है और बाद में पदोन्नति के आधार पर नियुक्ति होती रहती है। यू. जी. सी. के वेतनमानों को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि प्राध्यापकों की पदोन्नति के अवसर समान करना। इसके अलावा अन्य राज्य सेवाओं पर भी इसका उतना ही असर होगा।

Page No 41

(श्री खेतसिंह)

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त यू. जी. सी. के वेतनमानों में सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है जबकि राजस्थान में 55 वर्ष है। यह प्रश्न भी अन्य राज्य सेवाओं से जुड़ा हुआ है।

उपरोक्त सभी पक्ष राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, 60 लाख का व्यय जो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बताया और यह उनके वक्तव्य से पता लगता है कि पांच वर्ष, छः वर्ष तक केन्द्रीय सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन 60 लाख रुपया प्रति वर्ष राजस्थान सरकार को देने को तैयार है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि इन वेतनमानों को स्वीकार नहीं किया जाता तो राजस्थान राज्य के अन्दर जो हमारे प्राध्यापक हैं, जिन्हें लगभग 3 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार के अनुदान के द्वारा दिलवा सकते हैं, उससे उनको वंचित रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट है, राज्य सरकार को छः वर्ष तक केवल बीस पर्सेन्ट पेमेंट करना पड़ेगा और 80 पर्सेन्ट रकम यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से आयेगी। क्या राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री इस पक्ष में नहीं हैं कि राज्य सरकार को तीन करोड़ का लाभ हो रहा है यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिश्नर की ओरसे और जिसके द्वारा प्राध्यापकों को भी लाभ होगा, जिसके द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ऑल, राउण्ड एफीसियेन्सी राजस्थान के अन्दर बढ़ेगी, अच्छे-अच्छे प्राध्यापक यहां पर तैयार हो सकेंगे उससे वंचित रखना क्या उचित है ? एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय ने कहा, उस पर विचार चल रहा है, यानि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुन्जरो:, न हमने इन्कार किया है, न स्वीकार किया है, लेकिन जो भूमिका बांधी है सारी की सारी इस भूमिका से मन में आपके क्या है, उसका आभास यदि लिया जाये तो यह लगता है, माननीय शिक्षा मन्त्री और राज्य सरकार द्वारा, विधान सभा का सत्र जब तक चलेगा तब तक गम्भीरता से इस पर विचार नहीं हो सकेगा, तब तक अस्थिरता रखना चाहते हैं, और उसके बाद में निर्णय की घोषणा करना चाहते हैं, और वह निर्णय, आज जो भूमिका बांधी है, उसके अनुसार नकारात्मक होगा या नकारात्मक होने की सम्भावना है यह कहा जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं, जोधपुर विश्वविद्यालय के इन्जीनियरिंग संकाय के प्राध्यापकों ने इस मसले को लेकर विद्यार्थियों के जो एक्जामिनेशन होने वाले थे, 25 तारीख से, उनका बहिष्कार कर दिया। अब वह नहीं हो रहे हैं। सारे राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है। राजस्थान के चालीस से अधिक प्राध्यापक माननीय मुख्य मन्त्री से यहां मिले और मेमोरेन्डम दिया, और मुख्य मन्त्री के सामने वस्तु स्थिति रखी। अपेक्षा यह की जाती थी कि आज राज्य सरकार यहां पर घोषणा करेगी इसके बारे में, लेकिन उसके विपरीत इसको टालने की कोशिश की जा रही है। इसका रिजल्ट निकलेगा वह सामने आयेगा। हमारे पास के प्रदेश हैं जहां नवीनतम वेतन श्रृङ्खला स्वीकार कर ली गई है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वह बड़ा प्रदेश है, आप अनुमान कर सकते हैं कि कितने प्राध्यापक यूनिवर्सिटी और एफिलियेटेड कॉलिजेज, प्राइवेट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कॉलजेज के अन्दर होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश की सरकार नये वेतन मान स्वीकार कर चुकी है, बिहार सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है, अन्य प्रदेशों में स्वीकृति हो रही है, केन्द्रीय सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि राज्य सरकार के सामने कौनसा अभाव है, किस प्रकार की डिफिकल्टी है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस समय लोक सभा के अन्दर इसकी घोषणा की गई, उस घोषणा के करने के बाद में आज तक, अध्यक्ष महोदय, एक साल से अधिक समय निकल चुका है, और एक वर्ष के समय के अन्दर हमारी राज्य सरकार किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकी है। एक वर्ष तक शिक्षक संघ, प्राध्यापक व यूनिवर्सिटी सिण्डीकेट, अलग-अलग इन्स्टीट्यूशन्स ने राज्य सरकार को बराबर निवेदन किया, आप कृपया वेतन-शृंखला लागू कीजिये नवीनतम और केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने बार-बार पत्र लिखे, एजूकेशन कमिश्नर को पत्र लिखे गये। ऐजूकेशन कमिश्नर को नजरूल हसन ने 3 मार्च को पत्र लिखा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की ओर से एजूकेशन कमिश्नर को लिखा गया बार-बार लोक सभा में कहा गया, केन्द्रीय सरकार की इच्छा है, वह अनुदान देना चाहती है, और छः वर्ष में तीन करोड़ की राशि आपको मिल रही है लेकिन आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, आप तीन करोड़ रुपया लेप्स करवा रहे हैं, जो राज्य सरकार को फायदा हो रहा है, वह नहीं ले रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। इस आस्पेक्ट से नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि छः वर्ष के बाद क्या स्थिति बन जायगी। आपके हिसाब से राजस्थान का विकास होगा, यहां हरित क्रांति होगी, यहां श्वेत क्रांति होगी, यहां पर-कैपिटा इन्कम बढ़ेगी, राज्य सरकार की इन्कम बढ़ेगी। इसके अलावा सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने आप अपना केस पुट अप कीजिये कि इस 80 पर्सेन्ट को आप परमानेन्ट बना दीजिये। इसमें सवाल है कि केन्द्र में आपकी लॉबी कितनी मजबूत हैं, केन्द्रीय सरकार के पास, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के सामने किस तरह केस स्ट्रांगली पुट अप करते हैं। अगर नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि राजस्थान में दस लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो एफीलियेटेड कॉलेज के अन्दर, यूनिवर्सिटी के अन्दर अध्ययन कर रहे हैं। उनके सामने प्रश्न-वाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है, परीक्षा होगी या नहीं। इस प्रश्न के बारे में माननीय शिक्षा मन्त्री जी बिल्कुल मौन रहे हैं, जब कि स्पष्ट तौर से लिखा हुआ था, परीक्षा नहीं हो रही है। क्या विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में राज्य सरकार इस प्रश्न को सुलझाने में अग्रेंतर हो रही है ? अन्याय यह हो रहा है कि एक साल, डेढ़ साल के बाद फिर आप इसको टालना चाहते हैं। यह फरवरी का एण्ड हो रहा है, मार्च का महीना आ रहा है, उसमें परीक्षा प्रारम्भ होगी। फिर भी माननीय शिक्षा मन्त्री इसको पैंडिग रखना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि पूरे पे-स्केल आप नहीं दे सकें, तो आप कोई रीजनेबल सोल्यूशन निकालते, कोई मीडिया निकालते, कोई कम्प्रोमाइजिंग फार्मूला निकालते। अध्यक्ष महोदय, कल राजस्थान विश्व विद्यालय की सिण्डीकेट की बैठक हुई थी।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
उसमें एक प्रस्ताव पारित किया है, वह समाचार पत्रों में आया है । उन्होंने मुख्य मन्त्री को सूचित किया है और स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, :

"Resolved that the Syndicate requests the State Government to speedily implement the new UGC grades which have been recommended by the UGC as a national pattern and endorsed by the Central Government as there is unanimous and overwhelming demand from all University and College teachers of Rajasthan for the same. It is also resolved to intimate to the Government that in case the grades are not implemented the resolution of the teachers bodies to non co-operate in the examination work will follow...."

माननीय शिक्षा मन्त्री जी सुन लें और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी सुन लें, यह सिण्डीकेट ने रिजोल्यूशन किया है, कोई ट्रेड यूनियन की धमकी नहीं है, राजनैतिक पार्टी की धमकी नहीं है, कोई विद्यार्थियों के पक्ष का आन्दोलन नहीं है, यह राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट का रिजोल्यूशन है, जिसमें वाइस चान्सलर होते हैं, सारे डीन्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। उन्होंने कहा है : "it will be well nigh impossible for the University to conduct its examinations". याने परिक्षायें करना असंभव हो जाएगा ।

Normally, further, in case the grades are not implemented in the State of Rajasthan, the Universites here are likely to become second grade universities compared to those in some neighbouring States and the Central Universities".

ये इन्टलेक्च्युएल्स हैं सारे दूसरी यूनिवर्सिटिज में चले जायेंगे और तीन करोड़ का जो आपका लाभ मिल रहा है वह लैप्स हो जाएगा । आपने जो कहा है कि हम विचार कर रहे हैं । आपने जो भूमिका बनाई है उससे जो आपका मानस लगता है उससे मुझे खेद होता है । आप शीघ्र निर्णय लेकर इम्पलीमेंट करें यदि पूरा इम्पलीमेंट नहीं कर सकें तो कोई रास्ता निकालें । इसमें यह भी लिखा है कि जब यह इम्पलीमेंट होता तो उनको जो परिक्षाओं का खर्चा मिलता है वह उनको नहीं दिया जाएगा । इसका अर्थ आपने कहा 10 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है । परीक्षाओं की कापियां देखने में और इन्विजीलेशन में कितना खर्चा होता है उसका हिसाब लगाते तो आपको लाभ ही लाभ है । आपको 50 लाख रुपया प्रति वर्ष वहां से आयेंगे । आपको पूरा गाइड नहीं किया गया है। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि इन वेतनमानों को शीघ्र इम्पलीमेंट करें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय शिक्षा मन्त्री ने सारे आंकड़े देकर इस प्रश्न को आंकड़ों के जंजाल में फंसाया है । ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्सिटी शिक्षा को डिसकरेज करना चाहते हैं और आपके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि सम्भवतः ये

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
कालेज के प्रिन्सीपल्स से लेकर सभी प्रोफेसर्स और रीडर्स काम छोड़कर चले जायें तो आपको शिक्षा पद्धति में सुधार करने का मौका मिले और आप यूनिवर्सिटी शिक्षा और हायर सैकेन्डरी शिक्षा पर अलग-अलग ध्यान दें सकेंगे, ऐसी नीति आपकी मुझे दीखती है। आपकी नीति है डिवाइड एण्ड रूल। बन्दर बांट का सिलसिला लगाया है। प्रो. केदारनाथ सिंडीकेट के सदस्य हैं, वह आंकड़ों का जवाब आकड़ों से देंगे। लेकिन राजस्थान स्तर पर आप वक्तव्य देकर क्या करना चाहते हैं, उसकी ओर संकेत करता हूं। एक बात आप भूल गए हैं। आपको संकेत विद्यार्थियों को दे देना था कि अगर प्राध्यापकों को नए वेतनमान देते हैं तो विद्यार्थियों को नुकसान है इसलिए विद्यार्थियों, तुम इसका मुकाबला करो, ऐसा संकेत दे देते तो दोनों में झगड़ा हो जाता। आपने संकेत दिया है हैडमास्टर्स को, कर्मचारियों को, आर. ए. एस. अधिकारियों को कि तुम सजग रहो इधर वृद्धि होती है तो मुकाबला अभी से करना चाहिए। इसलिए आपने जो नीति डिवाइड एण्ड रूल की अपनाई है, उस नीति ने सारे राजस्थान के कर्मचारियों को सजग कर दिया है। वाइस चांसलर ने आपको पत्र लिखा कि आप इस बात पर विचार करें, सिंडीकेट ने रिजोल्यूशन के जरिए आपको अवगत कराया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिशें हैं इनको मंजूर करें। आपकी बात सिर्फ यहां तक थी कि उचित है या नहीं। आपकी बात चिंतन के मसले की थी न कि सारे राजस्थान के तत्वों को उभार कर खड़ा कर दें और वह आन्दोलन सामने आए, उसके डर से प्राध्यापकों से आप कहें कि मैं चिंतन भी करना चाहता हूं लेकिन मेरे सामने समस्या सारे राजस्थान की है। इसलिए आपने जो फरमाया है कि हम विचार कर रहे हैं यह विचार की अवधि असेम्बली तक रहेगी। जब तक प्रश्न उठता रहेगा आप बराबर कहते रहेंगे कि हम विचार रहे हैं। इस विचार करने के तत्व को विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी समझते हैं अच्छा होता, शिक्षा मंत्रीजी, कम से कम इसका मुकाबला करने के लिए आप दूसरों का सहयोग नहीं लेते, जैसे मिडिल स्कूल्स के हेडमास्टर्स आर. ए. एस. इत्यादि, इनका सहयोग नहीं लेते और स्वतन्त्र रूप से इस सवाल को लेते यह प्रश्न इतना जटिल है और इतना सरल है कि आप स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें, आपको अनुदान मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि ब्रेन ड्रेनेज न हो। यूनिवर्सिटी खोखली होती जा रही है वह न हो तो सारी स्थिति में अपनी बुद्धि के साथ मुख्य मंत्री को भी शामिल करें, चिंतन करें ताकि सारे राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में जो चिंता हो रही है वह समाप्त हो।

श्री **केदारनाथ** : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के तहत जितनी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं उनकी पे-स्केल्स यू. जी. सी. ने इन्क्रीज की हैं? क्या यह सही है कि यू. पी. सरकार ने इसको छः महीने पहले मानकर लागू कर दिया? बिहार ने भी माना है, उन दोनों राज्यों के बजट में क्रमशः 90 लाख और 40 लाख की डेफिसिट है। यहां एकेडेमिक काऊंसिल ने पास कर दिया और कल सिंडीकेट ने भी पास कर दिया। आपके नामीनी डाइरेक्टर आॅफ एजूकेशन वहां थे

(श्री केदारनाथ)
उन्होंने सारे ग्रांकड़े वित्तीय स्थिति के पेश किए तो वहां पर सबने फैसला किया है कि इसको मीट करने के लिए हम मुख्य मंत्री से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, रास्ता निकालेंगे, ग्रौर हल निकाला जाएगा। ग्रापने कहा ग्रगर सारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी मांगेंगे, ग्रार. ए. एस. ने भी मांगना शुरू कर दिया, स्कूल टीचर्स ने मांगना शुरू कर दिया तो क्या होगा ? ग्राप उनको इन्सटीगेट कर रहे हैं कि मूवमेंट्स बिल्ड ग्रप करो। ग्रभी तो उनकी मांग है ही नहीं। न तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, न टीचर्स, न ग्रार. ए. एस. के लोग। ग्रब केवल राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटीज ग्रौर उनके एफिलिएटेड कॉलिजेज मिलकर मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो धरना देना शुरू किया था मगर सिंडीकेट ने इन्टरवीन किया उन्होंने मुख्य मंत्री को मौका दे दिया है, उसके बाद क्या रास्ता निकलता है, तो ग्रापका स्टेटमेंट ग्रोपन होना चाहिये था।

ग्राप यू. जी. सी. की बात नहीं मानेंगे, केन्द्रीय सरकार की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने तीन शर्तें रखी। पंजाब, यू. पी. हरियाणा, बिहार व केरल में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने कहा कि लेक्चरार्स का डाइरेक्ट सलेक्शन हो, 60 साल रिटायरमेंट एज हो तो हम मानेंगे एग्जामिनेशन के इन्विजीलेशन का कोई रेम्यूनरेशन नहीं। तीनों शर्तें ग्राल इण्डिया पैटर्न पर मानें, सारी स्टेट युनिवर्सिटीज मानें तो हम मानेंगे। मैं फिर ग्रापसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के प्राध्यापकों ने फैसला किया है ग्रौर ग्रगर उन्होंने परीक्षग्रों का बायकाट किया ग्रौर स्टुडेण्ट स्टर खड़ा हो गया तो ग्रापके सामने राजस्थान में ग्रशांति की परिस्थिति हो जाएगी। उस समय ग्रापको फेस करना मुश्किल हो जाएगा, राजस्थान के सामने लॉ एण्ड ग्रॉर्डर की प्रॉबलम हो जाएगी। ग्रापकी वित्तीय स्थिति खराब नहीं है ग्रौर इसको मीट करने के लिए जो डेफिसिट होगा वह ग्रापको मिलेगा। तो जब सिंडीकेट के सदस्य ग्रापसे मिलेंगे ग्राप इन्टरवीन करके उनकी बात मान लें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था ग्रौर जो स्टेटमेंट ग्राया है उसमें जो दलीलें दी गई हैं उनके सम्बन्ध में संक्षेप में मैं सवाल करना चाहूंगा। जहां तक ग्रार. ए. एस. ग्रौर ग्रार. जे. एस. के वेतनमानों का सवाल है, वह सही नहीं है। प्रोफेसर्स के केस में तो 80 पर्सेन्ट ग्रनुदान मिल रहा है, वही ग्रनुदान यदि सेन्टर से राजस्थान की ग्रौर सर्विसेज के लिए मिलेगा तो ग्राप उनको भी भले दें। उनके एजीटेशन का ग्राधार क्या होगा ? ग्राज प्रोफेसर्स ग्रौर लेक्चरार्स का कहना है कि जो रकम मिल रही है उसमें केन्द्रीय सरकार 80 पर्सेन्ट दे रही है ग्रौर ग्रापको केवल 20 प्रतिशत देना है। ग्राप तो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने मांग नहीं रखी वे भी रखें। जैसे माननीय ग्राचार्यजी ग्रौर केदारनाथ ने कहा, ग्राप उनको उकसा कर वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि जो हकदार नहीं हैं वे भी ग्रपनी मांग रखें। क्या यह सही नहीं है कि दुनिया में कहीं भी यूनिवर्सिटी टीचर्स की जो तनख्वाहें हैं वे सब ग्रधिकारियों से ज्यादा हैं ? रूस में जो प्रेसीडेंट है उससे ज्यादा वहां एक प्रोफेसर को मिलता है। वे लोग बच्चों के दिमाग को

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

बिल्ड करते हैं। वे कल्चर और सभ्यता के कस्टोडियन्स हैं और आप कहते हैं कि आर. ए. एस. के लोग यह कहेंगे, आर. जे. एस. के लोग यह कहेंगे, यह रिडीक्यूलस बात मालूम होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि 6 साल बाद आपको पूरे पैसे देने होंगे। 6 साल बाद कितनी तबदीलियां आएंगी, उससे अभी से परेशान क्यों हो रहे हैं। आज तो आप पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं आपको तो रकम मिल रही है। यदि आप इस सवाल पर भी सेन्टर से नेगोशिएट करेंगे तो इसका भी कोई रास्ता निकल सकता है। अब जो रकम मिल रही है 80 प्रतिशत आगे भी वे देते रहें।

तो इसके लिये मैं गुजारिश करूंगा कि आपको एक पॉलिसी डिक्लेअर करनी चाहिये। अब अगर आप यह कहते हैं कि इससे क्षेत्रीय भावना पैदा होती है तो यह कह कर आप अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी से सर्क हो रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर वाइस चान्सलर भी बाहर से आते हैं। वह लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स व रीडर्स के लिये सलेक्ट कमेटी बनाते हैं और यहां पर यू.पी. बिहार, और दूसरे प्रान्तों से लोग आते हैं। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न यह है कि अगर यू. पी., बिहार, दिल्ली वगैरह के लोग इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, तो हमारे यहां के लोग भी उस शर्त को मान जायेंगे।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो यह बात कही कि अगर इनको दिया गया तो आर. ए. एस और आर. जे. एस. भी इसकी डिमान्ड करेंगे तो इसका मेरा यह जवाब है कि आपको चाहिये आप उन्हें भी यह कहें कि आप भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से 80 प्रतिशत की एड ले आइये आपकी सर्विसेज के लिये तो हम बीस पर्सेन्ट आपको भी मिला कर यह फेसलिटी दे देंगे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह जो लेक्चरार्स हैं, रीडर्स हैं और प्रोफेसर्स जो भी हैं इनके तो जरियायेमास सिवाय अपनी तनख्वाह के कुछ भी नहीं है और यह जो आर. ए. एस. और आर. जे. एस. ऑफिसर हैं वह रात दिन भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वतें खाते हैं। उन्हें तो काफी पावर्स भी मिली हुई हैं। और आप अगर इनको लेक्चरार्स से कम्पेअर करते हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है। अगर एक लेक्चरार को, जिसका कि काम पढ़ाना है, अगर कोई शकून नहीं होगा, उसके दिमाग की परिस्थिति अगर ठीक नहीं होगी तो वह बच्चों को क्या पढ़ायेगा? आज आपके लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स पर देश का निर्माण करने की रेसपोन्सीबिलिटी है। इसलिये मैं यह अर्ज किया चाहता हूं आप इस सवाल पर गौर फरमावें। और उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिलावें। और आप आर. ए. एस. और आर. जे. एस. अधिकारियों को यह कह दें कि आप भी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इस प्रकार की ग्रान्ट लावें। इसके अलावा मेरा एक सवाल और यह है कि क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट्स ने इस बात को एग्री कर लिया है कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अनुसार इनके पे-स्केल्स होने चाहिये? और इसके साथ-साथ यह भी मान लिया है कि जो लेक्चरार्स, रीडर्स व प्रोफेसर्स रखे जावें उनका आल इन्डिया लेवल पर सलेक्शन होना चाहिये। मैं समझता

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

हूं जो प्रेजेन्टली काम कर रहे हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा और जहां तक पदोन्नति का सवाल है इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है।

इसके अलावा यहां पर जो कहा गया है कि वह लोग धमकी दे रहे हैं, यह बात सही नहीं है। यह तो राज्य सरकार के दिमाग की उपज है। इसके अलावा और कोई शर्त इसमें नहीं। तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तो यह डिसीजन ले सकती है। और इसके लिये आपको आज ही फ्लोर ऑफ दी हाउस पर डिक्लेअर कर देना चाहिये।

अब रहा, सवाल कॉलेज के लेक्चरार्स और रीडर्स वगैरह के बारे में कि उनकी रिटायरमेन्ट की एज 55 की बजाय 60 साल करनी पड़ेगी। उसके लिये राज्य सरकार थोड़ी उनको भी समझा बुझा कर ठीक कर सकती है।

इसके अलावा एक प्रश्न मैं और आपसे करना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा, यहां पर सर्विसेज में झगड़ा, हो जायेगा। तो उसके लिये मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई लड़ाई-झगड़ा होने की बात नहीं है। अब जैसा कि इन यूनिवर्सिटी के लोगों ने हड़ताल करने का और परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है तो क्या आपके पास ऐसी कोई दूसरी मशीनरी है या आप क्या इतने कोम्पीटेन्ट हैं कि आप जो परीक्षायें होने वाली हैं उन्हें कन्डक्ट करवा देंगे? इसके लिए मैं आपका जवाब चाहता हूं।

इसके अलावा आज आपके यहां पर लोगों को अच्छे वेतन नहीं मिलने के कारण लोग बाहर जा रहे हैं जिससे कि आपके यहां की स्टडीज के स्टेन्डर्ड में फर्क पड़ता है। आज ज्यूलोजी के जो प्रोफेसर हैं जिनकी हिन्दुस्तान के बड़े प्रोफेसर्स में गिनती होती है आज यहां से तंग आकर जा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी को छोड़कर दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चान्सलर हैं वह अपने यहां से ही गये हुए हैं। तो इस प्रकार आज हमारी यूनिवर्सिटीज से इन्टेलीजेन्शिया तो सब बाहर जा रहा है और हम इन्टेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो रहे हैं। इन वजुहातों से क्या आप यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के वेतन स्केल्स देने को तैयार हैं या नहीं जिससे कि अपने यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट जवाब राज्य सरकार से चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक दो सवाल मैं भी करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में पूछ लेना, पहले मन्त्रीजी से जवाब ले लिया जाय।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित दो तीन सावल से ज्यादा नहीं हैं उनका जवाब भी साथ आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा पूछिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो स्टेटमेन्ट दिया है क्या इसके लिये राज्य सरकार ने कोई एकेडेमिक कौन्सिल से एप्रोच की है ? मेरे ख्याल से नहीं की। अगर की होती तो बात दूसरी हो जाती। इसके अलावा क्या राज्य सरकार इस बात को मानती है कि कुछ वर्षों पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टेण्डर्ड के मुकाबले अच्छा था और अब वह स्तर दिन व दिन गिर रहा है ? इसके अलावा क्या राज्य सरकार इसको सही नहीं मानती कि अगर राज्य सरकार टीचर्स को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमाशन की सिफारिशों के अनुसार फायदा देती है तो इसमें दूसरी सर्विसेज कुछ भी फिसाद पैदा नहीं करेंगी ? इसके अलावा क्या यह सही है कि दूसरी स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन के ग्रेड दे दिये जाने के कारण हमारे यहां का यूनिवर्सिटी का जो इन्टेलीजेन्शिया है वह यहां से बाहर जा रहा है ? इसके अलावा क्या यह सही नहीं कि यहां पर जो यूनिवर्सिटी लेवल पर भर्ती होती है वह आल इन्डिया कम्पीटीशन के मेरिट के अनुसार होती है। इसके अलावा क्या यह सही नहीं है कि आर. ए. एस. और आर. जे. एस. अधिकारियों का और आर. ई. एस. सर्विसेज़ का अलग केडर है। एक का काम एजूकेशन का है, दूसरे आर. ए. एस. का काम एडमिनिस्ट्रेटिव है तो यह तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप राजस्थान का शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं तो आपको इन प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स और रीडर्स को अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी और दूसरी फैसीलिटीज भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी को सिवाय एड के देते क्या हैं ? एड देने के सिवाय यूनिवर्सिटी की पिक्चर में आप कहीं नहीं आते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने कोई धमकी नहीं दी है। उन्होंने तो आपको निवेदन किया है और मेरे ख्याल से आप इस थोड़े से खर्च को मीट आउट कर सकते हैं। अन्त में एक सवाल और निवेदन करना चाहूंगा कि क्या शिक्षा मन्त्री जी इस बात को नहीं जानते हैं कि राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं है कि वह यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स वगैरह को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के हिसाब से वेतन नहीं दे सके। मैं समझता हूं कि राजस्थान के एजूकेशन के स्टेन्डर्ड को मेन्टेन करने के लिये राज्य सरकार जरूर कोशिश करेगी ताकि यहां का एकेडेमिक स्टेण्डर्ड मेन्टेन रहे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कतिपय माननीय सदस्यों ने जो सदन में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों के अनुकूल वेतनमान देने के लिये जो कारण बतायें हैं और जो अपनी राय व्यक्त की है मैं समझता हूं कि वह बहुत ही प्री-मेच्योर है। वह लोग शायद ऐसा समझ रहे हैं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ सरकार है तो राजस्थान सरकार और दूसरी कोई प्रान्तीय सरकार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक यू. पी. गवर्नमेंन्ट को छोड़कर किसी भी स्टेट ने यूनिवर्सिटी

(श्री हरिदेव जोशी)

ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया है। किसी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : बिहार ने कर दिया है।

श्री केदारनाथ : उन्होंने प्रिन्सीपली मान लिया है इसे। (व्यवधान : अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : आप सुनिये। मैं कहता हूं कि किसी भी गवर्नमेन्ट ने नहीं माना है। बिहार ने लागू नहीं किया है। मैं आपसे ज्यादा इन बातों के टच में रहता हूं। You are not in touch with these things. मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है। यहां ऐसा वातावरण पैदा किया गया है कि सारे हिन्दुस्तान भर की सभी स्टेट्स में तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया है और यहां पर नहीं किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : हमने कहा ना कि दूसरी स्टेट्स में लागू भी कर दिया है और प्रिन्सीपली मान लिया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कहें तो मैं बैठ जाऊं। जब यह बोल रहे थे तो मैं बैठा-बैठा सुन रहा था। मेहरबानी करके यह बैठ जायें यह मेरा निवेदन है। आप सुनिये।

अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग स्टेट्स के बारे में निवेदन कर दूं। तामिलनाडू स्टेट मेरे ख्याल से हमारे से अधिक समृद्ध है और एजूकेशन में काफी आगे भी है वहां भी लागू नहीं हुआ। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि कर्नाटक स्टेट शिक्षा में हमारे से पिछड़ी हुई नहीं है और हमारे से, मेरे ख्याल में, आर्थिक स्थिति में भी ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के, क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं, लोगों में ब्रेन नहीं है। वहां पर लागू नहीं हुआ है। इसी तरह मैं समझता हूं कि आन्ध्र भी हमारे से पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। तो इन सभी स्टेट्स में अभी तक लागू नहीं हुआ है और यहां पर इस प्रकार की फिजा बना रहे हैं कि वहां तो शिक्षा में इस तरह प्रगति हो रही है और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिशों को भी लागू कर दिया है। मैं उनसे मिल चुका हूं और अकसर मिलता रहता हूं लेकिन मैंने तो वहां इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं सुनी, अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से। कहीं चर्चा ही नहीं करी। आखिर हमसे ज्यादा युनिवर्सिटी हैं। अध्यक्ष महोदय इसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि रिपीट करने के लिये किया गया है, यह भी गलत है। हमने फैक्ट्स रखे हैं। गवर्नमेंट का यह कहना भी सही है कि यह सरकार का स्टेटमेंट है चाहे शिक्षा मंत्री जी दे रहे हों या कोई दूसरे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, इसमें शिक्षा मंत्री जी, मुख्य मंत्री सभी सम्मिलित हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अभी तक रूटा के प्रतिनिधि मिले हैं। मैंने उनको बराबर सुना है और समझने की कोशिश की है। अगर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्या सदन ठीक समझता है। प्रश्न विचाराधीन है और फिर वह प्रश्न की तरह होता है। स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राज्य

(श्री हरिदेव जोशी)

सरकार ने अन्तिम फैसला नहीं किया है और प्रश्न विचाराधीन है । मगर इस सदन का, जो राजस्थान की जनता का प्रतिनिधि है, जो शासन का भागीदार है, सारी चीजों को समझना चाहिये नहीं समझना चाहें वह अलग बात है । लेकिन राज्य सरकार का कर्तव्य है आपके सामने सारे फेक्ट्स को रख दें । उसके बावजूद आप यह न कहें कि यह फेक्ट्स नहीं रखे थे। इसलिये आज ग्रेड्स ये हैं और आइन्दा ये देना चाहते हैं । आज स्थिति यह है और कल यह होने वाली है-इस बात को ध्यान में रखना चाहिये । अगर सदन कनविन्स है कि नहीं हमें तो इसके अन्दर अमुक प्रकार का एटीट्यूड लेना है तो उसमें दिक्कत नहीं है मगर राज्य सरकार का धर्म हो जाता है कि वह सारे फेक्ट्स सदन के समक्ष रखें ।

मैं माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि भारत सरकार ने चाहे यू. जी. सी. के मार्फत इन नये वेतन मानों को घोषित कर दिया मगर इसके सिवाय राज्य सरकार को कभी कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया । लाखों रुपयों की लायबिलिटि राज्य सरकार पर आ जाये और राज्य सरकार से इस बारे में विचार-विमर्श नहीं होवे । इस चीज को मैं सैद्धान्तिक रूप से गलत मानता हूं । इस चीज को हमने भारत सरकार को कहा है । भारत सरकार की योजना है, वह तीन करोड़ मुफ्त में दे रही है क्या ? हमारे लोग नुकसान में रहेंगे, यह कहा जा रहा है । यह तो पैकेज डील है इसको स्वीकार करते हैं एक बात है, नहीं करते हैं दूसरी बात है । तीन करोड़ दे रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं । इसके बहुत सारे फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन्स हैं, इसके बहुत सारे ऐडमिनिस्ट्रेटिव इम्पलीकेशन्स हैं । यह नहीं है कि इसको हम नहीं करते हैं तो शुतुरमुर्ग की तरह एक तरफा बात करते हैं, यह नहीं है । अगर इन वेतनमानों को स्वीकार करते हैं तो सोच समझ कर स्वीकार करना चाहिये और जो किया है हमने सोच समझ कर स्वीकार किया है जो लोग यह कहते हैं इसके वाइड इम्पलीकेशन्स नहीं हैं । मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

अध्यक्ष महादय, अभी रूटा के कई प्रतिनिधि मिले थे । मैं ऐसा नहीं मानता कि वे कोई स्ट्राइक पर जायेंगे । मेरे मन में निश्चित रूप से है कि वे जो बात करके गये हैं उसमें संजीदगी है और समझदारी है और मुझे उनकी बुद्धि पर विश्वास है । जिन लोगों को हम समाज का इन्टेलिजेन्शिया समझते हैं इनके साथ हम मजदूरों और कारीगरों जैसा व्यवहार करें, यह नहीं हो सकता है । अलबत्ता मैं यह समझता हूं कि........

श्री केसरीमल : माननीय मंत्री जी, मजदूर क्या गये बीते है ?

श्री फूलचन्द जैन : फर्क तो है ही ।

श्री हरिदेव जोशी : वे जल्दी फैसला कर लेते है । मैं ऐसा नहीं मानता, समाज की जिसे हम क्रीम कहते हैं वह इस प्रकार करेगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज को हमें और ध्यान में रखना चाहिये । अभी एक भाई ने कहा हमारे यहां पर डेटीरियोरेशन हुआ है ।

(श्री हरिदेव जोशी)
राजस्थान यूनिवर्सिटी के आज तक के वेतन मान बहुत अच्छे हैं—हिन्दुस्तान भर में। यह डेटीरियोरेशन क्यों हुआ, वह निश्चित रूप से क्यों हुआ ? वेतनमान बढ़ाना डेटीरियोरेशन का कारण नहीं होगा—कारण दूसरी जगह ढूंढना होगा। सदन में आज तक इस तरह की कई शिकायतें होती रही हैं कि रिक्रूटमैंट किस तरह होता है और किस तरह नहीं होता है मैं इस सम्बन्ध में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जो रूटा के प्रतिनिधि आये हैं, मैंने उनसे भी कहा है और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं तुरन्त फैसला कर दिया जाय मगर इसके बावजूद भी इतने लम्बे अर्से तक इस मांग का रिजेक्ट नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यही है कि जल्दबाजा में इस मांग को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इतने दिनों तक अस्वीकार करने का कारण ही यही है कि जल्दबाजी में नहीं करना चाहते है।

जो स्थितियां हैं उन्हें सोच समझ कर, इसके पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में हैं इसको ध्यान में रखा जाना चाहिये। जो माननीय सदस्यों ने कहा है हमारे ध्यान में, क्या हा सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीजें है। निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं अध्यापकों को दूसरे लोगों के एट पार करने की बात नहीं करना चाहते है। हम उन्हें बेटर ट्रीटमैंट देना चाहते हैं। इसलिये हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले बेटर ट्रीटमेंट दिया है और इसका एप्रीशियेसन टीचर्स में है वे महसूस करते हैं और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह सकता हूं कि राज्य सरकार इन सारी चीजों को इसी निगाह से देखती है। हम जिस हद तक इस मांग को स्वीकार कर सकते हैं, करेंगे। हमारे मन में यह नहीं है कि जल्द बाजी में हम नहीं करें। हम बैठकर बात करेंगे और किसी निर्णय पर आयेंगे।

अगर सिन्डीकेट के सदस्य मुझ से बात करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करूंगा। सारी बातों को मैं उनके सामने रखूंगा और प्रेमपूर्वक हम किसी नतीजे पर आयेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इसी हाउस में चूरू काण्ड के बारे में……

श्री अध्यक्ष : वह पहले हो चुका है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री जी खामोश हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : खामोश तो हैं लेकिन क्या हुआ, यह तो बता दें……

श्री गुमानमल लोढ़ा : मुझे यह विश्वास हुआ है……

श्री अध्यक्ष : कोई विश्वास नहीं है।

(व्यवधान, अश्रव्य)

माननीय सदस्य मेरी बात सुनिये।

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

मेरी बात सुनिये……

(व्यवधान, अश्रव्य)

माननीय सदस्य साहब ! मेरी भी बात सुन लीजिये पहले। मैं निवेदन कर रहा

(श्री अध्यक्ष)
था कि यह प्रश्न जनसंघ के माननीय नेता ने उठाया उस समय मुख्य मन्त्री जी मौजूद थे और उस समय आपने भी कहा था।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि हम बात कर लेंगे चेम्बर में। मैं बाहर निकल ही रहा हूं केवल स्टेटमेन्ट के लिए मुझे रुकना था।

राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य-राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975।

[श्री गिरधारीलाल भार्गव ने निम्न परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया—यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि विकास निगम अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 20 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार भूमि विकास निगम विधेयक को सदन के सामने अध्यादेश के जरिये लाई है।

(1.12 म. प.)

(श्री रामसिह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा यहां पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि अध्यादेश सदन के सामने आया तो इस अध्यादेश में जो उद्देश्य हैं वह उद्देश्य तो वास्तव में सराहनीय हैं पर इन उद्देश्यों से इस निगम के मार्फत राज्य सरकार वहां पर दूसरे दरवाजे से नेतागीरी स्थापित करना चाहती है इसलिए मेरा विरोध है। और विरोध इसलिए भी है कि माननीय मन्त्री जी आपने इसमें एरिया कौनसा होगा यह राज्य सरकार की मर्जी पर छोड़ा है। सेक्शन 30 जो इसका है वह बिल्कुल साफ है और उसमें कहा गया है कि :

'The State Government may by notification in the official gazette, sanction any project specifying the areas entrusted to the corporation and the works to be executed by the Corporation in such areas.'

याने निवेदन करना यह है कि यह बिल सारे राजस्थान भर के लिए लागू नहीं है एक साथ। आपकी मर्जी है कि आप किस एरिया में कॉर्पोरेशन, जिसका नाम आपने राजस्थान भूमि विकास निगम दिया है, काम लेना चाहते हैं। तो यह आपकी मर्जी है। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि विकास बैंक ऑलरेडी राजस्थान में मौजूद, जिला स्तर पर उसकी शाखायें मौजूद, रिजर्व बैंक मौजूद, सेन्ट्रल बैंक मौजूद और आपने स्वयं ने बैंक की डेफीनेशन में सारे बैंकों का उल्लेख किया है, मेरा मतलब यह है कि जब जिला स्तर पर बैंक मौजूद हैं तो जो आप नया निगम बनाने के लिए जा रहे हैं वह क्या है ?

इस डेफीनेशन के बाद में आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने बोर्ड के गठन वाली बात इसमें कही। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि आपने जो इस का नामकरण किया है 'राजस्थान भूमि विकास निगम' तो 'राजस्थान' शब्द का जो आपने यहां पर उपयोग कर लिया, यह गलत है क्योंकि आप तो जिस जिले में चाहेंगे उसमें उससे काम करायेंगे। इसके स्थान पर मैं आपको नाम बताता हूं 'मरुस्थलीय भूमि विकास निगम' यह होता या 'पर्वतीय भूमि विकास निगम' इसका नाम होता तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो बारबार अकाल पड़ता है, जिस अकाल की समस्या का स्थाई समाधान खोज नहीं सकते, 200 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद कहीं उसका हल नहीं निकला और अकाल हर वर्ष पड़ रहा है और अकाल के नाम पर हम बराबर चुनाव टालते हुए जा रहे हैं मैं समझता हूं कि यह बात नहीं होती। राजस्थान में अकाल की भी समस्या है; सूखे की समस्या भी है और आप इसका स्थाई समाधान भी चाहते हैं तो अगर इन दो नामों में से नहीं रखते तो इसका नाम 'राजस्थान भूतल जल विकास निगम' रख लेते, जिससे पानी का उपयोग हो जाये। यदि इसको यह नाम देते तो भी आपकी भावना समझ में आ जाती कि आप किस भावना से इस अध्यादेश को यहां पर लाना चाहते हैं। यहां पर निवेदन करना यह है; आपकी इस गलत नीति के आधार पर कि 200 करोड़ रुपया भारत सरकार दे दे और आप कहीं-कहीं पर खर्चा करें कौन से जिले में खर्च करें; किसी में कम खर्च करें और किसी में ज्यादा खर्च करें और फिर विधायक यह कहें कि हमारे यहां अकाल पड़ा है पैसा खर्च कीजिये और आप उस विधायक के क्षेत्र में खर्च करें या न करें। तो राजस्थान में इस आधार पर क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है और अकाल की समस्या, सूखे की समस्या ज्यों की त्यों चली आ रही है। तो यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो मैंने नाम के बारे में निवेदन किया। सबसे पहले तो मेरा नाम के बारे में ऐतराज है।, यदि इनमें से कोई नाम रख लेते तो मैं समझता हूं कि अकाल की समस्या भी हल हो जाती या फिर रेगिस्तानी इलाके का विकास हो जाता या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी भूमि का विकास हो जाता।

अब यहां पर आपने चैप्टर 3 में बोर्ड का गठन किया है। कॉर्पोरेशन का मालिक बोर्ड होगा। बात सही है कि बोर्ड उसका मालिक होगा लेकिन आपने लिखा है।

The Board of Directors shall consist of the following; namely-

(a) a Secretary to the State Government nominated by the Government, who shall be the Chairman of the Board;

याने आपने चेयरमैन अपना बना दिया। दूसरा है,

Not more than five officials of the State Government, one of whom may be appointed by the State Government to be Vice Chairman of the Board;

यह 5 भी आपके हो गए। 5 और 1 मिलाकर हो गए 6।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

'One of whom may be appointed by the State Government to be Vice-Chairman of the Board;'

याने 6 में से एक बन गया चेयरमैन और एक नॉमीनेटेड वॉइस-चेयरमैन। फिर तीसरे क्लॉज में है;

'Not less than three officials of the Central Government nominated by that Government;'

यह केन्द्रीय सरकार के हो गए। याने ऑफिसर्स ही होंगे। 6 और 3 मिलकर 9 हो गए। 9 के बाद है;

'One Director to be nominated by the State Government to represent banks and financing institutions;'

याने जो पैसा देने वाली बैंक हैं इनका भी प्रतिनिधि आपके द्वारा ही नॉमीनेटेड किया जावेगा। बस यहां पर मेरा और आपका विरोध है। यह व्यक्ति आप किस को बनायेंगे। यह तो कह दिया कि 3 हो गए, 5 हो गए, चेयरमैन हमारा, वॉइस-चेयरमैन भी हमारा—याने सरकारीकरण तो कर लिया और कॉर्पोरेशन का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया। आपने अपने हाथ में बपौती ले ली। निवेदन करना यहां पर यह है कि कौन आयेगा? वह आयेगा कांग्रेस का नेता। जो आपकी भावना इसमें लग रही है उससे मेरा विरोध है। तो इसमें यह है;

'One director to be nominated by the State Government to represent banks and financing institutions;'

अब छठा जो आपने लिया है;

'One director having special knowledge or practical experience in respect of agriculture and rural economics to be nominated by the State Government;'

यह स्पेशल नॉलेज की बात तो समझ में आ गयी। कोई अमेरिका गया हो, कहीं पर जाकर इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके आया हो तो ज्ञान प्राप्त वाले आदमी को ले लिया तो उसका विरोध नहीं है लेकिन आपने "OR" लिखा है बस "OR" में ही राजनीति आ गयी।

'or practical experience in respect of agriculture and rural economics to be nominated by the State Government;'

(सयम-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: संशोधनों पर आयें तो उस समय कह लेना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं तो दो मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 'practical experience' शब्द है इसमें भी जिस आदमी को कृषि का कोई ज्ञान नहीं हो, जिसका कृषि से कोई लेना-देना नहीं हो, कभी फावड़ा हाथ में लिया नहीं हो, कभी कुदाली हाथ में

Page No 55

(55)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
ली नहीं हो, कौन से वर्ष में कौनसी खेती होती है इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन वहरहाल उसको नॉमीनेट करना है तो राज्य सरकार इसमें भी राज नेताओं को अपोइन्ट करेगी। राजस्थान में बहुत से लोग हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो इनकी चमचागिरी करेंगे आप उनको नॉमीनेट कर देंगे और इसलिए यह व्यवस्था इसमें की गई है।

यहां पर निवेदन है 'एफ' में है :—

> "Not more than four directors nominated by the State Government from amongst land holders of the Project areas, two of whom shall be so nominated from the weaker sections of those areas, and the other two shall be from amongst the small farmers; "

अब यह आपने 'वीकर सेक्शन' वाली बात कही। यह 'वीकर सेक्शन' में अभी तक भूमि के पट्टे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देते आये। आपकी यदि इसमें 'वीकर सेक्शन' में अनुसूचित जाति और जन जाति वाली बात होती तो माननीय मन्त्री जी बात समझ में आ सकती थी लेकिन आप तो यहां पर 'वीकर सेक्शन' का नाम देकर इसमें भी राज नेताओं को रखना चाहते हैं। राज नेताओं की जगह यदि इसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति लगा देते तो भी मैं समझता हूं कि पार पड़ जाता लेकिन 'वीकर सेक्शन' वाली कही है उसमें अगर अनुसूचित जाति के नहीं मिले तो और किसी जाति के मिल जायेंगे उनको लगा देगें। इसलिए यदि 'वीकर सेक्शन' की जगह 'अनुसूचित जाति' या 'जन जाति' आप लगाते तो मैं समझता हूं कि मुनासिब होता।

अब यहां स्माल फॉमर्स की डेफिनेशन करेंगे

> " 'Small farmers' shall mean such farmers as the Central Government may, by notification in their Official Gazette, define."

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने डिसक्वालिफिकेशन में····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिए। इस विधायी कार्य के कुछ नियम हैं। विधायी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम हैं, विधान है। आप अभी जो कुछ कहे रहें हैं वह अगर विधेयक को खण्डशः लेते समय या जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के प्रस्ताव पर आप कहें तो ठीक है। अभी तो ऑर्डीनेंस जारी करने के जो रीजन्स हैं उन पर आप बोल सकते हैं। किन कारणों से आप ऑर्डीनेंस को रिजेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप कह सकते हैं It will take more than two hours and it cannot be finished.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं यही निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने····

56

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप धन्यवाद तो दे दें, आपकी जानकारी बढ़ा दी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है। आप तो हां हां और ना ना के अलावा कुछ जानते नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज तो इनको ना ही नजर आयेंगे, इनके हां का पता नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह प्रार्थना करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय यह 'राजस्थान भूमि विकास निगम' जो नाम रखा है इसके स्थान पर राजस्थान मरूस्थलीय, राजस्थान पर्वतीय या राजस्थान भूतल विकास निगम बनाते तो मैं समझ सकता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान में यह काम में आता वरना राजस्थान सरकार की मर्जी पर है कि वह कौन से जिले में लागू करें और कौन से जिले में लागू नहीं किया जाय। और इस बिल के अन्दर जितनी भी बातें है, भावना तो अच्छी हैं, लेकिन जो दुर्भावना राज नेताओं को लाने की है इसलिए मैं इस अध्यादेश को निरस्त करने की बात कह रहा हूं। इसमें राज्य सरकार की दुर्भावना नजर आती है। भावना बढ़िया है लेकिन दुर्भावना इसमें है इसलिए इस अध्यादेश को निरस्त किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री 'दीपंकर ! आप भी केवल अध्यादेश के सम्बन्ध में कहेंगे।

श्री दीपंकर : मेरा नाम तो अध्यादेश को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नहीं है क्या ? श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : I think you will like to give chance to your expert fellow.

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : दो ही शब्द कहने हैं। एक्सपीरियेन्स्ड आदमी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनको आप मौका दें। मैं इसका पोलिटिकल आस्पेक्ट रखूंगा, बाकी आॅस्पेक्ट तो मेरे जो साथी एक्सपर्ट हैं वह रखेंगे। मुझे सिर्फ यही अर्ज करना था कि इस अध्यादेश का जो ओब्जेक्ट है उसमें यह 212 करोड़ की रकम का नेगोशियेशन वर्ल्ड बैंक से होना कहा जाता है। यह वर्ल्ड बैंक का जो मोनेटरी कण्ट्रोल है वह आज अमेरिका के हाथ में है। आप जब कोई अमेरिका से फाइनेंन्शियल नेगोशियेशन करते हैं और उसको अध्यादेश के द्वारा आप लागू करते हैं तो वह एक बहुत गम्भीर बात है और मैं समझता हूं कि वह एक आपत्तिजनक भी बात है। आज यह कहना कि वर्ल्ड बैंक में बहुत सी कौमें शामिल हैं, बहुत से राज्य हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक को कन्ट्रोल करने वालों में सिर्फ एक साम्राज्यवादी देश अमेरिका है और जिस तरह से उनसे नेगोशियेशन करके आपने यह अध्यादेश निकाला है उससे पहले आपको पोलिटिकल पार्टीज से राजनैतिक दलों से इस सिल सिले में मशविरा करना चाहिये था। आज यह गम्भीर स्थिति पैदा हो चुकी है कि अमेरिका ने हमारे एम्बेसेडर कौल को रीबफ किया है स्पष्ट शब्दों में कि हम आप से नाखुश हैं। उन्होंने मिलने की, मुलाकात की ख्वाहिश

(श्री माहम्मद गफ्फारअली)

जाहिर की तो उसको ठुकराया है और इस सिलसिले में वह गुफ्तगू इस बात की करना चाहते थे कि जो पाकिस्तान को हथियार दिये हैं वह न सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए खतरे का वायस बनेंगे। तो यह एक ऐसा इश्यू था जो न सिर्फ फाइनेन्शियल था बल्कि एक और इश्यु है कि जिसमें पोलिटिकल इम्प्ली-केशन्स, राजनैतिक गुत्थियां बहुत हैं और हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और फिर खासतौर से हमारे माननीय मंत्री महोदय, मैं मानता हूं, प्रगतिशील नीतियों के हामी हैं वे जब बैठे हैं तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस स्कीम का सम्बन्ध ऐसे क्षेत्र के साथ है, ऐसे क्षेत्र के लिए यह स्कीम है जो सारे पाकिस्तान से मिला हुआ है। मुझे अफसास के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर हम कन्ट्रोल नहीं करेंगे। वह डिटेल में तो माननीय सदस्य हांडा साहब बतायेंगे। मैं आपको अर्ज किया चाहता हूं कि इसके लिए आपके पास क्या जवाब है, अगर उनके टैक्नि-शियन्स, उनके एक्सपर्ट वहां जाते हैं, हमारे नक्शे देखते हैं, हमारे तमाम रिसोर्सेज को देखते हैं और फिर पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं वहां पर अगर उन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा ? क्या यह मंत्रीमण्डल होगा या वे लोग होंगे या और कोई होंगे जो कर्जा लेकर लादना चाहते हैं ? सजायें करा कर काम लेना चाहते हैं और डवलपमेंट भी बन्दूक की नोक पर कराना चाहते हैं। इस किस्म के क्लॉजेज हैं इसमें कि हम डवलप-मैंट करायगे तो तुम्हें यह करना होगा। है अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा और पानी बन्द कर दिया जायगा। इस प्रकार से जो सत्ता में बैठे हैं, मैं समझता हूं उनको समझना चाहिए कि इस अध्यादेश के जो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स थे और वह अब पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स और बढ़ गए हैं और जब कि हमारे रिलेशन्स अमेरिका से खराब हो रहे हैं, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बिगड़ रहे हैं, हम उनको बिगाड़ना नहीं चाहते थे बल्कि हम तो यह चाहते थे कि पाकिस्तान से और चीन से ताल्लुकात इश्तगवार हों लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकी साम्राज्यवाद ने हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करदी है। इससे न वह पाकिस्तान का भला कर रहा है और न हिन्दुस्तान का भला कर रहा है। आज हमारा दोस्त मुल्क है अफगानिस्तान उसके साथ रिले-शन्स खराब हो रहे हैं पाकिस्तान को हथियार देने की वजह से। पाकिस्तान का दूसरा पड़ौसी देश रूस को छोड़िए, उनकी तरफ नजर उठा कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हैं लेकिन हमारे पड़ौसी मुल्क काबुल पर यह संकट छाया हुआ है और जिस तरह की नीति आज पाकिस्तान के प्राईम मिनिस्टर अपना रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो अपनी सात सौ किलोमीटर की नहर जाती है वहां पर आपके नक्शे, आपका तमाम सिस्टम उनको मालूम होगा। मेरा यह निवेदन है कि यह छः साल का सिलसिला जारी रखने का प्रोविजन है, उसकी शर्तें अनाप-शनाप हैं, उनके बारे में निवेदन किया चाहूंगा कि इस तरह के जो इकोनोमिक और आर्थिक एग्री-मेंट हों उसमें अपोजीशन पार्टीज के लोगों को कोन्फीडेन्स में लेना लाजमी है। इस मुल्क के प्रोटेक्शन की और इस मुल्क पर

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
अगर हमला हो तो उसको बचाने की आप की ही जिम्मेदारी नहीं है हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे बहादुर सिपाहियों की, हमारी खुद की, राजनैतिक दलों की सब की जिम्मेदारी है और हमने वह सब किया है। तो मैं अर्ज किया चाहता हूं कि इस अध्यादेश को गलत निकाला जा रहा है और जो एग्रीमेंट किया गया है वह राजनैतिक दृष्टि से बहुत घातक है, खतरनाक है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके परिणाम गम्भीर होंगे अगर हमने अमेरिकी लोगों को अलाऊ किया, इस इलाके में, बोर्डर इलाके में जाने को अलाऊ किया उसके जितने गम्भीर परिणाम होंगे उसके लिए क्या मंत्री महोदय जिम्मेदार हो सकते हैं ? इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कोई औचित्य नहीं था और यह अध्यादेश निरस्त होना चाहिए और निरस्त हो जाने के बाद यह बिल भी यहां नहीं आना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स राजस्थान लैंड डवलपमेंट कोरपोरेशन बिल के हैं, और जो ऑर्डीनेंस निकाला गया, सितम्बर में मैंने गत सेशन में एक प्रश्न पूछा था कि यह वर्ल्ड बैंक है, हम जानते कि वर्ल्ड बैंक का सारा ओर्गनाइजेशन है और उसकी फाइनेन्शियल एड सब अमेरिका से आती है....

एशिया में, अफ्रीका में, विश्व के सारे देशों में जहां-जहां यह गये हैं अमेरिका की, मान्यवर, एक ही पॉलिसी रही है कन्सिस्टेन्ट कि किसी भी बैकवर्ड मुल्क को इकॉनॉमिकली सेल्फ रिलायेन्स की स्टेज पर नहीं आने दिया जाय। यह फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वर्ल्ड बैंक के चैयरमैन है वह कभी अमेरिका के डिफेन्स सेक्रेटरी भी रहे हैं, और इनकी मार्फत पाकिस्तान को आर्म्स गये हैं और हम पर पहला एग्रेशन हुआ है। यह फैक्ट है। इसलिए सारे के सारे इन्स्ट्रक्शन्स और गाइड लाइन्स और उनके डिक्टेट को मानकर जो फैसला करे और वह ब्यूरोक्रेट करे फैसला और पोलिटिकल लोग बाद में आयें तो इसमें मिस्क्रियेन्टस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्टस एण्ड राजन्स में कहा गया है—

"With a view to enable smooth and effective implementation of these land development projects by ensuring compulsory participation of all concerned land holders in these projects, the World Bank insisted for setting up of a statutory land development corporation by 18th day of September, 1974 as a pre-condition of effectiveness of the World Bank Agreement."

यह उन्होंने डिक्टेट किया है, इन्सिस्ट किया है कि इससे पहले की तारीख में राजस्थान लैण्ड डवलपमैंट कॉर्पोरेशन कायम हो, और उसके फन्कशन्स, उसके

(श्री केदारनाथ)

पावर्स, उसका ग्रार्गेनाइजेशन सारे का सारा जैसा वर्ल्ड बैंक ने कहा उसके पूरे सेटिस्फेक्शन तक वहां पर कायम किया जाय। और इसको, मान्यवर, हम देखें तो इतना बड़ा एग्रीमेंट है। इसके तीन फेजेज हैं इसमें कोई शक नहीं है। Then there is lackness of understanding. माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय वहां पर पार्लेज में डेपूटेशन में यह मानकर आये हों कि इरिगेशन रेट्स एन्हान्स हों, जितना काश्तकारों पर कर्जा है पुराना कर्जा है वह सब वसूल कर लें और नये कर्ज के लिए वहां पर भूमिका तैयार कर दें। हाई लेवल पर चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी सेन्टर के और फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के मेम्बर हैं इन तीनों ने बैठकर देश के नाम पर, राजस्थान के आधार पर यह फैसला कर दिया कि आयन्दा इरिगेशन की सारी रेट्स बढ़ा देंगे, जितना काश्तकारों पर कर्जा आउटस्टैंडिंग है उसको पे कर देंगे और नये कर्जे के लेने के लिए वहां पर भूमिका तैयार कर देंगे। टेक्निकल सर्वे उनके हाथों में, सब इन्सपेक्शन उनके हाथों में, और जितना टोटल लोन लेंगे उसका 42 पर्सेन्ट तक वह देंगे और राजस्थान सरकार 58 पर्सेन्ट अपना खर्च करेगी। 42 पर्सेन्ट लोन और 58 पर्सेन्ट राजस्थान सरकार उसके अन्दर प्लान में से खर्च करने जा रही है। तो मेरा यह प्रश्न है राजस्थान कैनाल को शिडयूल्ड टाइम में पूरा करने के लिए आपके पास में पैसा नहीं है और सेन्टर से मदद मांगते है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्यपाल महोदय के भाषण पर घोषणा की कि इसके कन्स्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेंगे। अगर यह सारा पैसा 58 पर्सेन्ट हमारे प्लान में से खर्च करेंगे तो हम राजस्थान कैनाल का कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं कर पायेंगे।

अमेरिका की यही पॉलिसी है कि राजस्थान कैनाल कभी कम्प्लीट न हो और जिस लैंथ की और जिस साइज की हम चाहते हैं वह न हो। वह हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायन्स की स्टेज पर नहीं पहुंचने देना चाहता है। यह अमेरिका की पॉलिसी है इसमें कई स्ट्रिन्गंस हैं, इसमें लूपहोल्स है, जैसे उनका टेक्निकल सर्वे करना, उनका इन्सपेक्शन करना और उन्हीं से खरीद फरोख्त करना, यह सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में इस बात को प्रिक करती हैं कि वर्ल्ड बैंक के इन्टेन्शन्स ठीक नहीं है।

डिटेल्स पर तब आऊंगा जब हम क्लॉजवाइज चलेंगे। आपने जो एजेन्सी क्रियेट की है वह ठीक है, आपने जो काम किया है वह ठीक किया है, मगर जिस ढंग से पैसा आयेगा उनमें कई लूपहोल्स हैं। उनको दूर किया जाय।

मान्यवर, आज एक एजेन्सी काम कर रही है अमेरिका की पीस कोर के नाम पर उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। राजस्थान इसका एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेन्टर है, और यहां पर एक श्री ओ. पी. गुप्ता, मान्यवर, उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर हैं। वह इंडियन लिविंग पर लेक्चर्स करवाते हैं कि इन्डियन मोड ऑफ लिविंग क्या है। श्री ओ. पी. गुप्ता पीस कोर के डाइरेक्टर इन्चार्ज है। वह, मान्यवर, लेक्चर्स करवाते हैं किन की मार्फत ? जो बड़े-बड़े ऑफिसर हैं उनकी औरतों

Page No 60

(60)

(श्री केदारनाथ)

से। मुझे नहीं बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते हैं, युनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को नहीं बुलाते हैं, एम. एल. एज. को नहीं बुलाते हैं। ऑफिसर्स की लेडीज को बुलाया जाता है और उनको एक दिन का 1500, 1600 रुपयों तक का पेमेन्ट होता है। यह साफ है कि इस ढंग से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, जो ऑफिसर्स क्लास है उसमें पेनिट्रेट करके, उनको केज्योर करके उनको ब्रेकट करके, और मैं सोचता हूं, इन्डाक्ट्रीनेट करके, यह बैंक के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अमेरिका कॉन्स्पीरेसी यहां पर बनायेगा। इस वर्ल्ड बैंक के नाम पर जो पैसा आयेगा राजस्थान और चम्बल कैनाल के लिए वह उनके पोलिटिकल थॉट से आयेगा। वह कान्स्पीरेसी की स्टेज पर नहीं पहुंचे इसके लिए सजग रहना चाहिए। इसलिए, मान्यवर, मैं इस ऑर्डिनेन्स का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय आज जो मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस ऑर्डिनेन्स को इस सदन में न लाया जाय और उसको रिजेक्ट कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि पिछले 20-25 वर्षों के इतिहास में राजस्थान इतने गम्भीर संकट में नहीं आया। राजस्थान की अर्थ नीति, राजस्थान की स्वतन्त्रता राजस्थान का प्रजातन्त्र इस प्रकार कभी खतरे में नहीं आया जिस प्रकार कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा आ रहा है। और यह ऑर्डिनेन्स को इस सदन में प्रस्तुत करना इस पावन सदन का अपमान होगा, हमारे प्रजातन्त्र का अपमान होगा। इस ऑर्डिनेन्स का निर्माण गवर्नर सहाब के हस्ताक्षर से पहले ही इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी द्वारा वाशिंगटन के अन्दर कर दिया गया था। 24 मई से लेकर 28 मई तक वाशिंगटन में बैठकर उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डिप्टी सेक्रेट्री और फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के नुमायन्दों के साथ हस्ताक्षर किये, राजस्थान कैनाल कमाण्ड एरिया के डवलपमेंट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में और उनके मेमोरेण्डम और अन्डरस्टेंडिंग के सम्बन्ध में, उक्त यह कानून प्रस्तुत किया जा चुका था। इससे अधिक गम्भीर स्थिति नहीं हो सकती, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा कानून एक साम्राज्यवादी देश के अन्दर बैठकर तय किया जाय, निर्णय किया जाय उसकी डेट का।

यह वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट है, जो कि 14 मई को हुआ, मैं उसके कुछ चेप्टर्स आपने सामने पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले यह जो एग्रीमेंट हुआ है उसके आर्टीकल (5) में इफेक्टिव डेट ऑफ फॉर्मेशन उसमें यह शब्द है इसकी (डी) क्लॉज के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, है कि:—

'RLDC has been duly established under the laws of Rajasthan with capitalization, board membership and powers satisfactory to the Association.'

फिर (ई) है,

'CAA has been duly established by Rajasthan with organization, board membership and powers satisfactory to the Association.'

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

14 मई को ही, 24 मई से 28 मई को ही इस पर हस्ताक्षर हो गये थे, ऑथोरिटी तय हो गई थी, आर. एल. डी. सी. का बिल क्या होगा उसके सम्बन्ध में धारणाएं तय हो चुकी थीं। उसकी डिटेल्स मैं और बताऊंगा, उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उसके बाद में गवर्नर साहब के हस्ताक्षर हुए और यह हस्ताक्षर माननीय मन्त्री महोदय, 21 सेप्टेम्बर, 1974 को हुये और अब यह इस सदन के अन्दर आना चाहता है। मैं इस बात से तो सहमत हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, की दुनिया के किसी भी देश से हमको सहायता मिले, जहां से भी मिले उसको प्राप्त करना चाहिये लेकिन इसके अन्दर जिस प्रकार की स्ट्रिंग्स हैं जो हमारी आत्म निर्भरता के लक्ष्य को खत्म करती हैं, यह देश की स्वतन्त्रता को खतरे में डालती हैं।हम उसको लागू करने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज वर्ल्ड बैंक के साथ पैक्ट करते समय कल का रेडियो शायद माननीय मन्त्री जी ने भी सुना होगा, उसके अन्दर समाचार प्रसारित हुआ, अमेरिका में हमारे राजदूत श्री टी. एन. कौल को किस प्रकार से जलील किया गया जब वह जेम्स फोर्ड से मिलना चाहते थे अपने शिकवे और शिकायतों को लेकर और यह विरोध करने जा रहे थे कि किस प्रकार से पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा हथियारों से लैस किया जा रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरे आइटम्स पर कि अपने देश की हर चीज को गिरवी रख दी है, अपने रेकार्ड्स को गिरवी रख दिया है, अपनी करेन्सी को गिरवी रख दिया है, आपने सब कुछ दे दिया- और आपको एक. मामूली वाटर बोर्ड का साइज दिया और उनको राइट भी दे दिया कि जब चाहें एड को भी विथड्रा कर सकते हैं। यह शक्ति भी उनको दे दी। और यहां तक कि इन्श्योरेन्स भी अगर हो तो फोरेन करेन्सी के अन्दर होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय इससे ज्यादा गम्भीर स्ट्रिंग्स नहीं हो सकते। इसके साथ ही स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अन्दर ही यह साफ कर दिया गया है कि

"the World Bank insisted for the setting up of a statutory land development corporation by 18th day of September, 1974 as a precondition of effectiveness of the World Bank Agreement.'

उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो शिड्यूल है मैं सबसे पहले तो वह शिड्यूल ही माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करना चाहूंगा, वह शिड्यूल ही अपने आप में इस सारे एग्रीमेंट को, उसके आइटम्स को नग्न कर देती है। केटेगरी ऑफ वर्क जो है उस पर आप पूरा का पूरा गौर फरमायें—

(a) to provide funds in bulk to the command area authrities for execution of land development works;

(b) to help cultivators to obtain ordinary loans from commercial banks for development of their lands;'

It also says—'provision for stoppage of supply of irrigation water if the land holder fails in or

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

obstructs carrying out of land development programme.'

आपका करेक्टर आपके सामने है। वह जितना जो कुछ भी है वह सारा का सारा वर्ल्ड बैंक फाइनेन्स करेगा। और वह क्यों नहीं करेगा, इस तरह की शर्तें जो लगा दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जंग के बाद जब यह वर्ल्ड बैंक उभर कर दुनिया के सामने आया था तो इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं था जो समाजवादी कहलाने का दावा रखता हो। इनसे पहले जो सिंचाई मन्त्री जी थे और जो भारत सरकार के फौरेन मिनिस्टर थे श्री सुब्रहमण्यम् साहब जिन्होंने रुपये का डिवेल्यूएशन किया था, उनके समय में रुपये का डिवेल्यूएशन करना पड़ा, उन्होंने तो भारत-रूस मैत्री के अन्दर बड़े-बड़े लेक्चर दिये थे। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मेक्नमारा के सम्बन्ध में तो माननीय मन्त्री महादय ने बड़े मार्मिक भाषण दिये। उन्हें यह पता नहीं, किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को आर्म्ड किया। वह आज वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बने बैठे हैं, बैकवर्ड कन्ट्रीज को एड देते हैं, भारत भी है परन्तु एक भी समाजवादी कहलाने वाला देश इसमें नहीं है। फिर सबसे बड़ा मोनार्क इसका जो है, जिसका सबसे बड़ा शेयर है वह अमेरिका है। इस वर्ल्ड बैंक ने बुकारो और रुअरकेला के इस्पात के हमारे कारखानों का क्या हाल किया है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय के इस सम्बन्ध में भाषण सुने हैं। आस्वान डैम के ऊपर उन्होंने क्या किया, नासिर को स्वेज नहर बन्द करनी पड़ी आत्म निर्भरता के लिए इसका चार साल में निर्माण किया गया, वह 14 हजार क्यूसेक फीट की कैनाल है और हमारी कैनाल 18 हजार क्यूसेक फीट की है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की मर्जी अब नहीं चलने वाली है। खुराणा साहब दस्तखत करके आ गये और मैंने तो जितने भी भाषण हैं उन सबको पढ़ डाला है। और दूसरे प्रान्तों में जो भाषण हुए हैं उनको भी पढ़ा है परन्तु यह भाषण अपने आप में एक ऐसा भाषण है जिसमें चीफ सेक्रेट्री साहब की प्रसंशा की गई है, खुराणा साहब की तारीफ की गई है। मैं इसके कुछ अंशों को पढ़ना चाहता हूं, ज्यादा आइटम्स तो बाद में डिस्कस करूंगा। माननीय सदस्यों ने भी इसको पढ़ा होगा। किसी भी समझौते के लिये किसी ब्यूरोक्रेट के आदमी की प्रसंशा नहीं की जाती। फिर क्या दस्तखत करके आये हैं, खुराणा साहब ? जल्दी जल्दी मैं कुछ आइटम्स पढ़ना चाहूंगा फिर डिटेल्स में सारी चीजें डिस्कस करूंगा:—

"Schedule —

Civil works

(a) Infrastructure

(b) on-farm development — 42%

(2) Equipment and vehiclest

(a) directly imported — 100% of foreign expenditure.

(b) Locally manufactured (ex-factory price) — 200% of local expenditure.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(c) Imported items procured locally. 70%

Fertiliser 18,700,000

Unallocated 7,700,000"

माननीय मन्त्री महोदय यह फरमाते हैं कि सारे कर्जे वसूल करेंगे। और यह किसान संघर्ष समिति वाले और किसान यूनियन वाले, यह मेरे मित्र गंगानगर में आन्दोलन कर रहे हैं। कुर्कियों पर कुर्कियों के नोटिस जा रहे हैं उनको और बड़ी सख्ती के साथ वसूलियां की जा रही हैं उन गरीब किसानों से। वे कई बार डेलिगेशन्स लेकर आये हैं मदेरणा साहब के पास, मेहरबानी करके कुर्कियां बन्द कीजिये। परन्तु क्योंकि कुर्कियों की बहार आ गई है खुराणा साहब ने 24 मई से 28 मई के अन्दर वाशिंगटन में दस्तखत कर दिये हैं।

"The Association indicated that no disbursement from the proceeds of the credit would be made for such items."

फिर है।

"GOR will also initiate the campaign to recover debts to State and local Government agencies & Co-operatives in this area in order to increase the number of farmers eligible for commercial land development loans."

जी. ओ. आर. में कर्जे वसूल कर लिया तो मैं जैसलमेर के माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं, वह क्या कल्पना करते हैं, कडाणा डैम की नहर जैसलमेर तक पहुंचेगी? चीफ सेक्रेटरी दस्तखत करके आये हैं, वाशिंगटन में दस्तखत करके आये हैं। लेकिन यह अमेरिका के फोर्ड साहब तय करेंगे कि आपकी नहर रामगढ़ तक जायेगी या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे है :

"GOR and GDR explained that it is intended to establish RLDC with an authorised share capital of Rs. 100 million and that RLDC'S share capital will be held by GOR in equal amounts."

यह भी वाशिंगटन के अन्दर तय हुआ जिसके आधार पर आप बिल बनाकर लाये और आपने फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम दिया है। यह वाशिंगटन में साइन हो चुके थे। बाद में गवर्नर साहब के दस्तखत करा कर अध्यादेश जारी किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आगे कभी मरम्मत की बात होगी तो अभी तक तो चीफ मिनिस्टर साहब के लिए मरम्मत कराना एक मामूली चीज थी, किसी तरीके से करा सकते थे। लेकिन अब यह कहा गया है कि रिपेयर्स भी हमसे करानी पड़ेगी। इक्विपमेंट एण्ड व्हीकल यहां बनाते हैं, लेकिन नहीं खरीद सकते हैं आप। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी साइन करके आये हैं। वाटर रेट्स भी वही इन्क्रीज करेंगे, वह वाटर रेट्स भी अब आपके हाथ में नहीं रही हैं।

"Not later than June 30, 1976 levy and collect irrigation charges

(श्री यागेन्द्रनाथ हांडा)

from farmers in the Project Area in amounts sufficient to cover the annual cost of operating and maintaining the irrigation system in the said area."

मैं अपने किसान संघर्ष समिति के प्रो. केदारनाथ जी से कहता हूं, वह तर्क की बात करते हैं। उनको बताना चाहता हूं। वह कहते हैं कि गंगानगर में सिचाई की रेटस 3 गुना बढ़ गई हैं। अब यह आपकी ऑथोरिटी की बात नहीं है। वाशिंगटन के अन्दर साइन हो गये यह एग्रीमेंट है। रेट्स इन्क्रीज होने से जो पैसा आयेगा वह उसके खर्च में जायेगा। आप चाहें, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके अन्दर क्लीयर्ली यह है कि कहीं भी वर्ल्ड बैंक यह महसूस करेगी, किसी भी शर्त के बारे में तो वह आपको नोटिस देकर ऐड वापिस ले सकती है। जैसा कि और जगहों में भी किया है। जैसे कि राजस्थान में (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मेरे पास काफी मसाला है। मैं सारे तथ्य रखना चाहता हूं।

एक निवेदन करूंगा, यह नहर 400 मील पंजाब के अन्दर और 330 मील राजस्थान एरिया के अन्दर जाती है। 750 मील का लम्बा बोर्डर राजस्थान का है। 30 मील तो राजस्थान के बोर्डर के पैरेलल चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका के नापाक इरादे अब जाहिर हो चुके हैं। सिवाय न्यूक्लीयर हथियार के और सारे हथियार पाकिस्तान को दिये जा रहे हैं। मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अन्दर क्या क्या है? सारे आपके बोर्डर का नक्शा दिया है। माननीय सदस्यों को मैं पढ़ कर सुनाऊंगा कि कैसी गम्भीर स्थिति में आप हैं। आपकी टोटल स्थिति का एक्सपोज कर दिया गया है।

फिर आप गरीब किसानों को देखिये। सारा क्षेत्र सरकारी है। 36 लाख एकड़ में इर्रीगेशन होता है। 90% गवर्नमेंट लैण्ड है। अगर आप शर्तों के अनुसार लैण्ड लेवलिंग नहीं करते हैं, नाका नहीं बनाते हैं तो उसके लिए पैनल्टी का पनिशमेण्ट है। ड्रेनेज में उससे ज्यादा है। यानि 6 महीने की सजा है। आपने 15 साल में जमीन का कर्ज चुकाया है। आपको कह रहे हैं कि पर्टीक्युलर पीरियड में खाला बांधो। उससे ज्यादा हो जाये तो वह पैसा देने वाले नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह 90% भूमि किसानों के लिए दी यह आप छाती फुलाकर कहते हैं। 30% हरिजनों, 30% अनुसूचित जातियों को वह आपने कर दी। क्या आप उससे रिकवर करेंगे? री-एलाइनमैंट करेंगे या रिकवर करेंगे या यों कहा जाये कि सारी की सारी धरती इजेक्ट कराना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 70% काम आपको कॉन्ट्रेक्टर्स से कराना पड़ेगा। फिर केवल 30% काम ही बचता है। यह स्थिति है आपकी कुछ करोड़ रुपयों के लिए आप किसानों और आपकी स्वतन्त्रता को विदेशी कब्र में दफन कर देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए निवेदन है, यह भूमि विकास योजना के लिए निगम की व्यवस्था करने के लिए बिल लाया जा रहा है, भूमि विकास निगम बनाने के लिए। मेरा निवेदन है, विभिन्न तरीकों से सरकार काश्तकारों के लिए ऋण की व्यवस्था कर रही है, यह उचित नहीं है। एक तरफ भूमि विकास बैंक, भूमि बंधक बक, कोआॅपरेटिव बैंक और पंचायत समितियों के द्वारा काश्तकारों को कई तरह के ऋण दिए जा रहे हैं, जिनसे परेशानी पैदा हो रही है और काश्तकारों के सामने भी कई दिक्कतें आती हैं ऋण लेने और देने के अन्दर, दूसरी तरफ इस बिल के द्वारा आप भूमि विकास निगम की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस बिल के अन्दर सारी विकास योजनायें हों और फिर काश्तकारों को ऋण देने की व्यवस्था होती, एक कम्प्लीट बिल लाकर काश्तकारों को ऋण दिलाने की व्यवस्था होती तो अच्छा होता। इसके साथ ही इसका नाम रखना है तो चम्बल और दूसरे प्रोजेक्ट है, उनके नाम पर रखना चाहिए था। आपने इसका राजस्थान भूमि विकास निगम नाम रखा है। अगर आप पूरा का पूरा बिल लाते और पास कराते तो उचित होगा। यह अधुरा बिल है, इसलिए अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्री रतीराम यादव !

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री मालाराम !

(अनुपस्थित)

माननीय मन्त्री जी !

श्री शिवचरण माथुर : मानीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान भूमि विकास निगम का बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत है और इस बिल को अस्वीकार करने के लिए····

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डिनेन्स !

श्री शिवचरण माथुर : आॅर्डिनेन्स को अस्वीकार करने के लिए माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है, आॅर्डिनेन्स के सम्बन्ध में कुछ आशंकायें व्यक्त की गई हैं। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां यह बात कही कि इसमें राजस्थान का नाम तो लिख दिया लेकिन कुछ सीमित क्षेत्रों में ही खण्ड 20 के अन्तर्गत प्रोजेक्ट बनाने वाली बात यहां पर कही गई है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह निगम बनेगा,

(श्री शिवचरण माथुर)

इसके आधार पर राजस्थान भर में जहां जहां भी सम्भावना उत्पन्न हो गई है, इस तरह के प्रोजेक्ट लिए जायेंगे और व्यापक रूप से इसके अन्तर्गत राजस्थान की सीमा को ही रखना एक प्रकार से उचित है। इस निगम के अन्तर्गत केवल, माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट हो जाना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट को लेकर काम करने की धारणा नहीं है, बल्कि सारे राजस्थान में प्रोजेक्ट लेकर निगम के माध्यम से काम करने की भावना एक प्रकार से है। उनकी धारणा है कि राजस्थान का नाम रखा गया है लेकिन उसके बाद में केवल दो योजनाओं को हाथ में लेने की बात स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कही गई है। हमारे सामने कुछ प्रोजेक्ट थे, जिनके लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था, इसलिए उसका जिक्र किया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोर्पोरेशन के जरिए, निगम के माध्यम से दूसरी बैंक हैं हमारे देश की, उस देश की, उनके फाइनेन्स को इन्वॉल्व करके राजस्थान में जहां जहां अलग अलग तरह की सम्भावनायें उपलब्ध हैं, उनका व्यापक उपयोग करके करना चाहते हैं। इसलिए यह बिल रखा गया है। मैं नहीं समझता हूं यह धारणा बनायें कि यह सीमित क्षेत्र में काम करेगा, इन्हें नहीं रखा है। यह वास्तव में शंका नहीं रखनी चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड के गठन में आमतौर से अधिकारियों को रखा गया है, इसमें अलग अलग धारा हैं, पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राज्य सरकार के अधिकारी होंगे, तीन भारत सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत हैं, उसके अलावा विशेषज्ञ हैं। इसमें राजनेताओं का प्रवेश करा दिया जाएगा, मैं समझता हूं, यह शंका निर्मूल और निराधार है। इसमें मूलतः कोशिश की गई है एक अवधिमूलक प्रोजेक्ट लेकर, टाइम बाउन्ड प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी टार्जेट को अचीव कर सकें, इसलिए प्रारम्भ में नॉमीनेट करने की बात कही गई है। इसमें विशेषज्ञों के जरिये राजनेताओं को प्रविष्ट करा दिया जायगा—यह धारणा सही नहीं है। विशेषज्ञों की बात कही गई है, उसमें इनरजेटिक और एक्सपर्ट की बात कही गई है। मैं समझता हूं, अभी लोगों को नॉमिनेट किया है, उन लोगों को नॉमिनेट किया है, जो कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। पहले बोर्ड का गठन हो चुका है, उसमें सीधी साफ बात है, कृषि विशेषज्ञों को नॉमिनेट किया गया है। इसलिए यह भी धारणा निर्मूल है।

कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों के बारे में कहा, मैं समझता हूं, कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वाले ही नहीं और लोग भी हो सकते हैं। खासतौर से कृषि के क्षेत्र में कमजोर वर्ग की बात करते हैं तो कम भूमि वालों पर निगाह जाती है। अभी इस सम्बन्ध में डिसीजन नहीं किया गया है। हम डिसीजन करेंगे कि कौन कौन से लोग कमजोर वर्ग में आते हैं और उनका प्रतिनिधि रखना चाहिये। इसमें भी यह मन्शा नहीं है कि कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों में राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों को शामिल कर दें। एक बात

(श्री शिवचरण माथुर)

आपने देखी होगी, विशेष रूप से जिस क्षेत्र का प्रोजेक्ट होगा, उस क्षेत्र से व्यक्ति आयेंगे। इसलिए यह धारणा भी निर्मूल है और इसका कारण समझ में नहीं आता।

जयपुर से आने वाले माननीय मोहम्मद गफ्फार अली ने कहा, इस मुहायदे के होने के पहले पॉलिटिकल पार्टीज से सलाह लेनी चाहिए थी। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे देश की नीति रही है कि इस देश के विकास के लिए हम दुनिया के सारे देश, उन्नतिशील देश, प्रगतिशील देश, जिनकी स्थिति अच्छी है, से जितनी सहायता मिल सके, उसको लेने वाली बात करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, इसमें हर तरह की पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन जानने वाले लोगों से सलाह लेकर, जिसमें अमेरिकन कन्ट्री हो सकते हैं, वेस्ट यूरोपियन कन्ट्री, समाजवादी कन्ट्री हो सकते हैं, हर तरह के मुल्कों से सहायता विकास में ली है, वह नीति, अपनी जो विदेश नीति है, जिसमें इस बात को माना है, हम अपने विकास के लिए किसी देश से सहायता ले सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त पर नहीं, अपनी शर्त पर लेना चाहते हैं और अपने देश की आजादी में किसी का व्यवधान नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने ऐसे कई अनुबन्ध, जो दुनिया के कई अलग अलग देशों से किये हैं, उसके अन्दर किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुहायदा करने से पहले पूछा जाय, रूस से करें तो देश की दक्षिणपंथी पार्टी हैं वह कहेंगी, क्यों मुहायदा किया, क्यों अनुबन्ध किया। समझ में नहीं आता, सारे अनुबन्ध होते हैं, वह भारत सरकार की वैल डिफाइण्ड नीति के अनुसार होते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार कसौटी पर यह नीति कसी जा चुकी है। कई बार इस बात की शंका की गई है कि अमेरिका से सहायता ली जायेगी तो अमेरिका के गुलाम हो जायेंगे, अमेरिका हम पर हावी हो जायगा। माननीय सदस्य जानते हैं, कई देशों से कई प्रोजेक्ट में सहायता ली है। वर्ल्ड बैंक की बात कही, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरों ने कही, वर्ल्ड बैंक से सहायता लेना तो मूलतः स्ट्रिंग्स में बंधना है, अमेरिका हावी हो जायगा। मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं, न केवल राजस्थान कैनाल, चम्बल प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लिया है, मैं कहूं कि कई प्रोजेक्ट में ली है सहायता। माननीय सदस्य जानते हैं, आजादी के बाद रेल्वे का विकास हुआ, रेल्वे का काफी, बड़ा डीजलाईजेशन हुआ, उसमें विश्व बैंक की सहायता ली है। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में इस प्रकार के प्रोजेक्ट जब हाथ में लिए तो उनको मदद मिली है और अपनी शर्त के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में विकास किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हालत, आर्थिक हालत सीमित है, योजना के मद में पैसे की बहुत कमी है। चारों तरफ सवाल उठता है, राजस्थान कैनाल की पहली स्टेज को पूरा करने के लिए और दूसरी स्टेज लेने के लिए बात करते हैं। लेकिन आर्थिक साधनों की सीमा हमारे बीच में आती है। सीमित साधनों के होते हुए, हमारे प्लान में कम गुंजाइश होते हुए भी हम तेजी से विकास की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जाहिरी तौर से दूसरे सोर्सेज से मदद लेनी पड़ेगी, वह अपनी शर्त

(श्री शिवचरण माथुर)

पर लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह कहना कि वर्ल्ड बैंक की मदद आने से हमारे यहां बहुत बड़ा कहर आ जायगा और राजस्थान की आर्थिक नीति पर गहरा असर पड़ेगा और राजनैतिक आधार पर बंध जायेंगे। मैं समझता हूं, यह धारणा बेबुनियाद है और मैंने जैसा निवेदन किया, एक बार नहीं अनेक बार आजादी के बाद इस नीति को कसौटी पर कसा गया है हमने अपनी शर्तों पर दुनिया के बहुत से देशों से मदद ली है, विश्व बैंक की मदद भी केवल हमने नहीं ली है लेकिन एशिया व अफ्रीका के जितने विकासशील देश हैं उन्होंने भी ली है। आप कहेंगे कि विश्व बैंक में अमेरिका डॉमीनेट करता है। हो सकता है लेकिन उसमें बहुत से देशों की पूंजी है और हमारा देश भी उसका सदस्य है और कन्ट्रीब्यूट करता है। उसका जो एग्जीक्यूटिव डाईरेक्टर है वह भारतीय है श्री बी. एन. सेन। बहुत से अरब देशों के उसमें शेयर्स हैं और पूर्व यूरोपियन देश जैसे युगास्लेविया और रोमानिया, उन्होंने भी विश्व बैंक में हिस्सा लिया है और वे भी सदस्य हैं। इसलिये यह कहना कि विश्व बैंक से सहायता लेकर हम देश की आजादी को खतरे में डालेंगे, ऐसा नहीं है। प्रधान मंत्री और देश के नेताओं ने अपनी विदेश नीति के बारे में अनेक बार कहा है कि कहीं से भी मदद लें लेकिन उससे विदेश नीति में फर्क नहीं आयेगा। अगर एक ही देश से मदद लें तो फिर तो हमारी गुटनिर्पेक्ष नीति है उसमें फर्क पड़ता है। इसलिए इस बात को अलग रख कर काम करते हैं। कोई राजनैतिक आधार नहीं मानते। हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सीलरेट करने के लिए, ऐसी पोजीशन को प्राप्त करने के लिए कि जिससे हमेशा पड़ने वाला अकाल मिट जाए, हम यह मदद लेते हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं चम्बल और राजस्थान कैनाल। उनमें यदि तेजी से विकास नहीं होगा तो जो कुछ करोड़ रुपया हमने खर्च किए हैं उसका सही लाभ न तो वहां के निवासियों को मिल पाएगा, न राजस्थान को मिलेगा। इसलिए जो 13-14 बातें चम्बल एरिया में देख चुके हैं, वहां जो खराबियां हो रहीं हैं उनका लाभ राजस्थान कैनाल या दूसरे प्रोजेक्ट्स में न उठायें तो सही नहीं होगा। हमने जो कुछ कार्य किए उसके आधार पर हमने जो नई नीतियां बनाई तो इस बात की गुंजाइश रखी कि हम पानी का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें हम किसान की इन्कम बढ़ाने की इच्छा करते हैं। किसान की आर्थिक स्थिति यह नहीं है कि वह अपने साधनों से, चाहे राजस्थान कैनाल से पानी उसके खेत को पहुंच जाए, एस्योर्ड वाटर सप्लाई पहुंच जाए, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि सही रूप से वह सैण्ड ड्यून्स को ठीक कर सके, वाटर कोर्स को पक्का कर सके और सीपेज को पक्का कर अधिक से अधिक पानी का उपयोग कर सके। इसलिए कोशिश की गई कि विश्व बैंक की सहायता के जरिए और उसके बाद में जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके जरिए राजस्थान में जहां जहां कमांड एरिया डवलमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं उनको करना चाहते हैं। इसलिए इस निगम को बनाने का मूल आधार यह है कि हम निश्चित योजना के अन्तर्गत

(श्री शिवचरण माथुर)

किसी प्रोजेक्ट कमांड के अन्दर आने वाले एरियाज में बहुत साइंटीफिक तरीके से वैज्ञानिक आधार पर सारे क्षेत्र का विकास करें और किसान की हैसियत को बढ़ा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम बनाया जा रहा है। उसमें सामूहिक रूप से कुछ लोगों को बाध्य करें जो नहीं चाहते विकास की गति को आगे बढ़ाया जाय तो ऐसे सख्त कदम उठाने की बातें आती है। वह अलग अलग खंडशः विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कुछ एक निश्चित क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए हमने सामूहिक रूप से उस क्षेत्र में आने वाले सभी किसानों को इस बात के लिए मजबूर करने वाली बात तो कही है। मान लीजिए 50 आदमी चाहते हैं कि विकास हो और 5 चाहते हैं कि विकास न हो तो विकास को नहीं रोका जा सकेगा।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जबर्दस्ती किसान को बाध्य करके परेशान किया जा रहा है, मैं उसको परेशानी नहीं मानता। उसका आधार यह है कि सारे क्षेत्र का विकास करने के लिए उन लोगों से कहा जाता है कि आपके पास यदि साधन नहीं हैं तो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और उनसे आपकी इन्क्रीमेंटल इन्कम बढ़ाना चाहते हैं जिससे बैंक का जो पैसा मिले उसको वापस चुका सकें। इससे उसके खेत का उत्पादन भी बढ़ेगा, सारे राजस्थान का उत्पादन भी बढ़ेगा। सारे प्रोजेक्ट-रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में कितनी आमदनी अलग अलग क्षेत्रों से कितनी कितनी बढ़ेगी और आने वाले 10 सालों में कितना उत्पादन बढ़ेगा और जो धारणा व्यक्त की गई है उसका कोई आधार नहीं है।

दूसरी बात कही गई कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वाशिंगटन में हस्ताक्षर हो गए उसके बाद राज्यपाल के दस्तखत करवाकर अध्यादेश निकाला गया। कोई भी एग्रीमेंट बाहर से होता है तो उसमें कुछ बातों पर चर्चा होती है और एक मेमोरेण्डम आफ अंडरस्टैंडिंग बनता है उसके अनुकूल शर्तें होती हैं जिनको बाद में पूरा किया जाता है। उसमें एक शर्त यह थी कि एक ऐसी अथोरिटी बनाई जाएगी जो ए. आर. सी. और बैंकों से पैसा लेगी। अगर किसी सरकारी विभाग से लेने की बात करते तो कई दिक्कतें थीं। इसलिए मेमोरेण्डम में सभी बातें थीं कि इस निगम का भी निर्माण किया जाएगा। उसके आधार पर यह मानना और इच्छा करना कि सारे बैंकों से आने वाले पैसे को रूट करने के लिए सैल्फ कन्टेन्ड अथोरिटी हो, जो बहुत शीघ्रता से सारे पैसे को इकट्ठा करके निश्चित आधार पर किसानों को बांट सके, इसमें गलत बात नहीं है। इसके लिए मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले साइन होना कोई गलत बात नहीं है। उस समय विधान सभा सत्र नहीं था इसलिए हमने अध्यादेश को लागू किया और अब इस अध्यादेश को बिल के रूप में आपके सामने दे सके हैं। बाकी यह कहना कि मेमोरेण्डम पहले साइन हो गया और राज्यपाल के दस्तखत बाद में किए गए, इसमें वैधानिक आपत्ति नहीं है। हर एक एग्रीमेंट के साथ ऐसा

(श्री शिवचरण माथुर)

होता है, एक बार एग्रीमेंट होता है उसकी पूर्ति के लिए बाद में कानूनी कार्यवाही होती है।

दूसरी बातें जो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं जब खंडशः विचार किया जाएगा तब उस पर अलग जवाब दूंगा लेकिन हमने इस विश्व बैंक की सहायता को लेकर कहीं पर भी आजादी को खतरे में डालने वाली बात नहीं की है, न सीक्रेटस, जो सीमाओं पर स्ट्रेटेजी के अनुसार हैं, किसी देश को दिए हैं। हमने अपने ढंग से प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करके उसमें यह किया है कि जहां जहां काम बढ़ते हैं, उसमें कौन कौनसी मशीनरी काम में आती है, बाद में अनुभव के आधार पर तय करेंगे। यह सही है कि यदि कोई आपको सहायता देता है, तो उसकी शर्तें होती हैं। बाकी यह कहना कि हमने अपनी आजादी को खतरे में डाला है यह सही नहीं है। अतः माननीय सदस्य के प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूं और उसको अस्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि परिनियत संकल्प कि "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि विकास निगम अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 20 सन् 1974) को अस्वीकार करता है" को स्वीकार किया जाये।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता। I claim division.

(मत-विभाजन-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि परिनियत संकल्प कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि विकास निगम अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 20, सन् 1974) को अस्वीकार करता है।" को स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं और मेरी पार्टी एज ए प्रोटेस्ट वाक आउट करते हैं।

And I tear this Ordinance in the House.

श्री फूलचन्द जैन : Most undemocratic.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I will tear it.

श्री फूलचन्द जैन : Most undemocratic behaviour.

श्री खेतसिंह : आज तो वापिस मत पधारें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (जाते-जाते) आयेंगे।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने ऑर्डिनेन्स की प्रति टुकड़े-टुकड़े कर सदन में फेंक कर दल के सदस्यों सहित बहिर्गमन किया)

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव:

[प्रस्ताव : "राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष, इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करवाना मैं इसलिये चाहता हूं कि आज भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने........

श्री खेतसिंह : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के वापिस सदन में आने पर) : आ गये आप ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस विधेयक का हर स्टेज पर मुकाबला करेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : जनसंघ से समझौता हो गया क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि इस समय जब कि समाचार पत्रों में भी यह रोजाना आ रहा है, इस सदन में भी पहले आया था और लोक सभा में यह बात हुई है और हमारे देश की प्रधान मंत्री ने भी अपना दौरा स्थगित किया है, उस वक्त मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अमेरिका से सहायता लेकर जो राजस्थान में खर्च करना चाहते हैं वह इस समय खर्च नहीं किया जाय । यह बदली हुई परिस्थितियों की मांग है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वर्गीय बापूजी ने भी कहा था । उन्होंने भी कहा था कि "इस देश को रखना मेरे बच्चों सम्भाल के" ।

श्री दीपंकर : आज गांधीजी का असर बहुत अच्छा हुआ है आप पर ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज अगर कोई देश की बात है तो आपको भी उसका समर्थन करना चाहिये, यह बदली हुई परिस्थितियों की मांग है । इसमें कोई हठ की बात नहीं है । क्योंकि विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया इसलिये उसको पारित कराना ही है, यह हठ ठीक नहीं है, यह गलत है । अमेरिका से सम्बन्ध पहले हमारे अच्छे होंगे, भारत के सम्बन्ध उस समय अच्छे थे । लेकिन आज अमेरिका हमारे पड़ौसी राज्य पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, और वह हथियार हमारी भारत माता के खिलाफ ही काम में आने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि कन्ट्री फर्स्ट और यह सब चीज बाद में । आपको इस कुर्सी का मोह छोड़ कर भारत माता की रक्षा की तरफ देखना पड़ेगा । अगर कोई मुल्क हमसे गद्दारी कर रहा है तो हमें उस पर विचार करना होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें विचार करना पड़ेगा और आज की बदली हुई परिस्थियों में हमें यह चाहिये कि इस बिल को जलदबाजी में पास न करें । इसको

Page No 72

(72)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
जनमत जानने हेतु प्रसारित करें तो अच्छा होगा। किसी स्थान पर 58 प्रतिशत योगदान, कहीं पर 70 प्रतिशत योगदान अमेरिका देगा और मंत्रीजी ने कहा कि किसानों की बहबूदी के लिये टैंक्स बनेंगे, नाले बनेंगे, जमीन उपजाऊ हो जायगी। यह उपदेश तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो राजस्थान का प्रदेश है उसकी स्थिति दूसरे प्रदेशों से भिन्न है, हमारी स्थिति दूसरी है। हमारा राजस्थान एक सीमावर्ती प्रदेश है और पाकिस्तान की सीमा हमारी सीमाओं से जुड़ी हुई है। पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो पाकिस्तान ने हमारा भूमि को दबा लिया। सबसे बड़ा खतरा और नुकसान यदि किसी प्रदेश को हुआ है तो वह राजस्थान को हुआ है। राजस्थान के लोगों को अधिक कुर्बानियां देनी पड़ीं, और राजस्थान के सैनिकों को ही सब से ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और वे पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत के प्रहरी के रूप में खड़े हैं। अमेरिका का जो पक्षपातपूर्ण रुख है वह ठीक नहीं है और किसानों के नाम से आपको वह लोन दे रहा है इसलिये माननीय कृषि मंत्री अमेरिका की वकालत कर रहे हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में वह ठीक नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने अमेरिका की कोई वकालत नहीं की।

श्री फूलचन्द जैन : इन्होंने तो विश्व बैंक की बात कही।

गिरधारीलाल भार्गव : बैंक के जो चेयरमैन हैं, उनकी आपने वकालात की है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। वैसे तो प्रावधान यह है कि जो भी माननीय सदस्य बोलें वह अपनी सीट से ही बोलें, और आप दूसरी जगह से बोल रहे हैं इसलिए कई माननीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव अपने आसन पर गये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक आदमी का मानस परिवर्तन हो रहा था, आपने क्यों रोक दिया ?

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भारत सरकार ने सब से पहले इस बात को शुरू किया, और कई भाई जो आपकी तरफ बैठे हैं उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है, यदि मैं उनके पास भी जाकर बैठूं तो कोई छुआछूत की बात नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमें विचार करना पड़ेगा क्योंकि आखिर हमारा सीमावर्ती प्रदेश हैं और यह वह ही राजस्थान है जिसने भूखा मरना स्वीकार किया लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाये।

आपको ध्यान होगा कृषि मन्त्री जी, आप भी राजस्थानी हैं मैं भी राजस्थानी हूं यह राजस्थान की विधान सभा है। महाराणा प्रताप और कहीं पैदा नहीं हुये, इसी भूमि पर हुये थे। महाराणा प्रताप ने ऐश आराम छोड़ कर घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना स्वीकार नहीं किया। आज हम इस बात का गौरव अनुभव करते हैं। यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
राजस्थान की विधान सभा है इसलिये महाराणा प्रताप····

(व्यवधान अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : भामाशाह ने महाराणा प्रताप को····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिये मेरा निवेदन है अमेरिका से भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। नक्शे हम उनको देंगे और देने के बाद जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है तो दो तरह के नक्शे उनके पास होंगे हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो युद्ध होने की स्थिति में वर्ल्ड बैंक के लोग यहां आयेंगे और यहां पर क्या लूपहोल हैं इसकी जानकारी करेंगे। मैं समझता हूं, उस समय क्या हालत होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा किसान के नाम पर इस बात का चिन्तन करना चाहिये।

अब मैं इस बिल के बारे में जनमत जानने हेतु और पिछली बात को न दोहराते हुये निवेदन करूंगा। मैंने वीकर सैक्शन की जो बात की है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को यदि स्पेसिफिक रूप से कर दें तो मैं समझता हूं आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार स्माल फारमर 500 बीघे वाला होगा, कितना वाला होगा यह स्पष्ट नहीं किया है और जो मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, इसे कृषि के आधार पर और फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन के आधार पर निश्चित रूप से जोड़ा है। यह एक्सपीरियेन्स के नाते होगा आप उसको प्रविष्ट करने वाले हैं। इसमें यह है।

"9. Disqualifications for being a director of the corporation—"

इसमें लिखा है।

"No person shall be a director who—

(a) is, or at any time has been, adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or"

यह बात तो समझ में आई है कि इनसोल्वेन्ट हो गया तो डाइरेक्टर नहीं होगा और····

"....or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors.

यदि किसान यानि वीकर सैक्शन का आदमी अपने कर्ज को पोस्टपोन कर देता है कहता है, बाद में दे दूंगा। किसी आदमी विशेष से कर्जा लिया है और कर्जा नहीं चुका सकता है और कहता है बाद वाले महिने में यानि आने वाले कुछ महिनों में दूंगा तो आपने उसको डिसक्वालिफाई कर दिया।

"........or has compounded with his creditors;"

या कर्ज देने में कुछ कमी बेशी करके बराबर हो गया तो वह भी डिसक्वालिफाई हो गया। राजस्थान का बेचारा गरीब किसान चाहे, वह अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जन जाति या आदिवासी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो वह कहता है मुझे माफ करो, मैं दो महिने बाद दे दूंगा, वह भी डिसक्वालिफाई हो गया यानि राजीनामा कर लिया तो वह भी डाइरेक्टर नहीं बन सकेगा। इतनी निकम्मी डिस-क्वालिफिकेशन की परिभाषा की है। दूसरे में लिखा है............

"(c) is or has been convicted of any offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude."

यानि निवेदन करना है एक आदमी ने चोरी की वह बुराई है इसमें कोई दो राय नहीं है पर चोर भी यदि आपकी निगाह में अच्छा है तो आप कह देंगे तुम डाइरेक्टर बन सकते हो यानि राज्य सरकार इसको चोरी नहीं समझती है। यानि चोर को भी आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का अधिकार है मैं समझता हूं यह भी किसी तरह मुनासिब नहीं है।

अब डिस-क्वालिफिकेशन के बाद में प्रार्थना करना चाहता हूं

"Preventive action and penalties."

जो क्लॉज रखा है। इसमें रखा है स्टोपेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन

"(1) If land holder—

(i) fails to provide funds to the corporation within the period allowed to him for meeting proportionate cost of works; or"

आपसे पैसा ले लिया और आपने काम कर लिया, खेती कर ली, टैंक बन गया नालियां बना ली और आप जब चाहें तब पानी की सप्लाई बन्द कर सकते हैं। इसमें लिखा है.......

"(ii) has failed to pay more than two consecutive instalments of the proportionate cost of works or of the special loan, as the case may be; or

(iii) obstructs the execution of any works;"

तीन में लिखा है—यदि उसने दो किश्तें वापिस नहीं चुकाई तो आप क्या काम करेंगे।

"the regional manager may make a request in writing to the Collector for issue of an order to the Divisional Irrigation Officer having jurisdiction over the land holding in question, to forthwith discontinue supply of irrigation water to the land holding of such land holder, and the Collector shall issue such order to the Divisional Irrigation Officer concerned."

यानि आपकी सारी महिमा बराबर हो गई। दो किश्तें गरीब नहीं दे सके तो उसके दो किश्त नहीं देने पर आपने पानी की सप्लाई

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का बन्द कर दिया। यह कौनसे कानून में है ? सैक्शन (60) में यह लिखा हुआ है कि काश्तकार की कोई भी वस्तु को सरकार कुर्क नहीं कर सकती है। सरकार काश्तकार के बैल कुर्क नहीं कर सकती है, बीज कुर्क नहीं कर सकती है, जेवर कुर्क नहीं कर सकती है, फसल कुर्क नहीं कर सकती है, गाय कुर्क नहीं कर सकती है, बर्तन और कपड़े कुर्क नहीं कर सकती है। यह सी. पी. सी. का उदाहरण दिया है और राजस्थान कृषि निवारण अधिनियम और बनाया था पिछले सत्र में तो मेरा निवेदन है सी. पी. सी. के तहत भी और दोनों के तहत होता यह है कि किसान की कुर्की करनी है तो कुर्की पहले नहीं होगी। पहले अदालत फैसला करेगी कि कितनी किश्तों में बांटा जाय यह माना जाय कि 10 किश्तों में पैसा दे देगा और यदि 10 किश्तों में पैसा नहीं देगा तो सी. पी. सी. का नियम है कुर्की होगी दोनों में नियम है। मेरा निवेदन करना यह है कि यदि पानी को बन्द कर देंगे तो जो उद्देश्य आप चाहते हैं खेती हो, उन्नति हो, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उन्नति नहीं होगी।

अच्छा यह है उसकी फसल को ही कुर्क कर दें। फसल तो पैदा होने दें, पानी का कनेक्शन नहीं काटें और कह दें तेरी खेती हो जायगी तब जो पैसा है पहली इस फसल की आय में से पैसा काटा जायगा तो मैं समझता हूं न तो राज्य सरकार को नुकसान होगा और न किसान को नुकसान होगा। जो किसान पर नंगी तलवार लटका दी है कि दो किश्त नहीं आयें तो तुझे डिस-क्वालिफाई कर देंगे, मैं समझता हूं किसी प्रकार उचित नहीं है। आज बीज महंगा है, खाद महंगा है तो मैं समझता हूं दो किश्तों पर जो पेनेल्टी का क्लॉज है उसमें राजस्थान विधान सभा में जो सुविधायें दी हैं उन्हें मद्दे नजर करके आपको विचार करना चाहिये।

और जैसा आपने कहा कि मैंने तो नाम ठीक रखा है। मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था कि यह सम्पूर्ण राजस्थान में लागू होने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसके सैक्शन 20 में लिखा है कि राजस्थान सरकार जिस जिस एरिया में इस बैंक के फंक्शन को ऑपरेट करना चाहेगी करेगी। राज्य सरकार ने इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में रखा है। बाकी मैंने तो कहा था कि इसका नाम मरुस्थलीय भूमि विकास निगम रख दीजिए, पर्वतीय भूमि विकास निगम इसका नाम रख दीजिए या फिर राजस्थान भू-तल जल विकास निगम इसका नाम रख दीजिए। राजस्थान में

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है इसलिए सारी बदली हुई परिस्थितियों में मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि कन्ट्री फर्स्ट और चेयर बाद में, लेकिन यहां तो चेयर पहले और देश जाये भाड़ में, चूल्हे में ऐसी भावना लेकर मन्त्री जी अड़े हुए हैं। और माननीय मन्त्री जी! जिस समय चीफ सैक्रेट्री गए थे उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं। उस समय अमेरिका हमारे साथ था, हमारी सहायता कर रहा था लेकिन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है और हमारा सीमावर्ती प्रान्त है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नक्शे के नाते, उनके आने जाने के नाते, वह आयेंगे, जायेंगे, नक्शों को देखेंगे, एरिया को देखेंगे बोर्डर को देखेंगे और पाकिस्तान को सूचना देंगे। महाराणा प्रताप के आप वंशज हैं, आप उनके अनुयाई हो, यह राजस्थान महाराणा प्रताप का है इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में आप महाराणा प्रताप का ध्यान रख कर इस विधेयक को पेश नहीं करके इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक विचारार्थ है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मेरा प्रस्ताव है और इसके कुछ कारण हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसके अध्यादेश को पहले जारी किया था राजस्थान सरकार ने बहुत से एक्सपर्ट्स बैठाये होंगे, अपने विशेषज्ञों की राय ली होगी और साथ ही साथ बाहर भी जो भेजे, बड़े योग्य व्यक्ति भेजे जिन्होंने विश्व बैंक के लोगों से और विश्व बैंक के ऊपर जिनका प्रभाव है ऐसे प्रभावशाली राजनीतिज्ञों से भी चर्चायें की होंगी लेकिन कई तरह की शंकायें इस बिल को देख कर खड़ी हो रही हैं।

एक तो यह जो कहा जा रहा है कि यह समस्त राजस्थान में लागू होगा ऐसा परिभाषा में है लेकिन उद्देश्यों और कारणों का जो विवरण है उसमें विशेषतया राजस्थान नहर और चम्बल इन दो क्षेत्रों के कमाण्ड एरिया को डवलप करने के लिए ही शायद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की यात्रा हुई और उद्देश्य यही था कि राजस्थान में हमारे पास में यह दो हो योजनायें ऐसी हैं जिनके डवलपमेन्ट के लिए हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसा मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार के पास सिंचाई के और भी कोई बन्धों के नक्शे या योजना या सर्वे रिपोर्ट या इस तरह की कोई चीज है नहीं, जिसका वर्णन इसमें है नहीं और यह कह कर छोड़ दिया कि और जगह भी ऐसी योजनायें होंगी तो हम इसको लागू करेंगे। अच्छा हो यदि उनके ध्यान में कोई माननीय सदस्य योजना लायें या वहां की जनता लाये या वहां की जनता की आवश्यकता उभर कर आए और उस पर विचार करें लेकिन इसमें शक नहीं कि जितना भी पैसा आना है वह दो योजनाओं के कमाण्ड एरिया में लाना है। जिस तरह से इस सदन के माननीय सदस्य श्री हांडा जी ने जिक्र किया कि जिस तरह से इसका एग्रीमेन्ट साइन हुआ है और जिस तरह का शर्तनामा रखा गया है, जिस तरह से ड्राफ्ट वहां पहले बनाया गया है तो इसका मतलब तो यही हुआ है कि हम यहां पर बिल लाये सिर्फ एक फार्मेलिटी ऑब्जर्व करने के लिए। असल में हमारी दशा वही हो गई कि एक गरीब की शादी या गौने या भोज के निमित्त कुछ रकम की आवश्यकता पड़े। वह सेठ के पास जाय और वह सेठ चाहे जैसे लिखा लें और उसी तरह लिखकर चला आये। उसी तरीके से हमारे यहां से आने वाले प्रतिनिधि थे। उन्होंने सम्मानपूर्वक समझौता जो किया जाना चाहिये था वह नहीं किया, इसमें कतई दो राय

(श्री दीपंकर)

नहीं है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि इसका व्यवस्था अच्छा हो, हम अपने यहां पर जो अकाल पड़ता है, धान की कमी है, जनसंख्या बढ़ रही है उसको किसी तरह से बराबर करने के लिए हम उपजाऊ जमीन बनाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन हमारे राजस्थान की प्रमुख समस्यायें और भी हैं। मैं समझता हूं कि पीने के पानी की समस्या का जिस तरह का स्वरूप राजस्थान में है और आपके पश्चिमी राजस्थान की जो स्थिति है उसको देखते हुए अगर सरकार पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए कोई एग्रीमेन्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के जरिये यहां भी हो सकता है, एल. आई. सी. से भी हो सकता है—कोई ऐसा उद्देश्य पूरा किया जाता तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों का भी भला था और दोनों काम हो सकते थे और जिस एरिया में वह निगम जायेगा वहां पीने के पानी की समस्या का हल होगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान इससे वंचित हो गया, यह जान कर बड़ा भारी अफसोस है।

जहां तक यह बताया गया कि इसके लिए निगम बनेगा। तो ठीक है निगम आप बनाइये। बनाना ही चाहिए इतनी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए। उसमें जो प्रतिनिधि लिये जाने हैं उसके लिए आपने स्वतंत्र बुद्धि से विचार नहीं किया कि किस तरह के प्रतिनिधि लिये जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि उसकी अभिव्यक्ति इसके पढ़ने से नहीं होती। ऐसा मालूम पडता है कि अधिक से अधिक सरकारी अधिकारियों को और अधिक से अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो कभी भी निर्देशन आये उस पर हां कर दे और ना नहीं कर सके, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही शायद रखा गया है। चेयरमैन के लिए कहा गया कि सरकारी अधिकारी होगा और दूसरे सब कामों के लिए ज्यादातर आपने उन्हीं में विश्वास व्यक्त किया है। योजना आपने जनता की बनाई है, विकास आप भूमि का करना चाहते हैं, लाभ आप काश्तकारों को पहुंचाना चाहते हैं और उनके प्रतिनिधित्व का जो स्वरूप है वह आपने बिलकुल छिपा दिया। महज यह कहा कि हम कुछ लोगों के प्रतिनिधियों को वहां पर बैठायेंगे। तो हमारे यहां भी अच्छे काश्त के जानने वाले और अच्छे डिग्री होल्डर नहीं हैं लेकिन इसमें शक नहीं कि एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर जो कृषि का विशेषज्ञ बनता है और डिग्री लिये हुए है उससे कहीं ज्यादा योग्यता गांव का एक छोटा सा काश्तकार, जो फसल पैदा करता है, के पास है। खेती की बीमारियों के बारे में, खेत को समतल करने के बारे में, खेत में किस तरह की खाद डालना, कितना पानी देना इसके बारे में तो हमें यह मान कर चलना चाहिए कि जितनी योग्यता हमारे गांव के लोगों में है उस पर आपने अविश्वास प्रकट किया है और चेयरमैन हमने ऐसे व्यक्ति को बनाया जो कि केवल कागजी कीड़ा कहा जा सकता है और प्रेक्टिकली उसने अपने बंगले में भी फल सब्जी को पानी नहीं लगाया होगा और न किसी तरह से उसने खाद दी होगी। तो यह बड़ी भारी कमी रही है। अच्छा होता इस प्रकार की बड़ी योजना के लिए, इस प्रकार के निगम के लिए कोई मंत्री उसका चेयरमैन रखा

(श्री दीपंकर)

जाता, कोई एम. एल. ए. चेयरमैन रखा जाता। कोई और तरह का विशेषज्ञ जिसके पास जनता से सम्पर्क की कोई योजना होती इस तरह का आदमी यदि इसका चेयरमैन होता तो यह बहुत अच्छी बात रहती अन्यथा यह कोई शोभायमान नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अपने यहां पर कमी थी और सरकार ने वर्ल्ड बैंक से जाकर रुपया मांगा और रुपया मांग कर यहां काश्तकारों के लिए और भूमि को समतल बनाने, नाले बनाने और सब कामों के लिए यह कर दिया कि 30 पर्सेन्ट तक हम लोगों से करायेंगे। उसके लिए तो शायद काश्तकार को भी थोड़ी बहुत मजदूरी करनी पड़े। उसका खुद का मोह होता है, आत्मिक संबंध होता है इसलिए 30 पर्सेन्ट के बाद 70 पर्सेन्ट आप ठेका देकर करवायेंगे। यह इस तरीके की बात है जिससे मालूम पड़ता है कि यह आपके मन की बात नहीं थी। यह पैसा देने वाले विश्व बैंक के अधिकारियों की राय था कि किसी जरिये से यहां पर पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है कि इरादा सरकार का बहुत नेक है कि हमारे यहां उपज बढ़े इस कानून के जरिये से। हम जमीन की एक तरह से लेवलिंग करें, ज्यादा उपज बढ़ायें। काश्तकारों को हम अधिक से अधिक सुविधा दें सरकार का नेक इरादा है। उसी तरह से अगर कोई तरीके से योजना बनती है, उनका इरादा कितना ही नेक हो, लेकिन जो प्रयोग हो रहे है, आज इस वर्ल्ड बैंक से जो एग्रीमैंट हो रहा है, मुझे इस पर विचार जाहिर करने में कतई झिझक नहीं है, किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा बोर्डर हमारे साथ लगता है उस जगह किस तरह से ठेकेदार आते हैं और किस तरह से सी. आई. ए. के कार्य चलते हैं, उन लोगों की राय, उनके ठेकेदारों का आना, एक्सपर्ट के रूप में आना, देखने वालों के रूप में आना, यह सब हमारे लिए संकट का कारण हो सकता है। क्या ही अच्छा होता यदि हम इस योजना के बजाय, एक विकास के नाम पर काश्तकारों के नाम पर कर्जा मढ़ दें, यह अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप नहर को लम्बी ले जाते हैं और नहर के सहारे सारे बार्डर को मजबूत कर देते तो जमीन का लेवलिंग तो अपने आप कर देते काश्तकार। आज भी लोग-बाग गर्मी के दिनों में कम उपज वाली खेतों में खाद डालते हैं इसलिए कि जमीन उड़ नहीं जाय इसलिए तिल लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं और भी कई चीजों को करते हैं। काश्तकार का आप कह सकते हैं कि हम इस एरिया में डवलपमैंट

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करायेंगे, जिस तरह से आपने कहा है उस तरह से विकास करायेंगे तो वह खुद ही कर देते। ठेकेदारों के द्वारा करवाना समझ में नहीं आता। एक काश्तकार ठेकेदार को कहेगा कि मेरे टाने को बराबर कर दो, मेरे खेत का हिस्सा बराबर कर दो और दूसरी तरफ वह कहेगा कि हमने कर दिया वही ठीक है। ठेकेदारों के जा कार्य होते हैं, सड़कों पर जिस तरह के कार्य होते हैं और दूसरे कामों के बारे में जो अनुभव

(श्री दीपंकर)
सदन के अन्दर आते हैं वह कोई अच्छे अनुभव नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं सरकार से अर्ज कर रहा हूं थोड़े में....

श्री उपाध्यक्ष : जब खण्डश: विचार करेंगे तब कहियेगा।

श्री दीपकर : उस वक्त तो हमारे साथी हैं वे ही काफी हैं। बहुत बड़े बड़े पोथे लिए बैठे हुए हैं उन्हें ही वह समय दे दें।

तो इस तरह से मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि जो ठेकेदारों से काम करवाये जायेंगे वह बिल्कुल ठीक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरह से इसका जा उद्देश्य है, जो बाड़ों का विकास करना चाहते हैं, कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उद्देश्य बहुत पवित्र है, परन्तु वह पवित्र उद्देश्य हम किस समय और किसके जरिये पूरा करने जा रहे हैं यह एक बड़ी शंका की बात है और उसके लिए यह जरूरी हो गया है कि जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े हथियारों की, कभी जरूरत पड़े सुरक्षा परिषद् के अन्दर वोटों की तो अमरिका किधर रहता है और जब जरूरत पड़े आपका अन्न की तो अमेरिका क्या कहता है। आपको विकास के नाम पर कह कर और आपसे सहयोग करके किस तरह से सबोटेज करना चाहता है। मैं कह सकता हूं कि आपका इरादा कितना ही अच्छा हो, कितना ही नेक इरादा राज्य सरकार का हो, कितना ही अच्छा और नेक इरादा अधिकारियों का हो और भारत सरकार ने भी यह समझा होगा कि राजस्थान एक मरुस्थल इलाका है वहां डवलपमैंट हो सकेगा, कृषि की उपज बढ़ेगी, ऐसा समझ कर उन्होंने स्वीकृति दे दी है। परन्तु राजस्थान पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है और बहुत बड़ा खतरा मण्डरा रहा है। इसको कतई इन्कार नहीं करना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के आदमियों ने, जब हम एक पर्पज के लिए बंगला देश गए, उस समय सातवां बेड़ा लाकर खड़ा कर दिया, वह आज भी समुद्र में खड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एक तरफ बात करना चाहता है और दूसरी तरफ हमारे को कमजोर करने का, हमका उजाड़ने का, हमारी याजनाओं को नष्ट करने का, हम विकास नहीं कर सकें और केवल लड़ाई में ही उलझे रहें, उसका एक यह भी उद्देश्य है। फिर उन्हीं के साथ हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) कि वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का प्रभाव है, वर्ल्ड बैंक की योजनाओं के लिए अमेरिका के द्वारा पैसा दिया जाता है, मैं समझता हूं कि हमारी सम्माननीय प्रधान मंत्री ने एक बार अमेरिकी योजना को, अमेरिकी मदद को जिस प्रकार ठुकरा दिया था, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि राजस्थान की यह सम्माननीय, गौरव रखने वाली सरकार को माननीय प्रधान मंत्री महोदया से विचार विमर्श कर इस वर्ल्ड बैंक की योजना को, जिस तरह से हमारे माननीय सदस्य ने बिल को फाड़ कर फेंक दिया, उसी तरह से इसको ठुकरा देना चाहिए। यह योजना कतई हमारे हित में नहीं है, हमें खतरे में पटकने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जब भी

(श्री दीपंकर)

लड़ाई होगी तो राजस्थान के एरिया पर होगी और यहां के जवान लड़ाई में जायेंगे, वह अपना खून बहायेंगे और उनकी बहादुरी की तारीफ इसी में होगी कि हम यहां पर किस तरह की व्यवस्था करते हैं। इसलिए अमेरिका से दोस्ती हमारे कतई हित में नहीं है और जिस मशीनरी से यह काम कराने जा रहे हैं वह कतई सम्मानजनक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वर्ल्ड बैंक के मार्फत यह योजना बनाना चाहते हैं और इस योजना के तहत सब तरह के एजेण्टों को भेजना चाहते हैं और उन एजेण्टों के जरिये हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अमेरिका के एजेण्टों का जिस तरह का कार्य रहा है उसको देखते हुए साफ कह देना चाहिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी राय नहीं चाहिए, हम राय नहीं मानेंगे, आपके ठेकेदारों से काम नहीं करायेंगे, आपका कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा। अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो दीजिए, हमारे पास एक्सपर्ट है, हमारे पास में सामान है, हमारा अपना मार्केट है, हमारे पास जन शक्ति है, हमारे पास में सब तरह के काश्तकार हैं जिनका सहयोग लेकर हम अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, सम्मानजनक दृष्टि से हम उनसे काम ले सकते हैं। इस दृष्टि से इस बिल को जनता के सामने प्रचारित किया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कहेंगे तो हरएक आदमी, एवरीमैन भी, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी कह देगा कि वह अमेरिका का गुलाम बनने को तैयार नहीं है, सरकार को इस तरह का कानून कतई पास नहीं करना चाहिए और इस तरह से जो विधेयक लाये हैं उस विधेयक को हमें पास नहीं करना चाहिए। जो जल्दबाजी में हम कर रहे हैं वह नहीं करके जनता के सामने जनमत जानने हेतु प्रचारित करना चाहिए। इसमें कोई..........

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दीपंकर : समाप्त कर रहा हूं, साहब। इसमें जो धारा 50 है, 45 है, 44 है इसमें जिस तरह से कहा जाता है कि जो वहां पर काम करेगा उन सबको डिक्लेरेशन देना होगा ओथ के जरिये गोपनीयता के बारे में। क्यों यह नई क्लॉज डाली गई है? यह गोपनीयता की शपथ किनको दिलायेंगे, बाहर से आने वालों को दिलायेंगे, कर्मचारियों को दिलायेंगे? क्या आप हिन्दुस्तान के आदमी पर विश्वास नहीं करेंगे और उनको ओथ दिला कर कहेंगे कि तुम गुप्त रखोगे? हम किस बात की शपथ दिलायेंगे कि हम तुम्हारे यहां पर जमीन को बराबर करा रहे हैं, हम काश्तकार के खेत में नाली बना रहे हैं यह किसी से मत कहना। आखिर आपका इरादा क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के प्रावधान का मतलब क्या है? क्या केवल यहां पर इस निगम के तहत काम करने वालों के प्रति ही शक है? क्या दूसरी ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है हिन्दुस्तान के संविधान के तहत सीक्रेसी की शपथ खाकर बैठी हुई है कि अच्छे काम करेंगे लेकिन जिस तरह उनके स्केंडल हमारे सामने आते हैं, जिस तरह की

(श्री दीपंकर)

उनकी कार्यवाहियां हैं उनके वे कारनामे हमारे सामने आते जा रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं लेकिन इनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। यह सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनमें सरकार अपनी सरकारी मशीनरी पर ही सब कुछ छोड़ रही है। अच्छा होता कि हमारे यहां के जन प्रतिनिधि वर्ल्ड बैंक से बात करने जाते और उनके साथ सरकारी अधिकारी भी जाते और दोनों साथ मिल-जुल कर बात करते हैं और किसी तरह से फैसला होना चाहिए था। गंगानगर इलाके के लोग-बाग काश्त करते हैं, उनको काश्त का अनुभव है वहां के प्रतिनिधियों को साथ ले जाते जो वर्ल्ड बैंक के साथ बात करते। जब हमने जन प्रतिनिधियों को साथ लिया नहीं, जनता को विश्वास में लिया नहीं, पोलिटिकल पार्टीज को विश्वास में लिया नहीं और इस तरह से शर्तें तय कर डाली। इसलिए उनको यह विश्वास हो जाय कि आप उनकी कैसे सुरक्षा करने वाले हैं किस तरह से ठेकेदारों से काम नहीं करवा रहे हैं या उनके आदमियों को किस तरह से विथड़ा कर रहे हैं। आपकी योजना सम्पूर्ण फार्म में हो जायगी। आप परिपूर्ण अवस्था के अन्दर इस बिल को नहीं ला सके हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कि वह निश्चित रूप से दो बातें जाने। एक तो जनता की राय जाने, जन-प्रतिनिधियों की राय उनको जाननी चाहिए, और दूसरी भारत सरकार की बदलती परिस्थितियों में राय जाने। इस अवस्था के हम मूल में जायें कि वर्ल्ड बैंक से और अमेरिका से पैसा लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए राजनैतिक कारणों के आधार पर। आप बहुत ही प्रगतिशील आईडिया के हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं अब समाप्त करने जा रहा हूं।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे बिल को पढ़ने के बाद आदमी स्वयं उलझ जाता है। इसलिए इस बिल को लेकर इस कानून को लेकर चलने वाला बोर्ड जो आप गठित करने जा रहे हैं वह टोटली ब्यूरोक्रेसी पर डिपेण्ड करेगा, जो बिल्कुल विदेशी लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इस तरह का निगम, इस तरह का कानून उनके क्या काम आयेगा, यह हमारा समझ में आता नहीं है। इसलिए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह !

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल काश्तकारों की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है, और जैसी कि माननीय मंत्री जी की भावना है उसकी इस बिल के अन्दर पूर्ति नहीं होती है। वह इसमें समाविष्ट होनी चाहिए। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए अगर दिया जाय तो

(82)

(श्री ग्रजीतसिंह)

इस पर ग्रच्छी तरह से विचार होकर इसकी कमियों की पूर्ति हो सकती है। क्या मंत्री महोदय, यह सारे ग्रधिकार एक निगम बनाकर राज्य के ग्रधिकारियों को देना चाहते हैं ? उसके ग्रन्दर हमारी जो भावना है वह पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिए इस पर ज्यादा ग्रच्छी तरह से विचार होना चाहिए। जो इलाकों में विकास कमेटियां बना रखी हैं उनके प्रस्तावों पर ग्रौर उनकी योजनाग्रों पर निगम में विचार होकर उनको ऋण दिया जाकर उनकी योजनाग्रों को पूरा किया जाना चाहिए। उसका समावेश इस बिल में ग्राना चाहिए। इसलिए यह ग्रच्छा था कि एक स्टेप इसमें इस तरह का ग्रौर जोड़ा जाय। जिस प्रकार से बिजली निगम में हमारी योजनाएं जाती हैं तो बिजली निगम उन पर विचार करता है ग्रौर पूरा करता है। ग्रामीण योजनाग्रों पर उनसे राय मांगी जाती है। जिले की विकास कमेटियां बैठती हैं तो वे उस पर विचार करती हैं। तो इस निगम में भी वैसी व्यवस्था कर देते तो ग्रत्यन्त सुन्दर होता। इसमें ऐसा लगता है कि केवल चम्बल ग्रौर राजस्थान कैनाल का ही इसमें समावेश किया गया है, ग्रौर जो सारे राजस्थान के ग्रन्दर की योजनायें हैं उनके लिए इसके ग्रन्दर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, ऐसा मेरा सन्देह है।

माननीय मन्त्रीजी को मालूम है कि ग्रामीण विद्युत् योजना हमारे इलाके में लागू की गई है लेकिन विद्युत् निगम से काश्तकारों को बिजली लगाने के लिए पैसा नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों का ग्राप कुग्रों, बान्ध ग्रौर टैंक्स के लिए बैंकों से पैसा दिलवाते हैं लेकिन गांव वालों की उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। ग्रापने दूसरे बैंक्स उसी गांव में कर रखे हैं लेकिन वह पैसा नहीं देते हैं। इस तरह की कई योजनायें हमारे जिले के ग्रन्दर हैं। हमने 5 हजार कुए खुदवाने की योजना बनाई है, लेकिन उसके विकास के लिए ग्राप पैसा देने का तैयार नहीं है। ऐसी योजनाग्रों पर इस निगम के द्वारा विचार होता तो ज्यादा उपयोगी होता। लेकिन इस बिल के ग्रन्दर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए जबकि बिजली निगम में यह कर रखा है ग्रौर इण्डस्ट्रियल निगम में यह सब बातें हैं तो जो यह भूमि विकास निगम ग्राप इसके ग्रन्दर बना रहे हैं तो उसी पैटर्न पर ग्राप इसमें व्यवस्था करें तो ग्रापके इस बिल से ज्यादा सुविधा होती लोगों को। यह सारे का सारा बिल एग्रीकल्चरिस्ट्स से सम्बन्धित है, काश्तकार का इससे नजदीकी सम्बन्ध बनेगा, इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार करें। जो छोटी छोटी दिक्कतें हमारे सामने ग्राती हैं ग्रौर हमारी योजनाग्रों को पूरा करने के लिए इसके द्वारा ऋण की व्यवस्था हो जाती तो ज्यादा ग्रच्छा होता। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करने के लिए इसको प्रसारित किया जाय ताकि हम इस पर ग्रौर ग्रच्छी तरह से विचार कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री!

(ग्रनुपस्थित)

श्री मूलचन्द !

(ग्रनुपस्थित)

श्री मनोहरलाल !

श्री मनोहरलाल (कामां): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने समाजवाद का नारा दिया। दिल में समाजवादी होंगे लेकिन विल पूंजीवादी रहा। माननीय हाण्डा साहब....

श्री गौरीशंकर मुनीम : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक-घण्टी)

(गण पूर्ति होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : यस प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मनोहरलाल : मैं माननीय हाण्डा साहब से निवेदन करना चाहूंगा। मन्त्री महादय उनके मित्र हैं। समाजवादी खयाल के हैं मगर उनका दिल पूंजीवादी हो मैं नहीं मानता हूं इस बात को। लेकिन माननीय हाण्डा साहब सत्य बोलते बोलते एकाध बात छिपा गये, और छिपाने वाली बात यह थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि इसमें माननीय मन्त्री जी की कोई गलती नहीं है। अमेरिका से क्या सौदा होता है, चीन से क्या सौदा होता है, ब्रिटेन से हमारा क्या सौदा होता है ? हम राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैं जो साम्राज्यवाद का आज भी एक निशान है। राष्ट संघ का जो बजट है, राष्ट्रसंघ की जो रेवेन्यू है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के द्वारा दिया जाता है।

समाजवादी देश आज भी यह कहते हैं कि राष्ट्रसंघ पूंजीवादी देशों की संस्था है सिवाय कुछ बातों को छोड़ कर। तो यह हमारी विदेश नीति का दोष है। हमारी विदेश नीति देशहित में कतई नहीं है। वह चौधराहट की नीति है। हम दूसरे को खुश करते हैं चाहे हमारा बेड़ा ही गर्क हो जाय। यदि नेहरू जी से आज तक हमारी विदेश नीति का इतिहास उठा कर देखें तो हमने अपने हितों पर आघात पहुंचाकर दूसरों की चौधराहट में पड़े हैं। अपना नुकसान उठाया है और दूसरों का फायदा किया है। इसमें माननीय माथुर साहब की कोई गलती नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार की गलती है। वैसे जहां तक विदेशी सहायता का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, सहायता लेना चाहिए दूसरों से, रूस से, अमेरिका से, सहायता किसी से हो।

आज से दो साल पहले रूस और अमेरिका में सौदा हुआ, व्यापारिक समझौता हुआ और यहां तक समझौता हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि दोनों देश व्यापार करेंगे मिल कर, दोनों देश प्रॉफिट कमायेंगे जब कि समाजवादी व्यवस्था में प्रॉफिट जैसा चीज नहीं होती है। रूस और अमेरिका का सादा हुआ कि कन्जूमर्स गुड्स पैदा करेंगे। दोनों कारखाने साथ में लगायेंगे। दानों साथ में व्यापार करेंगे और दानों प्रॉफिट लेंगे। स्टेट में व्यापार के लिए दोनों साथ जायेंगे, लेकिन एक शर्त रखी थी रशिया ने कि अमेरिका जो बिल्डिंग्स रशिया के अन्दर बनायेगा वह रशिया की किसी बिल्डिंग से अच्छी नहीं होगी, लेकिन गेहूं के मामले में सौदा भंग हो गया। जब रूस के सामने सवाल आया और रूस की इज्जत का सवाल आया तो रूस ने अमेरिका से इस प्रकार के समझौते को भंग कर दिया अभी दा महिने पहले जो कि दो साल से चल रहा था। रूस ने यह देखा कि सौदे से कोई लाभ नहीं है तो उसने समझौता भंग कर दिया। समझौता करें, सहायता लें, और लेन-देन करें विश्व बैंक से

(श्री मनोहरलाल)

या और इन्टरनेशनल मानेट्री फण्ड से या और किसी संस्था से लें, तो इसमें कतई बुराई नहीं है। वह सहायता किसी से भी ली जा सकती है, किसी देश से भी ली जा सकती है लेकिन वह देश हित में हो, पार्टी हित बाद में हो।

साथ ही मैं हांडा साहब से निवेदन करूंगा कि आप माथुर साहब को भी छोड़िये, आप माननीय प्रधान मन्त्री जी को इसमें घसीटिये, केन्द्र के दूसरे मन्त्रियों को इसमें घसीटिये जो इनको ब्रीफ करते हैं। इसमें इनकी कतई गलती नहीं है। यह तो विदेश नीति का मामला है, यह तो केन्द्र से तय होती है इसमें इनका कोई कुछ नहीं है। इसलिए मैं माननीय हांडा साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनको कहें तो ठीक रहेगा। आपने अभी अभी यह घोषणा की है कि हम छोटे-छोटे किसानों को जिनके होल्डिंग्स छोटे-छोटे हैं, उनको हम कर्ज से मुक्त करेंगे, उनको हम राहत देना चाहते हैं। आपने 1958 में भी कानून बनाया था कि काश्तकारों को हम रिण से मुक्त कर देंगे और उनकी कुर्कियां नहीं होने दी जायेंगी। कृषि के विकास के लिए आपने छोटे-छोटे काश्तकारों की मदद के लिये नियम भी बनाये। लेकिन आप एक तरफ तो उनको कर्जे में छट दे रहे हो, उनके ऋण से मुक्त करना चाहते हो और दूसरी तरफ आप इस प्रकार का कानून सदन में ला रहे हो कि आपका पानी बन्द हो जायगा, आपकी बिजली बन्द हो जायगी, आपके सी. पी. सी. में राजस्थान का अमेन्डमेन्ट है कि हम किसानों की औरतों के कपड़े, उनके गहने जेवरात, उनके बीज, उनके हल और बीजों की कुर्की नहीं करेंगे, जो मवेशी दूध देते हैं उनको भी कुर्क नहीं करेंगे। लेकिन आपने तो उसको बिल्कुल ही स्ट्रलाइज करके रख दिया। उसकी नसबन्दी करदी कि आपको पानी नहीं दिया जायगा, उसकी बिजली बन्द कर दी जायगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के यह कानून खिलाफ है। एक ओर तो आप काश्तकारों का और कृषि के विकास की बात कहते हैं तो दूसरी तरफ आप यह नहीं कर सकते। मैं कृषि मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर और अलवर की स्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहां पर बहुत से पुरुषार्थी काश्तकार काश्त कर रहे हैं और आज से 25 साल पहले से काश्त करते आये हैं उनको कर्ज भी दिया गया है उनको भी 12 साल पहले दिया गया था उसको तो वसूल नहीं कर सकते और आप 25 साल पुराने कर्ज को वसूल करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसी सूचनाएं मिली हैं, मैं बता सकता हूं कि 25 साल पहले के कर्ज वसूल किये जा रहे हैं। कर्ज नहीं देने की स्थिति में जहां पर 100 असल है तो आपने ब्याज 700 रुपया कर दिया। दूसरी तरफ आप बोहरों को, उनके लिये कानून बनाते हो कि असल से ब्याज ज्यादा नहीं ले सकते हो, उसको आपने कानूनी सैन्क्शन दी है। उसके बाद भी आप 100 रुपये असल पर 700 रुपये ब्याज के लगा रहे हो। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि आप इससे काश्तकार का कोई भला करने जा रहे हो। आपको जल्दी तो पड़ती है इस तरह के निगम बनाने की लेकिन आप इसकी गहराइयों को देखते नहीं कि वास्तव में कितनी तकलीफें बढ़ जायेंगी इससे किसानों की।

(श्री मनोहरलाल)

इस प्रकार से निगम बनाने से, या कोई इन्स्टीट्यूशन बनाने से और कोरा समाजवाद का नारा लगाने से, समाजवाद की बातें करने से समाजवाद नहीं आया करता है। इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि आपका यह कानून पूंजीवादी और साम्राज्यवादी सिद्धान्तों पर बनाया गया है न कि छोटे काश्तकारों के लिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर की तरफ और अलवर की तरफ बहुत से छोटे छोटे काश्तकार हैं, उनके पास छोटी-छोटी होल्डिंग्ज हैं। आपने कभी देवपुराजी से भी बात की है, चाहे एक घंटे भी काम में नहीं लेओ कितनी भी लेओ दा हजार रुपये देने ही पड़ेंगे। बिजली की मोटर पर पहले 420/- थे उसको आपने बढ़ा कर 1920/- कर दिये हैं एकदम ड़ेढ़ हजार रुपया बढ़ा दिया और कहते हैं कि चाहे बिजली आवे या नहीं आवे, पानी मत दीजिये, पर आपको यह तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने मोटरें उतार लीं, खेतों पर पानी देना बन्द कर दिया, आपने उनको नोटिस जारी कर दिये। किसानों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया। मैं निवेदन करूं कि आठ साल पहले भरतपुर में नहर निकाली गई थी उस पर तीन करोड़ का खर्चा हुआ था। उसकी 70 पर्सेन्ट मेन्टीनेन्स कोस्ट देनी पड़ी है। आज हरियाणा के लोग भी पानी ले रहे हैं, यह क्या हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज काश्तकारों के सम्बन्ध में इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब से बात करिये किसानों के खेतों पर पानी नहीं मिलता है, फसलें सूख जाती हैं और यह हाल है हमारे यहां और हरियाणा के लोग पानी ले जाते हैं, नहरें चालू तो की जा रही हैं पर आप नहरों को पूरा तो कर। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं इस कारपोरेशन की जगह, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश के निर्माण को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के लोगों के डेट को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि किसान भूखों मरे। लेकिन आप देश और पेट को साथ-साथ लेकर चलिये, देश का निर्माण जरूरी है परन्तु उसके साथ-साथ लोग भूखों नहीं मरे, उनके पेट भरना भी उतना ही जरूरी है। आप समाजवाद की बात तो करते हैं, परन्तु पहले अपने दिलों को भी समाजवादी बनाइये।

(3.17 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

आपने इसमें से शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को निकाल दिया है क्योंकि वे गरीब लोग हैं। इसलिए इसमें बू आती है अमेरिका की, लेकिन इसमें गलती आपकी नहीं है क्योंकि आपको तो कर्ज लेना था। दलितों के लिए तो रूस और नोट वालों के लिए आपके नेता अमेरिका हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप काश्तकारों को राहत देने की बात करें न कि उनको और अधिक परेशान करने की। उनको बिजली में राहत दें, पानी में राहत दें, बीज में राहत दें, खाद में राहत दें और अन्य चीजों में राहत देवें। नहीं तो आप देखेंगे कि भरतपुर और अलवर की तरफ के किसान आपकी बिजली की मोटरें, और खम्भों को उखाड़ फेंकेंगे। यह आपने अच्छा नहीं किया इससे किसान को कोई राहत नहीं मिलेगी कि आपने जहां पर 420 रुपया था वहां 1920 रुपये कर दिया एक दम इतना ज्यादा। इससे, आपकी

(श्री मनोहरलाल)
बिजली की लाइनों को किसान तोड़ डालेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विधेयक को इस ऑर्डिनेन्स को लाकर आपने यह बता दिया कि आप समाजवाद के पोषक नहीं शोषक हैं और काश्तकारों के हमदर्द नहीं उनके विरोधी हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। आप लेवी के बारे में तो ऑर्डिनेन्स नहीं ले आये। 13 क्विण्टल के लिए काश्तकार के घर में पुलिस घुसे। कलेक्टर और एस. डी. एम. घुसे। आप अनाज ले आये। आज काश्तकार भरा बैठा है। कलेक्टर, एस. डी. एम. को आप बचा नहीं सकते हैं। वह अधिकारियों को पीटेगा। हम को पीटेगी। इसलिए मेरा कहना है, छोटे काश्तकारों को छोड़िये। बडे काश्तकारों से लेवी लें। छोटे काश्तकार को आप छोड़ दें। यह सारा गुड़ गोबर कर गये हैं। लेकिन आप क्या कर गये हैं। वर्ल्ड बैंक ने नया घोटाला किया है। तीर्थों के विकास के लिए एक अरब रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का दिया है। मथुरा, वृन्दावन में घाटों, के लिए भगवान कृष्ण की मूर्तियों आदि के सुधार के लिए दिया है। वहां भी बड़ा घोटाला है। भरतपुर में, अलवर, धोलपुर में यह सब बृज क्षेत्र में आता है। उसको शामिल नहीं किया गया है। इसको आप देख लें। आप जानकारी कर लें। यह फूट डालना चाहते हैं। इसके साथ साथ नियम बनाने की वात है, मरुस्थल के विकास के लिए निगम बनाइये। पर्वतीय क्षेत्र के लिए निगम बनाइये। जमीन के नीचे का पानी है। जहां नहरें नहीं हैं, वहां आप उस पानी का ऊपर लायें। लोगों को आप मीठा पानी दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। इसके बारे में मेरा जनमत जानने के लिए मेरा प्रस्ताव है।

मैं यह निवेदन करूंगा इस विधेयक के अन्दर जो निगम की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह जो सरकार अभी तक कार्य करती था ता जा बिचौलियों का निगम बनाया जा रहा है। वह आज किसान को बर्दाश्त करना है। सरकार इस बिचौलिये को बीच में लाकर अपनी सीधी जिम्मेदारी से हटना चाहती है। सभापति महोदय, एक तरफ हम उस भूमि का विकास करना चाहते हैं। जा सदियों से पड़ी हुई है। जिसका कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन आज हम इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं। जिक्र तो विधेयक के अन्दर यह भी किया गया है। सारे राजस्थान की भूमि का प्रोजेक्ट बनायेंगे। लेकिन अभी दो ही प्रोजेक्ट का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महादय को निवेदन करूंगा कि यह बीच में बिचौलिये की व्यवस्था की गई है। अगर सरकार इसको सीधे अपने हाथ में लेती तो अधिक हितकर होता। और इससे किसानों को बड़ी मदद मिलती।

(श्री लूणाराम)

राजस्थान कैनाल के बारे में मैं निवेदन करूंगा, जो किसानों का काम करने के लिए 30-32 प्रतिशत का शेष ठेकेदारों को दिया जायेगा । दूसरे वहां जो कुछ भी काम है, उस काम का हम कैसे मूल्यांकन करते हैं । किस खेत में किस प्रकार का काम है । उसे किसान किस प्रकार से अपनी योजना बना कर करने में सक्षम है । अगर ठेकेदार करता है तो वह अपने ठेकेदारी के तरीके से करेगा । किसान करेगा तो वह अपने ढंग से करेगा । उस खेत में किस समय क्या काम करे । किसान के खेत की बर्बादी नहीं हो । यह वहां पर कार्य करने पर अधिक समस्या खड़ी होगी । दूसरा येह कि इस तरह से इन किसानों में, माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि निगम जो बनाते हो तो वह काम किसानों को ही करने का निर्देश दें न कि ठेकेदारों को जो अधिक से अधिक हो वे जो किसान के वश की बात काम की नहीं है, वह ठेकेदारों को दिया जाय । जो बुलडोजरों के द्वारा कराना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूं कि यह बुलडोजरों के वश का नहीं है । किसान धरती के बेटे हैं । यह ऊंट के द्वारा ही हो सकता है । जो अधिक किसानों के वश की बात नहीं हो और किसान खुद निवेदन या मांग करे कि हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं । तो उसके लिए वह व्यवस्था कराई जाये और मेरा यह भी निवेदन है कि उसका खर्चा भी पूरा किसान से नहीं लिया जाय । इसके अन्दर भा सरकार अपनी ओर से कम से कम आधा खर्चा ग्रान्ट के रूप में दिया जाय । इसे किसानों को साथ में लेकर करवाया जाय । इसी तरह से राजस्थान कैनाल में जितने बड़े बड़े धोरे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन कर दूं, राजस्थान सरकार ने यह कृषि भूमि उद्योग निगम बनाया है । ट्रैक्टर किसानों को सप्लाई कर दिये । नतीजा यह हुआ है कि वह ट्रैक्टर सफल नहीं हुए हैं और खरीदने वाले किसान घाटे में गये तो इस प्रकार से जो लैण्ड पड़ी हुई है । जो किसान की है. को नहीं । पहले जो सरकार की जमीन है, पर स्वयं निगम परीक्षण करे तो किसान समझे । यह नहीं कि किसान तो समझे नहीं कि खेत सुधरवा ले नतीजा यह होगा कि वह भी बर्बाद हो जाये । तो सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार इसे अपने हाथ में ले । बड़े बड़े धोरे हैं । उन धोरों के अन्दर पाइप के द्वारा वर्षा करवाई जाये । इस प्रकार से किसानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट होगा । वह यह कहेगा कि इस काम का सरकार कराये । दूसरा सभापति महोदय, निगम के बारे में यह भी सन्देह है मुझे कि अन्य जिलों का इसमें कितना हिस्सा रहेगा, कितना नहीं रहेगा । कोई जिक्र नहीं, राज्य कृषि निगम बने या न बने लेकिन कम से कम जिले के अन्दर इस प्रकार की कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिये, जहां से एक एक प्रतितिधि राजस्थान भूमि विकास निगम में आये और इस प्रकार सारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे । यह व्यवस्था नहीं की गई है, इसका नतीजा यह होगा कि और जगह कोई गलती है या नहीं, काम होता है या नहीं, और बाकी की कार्यवाही होती है या नहीं- इसकी जानकारी नहीं मिलेगी । (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) मेरा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था सभी जगह की जाय अगर यह नहीं की गई तो यह कार्य आगे बढ़ाने का नहीं है ।

(श्री लूणाराम)

दूसरे अधिनियम के अन्दर ट्यूब वैल की बात नहीं आई है। राजस्थान नहर में किसी समय पर पानी नहीं आने से बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। नतीजा यह होता है, कभी नहर नहीं, कभी कम आई तो किसानों की खेती सूख जाती है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि जहां नहर की व्यवस्था नहीं हो वहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो। मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक ट्यूब वैल खोदे जाएं ताकि उत्पादन बढ़ सके।

सभापति महोदय, किसान हर तरह की उपज धरती माता से लेना चाहता है और धरती माता उधार रूप से देने को तैयार है, लेकिन बीच की व्यवस्था है, हमारा इन्तजाम है। उसके प्रशिक्षण के न होने के कारण वह पूरी फसल किसान नहीं ले पाता है। फसल को पूरी तरह करने को किसान तैयार है लेकिन नहीं कर पाता है। तो सारे काम को निगम में दे रहे हैं, तो जो काम कराये जायें, उनका प्रशिक्षण पहिले सरकार को पूरा करके करना चाहिये इसलिए मैं चाहूंगा, जो काम सरकार करना चाहती है वह किसानों से न करा कर सरकार अपने फार्म पर अपने साधनों से, अपने द्वारा सारे साधन जुटा कर करे और जब निश्चत हो जाय कि यह एक्सपेरीमेंट सफल है उसके बाद किसानों के खेती पर इसका एक्सपेरीमेंट किया जाय, तब किसान का हित होगा। अन्यथा किसान बर्बाद हो जायगा। इन शब्दों के साथ जनमत जानने का जो मेरा संकल्प है उसको प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री मीठालाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि वह आॅर्डिनेन्स, जिसकी कि रूप रेखा 24 मई से 28 मई तक वाशिंगटन में बनी थी, खुराना साहब मौजूद थे, उनके दस्तखत हैं, उसे मुझे फाड़ना पड़ा, केवल इसलिए कि मैं और मेरा दल कांग्रेस के अन्ध विरोध में विश्वास नहीं रखता, उन नीतियों का विराध पूरी शक्ति से करता है, जो देश के दुश्मनों की सहायता करती है, चाहे इजारेदार हों, चाहे सामन्ता अवशेष हों। चूंकि इस पर वाशिंगटन में दस्तखत हुए इस एग्रीमेंट के जरिये साम्राज्यवाद हमारे देश में प्रवेश कर रहा था इसलिए मेरा फर्ज था, मैं आॅर्डिनेन्स को फाडता। लेकिन अब बिल आपने प्रस्तुत किया है, मैं चाहूंगा, आपकी अपनी असली शक्ल देखने के लिए इस बिल को जनता में प्रसारित कीजिये और उसकी राय प्राप्त कीजिये, इस बहादुर देश का, इस पवित्र देश का एक व्यक्ति भी साम्राज्यवाद के नापाक प्रवेश को इस देश में स्वीकार नहीं करेगा। माननीय मंत्री महोदय ने वर्ल्ड बैंक की वकालत की, जो दलील पेश की, उस दलील को सुन कर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने लड़खड़ाती हुई जवान से यह कहने की कोशिश की, यूगोस्लेविया और रूमानिया इसके मेम्बर हैं, लेकिन वे खुद इस बारे में कान्फीडेंट नहीं थे कि रूमानिया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और यूगोस्लेविया इसके सदस्य हैं। लेकिन जो सबसे कष्टप्रद बात उन्होंने कही, वह यह कही कि हमने हमारी रेल्वे का विकास वर्ल्ड बैंक की मदद से किया। सभापति महोदय, इस देश का रेल्वे सिस्टम दुनियां में सबसे शक्तिशाली सिस्टम है और ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के समय से उसका डवलपमेंट हुआ है। अगर मंत्री महोदय का आत्म निर्भरता और स्वदेश की भावना के साथ चितरंजन के कारखाने पर गौरव होता, हमारी वैगन फैक्ट्री पर गौरव होता, बिशाखापट्टनम के शिप यार्ड पर गौरव होता, जिसने बहादुर और शक्तिशाली बेड़ा पैदा किया, जिसने कराची के पैट्रोल पम्प में आग लगा दी, जिसने नियाजी-सबमेरीन को डुबो दिया, उसका गौरव करते। वर्ल्ड बैंक के अनेक वर्ष पहले लिये छोटे से लोन की मिसाल देकर उन्होंने देश को गौरवान्वित नहीं किया। सभापति महोदय, मैंने जितने आइटम वर्ल्ड बैंक के एग्रीमेंट में से पढ़ कर सुनाये कि इतने सारे के सारे बखेड़े हैं, प्रेसर हैं—यह फ्री लोन नहीं है, माननीय मंत्री महोदय उसे पढ़ें। अब मैं, बताना चाहता हूं उससे आगे चल कर माननीय मंत्री पूरे ध्यान से उसको देखेंगे या उन एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने मशीनरी की लिस्ट तय की है, वह उनको एन्टी नेशनल मार्केट से बाइडिंग के बतौर लेनी पड़ेगी। वह यह स्वीकार करते हैं। वाशिंगटन के अन्दर हुए एग्रीमेंट के पेज 16-ए को देखिये :

Bulldozers;

Scrapers.

Road Rollers;

हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने वर्ल्ड बैंक में यह बात कही मैं इसका एक-एक शब्द पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, यह देश के लिए स्ट्रिंग्स हैं, बहुत स्ट्रांग स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

"With reference to Section 20.7 of the Draft Project Agreement and Schedule 1 of the Draft Project Agreement, the Governments of India and Rajasthan indicated that field vehicles, and five ton trucks would be reserved for local procurement because of maintenance problems. The Association indicated that no disbursements from the proceeds of the Credit would be made for such items."

जहां हमारी खुद की मशीनरी है, हमारे यहां फाइव टन का ट्रैक्टर बनता है, जिन पर हमें गर्व है, उसके बाद इस चीज का प्रश्न आया तो इन्कार कर दिया, इस कर्ज में से एक पैसा उसके उपयोग में नहीं आयेगा, अपने पैसे से लो। और यह इस डाक्यूमेंट के पेज 55 के ऊपर दस्तखत हैं, सभापति महोदय, हित प्रकाश, डिप्टी सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया; S. L. खुराना, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान; Manfred Beutgen, South Asia Development International Development Association. और तो और; मैं बताना चाहूंगा, यह लोन किस प्रकार का है और कितना कष्टदायक लोन है; सभापति महोदय, जरा इसको पढ़ने का कष्ट करिये। यह पेज 19 है

Page No 90

(९०)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एग्रीमेंट का; विथड्राग्रल ग्रॉफ द प्रोसीड्स के बाद पेज 19 पर है :

"If the Association shall have reasonable determination that the procurement of any item in any category is inconsistent with the procedures set forth or referred to in this agreement, no expenditure for such item shall be financed out of the proceeds of the credit and the Association without in any way restricting or limiting any other right, power or remedy to the Association under the Development Credit Agreement, by notice to the borrower, cancel such amount of the credit as in the Association's reasonable opinion, represents the amount of such expenditure which would otherwise have been eligible for finance out of the proceeds of the credit."

कौन तय करेगा कि यूटीलाइज हो रहे हैं ? ग्राप कहते हैं कि स्ट्रिंग्स नहीं हैं ? वे नोटिस देंगे ग्रौर कैंसिल कर देंगे। वे तय करेंगे। हर चीज उन्होंने तय की है। सी. ए. के बारे में ग्राप पेज 59 देखिए। ग्रापका बिल देखिए एक ग्राइटम इधर से उधर नहीं है। इसका पैटर्न भी डिसाइड हुग्रा है। ग्रार. एल. डी. सी. कमांड एरिया ग्रॉथोरिटी, फंक्शन्स एण्ड रेस्पॉन्सीबिल्टीज ग्रौर यहां तक कि मैनेजमेंट, कॉन्स्टीट्यूशन ग्रॉफ बोर्ड सब ग्राइटम्स पेज 59 पर हैं। उसी प्रकार से कॉन्स्टीट्यूट हो रहे हैं जिस प्रकार से वाशिंगटन में फैसला हुग्रा है। ग्रगर मैं ग्रापके सामने सारे का सारा एग्रीमेंट पढ़कर सुनाऊं तो शर्मनाक एग्रीमेंट है। वे क्या बनाना चाहते हैं ? वे सिवा कल्वर्ट्स के, लैंड लेवलिंग के या पासचर लैंड के, एक भी डिस्ट्रीब्यूटरी बना सकते हैं ? एक माइनर बना सकते हैं ? मेन कैनाल बना सकते हैं ? मुख्य मंत्री ने सदन में घोषणा की कि हम सेकण्ड स्टेज पर विश्व बैंक की एड लेंगे। नहीं मानने वाले हैं। नहर निर्माण का एक इंच नहीं लिया जा सकता। माइल 80 पर नहर रो रही है छत्तरगढ़ के पास, पहला स्टेज 1968 के ग्रन्दर पूरा हो जाना चाहिए था। 12 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो जानी चाहिए थी। ग्राज मील 80 से एक इंच नहीं बढ़ रहे हैं। जितना खर्चा है, मेन कैनाल के कन्सट्रक्शन पर, माइनर के कन्सट्रक्शन पर, किसी डिस्ट्रीब्यूटरी के कन्सट्रक्शन का सारे का सारा बजट हैड 533 से होता है, मैचिंग ग्रांट्स देनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रॉर्डर्स हैं। गंगानगर का किसान, बीकानेर का किसान, जैसलमेर का किसान बहादुर होता है। ग्रापकी चार शाखायें चल रही हैं एक नवरंग, दूसरी रावतसर, तीसरी ग्रनूपगढ़ ग्रौर चौथी सूरतगढ़ शाखा। 2-डी का फाटक लीक हो रहा है। ग्रगर स्प्रिंग्स नहीं होते तो उसका उपयोग 17,000 क्यूसेक्स पानी, जिसमें लाखों एकड़ धरती किसानों की डूब गई ग्रौर यह लोन उस फाटक रिपेयर्स में लगाते, पोंग डेम के बनाने में लगाते। ग्राज सारे की सारी ग्रनोपगढ़ शाखा जिसकी कैपेसिटी 1850 क्यूसेक्स है ग्रौर 1200-1300 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं ले सकता ग्रौर बर्स्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो जाता है, अगर वह पैसा उसके निर्माण में लगाते। सूरतगढ़ की शाखा जो 700 क्युसेक्स पर बर्स्ट होती है, उसकी रिपेयर्स पर लगाते। मैं इन समाजवादी मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज विश्व बैंक ने गुलाम देकर सुंदरी ले ली और आपने गुलाम को पकड़ लिया। यह तो राज्यपाल ने किया, आपको क्या दोष दें।

क्या आपने गंग नहर के विकास का अध्ययन किया है? 1926 में उसका निर्माण कार्य आरम्भ हुआ कोई मशीनरी नहीं, सारा मेसनरी वर्क था, 1928 के अन्दर कम्पलीट हो गया। 3,27,000 एकड़ में फरवरी में सिंचाई आरम्भ हुई। उस समय विश्व बैंक नहीं आया था लेवलिंग करने के लिए। स्टेट रेवेन्यू करोड़ रुपए पार कर गई और 1945 तक राय बहादुर विहारीलाल ने और बढ़ाई। आपने 1959 में पाकिस्तान के साथ वाटर ट्रीटी की और 1959 के बाद 145 एवरेज बढ़ कर 200 तक हो गया। आपने पढ़ा होगा कि 1½ वर्ष में इसी गंग नहर के पानी के लिए अनोपगढ़ में गोलियां चलीं। आज किसने लैंड लेवलिंग किया, किसने कल्वर्ट्स बनाए। 1945 तक 7 लाख एकड़ की कैपेसिटी सिंचाई में पहुंच चुकी थी। गंग नहर से 2.3 क्यूसेक्स पानी पर थाऊजंड एकड़ चाहिए था। आज आपके पास में 5.3 क्यूसेक्स पानी पर थाऊजंड एकड़ है, टीबें हैं छोड़ दें फिर देखना। आप खर्चा नहीं कर सकते। 40 पर्सेंट पानी का यूटीलाइजेशन नहीं होता। आप माइनर्स नहीं बना सकते। आपने अपना पूरा सिस्टम सेट अप नहीं किया, माइनर्स बिल्ड अप नहीं किए, डिस्ट्रीब्यूटरीज कम्पलीट नहीं की गई और ख्वाब देख रहे हैं कि कल्वर्ट्स बना रहे हैं। कलेक्टर को अधिकार है किसी कल्वर्ट बनाने को या लेवलिंग करने को रोक दे। अध्ययन किया है किसान की आर्थिक स्थिति का? खेत के अन्दर अनाज पड़ा है तो जब तूफान आता है जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वह दाना उठाकर ले जाएगा। सारे भारत की यह मिसाल है कि जब किसान को अपनी फसल बीजनी है तो चाहे उसकी मां भी मर जाए, लाश को नहीं निकालेगा घर से। आप उस पर कम्पल्शन रखना चाहते हैं। यह क्षेत्र ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा बलिष्ट किसान रहते हैं और आप उनके पानी को बंद करना चाहते हैं, एनरकी करना चाहते हैं या विकास करना चाहते हैं? सारी की सारी शेख चिल्ली वाली योजनायें हैं। अगर किसान के पास पैसा है तो कल्वर्ट्स पक्का करेगा। गंग कनाल सबसे पुराना है। कैनाल कल्वर्ट्स को पक्का करता जाएगा और सारे गांवों में कल्वर्ट्स पक्के हो गए और किसानों ने खुद खेतों को लेविल किया है। आप सारे नेट वर्क को बिल्ड अप करें। दोनों सिस्टम्स को इन्टरलिंक करें। आप पूरी शक्ति के साथ राजस्थान की मोबीलाइजेशन और जनशक्ति को नहरी निर्माण में डुबो दें। लोन के लिए शर्त है कि 4 साल प्रोजेक्टर पर स्पैंड हों तो इस प्रकार के लोन को ठुकराओ। यह देश की आजादी बेचने वाली बात है।

सभापति महोदय, मैं चंबल प्रोजेक्टर के लिए कहना चाहता हूं। जो आप कहते हैं, उससे बिलकुल कॉन्ट्रास्ट है। गंग और चंबल कॉन्ट्रास्ट हैं। एक तरफ पानी की बूंद के लिए मर्डर्स होते हैं दूसरी तरफ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आउटलेट्स बंद कर देते हैं और इंजीनीयर्स के सामने प्रश्न होता है कि कैनाल को बर्स्ट होने से कैसे रोका जाए। विश्व बैंक से आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ, वहां बनाए गए, रेक्टेंग्यूलराईजेशन ऑफ फील्ड्स करना है। एक बार प्रतापसिंह कैरो ने कहा था जब फाजिल्का और सरहिंद क्षेत्र में वाटरलोगिंग हो गया था, उन्होंने रेडियो पर कहा था बहादुर साथियों, नालियां बनाओ और निकाल दो पानी को, नालियों से फ्लड हो गया गंगानगर में 1963 में। और आपको घग्घर डाइवर्सन का चेनल बनाना पड़ा। पंजाब के बहादुर किसान ने सारा सरहिंद वाटर लॉगिंग से मुक्त कर दिया, सारा फाजिल्का एरिया वाटरलॉगिंग से मुक्त कर दिया।

सभापति महोदय, आपने सन् 63 के बाद में इन वाटर लोगिंग का जो पानी था वह सारा का सारा निकाल दिया गया और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमैंट क्या कर रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ही नम्रता से अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें हर प्रकार के वर्ल्ड बैंक के प्रेशर हैं और आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से काम करना पड़ेगा। उसकी हर शर्त आपको माननी पड़ेगी। सभापति महोदय, आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से वाटर की रेट को रेज करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से आपको इन्श्योरेन्स करानी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से आपको मशीनरी पर्चेज फॉरेन करेन्सी में करनी पड़ेगी, इन्श्योरेन्स का पेमेन्ट भी फॉरेन करेन्सी में करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेशर से आपको लॉ सारे के सारे बनानें पड़ेंगे, पैसे आपको वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के कारण सभी फॉरेन करेन्सी में पेमेन्ट करने पड़ेंगे। सभापति महोदय, इन फॉरेन गवर्नमेन्ट से आपने कई समझौते किये लेकिन वह आज तक सफल नहीं हुए। कहां गयी आपकी मिग फैक्ट्री, कहां गयी आपकी हरिद्वार में बनने वाली एन्टी बायोटिक्स की फैक्ट्री और कहां गयी आपकी एच. एम. टी. की फैक्ट्री, सभापति महोदय, वह आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई। सभापति महोदय, इन सब में आपने ऐसे समझौते किये हैं जिनमें आपको पेमेन्ट सभी फॉरेन करेन्सी में करना पड़ेगा। चाहे वह कोई भी चीज हो। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आकर आप फॉरेन करेन्सी में हर चीज का पेमेन्ट करने से अपनी स्वतन्त्रता को गुलामी की जंजीरें पहना रहे हैं। और इसका नतीजा यही होगा कि हमारे देश में इनफ्लेशन बढ़ेगा और इससे हमारे देश को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है सिवाय अपने देश की आजादी को खतरे में डालने के और अपने देश को गुलामी की जंजीरें पहनाने के, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में अच्छी तरह सोच कर कोई कदम उठायें। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री गुरदयालसिंह संधु !

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह !

(अनुपस्थित)

अब इसके साथ में उन माननीय सदस्यों के नाम भी बोल जाता हूं जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर

Page No 93

93

(श्री सभापति)
समिति को सौंपने के लिये अपना संशोधन पेश किया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूण्डा !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री): सभापति महोदय, उपस्थित विधेयक को कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये अपने संशोधन सदन में पेश किये हैं और उसमें अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। सभापति महोदय, जब यह विधेयक ऑर्डिनेन्स की शक्ल में सदन में आया था तब माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त जो किये थे, करीब करीब वही विचार अभी माननीय सदस्यों ने दोहराये हैं। उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि हम अपने देश की आजादी को कायम रखेंगे। इसके अलावा उस वक्त मैंने यह भी निवेदन किया था कि हम अपने देश के विकास के लिये दूसरे विकसित देशों से मदद लेते हैं। इसमें कई देशों से हमने आज तक मदद ली है जिसमें समाजवादी देश भी हैं और अन्य देश भी हैं। और जिन देशों ने हमारी मदद की है उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति प्रगट करते हैं इस सन्दर्भ में चाहे वह समाजवादी देश हों, चाहे वह और दूसरे मुल्क हों, जिन्होंने भी हमारी मदद की उसके लिए हम उनके आभारी हैं। सभापति महोदय, हमने जिनसे भी मदद स्वीकार की है चाहे वह कैसे ही देश हों चाहे समाजवादी देश हों, चाहे और सन्सार के दूसरे विकासशील देश हों लेकिन हम अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर खतरे में डाल कर मदद नहीं लेते हैं और न कभी ली है। माननीय सदस्य चाहें तो आज तक जितने भी करार हमारे हुए हैं उनको देख सकते हैं। और जहां तक वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का सवाल है यह पहला ही मौका हमारे लिये नहीं है। हमने वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है वह पहले भी कई बार ले चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इससे हमारी आजादी को कोई खतरा हो सकता है। इससे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इससे राजनैतिक असर पड़ने की चर्चा की। तो, सभापति महोदय, हम इसके लिये तुलना करके देख सकते हैं। पहले भी सन् 1971 और सन् 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस वक्त अमेरिका से प्राप्त शस्त्रों को लेकर पाकिस्तान हम से लड़ा उस वक्त हमने अमेरिका की भर्त्सना भी, की थी यह माननीय सदस्यों को याद होगा। इसका मतलब यह नहीं होता कि हम विकास के लिये अपनी आजादी खतरे में डाल दें। सभापति महोदय, हमने हमेशा कोई भी करार किया है उसमें हमारे देश की आजादी को सर्वोपरि रखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने देश के विकास के लिये किसी देश की मदद नहीं लें।

सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हमें अपने देश की जन शक्ति पर, देश की शक्ति पर और देश के लोगों पर अभिमान

(श्री शिवचरण माथुर)

है। और उसी के बलबूते पर हम आगे बढ़ना चाहते है। यह बात दूसरी है, सभापति महोदय, कि हमारे देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि हम पूरी तरह से विकास नहीं कर सके। इसके ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं। इसमें एक कारण यह भी है कि हमारे देश में दो सौ साल तक अंग्रेजों का राज्य रहा इससे हमारा विकास नहीं हो सका। अब हम थोड़े समय में हमारे देश का बहुत बड़ा विकास करना चाहते हैं। इसलिये हमें दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती है। हालांकि हमने काफी प्रयत्न किये हैं और प्रयत्न कर रहे हैं जिसका कि मैंने पहले आज सदन में उल्लेख कर दिया था उसको वापिस दौहराना नहीं चाहता और उसको दौहराना उपयोगी भी नहीं लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों को और खासतौर से सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को जिनके कि दिमाग में यह है कि हमारी आजादी इससे खतरे में पड़ सकती है तो उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं वह भारत सरकार की सलाह लेकर करते हैं और उसमें हमारे देश की सॉवरेनटी को कोई खतरे वाली बात उसमें नहीं हो उसका ध्यान रखा जाता है। जैसा कि पहले मैंने निवेदन कर दिया था कि इसमें मेमोरैण्डम ऑफ बिजनेस के आधार पर सब चीज की जाती है। अब इसमें एक लैण्ड डवलपमैंट कॉर्पोरेशन का निर्माण होगा एक निगम बनाया जायेगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये गये हैं उसमें लिखा हुआ है कि चैनल बनाने के लिये उनके विकास के लिए एक लैण्ड डवलपमैंट कॉर्पोरेशन बनाया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सुनाना चाहता हूं उसमें लिखा है कि:—

"With a view to enable smooth and effective implementation of these land develoment projects by ensuring compulsory participation of allconcerned landholders in these projects, the world Bank insisted for the setting up of a statutory land development corporation by 18th day of September, 1974 as a pre-condition of effectiveness of the world Bank Agreement."

यह लैण्ड डेवलपमैंट कॉर्पोरेशन जो बना है वह सारी की सारी अपनी एक प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी सन् 1971-72 में उसके हिसाब से बनायी गयी थी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन कर दूं कि इस सारे ऐरिया का सर्वे किया गया था और बाद में यह सभी तय किया गया। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने में वर्ल्ड बैंक के व्यक्ति भी थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माफ करिये यह तो आपका जो तात्पर्य है वह सारी पाण्डे रिपार्ट है। यह सारा का सारा पाण्डे रिपार्ट से ही तात्पर्य है।

श्री शिवचरण माथुर : डिटेल सर्वे हुआ है, राजस्थान कैनाल एरिया, चम्बल एरिया का डिटेल सर्वे हुआ है कहां लैण्ड का काम किया जायगा, कैसा काम होगा, वाटर कोर्स किस प्रकार का होगा, इसकी एक डिटेल सर्वे पहले की गई थी और वर्ल्ड बैंक का

(श्री शिवचरण माथुर)

पेश का थी। उन्होंने अपने ढंग से एग्जामिन किया, उनके अप्रेजल आये और कई बार चर्चायें हुई। हमने अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उनके पास रखा और हम अपनी आवश्यकतानुसार ही करना चाहते हैं। उसमें डेवीयेशन भी हो सकता है, यह बात नहीं है कि हम बिल्कुल कोई ना करके ही चलते हैं। आज एक साल के अन्दर जो अलग-अलग मुद्दे थे उनको भी अपने ढंग से सॉल्व किया है, फास्ट किया है।

मैं माननीय हाण्डा जी से निवेदन करना चाहता हूं किसान के एरियाज को कंचमेंट के एरिया के बसिस पर डवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने टार्गेट्स रखे हैं लेकिन हमने सोचा अपने तौर पर कि सामूहिक तौर पर विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये। किसान कैसी जमीन पर स्वयं विकास कर सकेगा उसका प्रावधान है, टार्गेट फिक्स है लेकिन जहां बड़ सेन्ड ड्यूज हैं और किसान स्वयं नहीं कर सकता है, उसकी शक्ति से बाहर है तो मशीनों और अन्य तकनीकी दृष्टि से उसका विकास हो और उसके काम आये, यह भी हमारा विचार है। किसान को बाध्य किया जाय कि सारा विकास कॉपरेटिव के जरिये करायें, टैक्निकल सर्वे करके। हम एक स्कीम बनाते हैं कहां ड्रेनेज होगी, कहां वाटर कोर्स होगा, कहां पानी का निकास होगा, कंचमेंट एरिया किस प्रकार रिक्लाइन होगा और यदि किसान उस कंचमेंट एरिया का विकास सामूहिक रूप से कराना चाहे तो हम बैंक के जरिये लोन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम सारे के सारे टैक्निकल आधार पर विकास करना चाह रहे हैं तो किसान को परेशान करने की कौनसी बात है। आपतो केवल अपने चश्मे से बात करें तो अलग बात है।

अगर हम कोई बात सोच समझ कर मुआयना करते हैं तो यह मतलब नहीं है कि आत्माभिमान को खो देने वाली बात करते हैं यहां तो हमारी नीतियां कई बार कसौटी पर कसी जा चुकी हैं। अमेरिका से एग्रीमेंट किया है तो हमने अपनी नीतियां सामने रख कर ही किया है। वर्ल्ड बैंक में अफ्रीका जसे विकसित देश, युगोस्लाविया और रूमानिया की भी बात कही गई है। वे मेम्बर हैं—वर्ल्ड बैंक के। अमेरिका से आज अगर कोई सीधा सम्बन्ध होता है तो हम अपनी नीति को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रख सकते हैं। अगर वे किसी प्रकार के खतरे की बात करते हैं तो उसी प्रकार जवाब देने की बात कह सकते हैं जैसे दूसरे देशों के साथ किया है। अगर आज अमेरिका ने कोई गलत बातें कही हैं तो हमारे प्रधान मंत्री ने उनको ललकारा है। इसलिये इस दृष्टि से सोचना है। एग्रीमेंट अपनी पर्टीक्यूलर मर्जी से कर लिया, मैं समझता हूं अपने देश के स्वाभिमान को भी नहीं समझने की बात है।

श्री हाण्डा जी ने जो दलीलें दीं उनका पूरा जवाब मैंने दे दिया है अब मैं उसको दुबारा दोहराऊं यह ठीक भी नहीं है और मुझे तो और अधिक निवेदन करना ही करना है। किसी मुल्क के साथ अपने देश के विकास के लिये कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें आजादी को खतरे में डालने का सवाल आता ही नहीं है।

(श्री शिवचरण माथुर)

दूसरे कई माननीय सदस्यों ने पानी का रोकने वाली बात कही कि यह बड़े अन्याय की बात है, किसान का पानी रोकना बड़े अन्याय की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं किसी एक सामूहिक योजना के कारण एक या दो आदमी उस योजना के पहलूओं को ध्यान में नहीं रखे और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करे जबकि सारी योजना उसके विकास के लिये है तो हमारा यह कदम कोई अनुचित कदम नहीं है। लैण्ड डवलपमेंट उन एरियाज में आयेगा जो किसी कमाण्ड में आयेंगे। पानी वहां पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके विकास की कोई बात आती है या नहीं आती है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसके अधिक से अधिक हित में पानी पहुंच सके और जमीन खराब न हो। यदि सामूहिक योजना बनाई जाती है और उसकी खिलाफत एक या दो व्यक्ति करते हैं तो एक तरीका यह है कि तुम्हारे विकास के लिये जो मूल साधन है उसको रोक देना चाहते हैं। मैं समझता हूं ऐसा उदाहरण बहुत कम आयेगा और किसी दूसरे कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करना एक पेचीदगी की बात है। अगर दूसरे कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करते हैं तो कार्यवाही होने तक तो डैमेज हो जायगा। एक आदमी की वजह से नुकसान हो जाय इसलिये आपको भले ही स्ट्रिजेन्ट मेजर लगे लेकिन जो सख्ती की बात कही गई है, मैं समझता हूं उसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये। इसमें माननीय सदस्यों के जो ऐतराजात हैं पानी को रोकने वाले उनका कोई आधार नजर नहीं आता है। यह उन्हीं लोगों के लिये है जो इस योजना को खटाई में डालना चाहते हैं और अपनी हठधर्मी करना चाहते हैं। उनके लिये इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में रखा गया है।

दूसरी बात यहां पर यह कही गई दो किश्तें नहीं दे पाये तो पानी रोक दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की बहुत सी स्कीमों का विकास केवल आज इसीलिये रुका हुआ है कि करोड़ों रुपये हमने खर्च कर दिये लेकिन उसकी सही तौर से और उस स्थिति में भी जबकि कर्ज से स्थिति बढ़ी है, वापिस नहीं देने की नियत से करोड़ों रुपये आज राजस्थान में वसूल नहीं हो पाये हैं और इसलिये बहुत सी योजनायें पीछे हटी हैं। बहुत सारी संस्थायें जो हैं वे आज इसीलिये कमजोर हैं। रुपया देने की चिन्ता करते हैं लेकिन उसको वापिस लेने का इतनी चिन्ता नहीं करते हैं, उस पैसे को रोटेट करने की चिन्ता नहीं करते हैं। हम यह चाहते हैं कर्जा देने से किसी को लाभ हो लेकिन उस लाभ के साथ-साथ वह पैसा वापिस खजाने में जमा हो और खजाने में जमा होकर दूसरे जरूरतमन्द लोगों को वह कर्जा पुनः मिले। यह हो जायगा तो योजना का सफलता अधिक आंकी जा सकेगी। लोग समय पर कर्जे की अदायगी कर दें जिससे कर्जा देने वाले और कर्जा लेने वाले दोनों का ही लाभ हो........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : राजस्थान सरकार के सब कर्जे समय पर हा चुकते हैं, यह बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : उससे भी नुकसान होता ही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसको लम्बे समय की कार्यवाही में न डालकर एक निश्चित अवधि में ही रखें तो

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं समझता हूं अधिक लाभ होगा और उसके बिना इतनी बड़ी योजना को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आपको अटपटा अवश्य लगता होगा लेकिन ऐसी योजना को लागू करने के लिये यह बिल आपके पास है ताकि एक क्षेत्र का विकास कर सकें और तेजी से विकास कर सकें। एक किसान की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। हमने स्वीकार किया है इस लोन को देने के बाद किसान की आमदनी बढ़ेगी और उसका एक छोटा सा हिस्सा वापिस दे दें तो उसका विकास हो जायगा और उसका कर्जा भी चुक जायगा। मैं समझता हूं इसमें बहुत अच्छा उद्देश्य निहित है और कोई दूसरे कारण मेरी समझ में नहीं आते हैं।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि बड़ी मजबूरी के साथ एग्रीमेन्ट को किया गया। कोई मंजबूरी नहीं थी। हमारी अपनी रिपोर्ट थी, अपनी योजना थी, अपनी सर्वे थी और उस पर साल डेढ साल तक विचार किया है और ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि वर्ल्ड बैंक को दे दीजिए। हमने अपनी शंकायें रखी हैं, अपनी बातें कही हैं और बहुत सोच समझकर हमने अपने स्तर पर विचार किया है, भारत सरकार के स्तर पर किया है। अब कोई न कोई कमी निकल ही सकती है लेकिन हर लेवल पर सोचने के बाद जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही राजस्थान के हित में है और राजस्थान की आर्थिक उन्नति और खासतौर से किसानों की आर्थिक उन्नति इससे होने वाली है। इसलिए कोई कारण मैं नहीं मानता कि इस बिल को आज पारित नहीं करके जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए और न यह कारण ही मानता हूं कि इसको किसी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाये, जो इसके पक्ष में हों वह हां कहें

(विरोधी पक्ष की ओर से हां की आवाजें)

जो इसके विपक्ष में हों वह ना कहें।

(सरकारी पक्ष की ओर से ना की आवाजें)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता।

सरकारी पक्ष : ना पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां पक्ष जीता मैं डिविजन क्लेम करता हूं।

(मत विभाजन घंटी)

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मैं दुबारा उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

खण्ड 2

श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय····

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं। इससे पूर्व काफी बोल लेने के बाद अब खण्डशः विचार के समय उस खण्ड से रिलेवेन्ट जो भी मुद्दे हों केवल उन्हीं पर संक्षेप में वह प्रकाश डालेंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, खण्ड 2 में उप-खण्ड (1) के भाग (ब) के उप-भाग (vii) में प्रयुक्त शब्द "झाड़ियों" तथा "घास" के बीच में शब्द 'और' को कामा ',' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाकर शब्द 'घास' तथा शब्द 'का' के मध्य शब्द 'और फलों के पेड़' अन्तःस्थापित किए जायेंगे। इसमें मुझे निवेदन करना यह है कि जब आप एरिया डवलप कर रहे हैं और अण्डर प्रेशर कर रहे हैं तो आप इसमें होर्टीकल्चरल को तो बिलकुल ही भूल गए। कम से कम इस प्रोजेक्ट एरिया में, मेजर प्रोजेक्ट एरिया में जहां तक फ्रूट प्लान्ट्स का ताल्लुक है वह बहुत ही सक्सेसफुल है। यह फॉरेन एक्सचेन्ज भी अर्न करता है और माल्टा भी फॉरेन एक्सचेन्ज अर्न करता है और दूसरे फ्रूट्स भी करते हैं। तो फ्रूट प्लान्ट को भी इसमें एड करें। जब राजस्थान कैनाल का प्लान बना था और जब कन्वेंशन पंजाब में हुआ था शुरू शुरू में, तो उस समय जो इसके ओरीजनल प्लान का चित्र था उसमें मेन कैनाल के दोनों तरफ फलों के आर्चर्ड डवलप करने की भी एक योजना थी एक बैल्ट बनाकर। अब रिचर्ड साहब आये उन्होंने एक डिजाइन ऐसा सलेक्ट कर लिया जो कि कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। उन्होंने फोरेस्ट भी विजिट किए और भी किए लेकिन शायद आपने यह कन्सीडर ही नहीं किया कि हमारे ओरीजनल प्लान में एक लार्ज स्केल पर फ्रूट प्लान्टेशन का एरिया होना चाहिये। फ्रूट आर्चर्ड का इसमें बहुत स्कोप है इसलिए फ्रूट प्लान्ट्स इसमें एड किया है मैंने। जब इसका एक्सटेन्शन नागौर, जोधपुर और भीलवाड़ा में भी कर रहे हैं तो कम से कम इस प्रोजेक्ट एरिया में तो मैं आर्चर्ड की बहुत अहमियत समझता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय !

(खण्ड 2 में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के अन्य संशोधन)

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, जो संशोधन सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर प्रस्तुत किया वह मैं समझता हूं कि इस मूल सेक्शन में शामिल है। भूमि विकास के संबंध में जो भी काम किये जायेंगे उसकी व्याख्या आगे

(श्री शिवचरण माथुर)

दी गई है भूमि विकास से कोई भी निम्न-लिखित संकर्म अभिप्रेत है और इसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7वें में वृक्षों, पौधों, झाड़ियों और घास का उगाना। तो इसमें फलों के वृक्ष अलग से रखने से क्या मतलब? यह जमीन के विकास में वृक्षों का विकास भी आ जाता है तो फलों के पेड़ अलग से हों इसका क्या मतलब है? भूमि विकास के संबंध में जो भी कार्यवाही की जायेगी वह इसमें दी गयी है कि क्या क्या काम किये जायेंगे उसमें वृक्षों का विकास भी आ गया। फलों के वृक्ष का अलग से क्या होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पौधों से मतलब स्माल नर्सरी है जिसमें यूकेलिपटिस के प्लान्ट हैं, कीकर के प्लान्ट हैं। पेड़ों से फलों के पेड़ का कोई मतलब नहीं निकला?

श्री शिवचरण माथुर : मेरा मतलब यह है कि भूमि विकास का सीमित मतलब है। भूमि विकास के अन्दर पेड़ों के अन्दर आने वाली भूमि का विकास भी किया जायेगा तो वह भी शामिल हो जायेगा इसलिए फलों के पेड़ और अलग से एड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह इसमें कवर हो जाता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री हांडा ने खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

(संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये?

श्री शिवचरण माथुर : खण्ड 2 में मेरा संशोधन है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह संशोधन कायदे से नहीं आ सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां नहीं आ सकता। इसमें मेरे और संशोधन हैं।

श्री सभापति : खण्ड 2 को सारे को मूव कर चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो अभी नम्बर 7 में ही मूव किया है।

श्री सभापति : खण्ड 2 को जब मैंने आपके सामने रखा है तो मैं आगे भी निवेदन करूंगा कि पूरे खण्ड 2 के बारे में जो भी आपको बोलना है एक साथ बोल लें। उसका जवाब आयेगा वह एक साथ आ जायेगा। क्योंकि एक एक भाग के ऊपर सारी चीज को किया जायेगा तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जायेगी और यह सम्भव भी नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खण्ड 2 तो बहुत बड़ा है।

श्री सभापति : आपको जो कुछ संशोधन रखने हैं एक साथ मूव कर दीजिए। चाहे बड़े हों या छोटे हों, अलग 2 भागों में नहीं लेकर एक साथ रख दें।

श्री शिवचरण माथुर : इसके पहले खण्ड 2 में क्रम से ले लें। मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री जी खण्ड 2 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत

(श्री सभापति)
करना चाहते हैं उसके लिए उनको स्वीकृति दी जावे ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 2 के उप-खण्ड 1 में, भाग (ठ) में शब्द 'प्रति भूमि' के स्थान पर व जहां कहीं भी इस विधेयक में 'प्रति भूमि' शब्द का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर शब्द 'प्रतिभूति' प्रतिस्थापित किया जावे।"

श्री सभापति : प्रश्न यह है....

श्री शिवचरण माथुर : एक और है।

सभापति महोदय, "खण्ड 2 के उप-खण्ड (1) में भाग (ण) में शब्द 'संकर्म' लोपित किया जावे।"

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने खण्ड 2 में....

(व्यवधान-अश्रव्य)

अच्छा एक साथ ले लेंगे। श्री हांड़ा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा : मैंने यह संशोधन रखा है कि "खण्ड 2 के भाग (ज) के उप-भाग (viii) के अंत में शब्द "जो अधिकतर अनकमाण्ड भूमि में किया जावे" जोड़ दिये जायं।" यह इस आइडिया से रखा है कि फोरेस्ट्री का, पाश्चर लैण्ड का वर्क है या दूसरे हैं यह कमाण्ड एरिया में न करके अनकमाण्ड एरिया में किया जावे। क्योंकि कमाण्ड एरिया जो है वह इर्रीगेशन परपज के लिए यूज किया जाता है और अब तो हमारा जितना कमाण्ड एरिया है उसका फोर्टी पर्सेन्ट भी हम इर्रीगेशन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अनकमाण्ड एरिया में तो आने की स्थिति पैदा होगी ही नहीं; यानि पांच लाख पचास हजार एकड़ में सिंचाई हो रही है और 75 के ऐण्ड तक तो सैकिंड प्रोजेक्ट में छः लाख होगा जिसमें से तीन चार लाख से ज्यादा किसी हालत में इर्रीगेशन नहीं कर सकेंगे। जो कि हमारा कमाण्ड एरिया है जहां पर पानी पहुंच सकता है उसका भी साठ पर्सेन्ट एरिया बाकी है। जो फोरेस्ट्री या पाश्चर लैण्ड की उपयोगिता है वह अनकमाण्ड एरिया में हुआ करती है। अगर आप कोलोनाईजेशन के बारे में जितना वर्क है, द्वापा की रिपोर्ट है, लीबिया और अल्जीरिया जो लिफ्ट वाले प्रोजेक्ट हैं, उनके जो लिफ्ट प्रोजेक्ट हैं, इर्रीगेशन के लिए बड़े कोस्टली हैं। जैसे आप कोलायत में ले जाना चाहते हैं, नागौर में ले जाना चाहते हैं, कोलायत का लिफ्ट प्रोजेक्ट है उसमें भी कोस्ट ऑफ इर्रीगेशन पर एकड़ ढाई सौ, तीन सौ रुपये पर-एकड़ आता है। इसलिए यह कभी इकोनोमिकल नहीं हो सकता वह कोलोनाईजेशन जिसमें तीन सौ रुपया सिंचन में चार्जेज दे दें और फिर आगे क्या कीजिएगा ? यह वास्ट एरिया जितना अकमाण्ड एरिया होता है उनको पाश्चर लैण्ड में किया जाता है। इसको दूसरी फसल के लिए करिये और राजस्थान में इस तरह के एरिया हैं, काप है, ग्रास है, सेवाना ग्रास है जो कभी ड्राई नहीं होती। जैसलमेर में आठ साल में एक दफा वारिश हो गयी तो इस प्रकार की ग्रास थोड़ी सी शावर से ग्रो हो जाती है। आपका कैटल ब्रीडिंग का

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बहुत बड़ा एरिया है, कैटल इण्डस्ट्रीयलाईजेशन के लिए आप अनकमाण्ड एरिया को रिजर्व रखिए। आपके पाश्चर लेण्ड के लिए, फोरेस्ट्री के लिए, आप कैनाल बेल्ट पर कुछ नहर से कितनी ऊंची फोरेस्ट्री है उसको कीजिए। हनुमानगढ़ में एक फोरेस्ट्री बने जो कमाण्ड -एरिया को बहुत होर्टीकल्चर करती, एग्रीकल्चर करती लेकिन कमाण्ड एरिया में फ़ोरेस्ट्री का यूज क्या है। तो आपको सेंड को रोकने के लिए केवल अनकमाण्ड एरिया के अन्दर फ़ोरेस्ट्री परमानेन्टली क्रियेट करने के लिए करते। जोधपुर के एरिड जोन की फाइन्डिंग्स हैं कि इस किस्म की फ़ोरेस्ट्री बेल्ट क्रियेट करना चाहिए, अनकमाण्ड एरिया में करना चाहिए। चाहे आप लिफ्ट कैनाल से कीजिए। यह डेजर्ट के मूवमेंट को रोकता है इसलिए इस सारे को अनकमाण्ड एरिया में कर लीजिए, बड़ा इम्पेक्ट होता है, यह ज्यादा यूजफुल होगा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने निम्न संशोधन भी प्रस्तुत किये)

(iii) भाग (ञ) के उप-भाग (x) के पश्चात् निम्नांकित पंक्तियां अन्तःस्थापित की जायें, अर्थात्:—

"इसमें खेत के खाले, खालों को सीधा करने का खर्च, दुबारा चकों के निर्माण का खर्च, नये नाकों पर स्वीकृत होने वाला खर्च शामिल नहीं किया जायेगा।"

(ख) भाग (ठ) में प्रयुक्त शब्द "भू-धारक की भूमि के बन्धक अथवा किसी अन्य प्रतिभूमि पर" के स्थान पर शब्द "फसल की प्रतिभूमि पर" प्रतिस्थापित किये जायें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव तो बहुत सुन्दर है लेकिन इस योजना के अन्तर्गत वह नहीं लिया जा सकता। जो इस देश के किसानों की इन्क्रीमेन्टल इन्कम बढ़ा सके,—किसानों को जो लोन दिया जाएगा उसके री-पेमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने में काम आ सकती हो, मैं समझता हूं कि अनकमाण्ड एरिया में कोई भी स्कीम हाथ में लेना कोई उपयोगी नहीं होगा। उसका इसमें कोई समर्थन नहीं करेगा। कोई परपज इससे हल नहीं हो सकेगा और जो किसानों की इन्क्रीमेंटल इन्कम बढ़ाना चाहते हैं उस एरिया का विकास करके वह हो नहीं सकेगा। इसलिए कमाण्ड एरिया में ही हम ऐसी योजनाओं को हाथ में लेकर किसानों की इन्क्रीमेंटल इन्कम बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो कैपेसिटी है री-पे करने की वह बढ़ सके। इसलिए इस संशोधन से उसकी संगति बैठती नहीं है। मैं समझता हूं कि वह इस सारी योजना के अनुकूल बात नहीं होगी इसलिए मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने खण्ड (2) में जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उन्हें स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किए गए।

Page No 102

(102

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य हाण्डा ने खण्ड (2) में जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं उन्हें स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) मय संशोधन स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं दोनों को साथ ही रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 व 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 व 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5

खण्ड 5। श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा। सब एक साथ ही रखें।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का खण्ड 5 में संशोधन प्रस्ताव)

उप खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(1) निगम की स्वीकृत पूंजी दस करोड़ रुपये की होगी जो सौ सौ रुपये के एक लाख अंशों में विभाजित होगी, जिसमें से सौ सौ रुपये के पच्चीस हजार समादत अंश पहली बार में जारी किये जायेंगे तथा शेष अंश राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी से निगम द्वारा जब जब निगम उचित समझे समय समय पर जारी किये जा सकेंगे।"

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : खण्ड 5 में जो है वही रखूंगा। इस अध्याय को एक साथ नहीं रख सकता। खण्ड 5 में मैंने यह संशोधन रखा है कि जो पूंजी नियोजन है दस करोड़ रुपये का इसमें दस दस हजार के दस हजार शेयर रखे हैं। इस तरह से आपकी दो करोड़ की कुल पूंजी होती है। मैंने यह रखा है कि इसको सौ सौ रुपये में कन्वर्ट कर दिया जावे। और मेरा कहना यह है कि इस तरह से 25 हजार शेयर हो जायेंगे। मैं यह कहता हूं कि केवल भारत सरकार और आप ही पार्टनर नहीं हों बल्कि उस क्षेत्र के जो परमानेंट अलोटी हैं और जो भूमिहीन काश्तकार हैं, नाइन्टी पर्सेन्ट लैण्डलेस हैं, राजस्थान कैनाल क्षेत्र की सरकारी लैण्ड है कल को आप कलेक्टीवलाईजेशन करें और विकास हो तो आप अपने हाथ में पावर लीजिए। लेकिन आप तो बन्धे हैं इन पोथों से जो तय हो गया वाशिंगटन में। इसमें कमाण्ड लिख दिया तो कमाण्ड ही रहेगा अनकमाण्ड नहीं रहेगा। कितनी भी दलीलें दो, कितनी ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दो, थ्योरीज रख दो कोलोनाईजेशन की आदिम काल की हिस्ट्री रख दो लेकिन वाशिंगटन में जो खुराना साहब ने दस्तखत कर दिए उससे एक इन्च टस से मस नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो सकते। जो पैटर्न वाशिंगटन में बना है वह बदल नहीं बन सकता। यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखियेगा। तो जो पैटर्न बन गया और 28 मई को साइन हो गए उस पैटर्न से हट कर आप कोई परिवर्तन करते नजर नहीं आते। सारी दलीलें दी गई, वेल कन्स्ट्रक्टेड, वेल डिजाईन्ड लेकिन मानते को तैयार नहीं। अब भी अगर आप इसको चेंज करें तो वहां के हरिजनों को गौरव देंगे। थर्टी पर्सेन्ट हरिजन हैं तो उनके आदर की बात होगी। उनको आप शेयर होल्डर बना दें कितनी बड़ी गौरव की बात होगी उनके लिए। आप दलीलें दें कि रेन्क्टन्यूलराईजेशन 1922 में हो गया, दुबारा कन्टूर्स बने, दो दो मुरब्बे पर पत्थर लगे हैं। आप मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट हैं, सेटलमेंट हैं उनकी गहराई से अध्ययन कीजिए। अब उसमें खाली वाटर कोर्सेज की डिवाइस, नाके को डिवाइस तो इर्रीगेशन ड्रेनेज एक्ट, 1954 बहुत साइन्टिफिक एक्ट है। दूसरे प्रावधान अच्छे उसमें होंगे। पनिशमेंट प्रेस्काइब्ड है। आपने 5 आदमी का रखा है तो उसमें 5 आदमी क्या करें? सारे साइन्टिफिक प्रोसेस को समझने की बात है। उसका आप अध्ययन करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप और भारत सरकार द्वारा ही नहीं, कल आप कलेक्टिव फार्मिङ्ग करें, को-ऑपरेटिव फार्मिङ्ग करें, तो आपके पास 20 लाख कल्चरेबल लैण्ड कमाण्ड में है और 36 हजार सिंचित क्षेत्र है तो 90 पर्सेन्ट पब्लिक सेक्टर में है और सब्जेक्ट टू आल सार्ट्स ऑफ एक्सपेरीमेंट है चाहे आप उस पर आप सोशियेलिस्ट कन्ट्रीज के एक्सपेरीमेन्ट्स करें या दूसरे एक्सपेरीमेंट्स कीजिये। इसलिए इसमें 100 रुपये का शेयर बनाया है। 25 हजार आपके और भारत सरकार के होंगे उसमें। आप मेजोरिटी ऑफ शेयर्स उसमें रखें, लेकिन 100 रुपये का शेयर इसलिए है कि जो वहां के हरिजन और दूसरे किसान हैं वे ले लें।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के शेयर्स हैं तो उसमें दिक्कत क्या है। तो शेयर्स देने का प्रश्न नहीं है।....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वैसे तो जमीन भी आपकी ही है....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए मैं माननीय सदस्य का प्रस्ताव मानने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (5) में माननीय सदस्य श्री हाण्डा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 6, श्री हाण्डा।

104

(श्री सभापति)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का खण्ड 6 में संशोधन प्रस्ताव खण्ड 6 को निम्नांकित खण्ड से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"6. अंशों के अन्तरण पर निर्बन्धन-राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच तथा इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसार सरकारी भूमि काश्त करने वाले भूमिहीन कृषक तथा छोटे किसान के सिवाय निगम के अंश अन्तरणीय नहीं होंगे।"

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, खण्ड (6) पर मेरा संशोधन ट्रान्सफर ऑफ शेयर्स का है। तो इस पर इसी के अनुरूप परिवर्तन रखे हैं कि भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों को और हरिजनों को विशिष्ठ रूप में इसके शेयर होल्डर्स बनाये जायें। यह उसी की कारोलेरी है ट्रान्सफर ऑफ शेयर्स के बारे में।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (6) पर माननीय सदस्य श्री हाण्डा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (6) मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 7

श्री शिवचरण माथुर : कोई संशोधन नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड (7) को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (7) स्वीकार किया गया।

खण्ड (8), श्री हाण्डा।

खण्ड 8

[श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का खण्ड 8 में संशोधन प्रस्ताव]

उप-खण्ड (1) व स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(8) "बोर्ड का गठन:-(1) निर्देशक-बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित जनता का एक व्यक्ति जो राष्ट्रीयकरण तथा भूमि सुधारों में पूर्ण विश्वास रखता हो जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक इन्जीनियर जो सिंचाई का विशेषज्ञ हो तथा जिसे बड़ी सिंचाई योजनाओं का पूर्ण अनुभव हो, बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित राज्य सरकार के अधिक से अधिक दो अधिकारी, जो तकनिकी कम प्रशासनिक योग्यता रखते हों;

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित केन्द्रीय सरकार का एक टैक्नीकल अधिकारी;

(छ) पांच गैरसरकारी डाइरेक्टर जिसमें से दो विधायक, दो पंचायत समिति के प्रधान और एक सरपंच होगा, तथा ये उस क्षेत्र के होंगे जहां निगम का कार्य क्षेत्र होगा;

(च) कृषि तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था तथा उपनिवेशन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाला राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक निदेशक;

(छ) बैंकों तथा वित्त पूर्ति संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक निर्देशक;

(ज) परियोजना क्षेत्रों के भू-धारियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशक पांच से अनधिक निर्देशक जिसमें से एक धनी किसान, एक मध्यम वर्ग का किसान और एक गरीब किसान तथा तीन सरकारी भूमि को स्थाई आवंटन द्वारा काश्त करने वाले भूमिहीन काश्तकार होंगे।

स्पष्टीकरण:—खण्ड (ज) के प्रावधान के लिये—

"(i) "धनी किसान" से वह किसान अभिप्रेत है, जिसके पास सीलिंग की सीमा के अन्तर्गत भूमि हो, लेकिन जो खेत मजदूरों की सहायता से काश्त करता हो,

(ii) "मध्यम वर्ग के कृषक" से वह कृषक अभिप्रेत है, जिसके पास सीलिंग सीमा से कम भूमि हो और जो स्वयं या परिवार के लोगों की सहायता से काश्त करता हो, तथा

(iii) "गरीब किसान" से वह किसान अभिप्रेत है, जिसके पास आर्थिक जोत से कम भूमि हो।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, यह जो आपका बोर्ड है इसमें मैंने जो पहला एमेंडमैंट दिया है वह यह है कि आपने तो एन्टायरली बिजनेस यानि बिजनेस आपका पहले है और पब्लिक इन्ट्रेस्ट बाद में आता है। मैंने पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात कही है पहले और बाद में कहना चाहता हूं बिजनेस आफ्टरवर्ड्स। आप तो इसमें अमेरिका और मैकनमारा की छाप इस पर नहीं कहते हैं। डिफेन्स सैक्रेटरी कहता है बिजनेस इज फर्स्ट, पब्लिक इन्ट्रेस्ट फर्स्ट नहीं है, सैकण्डरी है। मैंने चेंज किया है बिजनेस आफटर वर्ड्स और पब्लिक इन्ट्रेस्ट फर्स्ट। इस बोर्ड को सारे को मैकनमारा साहब की नगरी में बनाया है इस पैटर्न को मैंने चेंज कर दिया है और एक व्यापक आपको दे सका हूं पैटर्न।

इसके ऊपर राजस्थान सरकार का नहीं जनता का एक व्यक्ति होगा जो राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधारों में पूर्ण विश्वास रखता हो वह बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ऐसा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

व्यक्ति जो वाउच्ड नेशनलाइजेशन का हो और लैण्ड रिफार्म्स और स्ट्रिक्टली सीलिंग के अन्दर बिलीव करता हो। ऐसे सिद्धान्तों वाले पब्लिक के आदमी के बजाय किसी अधिकारी को आपने बोर्ड का अध्यक्ष स्वीकार किया है। उसकी जगह मैंने इसको ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया है।

इसमें मैंने वाइस-प्रेसीडेन्ट के लिए प्रपोज किया है कि एक सीनियर इन्जीनियर जो कि इर्रिगेशन इन्जीनियरिंग और हाइड्रालिक एक्सपर्ट हो और जिसका मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स में काम करने का एक्सपीरियन्स हो उसको मैंने इसके वाइस-प्रेसीडेन्ट के लिए प्रपोज किया है।

नं. 3 में मैंने प्रपोज किया है कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित राज्य सरकार के अधिक से अधिक दो अधिकारी जो तकनीकी-कम-प्रशासनिक योग्यता रखते हों। यह मैंने चेन्ज कर दिया है। आपने ऑफिसर्स ही ऑफिसर्स रखे हैं। वह किस वास्ते इसमें यह भी गलती है "नो लैस देन थ्री तो इसका क्या मतलब है यानि तीन से कम तो हो ही नहीं सकते। इससे आपका क्या मुद्दा है ? मेरा तो यह मुद्दा है कि स्पेशियेलिस्ट हो, जैसे कि एग्रोनॉमिस्ट हो, या होर्टीकल्चरिस्ट हो या डेवलपमैंट, विकास का हो, न कि आई. ए. एस. ऑफिसर हो। मैंने इस बोर्ड के गठन में आई. ए. एस. ऑफिसर्स को और टेक्निशियन्स को डिफ्रेनशियेट किया है। यह जो झगड़ा चलता है टैक्निकल डिपार्टमैंट का इन्चार्ज और हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट आई. ए. एस. को बना देते हैं। एम. ए. साहित्य में किया हुआ आर. एस. ई. बी. का चेयरमैन बन जाता है और चार साल तक वह डिसिप्लिन्स और फिक्वेन्सीज को समझता रहता है और वहां से ट्रेण्ड हो कर निकलता है तो उसको इर्रिगेशन का सेक्रेटरी बना देते हैं वह वहां पर मेजर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखे तो वह हमेशा स्टूडेन्ट ही बना रहता है। पंजाब और हरियाणा की मिसाल देते हैं कि इतना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो वह कैसे हो गया तो पंजाबने डिस्ट्रक्टली टैक्निकल आदमियों को ही हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट बनाया है। इस कन्ट्रोवर्सी में मैं नहीं पड़ता हूं। मेरी मान्यता यह है कि उन्हीं अधिकारियों को लेना चाहिए और मैंने उन्हीं की बात कही है और उनको थोड़ा सा प्रशासनिक एक्सपीरियन्स भी हो लेकिन मेनली वह टेक्निकल हैण्ड ही हों।

फिर मैंने इसको आगे ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया है। इसमें मैंने 6 जन-प्रतिनिधि रखे हैं बैलेन्स रखने के लिए। आपकी फाइनेन्स कॉर्पोरेशन का होगा उसको स्वीकार किया है, फिर धनी किसान वर्ग का जिसके पास सीलिंग लिमिट तक की जमीन हो, एक उस किसान वर्ग का जिसके पास सीलिंग से कम जमीन हो और एक वह जिसके पास अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स है इस तरीके से वह तीन किसान होंगे और तीन किसान वह जो टोटली गवर्नमैंट लैण्ड पर काश्त करते हैं। इस तरह से यह 6 किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव रखे हैं ताकि टैक्निकल आदमियों सहित यह एक डेमोक्रेटिक सेट अप इस प्रकार का बिल्ट अप हो सके। आपका जो वाशिंगटन का पैटर्न है उसके मुकाबले में एक ही पैटर्न सोच सका हूं। इसका स्पष्टीकरण अलग से करूंगा। इसमें लैण्डलैस हरिजनों को ले लिया है····

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों की गुंजायश नहीं है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सदस्यों का भी रखा है, दो विधायक, दो प्रधान और एक सरपंच जो कि उस क्षेत्र के होंगे जहां निगम का कार्य क्षेत्र होगा। मैं समय के अभाव को देखते हुए जल्दी जल्दी पढ़ गया। मैंने 5 इसमें रख दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों को उचित स्थान दिलाना चाहता हूं। दो विधायक, दो प्रधान और एक सरपंच उस क्षेत्र के अन्दर जिसमें आपका प्रोजेक्ट फन्क्शन करता हो। 6 किसानों के प्रतिनिधि होंगे जिनमें से 3 गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग के होंगे और एक सीलिंग तक की जमीन वालों का, एक कम का और एक गरीब किसानों का प्रतिनिधि होगा और सबके ऊपर एक पब्लिक का आदमी हो जो कि आपकी पॉलिसीज से कमिटेड हो। इस तरह से इस बोर्ड का गठन, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति जी, हाण्डा साहब ने बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में संशोधन 8 रखा है। पहला चेयर- मैन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति ऐसा हो जिसका राष्ट्रीयकरण में विश्वास हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि चेयरमैन का राष्ट्रीयकरण से क्या संबंध है। यह तो भूमि का विकास करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस व्यक्ति को राष्ट्रीयकरण का ज्ञान होगा वह ही नेशनलाइजेशन कर सकेंगे। आखिर आपकी इकोनॉमी क्या है आप तो आखिर समाजवाद में विश्वास करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : किसी चीज का राष्ट्रीयकरण निगम का अध्यक्ष क्या करेगा। इसलिए ऐसे आदमी को बनाया जाय, यह शर्त इन्होंने रखी होगी, यह तय कौन करेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तय करने के लिये यह मालूम नहीं है क्योंकि........

श्री सभापति : कस्टोडियन ऑफ दी नेशनलाइजेशन पॉलिसी....

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीयकरण से निगम का कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन तो सरकार ही बनायेगी। इसलिए इस प्रकार का व्यक्ति जो राष्ट्रीयकरण का ज्ञान रखता हो, इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं कि वह चेयरमैन बनाया जाय। इसके अलावा आपने यह चर्चा की कि वह व्यक्ति टैक्निकल होना चाहिए, चाहे इन्जीनियर हो, कृषि का ज्ञान रखने वाला हो, या होर्टिकल्चरिस्ट हो इसके बारे में मेरा निवेदन है कि अगर आप खण्ड (8) के (अ) में आप देखें तो—'कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान, अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाला राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक निदेशक, तो इस प्रकार का एक व्यक्ति रखने का हवाला हमने इसमें रखा हुआ है। इसमें एक्सपर्ट को रखने वाली बात कही गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृषि की तकनीक में एक्सपर्ट हो, उसका ज्ञान रखता हो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार

(श्री शिवचरण माथुर)

द्वारा निर्देशित अधिक से अधिक पांच अधिकारी और भारत सरकार द्वारा तीन अधिकारी नोमीनेट किये जा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे अधिकारी आई. ए. एस. ही हों टैक्निकल भी हो सकते हैं। इसलिए इस आधार पर हांडा साहब ने जो कैटेगरी बताई है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसको डिफाइन तो कर दीजिये, नहीं तो वही पुराना सिस्टम चलता रहेगा।

श्री शिवचरण माथुर : भारत सरकार की ओर से भी इस प्रकार के विशेषज्ञ हो सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इसमें कोई ऐसे व्यक्ति जो एग्रो-इकोनामिस्ट हों, या कोई टैक्निकल एक्सपर्ट हों या कोलोनाइजेशन का स्पेशलिस्ट हो, नहीं तो Technocrat or a Beaurocrat-you have to define that.

पहले आप इसको डिफाइन तो कीजिये

श्री शिवचरण माथुर: उसमें इस प्रकार का कोई बन्धन नहीं है कि कोई तकनीकी जानकार या टैक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आपने एक धनी किसान को इन्क्लूड करने वाली बात कही, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो कहा था कि ऐसा भूपति जिसके पास सीलिंग से कम जमीन हो, ऐसे किसान हों उनको क्लासीफाई किया जाता।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी समझा दें उनको।

श्री शिवचरण माथुर: आपके संशोधन से यह मालूम पड़ता है कि धनी किसानों को किसी न किसी रूप में अवश्य लिया जाना चाहिए। हमने तो इसमें वीकर सेक्शन के कमजोर वर्ग के दो व्यक्तियों को रखने के लिये प्रावधान किया है, इससे ज्यादा उत्तम व्यवस्था क्या होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मैंने तो पांच आदमी वीकर सैक्शन के रखने के लिये कहा है।

श्री शिवचरण माथुर: फिर तो बोर्ड बहुत लम्बा हो जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कुल मिला कर 29 के करीब ही तो होंगे।

श्री शिवचरण माथुर: मैं समझता हूं कि जो दलील माननीय सदस्यों ने दी हैं उसका विश्लेषण करते हुए तो प्रस्ताव मैंने रखा है संशोधन का वही उपयुक्त है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न है कि राजस्थान भूमि विकास विधेयक, 1975 के खण्ड 8 में माननीय सदस्य श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 8 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 तक स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 से 11 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 12, माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : खण्ड 12 में एक प्रिन्टिग एरर है उसको भी ठाक करने की बात है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खण्ड 12 में क्या संशोधन है यह तो बतावें।

श्री शीवचरण माथुर : खण्ड 12 में शब्द 'वर्ग' के स्थान पर शब्द 'श्रंग' प्रतिस्थापित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न है कि खण्ड 12 में जो माननीय प्रभारी मन्त्री ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 12 में शब्द 'वर्ग' के स्थान पर शब्द 'श्रंग' प्रतिस्थापित किया जावे"।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 को संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

प्रश्न है कि खण्ड 13 से 17 तक स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 13 से 17 स्वीकार किये गये।

खण्ड 18, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का खण्ड 18 में संशोधन प्रस्ताव उपखण्ड (i) के भाग (ख) में 'प्रयुक्त शब्द "या किसी भी अन्य व्यक्ति से धन उधार ले सकेगा तथा निक्षेप स्वीकार कर सकेगा" के स्थान पर शब्द "धन उधार ले सकेगा" प्रतिस्थापन किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, Borrowing by the Corporation through any person ये शब्द विलोपित किये जावें।

'borrow moneys and accept deposits from the Central Government the State Government, any bank or financing institution and

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

with the approval of the State Government from a कोरपोरेटेड बोडी, यहां तक तो कोई एतराज नहीं है। or from any other person इसमें मुझे ऐतराज है। क्योंकि इसका मतलब है इसमें टाटा और बिड़ला जैसे आने लगेंगे। अभी 1200 करोड़ की सम्पत्ति तख्तशाही की ब्लैक मनी निकली है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

श्री शिवचरण माथुर (श्री हांडा से) : आपका क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फ्रोम एनी बडी विड्रा किया जाय।

श्री दीपंकर : यह स्पष्ट कर दें।

श्री शिवचरण माथुर : राय लेने में क्या दिक्कत है।

श्री दीपंकर : आगे शंका यह है कि रुपया देकर कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। पैसे के नाम से आज तक कितनी ही इज्जत लूटी गई है। पैसे के कारण ही आज समाज दुखी है। पैसे को लेकर आप राजस्थान के काश्तकार के लिए क्या करना चाहते हैं। आप भटक नहीं जायें। यही मेरा कहना है।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, इस खण्ड में यह है कि निगम कहीं न कहीं से पैसा लेगा ही। जिस कार्य के लिए निगम बनाया है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट से स्वीकृति लेकर होगा तो इसमें कोई शंका का प्रश्न नहीं आता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 18 में जो माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वह स्वीकार किये जायें ?

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, एक मुझे इसमें संशोधन रखना है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें मुझे ऐतराज है।

श्री सभापति : पहले इनका करा लें।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 में जो संशोधन श्री हांडा ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक पर खण्डशः विचार करने के समय संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने सम्बन्धी

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, कोई विशेष टैक्नीकल बात हो तो वह बात तो है दूसरी। या तो विभाग करेक्ट करे। सामने रखे। आपको देखना चाहिए कोई प्रिंटिंग एरर तो नहीं रह गया है। देखते तो हैं नहीं। एक दिन ऐसा आयेगा कि बिल को यों ही भेज देंगे पास करने के लिए। यह नहीं है। संशोधन के लिए काफी लम्बी प्रक्रिया है। परमीशन चेयर की लेनी पड़ती है। ध्यान रखना चाहिए। आप कानून बनाने जा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मेरा ऐसा मतलब नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मतलब की क्या बात है। आपने देखा ही नहीं है। प्रिंटिंग एरर नहीं है तो क्या चीज है।

श्री दीपंकर : विधि मन्त्री जी से सलाह ले ली होगी। उनको ऐतराज नहीं है तो क्या है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। नियमों में प्रावधान है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहुत कड़े हैं।

श्री सभापति : वह चेयर की ओर से या प्रभारी मन्त्री कभी भी प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह नहीं है कि हमेशा ही दे दें। यह चेयर की मन्शा नहीं है। इसके लिए अर्जेन्सी देखते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाये, वह बात और है। लेकिन यह तो जितनी संक्शन्स हैं, उनके अन्दर यही है।

श्री सभापति : राज्य सरकार को इस बारे में ध्यान रखना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ताड़ना देनी चाहिये।

श्री सभापति : मैं समझता हूं जो कुछ आपने और हमने कहा है, वह काफी है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक तरफ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सप्लीमेण्टरी मन्त्री के पास जाना चाहिये। यदि प्रिंटिंग एरर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हाउस को बहुत लाइटली लेते हैं। पढ़ने की चिन्ता नहीं करते हैं।

श्री सभापति : वैसे मैं समझता हूं कि प्रभारी मन्त्री जो भी बिल प्रस्तुत करें, वह काफी देखभाल कर रखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, नियमों के अधीन भविष्य में ध्यान रखें। इसके साथ ही यह भी नियमों में व्यवस्था है कि उनको स्वीकृति दी जा सकती है। इसलिए आपकी भावनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए, माननीय मन्त्री महोदय जो संशोधन मूव करना चाहते हैं, वह करें।

विधेयक पर अग्रेतर खण्ड 21 पर विचार

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री सभापति : पहले स्वीकृति लेनी है।

श्री शिवचरण माथुर : खण्ड 18 है।

श्री सभापति : क्या सदन की मन्शा है कि प्रभारी मन्त्री जी संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति दी जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड 18 में शब्द "वित्त पूर्ति" के पश्चात् शब्द "संस्था से" प्रति स्थापित किया जाये।

Page No 112

(112)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रभारी मन्त्री ने संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 19।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक आज के दोनों बिल पास न हो जायें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : आज आप को मौका मिल गया ?

श्री सभापति : आपके प्रस्ताव में जो भी माननीय सदस्य चाहें मूव कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक सदन का बिजनेस समाप्त न हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि आज का बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

बिजनेस समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रस्ताव सर्व सम्मति से····

श्री सभापति : खण्ड 19। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

खण्ड 19 श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का खण्ड 19 में संशोधन प्रस्ताव।

"इस खण्ड में शब्द "पारिश्रमिक ले सकेगा" के पश्चात् प्रयुक्त शब्द "और किसी भी व्यक्ति से दान, अनुदान सहायिकी, संदान या कोई भी उपकृति स्वीकार कर सकेगा" विलोपित किए जाये।"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय,

The corporation may receive remuneration for its services including costs of the execution of works if any incurred by the corporation under this Act.

यानि श्रम के रूप में श्रमिक ले सकेगा। यहां यह भी कहा गया है :

"and accept gifts, grants, subsidies, donations or any benefications from any person".

अब उसमें गिफ्टस् स्वीकार करेंगे, बेनिफिकेशन स्वीकार करेंगे, डोनेशन स्वीकार करेंगे। विश्व बैंक का इतना बड़ा कर्जा ले लिया, इतना हैवी इन्ट्रेस्ट जिसका है, इतना फॉरेन एक्सचेंज इन्वाल्व्ड है। फिर हमारे सामने प्रश्न है कि कर्ज लेने की बात

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर रहे हैं, तो बिड़ला, टाटा से ले लें। लेकिन गिफ्ट लेने की बात कह रहे हैं, डोनेशन लेने की बात कह रहे हैं। यह कोर्पोरेशन वह है जो वाशिंगटन में बना है, या क्या है। यह कॉर्पोरेशन कितना ग्रीडी है यह टेण्डेंसी है कि गिफ्ट ले लें। क्या मुजायका हुआ। हमारे कोर्पोरेशन को कोई प्रेसराइज कर ले। उसका शेअर मनी है, तो खेतीहर मजदूरों को भी सौ रुपये के शेयर लेने देवें। लेकिन वह नहीं करेंगे और गिफ्ट लेने को तैयार हैं This is a clear picture of Washington.

श्री सभापति : श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सही मायने में समझ में नहीं आता, हमारे यहां पर एक तरफ तो पैसे की कमी मानी गई है, उस कमी के कारण सरकार ने यह अनुभव किया कि दूसरे मुल्कों से पैसा लें और लेकर यहां जमीन को बराबर करें, काश्तकारों की उपज बढ़ाने के लिए मदद करें, उपज को बढायें। ऐसी सूरत के अन्दर दान और लें यह कौनसी व्यवस्था है। या तो ऐसा होना चाहिये कि मूलतः इसकी परिभाषा के अन्दर यह बात आनी चाहिए कि हम काश्तकारों के हित में ऐसा काम करने जा रहे हैं, जिसमें काश्तकारों के इन्ट्रेस्ट में, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, बीमारियों की रोक-थाम के बारे में कोई आदमी डोनेशन देगा तो हम ले लेंगे। मूलतः ऐसा होता तो समझ में आता नहीं तो यह माना जाना चाहिए कि हमें लोन लेने के अलावा इस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है। इस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है तो खुल करके हमें वहां से छूट लेनी चाहिए और हमारे यहां विशेष ऐजेन्सी से काम कराने की छूट लेनी चाहिए। कह दें कि इतना पैसा दिया था, हम आगे छूट देते हैं तो इस तरह की छूट भी हो और इस तरह पैसे की सारी बातें, लेन देन की छूट भी हो। हम कभी पानी वानी पहुंचाने की बात यहां कहें। हम सोचें कि काश्तकारों का और काश्तकारों की श्रमिक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। आज काश्तकारों की शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए ही डोनेशन लेने की बात है। यह दरअसल, मूलतः उद्देश्य से परे की बात है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। यह इसमें नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वोट में साथ देंगे।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, अब पचास तरह की शंकाओं का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूं, यह कॉर्पोरेशन के अन्दर साधारण व्यस्थाएं होती हैं, सोर्सेज इकट्ठे करने हैं तो कौन कौनसे साधन हो सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि पूंजीपति से गिफ्ट लेने की बात हो। इसके अन्दर मुझे यह प्रतीत नहीं होता है।

श्री दीपंकर : निगम बनाने लिए लोन पूरा नहीं है तो भीख मांगेंगे? यह नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 19 में जो माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 19 को उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 19 स्वीकार किया गया!

खण्ड 20। कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 20 स्वीकार किया गया।

खण्ड 21।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा का खण्ड 21 में संशोधन प्रस्ताव।

"लाइन दो में प्रयुक्त शब्द 'या अन्य अभिकरण' को विलोपित किया जाये।"

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जो तय हुआ था वाशिंगटन में 24 मई से 28 मई तक, उसके सम्बन्ध में पर्टीक्यूलर्ली मैंने चार्ज लगाया कि प्रेसराइज करेंगे, यह उसको एस्टेब्लिश करता है। 30 पर्सेन्ट कार्य आपका कॉर्पोरेशन करेगा, 70 पर्सेन्ट कार्य कान्ट्रेक्ट के द्वारा होगा। मैं चैलेंज करता हूं मंत्री महोदय यह आप नहीं बदल पायेंगे। आपमें शक्ति नहीं कि आप बदल सकें या मुख्य मंत्री बदल सकें। इस दफा को आप नहीं बदल सकते। मैंने इसमें क्लीअर यह एड़ किया है The Corporation may execute the works itself or have the works executed through the appropirate departments of the State Government एण्ड में आती है बात: 'or through any other agency.'

The Contractor shall charge 70 per cent. more for the works from the Corporation.

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, यह बात तो बिल्कुल निर्विवाद है कि 30 पर्सेन्ट काम कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से करवायेगा और 70 पर्सेन्ट कॉन्ट्रेक्टर को ठेका दे, ठेके के तहत दे। यह किस तरह का कॉर्पोरेशन बनाया गया है, किस तरह यह काम कर पायेगा। मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेशन बनाया गया है दूसरे मुल्क के इशारे पर, दूसरे तरीके से। मैं समझता हूं, यह हमारे स्वाभिमान की बात है इस कॉर्पोरेशन में उधार रुपया लेकर उसको अपनी तरफ से खर्च करें—इतना अधिकार होना चाहिए। इसमें यह शोभाजनक नहीं हैं कि 30 पर्सेन्ट काम कॉर्पोरेशन खुद कराये और 70 पर्सेन्ट का ठेका दे, 70 पर्सेन्ट ऐसी एजेंसी के अ॒ हो जिसका डाइरेक्शन वहां से आयेगा। यह हो सकता है कि हम पाकिस्तान के बोर्डर पर हैं, यह एजेंट वहां सी. आई. ए. का हो सकता है, या किसी का रिश्तेदार हो सकता है, जिसको अोब्लाइज किया जा सकता है। कई रीजन इसके पीछे आते हैं। इसलिए लाजिमी बात है, मंत्री महोदय हिम्मत करके स्वयं इस संशोधन को स्वीकार कर

(श्री दीपंकर)

लें, और नहीं कर सकें तो दिल्ली से सम्पर्क करके कर लें। कम से कम कॉर्पोरेशन की इज्जत का यह सबसे बढ़िया क्लाॅज है, सबसे बढ़िया साधन है, हमें बाहर से ली हुई रकम को खर्च करने का अधिकार होना चाहिए, यह नहीं कि दूसरे के इशारे पर करें कि उसकी मशीनरी आयेगी, उसके ठेकेदार आयेंगे। यह बड़ा भारी स्कैण्डल है। इस कारण राजस्थान खतरे से खाली नहीं है, राजस्थान के अन्दर अमेरिका अग्रसर हो रहा है। यह उसकी पूंजीवादी मनोवृत्ति का परिचायक है। इसलिए आप हिम्मत करके इसे अंगीकार करें। इसे नहीं मानते हैं कि आप कॉर्पोरेशन न बनायें और राजस्थान के स्वाभिमान को इस तरह की गलत शर्त मानकर गिरवी रखने का प्रयत्न न करें। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, यह एक्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स के लिए यह कहा गया है The Corporation may execute the works itself or have the works executed through the appropriate departments of the State Government or through any other agency. यह उसमें प्रोविजन है, और मैं समझता हूं, हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो इस कमाण्ड डवलपमेंट एरिया का काम करेंगे, उनसे कॉन्ट्रेक्ट होगा। यही नहीं, आज यहां जो काम होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्ट होता है या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि वाशिंगटन····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 70 per cent. will be done by the Contractor.

आप क्लीअर कीजिये कि एग्रीकल्चर डवलपमेंट कोपरेटिव सोसाइटी से करायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बीच बीच में न बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें शर्त है 70 पर्सेन्ट की, पेज 37, सेक्शन 33, जिसमें शर्त की है, इसको वन टू आल पढ़ लीजिये। मैं एक एक वर्ड पढ़ देता हूं, 70 पर्सेन्ट कॉन्ट्रेक्ट पर होगा और 3 पर्सेन्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। इसके मैं वर्ड पढ़ कर सुना देता हूं 30 per cent. will be carried out under the projects. आपको 70 पर्सेन्ट काम कान्ट्रेक्ट से करवाना पड़ेगा By any other agency what do you mean..?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें तो खण्ड 21 है, इसमें एजेंसी का सवाल है और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का सवाल आता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें एनी एजेंसी से क्यों नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : हमारा डिस्क्रिशन है, हम स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से करायें। स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी है। स्टेट डिपार्टमेंट के पास किसी क्षेत्र के एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं हैं, इसके लिए प्रोविजन रखा हुआ है। यह जरूरी नहीं है कि सब काम उसको दे दिये जायें या वाशिंगटन से आकर काम करेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वाशिंगटन से आकर नहीं करेगा, लेकिन 70 पर्सेन्ट ठेके पर कराये और 30 पर्सेन्ट आपकी एजेंसी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
से होगा। यह एग्रीमेंट आपने साइन किया है। यह गलत डॉक्यूमेंट उठा कर नहीं फिर रहा हूं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप कह चुके हैं। मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, उसको सुन लीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : एजेन्ट्स का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि कभी एजेन्ट्स किसी के पास अवेलबुल हों उसको भी करने की गुन्जाइश हो, बाकी एड-मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए साफ लिखा है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आपत्ति यह है कि कॉन्ट्रेक्टर के मार्फत, यह मैंडेटरी है। आप एग्रीमेंट से बाऊंड हैं या कहो कि हम नहीं मानेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यू आर एवरी इंच बाऊंड।

श्री शिवचरण माथुर : एजेन्ट्स तो काश्तकारों के हो सकते हैं।

श्री दीपंकर : आप कह दीजिए कि निगम की एजेन्सी होगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

श्री खेतसिंह : Noes have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Ayes have it I claim division.

श्री खेतसिंह : आप विराजिए, वोट तो आपके हैं नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिद्धांत तो है।

श्री सभापति : मैं दुबारा रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में जो माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 को मूल रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 21 स्वीकार किया गया।

खण्ड 22 से 31 तक कोई संशोधन नहीं है इसलिए एक साथ रखता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 से 31 तक स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 22 से 31 तक तक स्वीकार किए गए।

खण्ड 32। श्री हांडा !

[श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का खण्ड 32 में संशोधन प्रस्ताव "उपखण्ड (2) के भाग (ii) का द्वितीय परंतुक विलोपित किया जाये।"]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें कलेक्टर को पावर्स हैं कि किसी तरीब ने खाला बंद कर दिया, तो बुलडोजर खड़ा कर दिया,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
उसका गेहूं का ढेर लगा हुआ है और टीबा अनलेविल कर देंगे। उसको जेल में डाला जाएगा या वाशिंगटन भेज दिया जाएगा। जहां गेहूं निकालता है वह गेर दिया। गरीब को तबाह कर दिया। आपने लिखा है कि वह नुकसान के लिए एप्लाई करेगा:

"Provided that the amount of compensation shall not in any case exceed the principal amount of the ordinary loan originally sanctioned to him."

दो किस्म का कर्जा देते हैं ऑर्डिनरी लोन और स्पेशल लोन और आपके एगजीक्यूशन से गरीब की पूरी फसल तबाह। गलत लेविल कर दिया, जमीन तबाह वाटर कोर्स गलत निकला तो जमीन खतम हो गई। गलत चकबंदी हो गई तो उसकी जमीन कमांड नहीं हो सकती और जो ऑर्डीनरी लोन देते हैं उससे ज्यादा कम्पेन्सेशन नहीं देंगे। अगर वह रोक दे आपके कहे अनुसार अपनी बिजाई छोड़कर, आपकी फैनस्टिस्टिक एग्रीमेंट के अनुसार बाहर नहीं आता है तो एक हजार जुर्माना और 6 महीने की सजा। हरएक विकास का काम बंदूक के नौक पर रखा है। इससे ज्यादा एन्टी-पीपुल और क्या हो सकता है ? मैं चैलेंज करता हूं ये चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सब बातों में आपके टाइज हैं और जितने एग्रीमेंटस हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इन दी हिस्टरी ऑफ एग्रीमेंट्स, चाहे कैपीटलिस्टस-दशों से हों, चाहे समाजवादा देशा से हो, इतने बड़े स्टिग्स का एग्रीमेंट कोई दूसरा नहीं है।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

श्री शिवचरण माथुर : यह तो किसान के पक्ष की बात है।

श्री दीपंकर : आप कम से कम यह तो करो कि काश्तकार अगर उसके काम करने के लिए जिस सरकारी मशीनरी को आपने लगाया है, वह अगर गल्ती करे और आपके आदेशानुसार काम नहीं करे तो उस पर पेनल्टी या सजा इसमें प्रोवाइड करें। वह नहीं करते हैं और काश्तकार को ही दंड देना चाहते हैं। यह कोई डेमोक्रेसी है ? यह आपका बनाया हुआ गठन है। यह गठन किसान की गांठ बांध लेगा, वह मर जाएगा। इसलिए सरकारी मशीनरी को बांधो कि निर्धारित समय में कोई एरिया लेविलंग करने का जो काम दिया है, वह अगर टाइमली नहीं किया तो उसको यह सजा दी जाएगी।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, यह जो खंड 32 है इसमें प्रावधान रखा है यदि किसान के खेत पर जो कुछ योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, उससे किसान को नुकसान हुआ है तो उसके कम्पेन्सेशन की कलेक्टर जांच करवाएगा। इसका तो स्वागत करना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नीचे पढ़िए। Provided that the amount of compensation shall not in any case exceed the principal amount of the ordinary loan originally sanctioned to him.

श्री दीपंकर : काश्तकार को उलझा दिया।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : इसमें पहले प्रावधान है "To rectify the defects or complete the unfinished work as the case may be.

कॉर्पोरेशन को बाध्य करेगे "To rectify the defects or complete the unfinished work as the case may be, within such period as the Collector may allow;

पहला प्रावधान यह है उसके बाद में कम्पेन्सेशन की बात आती है ।

पहले निगम को उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कलेक्टर बाध्य करेगा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 32 में जो माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं स्वीकार किये जाएं ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये ।

प्रश्न यह है कि खंड 32 को मूल रूप से स्वीकार किया जाए ।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : No, sir Noes have it.

श्री सभापति : मैं दुबारा रखता हूं । प्रश्न यह कि खंड 32 मूल रूप से स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड 32 मूल रूप से स्वीकार किया गया ।

खंड 33 से 54 तक संशोधन नहीं हैं इसलिए मैं एक साथ रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड 33 से 54 तक स्वीकार किए जायं ।

(स्वीकृत)

खंड 33 से 54 तक स्वीकार किए गए ।

प्रश्न यह है कि विधेयक की अनुसूची को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किए गए ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय........

श्री सभापति : आप जो कुछ कहें, समय को देखते हुए संक्षेप में कहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं, मैं कोई रिपिटीशन नहीं करूंगा । मैं दो बार बोला हूं, जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बात अभी तक नहीं कही है वही कहूंगा। मैं मंत्री महोदय की दलीलों का उत्तर देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से बड़ी नम्रता और बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास के नाम पर इन साम्राज्यवादी देशों के खेमें में अपने देश को सुपुर्द कर रहें हैं। माननीय मन्त्री जी ने यहां पर जो दलीलें दी हैं वह सभी बेकार हैं। आपको सदन के माननीय सदस्यों का बहुत ही स्पष्ट रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह साम्राज्यवादी देश जिसमें खासतौर से अमेरिका विकास के नाम पर अपने देश पर इकोनोमिक स्ट्रिंग्ज डाल रहा है। यही नहीं, चाहे कोई भी देश हो चाहे हॉलैण्ड हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी देश हो, यह देश दूसरे गरीब मुल्कों पर उनके इकोनोमी डेवलप करने के नाम पर किसी भी देश में एन्टर होते हैं और बाद में उस देश का इकोनोमी को खरीद कर अपने अण्डर में ले लेते हैं। मैंने पहले भी मन्त्री महोदय से यह कहा था कि यह जो राजस्थान कैनाल का जो प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं यह 330 मील का टुकड़ा है जो कि हमारे देश के बोर्डर से समानान्तर जाता है, इसके साथ साथ में आप इस नहर को जोधपुर ले जाना चाहते हैं, नागौर ले जाना चाहते हैं, भीलवाड़ा भी लेजाना चाहते हैं। और बाद में सारे राजस्थान को ले जाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने जो मुद्दे उठाये हमने विकास के लिये यह समझौता किया है इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें अमेरिका की इकोनोमिक स्ट्रिंग्ज है और उसको देखते हुए और आज देश की गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए जबकि आज देश की गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए जब कि आज आपके देश में प्रतिक्रियावादी ताकतें देश में बल पकड़ने की कोशिश कर रही हैं उस वक्त आप अपने देश के सारे के सारे नक्शे अमेरिका को दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं सदन में कि आप अपने देश के सारे नक्शे विकास के नाम पर अमेरिका को आउट कर दिये हैं। आपने वर्ल्ड बैंक मेक्नमारा को यह वह मैक्नमारा है जो कि अमेरिका का डिफेन्स सेक्ट्री था और जिसने कि वियतनाम बरबाद कर दिया। हालांकि जो पेरिस समझौता हुआ था उसको मिट्टी में मिला दिया। मैंने तो आपका कहा था कि आपने सन् 74 में देश की सारी की सारी सीक्रेसी को इन साम्राज्यवादी ताकतों को बता दिया लेकिन आपने यह कहा कि हमने तो आज से तीन साल पहले ही यानि कि सन् 71-72 में ही नक्शे दे दिये थे इसका मतलब यह है कि इमीडियेटली आफ्टर दी पाकिस्तान वार। सभापति महोदय, इन नक्शों में हमारे देश की पूरी की पूरी सीक्रेसी है सारा का सारा रिकार्ड आपने वर्ल्ड बैंक की अथोरिटीज को सौंप दिया और इस समझौते के अनुसार यह वर्ल्ड बैंक की अथोरिटीज किसी भी जगह को जाकर चैक कर सकते हैं सभापति महोदय, इस प्रकार के मेप तो हमारे फौजी जवानों के पास भी नहीं थे। मैं आपको गंगानगर क्षेत्र के बारे में पिछले वार टाइम के जमाने में हमारे डिफेंस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

डिपार्टमेंन्ट के पास असली नक्शे नहीं थे और जो उन्हें हमने करेक्ट करके दिये। आपको शायद राजस्थान कैनाल के उस पटवारी का किस्सा याद होगा मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस पटवारी को गंगानगर की जनता ने हमारे देश के नक्शे चुराते हुए पकड़ा था और वह तो बहुत बुरा हुआ कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या करली अगर वह आत्महत्या नहीं करता तो हमें कई सीक्रेट्स जो उसके द्वारा आउट हो गए थे वह पता लगा। सभापति महोदय, यह बिल जो आज सदन में आया है उससे यह होगा कि हमारे राजस्थान कैनाल का विकास सारा का सारा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से होगा। सभापति महोदय, यह विकास नहीं हमारे देश का विनाश होने का इसमें खतरा है। हमारे देश की सुरक्षा को एप्रीहेन्शन होता है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और बड़े ही अदब के साथ निवेदन करूंगा कि अमेरिका का यह एक तरीका है किसी भी देश के इकोनोमिक विकास के लिए यह इकोनोमी स्ट्रिंग्ज इसमें डाल देता है और बाद में उस का खतरा पहुंचता है। सभापति महोदय, आप राजस्थान कैनाल को बनाये, बड़े शौक से बनाये लेकिन उसे आप अपने हिसाब से बनायें उसे रामगढ़ तक ले जायें लेकिन इस तरह से समझौता नहीं करें। सभापति महोदय, आज वर्ल्ड बैंक के अन्दर मेजोरिटी ऑफ शेयर्स मोर देन फिफ्टी परसेन्ट शेयर अमेरिका के हैं और वह अपने इन्हीं इकोनोमिक स्ट्रिंग्ज के मारफत अपने देश का माल बाहर बेचना चाहता है और फॉरिन एक्सचेन्ज कमाता है। इसके साथ-साथ वहां पर देश में गड़बड़ियां पैदा करता है। सभापति महोदय, सैकिण्ड वर्ल्ड वार का बहुत सा माल अमेरिका के पास पड़ा हुआ है वह यह अमेरिका सारा का सारा दूसरे देशों को वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बेचता है। सभापति महोदय, इस वर्ल्ड बैंक का चेयर मैन मेक्नमारा है जिसने वियतनाम को बर्बाद किया और पेरिस समझौते के टुकड़े-टुकड़े कर दिये।

एक माननीय सदस्य : यह रिपीटिशन हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय यह मेक्नमारा कहीं हमारे देश भारत वर्ष के 55 करोड़ व्यक्तियों की आजादी को खतरा नहीं पहुंचा दे, ऐसा मुझे एप्रीहेन्शन हो रहा है। सभापति महोदय, यह वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के नाम पर किसी देश में एन्टर होते हैं और उस देश को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि कांगों में किया इसी तरह और कई देशों को बर्बाद किया है। यह अमेरिकन टेक्टिक्स है कि वर्ल्ड बैंक के माध्यम से इकोनोमिक प्राजेक्ट तैयार करने के लिए यह उसमें एन्टर करते हैं और बाद में अमेरिका की सी. आई. ए. भी उसमें एन्टर हो जाती है और उसके बाद में उस देश की आजादी को खत्म करके ही वहां से निकलते हैं। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है कि इस बिल को पास नहीं किया जाय।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, मुझे कुछ भी निवेदन करना है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो

(श्री सभापति)

कुछ कहें उसका रिपीटेशन नहीं हो और संक्षेप में कहें ।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, आज जो यह सदन में बिल लाया गया है उसके पास हो जाने से हमारी सरकार राजस्थान कैनाल के डेवलपमेन्ट के लिए वर्ल्ड बैंक की अथोरिटीज को यह पावर्स देने जा रही है कि राजस्थान कैनाल में किसी भी प्रकार कोई चेन्ज करना होगा तो वर्ल्ड बैंक ही करेगी। सभापति महोदय, आज आपने हमारे देश के सभी सीक्रेट नक्शे कागजात वर्ल्ड बैंक को दे दिये, इस लिये हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। आज जो हमारे देश में हालात चल रहे हैं वह बहुत ही गम्भीर हैं। फासिस्ट ताकतें जोर पकड़ रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि उनको पता नहीं हैं कि यह अमेरिका जैसा कि उनके सदर श्री फोर्ड ने कहा कि हम दूसरे मुल्कों को इकोनोमी मदद करते है तो फिर वहां का सारा काम अपने हाथ में ले लेते हैं उनकी इकोनोमी को सुधारने के लिए पर सभापति महोदय, यह अमेरिका का इतिहास रहा है कि वह जहां कहीं भी विकास के नाम पर जाता है वहां पर उपद्रव कराता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है चिल्ली में क्या हुआ वहां की माली हालत सुधारने के नाम पर इकोनोमिक मदद करने के नाम पर देश में एन्टर हुए और वहां की इन्टरनल पोलिसीज में पार्ट लिया तथा वहां कि जो निजाम थी उसको बदल दिया। इसी प्रकार इन्डोनेशिया में जो कि बेचारा तरक्की कर रही थी उसमें एन्टर होकर उन्होंने वहां की सरकार का तख्ता बदल दिया। इसी प्रकार घाना में एनक्रूमा को सरकार का तख्ता बदल दिया। इन सब बातों के होने का कारण है अमेरिका अपनी इकोनोमिक स्ट्रिंग्ज को उसमें डाल देता है। जो कि मुल्क के लिए खतरनाक साबित होती है। वह देश को खाक में मिला कर रख देते हैं। आज अपने यह कान्ट्रेक्ट, अमेरिका से 6 साल के लिये कान्ट्रेक्ट किया है। सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल में यह 6 साल तक मनमानी करेंगे और मुझे तो शक है कि वह कैनाल पूरी हो सकेगी या नहीं। सभापति महोदय, अमेरिका वर्ल्ड बैंक के मार्फत उसका एक्सप्लोइटेशन करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ कर अगर अभी भी आपको इसमें हमने सुझाव दिये उसके अनुसार बिल में गलती नजर आवे तो आप इसे सही करने के लिए बिल को सदन में नहीं लावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर मैं बड़े ही अदब के साथ इस बिल की प्रति को फाड़ता हूं।

श्री सभापति : वह तो आप पहले ही कर चुके हैं, कोई नयी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय वह तो ऑर्डिनेन्स की कापी थी और यह बिल की प्रति है जिसको मैं फाड़ता हूं और एज ए प्रोटेस्ट सदन से अपने पार्टी सहित वाक आउट करता हूं।

(सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा व मोहम्मद गफ्फारअली द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री खेतसिंह : दोनों ही जा रहे हो क्या ?

एक माननीय सदस्य : क्या एग्रीमेंट की कापी फाड़ दी ?

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): सभापति महोदय, ग्राज देश की परिस्थितियों को देखते हुए इस बिल को पारित नहीं करना चाहिये ऐसा मैंने पहले भी निवेदन किया था । यह किन परिस्थितियों में समझौता हुग्रा था वे परिस्थितियां ग्राज की परिस्थितियों से भिन्न हैं ग्रौर उन परिस्थितियों में ही राजस्थान प्रान्त, सीमावर्ती प्रान्त, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुग्रा प्रान्त जिसको ग्रमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है तो यह उन परिस्थितियों के ग्रनुसार नहीं है ग्रौर मैं यह निवेदन करूंगा बिल को पास कर देने से हमने राजस्थान को ग्रमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया....

श्री खेतसिंह : वाह, वाह ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वाह वाह तो कह लें लेकिन ग्रापको पता लग जायगा । जो लोगों को सहूलियतें देना चाहते हैं वे सहूलियतें भी नहीं हैं । मैं प्रारम्भ में कह चुका हूं बोर्ड के गठन में कहा गया प्रतिनिधित्व दिया जायगा । ठीक-ठीक लोग ग्राये, उसी से सम्बन्धित लोग ग्रायें ग्रौर इर्रीगेशन से सम्बन्धित लोग ग्रायें ग्रौर सरकारीकरण न हो ग्रौर वीकर सेक्शन में मैंने कहा शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लेना चाहिये । लेकिन सरकार ने वह न करके सब नेताग्रों को लाया जायगा तो, मैं यहां पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं इसमें किसी वर्ग विशेष को लाभ होगा ग्रौर राजनीति के लोग इसमें ग्रायेंगे । ग्रौर ग्रन्त में जो निवेदन करना हैं सी. पी. सी. के तहत दो पानी देने के बाद डिफाल्टर होने के बाद पानी देना बन्द कर देंगे, मैं समझता हूं उन प्रोविजन्स की जरूरत नहीं है । शान्ति की एक्टीविटीज चल रही है ग्रौर उधर ग्रमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे रहा हो इससे क्या ग्रर्थ लिया जायगा ग्रौर जो शर्त रखी गई है उन शर्तों को माननीय मंत्री जी ने समझा नहीं है, उसमें टेक्निकल खामियां है । मैं उस एक्स्ट्रीम तक तो नहीं जाना चाहता हूं पर यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सीमावर्ती प्रान्त है, भारत की ग्राजादी के नाते, भारत की सुरक्षा के नाते राजस्थान प्रान्त का ग्रमेरिका के हाथों गिरवी रखना है किसी प्रकार मुनासिब नहीं समझता हूं ग्रौर उसी प्रोटेस्ट के नाते ग्रौर मैंने जो महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया है । हम उनकी सन्तान है । हम किसी के ग्रागे हाथ फैलाना नहीं सीखे हैं ग्रौर हाथ न फैलाकर घास की रोटी खाना भी पसन्द करेंगे । ग्रब मैं इसके विरोध स्वरूप सदन से बाहर जाना पसन्द करूंगा ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव का सदन से बर्हिगमन)

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, मैं ग्रौर कुछ निवेदन नहीं करना चाहता हूं केवल इतना कि जो निगम बना उसके बारे में कहना है ग्रौर ग्राप यह बिल पास करने जा रहे हैं ग्रौर कोई बात नहीं कहना चाहता हूं इस सदन की

(श्री दीपंर)
यह गरिमा है कि पहले यह निश्चय किया गया था यह राजस्थान कैनाल जैसलमेर तक जायगी । अगर यह जैसलमेर तक चली जाय तो मैं समझता हूं यह राजस्थान ऐसा प्रान्त होगा जो अच्छे से अच्छे प्रान्तों में गिना जायगा उससे इतना व्यापार बढ़ सकता है, इतनी उपज बढ़ सकती है, लेन देन बढ़ सकता है परन्तु जो निगम बन रहा है उससे यह सब मुश्किल होगा । हमारा राजस्थान अच्छे प्रान्तों में गिनने वाला था उससे महरूम रह जायगा और जो निश्चय इस सदन का रहा है उससे परे हटकर जा रहा है । हम उस योजना को सोचते तो बहुत अच्छा था और माननीय मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा उसे ध्यान में रखते हुये करें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है । बस इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय !

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मन्त्री): सभापति जी, मैं समझता हूं अलग-अलग स्तर पर एक ही बात कही गई है और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण देने की चेष्टा की है लेकिन माननीय सदस्यों ने यह समझने की चेष्टा नहीं की है कि देश की अन्तर्शक्ति पर भी हमने विश्वास खो दिया है । जिन लोगों ने डिवेट में भाग लिया है उन सबने निरन्तर एक ही बात कही है कि अमेरिका के हाथ में गिरवी रख दिया । हमारा यह देश, हमारे देश के महान् नेता अपने आत्माभिमान को रखने के लिये सजग हैं और अपने देश को सर्वोपरि रखने की कल्पना हमारे दिमाग में है । मैं मूलतः यह भी निवेदन कर दूं सम्भवतः यह समझा जा रहा है राजस्थान लैण्ड डवलपमैंट कार्पोरेशन.......

(व्यवधान, अश्रव्य)

बनाने का आधार जो वर्ल्ड बैंक योजना आई है उसी तक सीमित नहीं है । इसके अन्तर्गत और भी कई योजनाएं ली जा सकती हैं और भी बैंकों को इन्वोल्व करने के लिए एक माध्यम क्रियेट किया है । वर्ल्ड बैंक को ही केवल उन्होंने अपना माध्यम ले लिया है । पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं की है अब यह भी हो सकता है या तो मैं उनको अच्छी तरह समझा नहीं पाया या फिर उनके दिमाग में एक ही बात है जिसको वे बार-बार दोहरा रहे हैं और समझने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं या फिर समझ कर भी अनसमझा कर रहे हों....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके पीछे बड़ी शक्ति काम कर रही है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करता हूं बिल को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह : संकल्प है पहले....

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

Page No 124

(१२५)

एक माननीय सदस्य : आ गये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यादेश का तो में···· में यह निवेदन कर रहा हूं अध्यादेश जो सरकार लाई है देरी से लाई है। उसके लिये धन्यवाद देता हूं। जब जनमत जानने हेतु आयेगा तब कह दूंगा।

श्री सभापति : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ !

(अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फारअली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : बाद में बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा, बाद में बोलेंगे आप भी····

एक माननीय सदस्य : बाद में बोल लीजिये लोढ़ा साहब आप भी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी जैसी आज्ञा, सिरोधार्य है।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री मालाराम !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री, आप भी बाद में बोलेंगे ?

श्री मनोहरलाल, श्री मूलचन्द सामरिया, श्री नीठालाल, श्री सुरेशचन्द्र, श्री रतीराम यादव !

(सभी अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री : वापिस मेरा नाम ही बोल दीजिये आप तो।

श्री सभापति : संकल्प ही प्रस्तुत नहीं हुआ इसलिये कोई बात नहीं है। जो संशोधन पेश किया गया है उसको····

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

जनमत जानने हेतु विधेयक को परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव)

["जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधित) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवा महल) : सभापति जी, शिक्षा मन्त्रीजी बहुत देर से यह विधेयक लाये। जोधपुर विश्वविद्यालय की नींव सन् 1962 में पड़ी, अब आ गया 75, बहुत देरी से वे इस विधेयक को लाये और विद्यार्थियों को जो विश्वविद्यालय के प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया उसके लिये····

श्री खेतसिंह : तो धन्यवाद....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब आपने कहा है मैं उसको पूरा कर देता हूं....

श्री दीपंकर : हृदय से दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हृदय से ही दिया है, कोई दुश्मनी थोड़े ही है हमारी अच्छे काम के लिये।

एक माननीय सदस्य : आज तो इनके श्री मुख से धन्यवाद मिला है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आज ये बहुत सी सही बातें कह रहे हैं, यह आपको नहीं मालूम।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि आप भी इस भारत माता को समझ बढ़िया-बढ़िया बातें करेंगे तो हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। कल फिर आप दूसरी बात कहेंगे तो लड़ाई भी होगी। तो मैं निवेदन करने जा रहा था शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की थी समाचार पत्रों में, मैं निवेदन कर रहा था छोटे छोटे संशोधन लाना, आप ला सकते थे। शिक्षा नीति के बारे में आपने कहा है मैं इसी सत्र में बिल लाऊंगा। अब वह बिल लाऊंगा। अब वह बिल कब लायेंगे अपने समझ में नहीं आई इसलिए सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार भी एक विधेयक आया था जिसमें तीनों विश्व विद्यालयों के बारे में कहा गया कि रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर होगा, प्रोफेसर्स का ट्रान्सफर होगा, रीडर्स का ट्रान्सफर होगा, लाइब्रेरियन का ट्रान्सफर होगा—इस प्रकार की उन्होंने यहां सदन में बहुत जल्दी में एक बिल पास कराया था और माननीय सभापति जी, आपको भी ध्यान होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरार्स सब ने मिलकर एक शिष्ट मण्डल के माध्यम से विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन किया था और माननीय शिक्षा मंत्री जी उनसे मिलने गये थे और उन्होंने कई स्थानों पर यह कहा था कि वह विधेयक तो जल्दी में ही पास हो गया था और अब उसमें अमेन्डमेंट लाने के साथ ही साथ में शिक्षा नीति के बारे में भी एक बिल लाऊंगा।

(5.41. सायं)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, अब मैं बिल की ओर आना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यह नीति कि राजस्थान के लोगों को तो प्रतिनिधित्व नहीं मिले और बाहर के ही सारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रीडर्स और दूसरे ही आयें। वैसे तो भारतवर्ष सारा एक है लेकिन राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर युनीवर्सिटी में पहले तो उत्तर प्रदेश के लोग आये, फिर दिल्ली के आये। निवेदन करना यह है कि एक बार तो स्थिति यह थी कि जोधपुर विश्वविद्यालय में 26 प्रोफेसर्स में में से केवल एक जोधपुर का ही प्रोफेसर था। यहां तक ही नौबत नहीं आई सन् 62 में गोरखपुर से वाइस-चान्सलर आये उनका नाम था भैरवनाथ और वह पूरे लवाजमें के साथ आये और जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एक कैंसर की बीमारी छोड़कर चले गये। फिर रास बिहारी जी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वाइस चान्सलर बन कर आये जो भी इस बीमारी का शुद्धिकरण नहीं कर पाये। वह भी चले गये और सन् 1964 में डॉक्टर रूडवाल आये, फिर वी. वी. जॉन आये और सन् 1972 में दूसरे आये। मेरा निवेदन करना यह है कि जोधपुर विश्व-विश्वविद्यालय में प्रारम्भ से ही असन्तोष रहा और उसको मिटाने में राज्य सरकार भी असफल रही। जो प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर्स में राजस्थान के लोगों को प्रति-निधित्व मिलना चाहिए वह नहीं मिला। इसलिये निवेदन करना यह है कि आप सदन में बिल लाये थे और जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट थी, हालांकि वह रिपोर्ट पूरी नहीं आई, उस कमीशन की रिपोर्ट का अभी तक क्या हुआ जिसके लिए कि पिछली बार माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। मैं समझता हूं कि इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी यहां अपनी नीति घोषित करेंगे और जिस प्रकार से शिक्षा संबन्धी बिल लाये हैं तो मेरा निवेदन करना यह है कि तीनों विश्वविद्यालयों में रिक्रूटमेंट के लिए एक एक सेन्टर हो और एक ही स्थान से ट्रान्सफर्स हों, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है। मैं समझता हूं कि एक दूसरे के अन्दर ट्रान्स-फर्स हों और पहले बिल लाये थे और अब सुधार करना चाहते हैं तो इसके मार्फत शिक्षा मंत्री जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में जो भी बातें मैंने कही है उसके साथ ही साथ एक नीति शिक्षा संबन्धी की घोषणा करें। जो आपने घोषणा की है शिक्षा के बारे में बिल लाने की उसको पूरा करेंगे और जैसे मैंने धन्यवाद दिया तो वह भी घोषणा करें कि वह शिक्षा संबन्धी बिल इसी सत्र में ला रहे हैं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सभापति महोदय, यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है वह बहुत सही उद्देश्य है और हमारी मांग यह रही है कि स्टुडेन्ट्स को रिप्रेजे-न्टेशन मिलना चाहिये और जो मिला है उससे ज्यादा मिलना चाहिए। मैं इस मौके पर विश्वविद्यालयों में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उनकी तरफ कुछ तवज्जोह दिलाना चाहूंगा।

आज जो असन्तोष है विद्यार्थियों में और उस असन्तोष के कुछ कारण हैं तो शिक्षा मंत्री जी मैंने बार-बार कहा है कि जो असन्तोष के कारण हैं उनके बारे में आप यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वह क्यों हैं और कैसे उनका निराकरण किया जाय। उनकी मांगें हैं और जो उनकी कठिनाइयां हैं उनके बारे मैंने पहले भी सुझाव रखा था और फिर आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप एक कमीशन का निर्माण करें और वह हाईपावर कमीशन तमाम विश्वविद्यालयों में जो असन्तोष के कारण हैं उनका पता चलाये। वह अपनी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करे कि उन तमाम चीजों का निराकरण क्या हो सकता है। हाल में ही हमारे मंत्री महोदय वहां गये। वहां जो स्टुडेन्ट्स थे उन्होंने जमा होकर उनके साथ बदसलुकी की और उनकी मीटिंग में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की और इस मनोवृत्ति के बारे में किसी एक

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

युनीवर्सिटी का ठेका नहीं है यह हर जगह बढ़ावा पा रही है और वह इसलिए पा रही है कि आप उसको मौका देते हैं। उसका अवसर उनको उपलब्ध कराते हैं। यदि आप स्टुडेन्ट्स के असन्तोष के कारण पता चलायें और उनका निराकरण कर दें तो फ़िर उनको गुमराह नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मुझे यह पता चला है कि वहां जो स्टुडेन्ट्स यूनियन का सदर चुना गया है उसने एक बड़ी रकम लोगों से जमा की है और उसका उद्देश्य हो सकता हो कि यह हो कि जो आज हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध में उस रकम का इस्तेमाल किया जाय और मुझे यह भी पता चला है कि जो वहां के वाइस चान्सलर हैं वह भी उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं कि जो वहां की यूनियन का प्रेसीडेण्ट कर रहा है। मेरी जानकारी में यह भी है कि इस यूनियन के प्रेसिडेन्ट का ताल्लुक आर. एस. एस. से है। अगर यह बात सही है तो मुझे इसमें ऐतराज नहीं है लेकिन इस पर जरूर ऐतराज है कि वहां का जो वाइस चान्सलर है वह अगर यह नीतियां रखता है तो फिर अमन कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे अफसोस है कि जहां-जहां जो लोग हमारे आईन के अन्दर आस्था नहीं रखते उस आईन को तोड़ना चाहते हैं और जो अधिकारी इस तरह की गतिविधियां बनाये हुए हैं फिर कैसे काम चल सकता है। आपको मैं उदाहरण के तौर पर जयपुर का ही बताऊंगा, स्थानीय युनिवर्सिटी का ही बताऊंगा उसमें पहले एक साहब आये भटनागर साहब वह आनन्दमार्गी थे.......

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने यहां भी बहुत बैठे हुए हैं।

श्री मनोहरलाल : आनन्द तो आप कर रहे हो।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली :.....आनन्दमार्गी बहुत हो या नहीं लेकिन मैं यह मानता हूं कि वह लोग जो हमारी नीतियों में विश्वास नहीं रखते आप उनको सही समझते होंगे। जो दूसरे लोग आये वह आर. एस. एस. के आये और आज जो वाइस चान्सलर हैं उनका विचारना भी आर. एस. एस. रहा है और आपका यह कहना कि यूनीवर्सिटी में आमतौर से यह भावना पैदा होती जा रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इन्हीं तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और यह अफसोस की चीज है। मैं जानता हूं वह प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं लेकिन उनकी पाक हैसियत के मुतल्लिक इस तरह के जज्बात पैदा हों तो यह खौफनाक चीज है। जब मेरे सामने यह सवाल आया तो मैंने पूछा कि इसका आधार क्या है तो उन्होंने कहा कि हमें कोई शह नहीं है लेकिन यह शह तो है कि जब गवर्नर के पास पेनल जाता है तो उसमें तीन या चार नाम होते हैं तो क्या जरूरी है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग हैं उन्हीं का चुनाव किया जाये? तो मैं इसका तरीका जो है मैं मानता हूं कि मेरिट के ऊपर आदमी को लेते हैं मगर मैं यह मानता हूं कि जो लोग हमारे कॉस्टीट्यूशन पर बिलीव न करें, जो लोग वायलेंस से तमाम परम्पराओं को खत्म करना चाहते हों और जो जमात इस किस्म की हो, वह तो अभी लोढ़ा साहब ने

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

इल्जाम लगाया था, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो बिहार में घटना हुई उसके पीछे भी आनन्दमार्गी हैं तो अगर यह.......

श्री मनोहरलाल : इसके पीछे सी. पी. आई. का हाथ है।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : वह चार्ज लगा लेंगे, आप उस पर परेशान मत होइये, वह तो खुद बोलना जानते हैं।

मेरा अर्ज करना था कि वह घटना जो हुई वह किसी भी किस्म से खुशनुमा नहीं थी। जिन जमातों को इस किस्म में विश्वास नहीं है उन जमातों के लोगों को आप चुन कर लाते हैं वहां पर वाइस चांसलर होकर तमाम गड़बड़ करावें। मैं आपको एक मिशाल बता देना मुनासिब समझता हूं। अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला हुआ उसमें रजिस्ट्रार साहब और यूनियन के प्रेसीडेंट एक दिन पहले साथ खाना खाते हैं, वहीं पर स्कीम बनती है और उसके बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला करके और उसकी सेफ को तोड़ कर उसमें से कीमती कागज गायब किए जाते हैं। वो कीमती कागज आज भी ट्रेस नहीं हुए हैं और न ही रजिस्ट्रार के खिलाफ आज तक एक्शन लिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह इस मामले में निष्क्रिय है। उसमें मैं यह पूछना चाहता हूं, मैंने सवाल भी पूछा है इस बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर हमला किया था वो कौन लोग थे और किन का उसमें हाथ था। वहां पर जो कुछ भी हुआ वह रजिस्ट्रार साहब का चूंकि गहरा ताल्लुक था, उसमें उस यूनियन के प्रेसीडेंट का बहुत गहरा ताल्लुक था इसलिए वह साजिश हुई और साजिश होकर वहां का सेफ तोड़ा गया और यूनियन के प्रेसीडेंट का एफिलियेशन किस दिमाग से है यह बखूबी जानते हैं हमारे मंत्री महोदय। मेरा अर्ज करना है कि आज एजूकेशन के अन्दर जो जहर पनप रहा है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप कण्ट्रोल रखवा नहीं सकते हैं। आप के पास पैनल जाता है उनका जो आर. एस. एस. से ताल्लुकात रखते हैं, जनसंघ के साथ जिनका एफिलियेशन होता है। उसके अन्दर जनसंघ और आनन्दमार्गी से ताल्लुक रखने वाले इस किस्म के लोगों को आप लेना चाहते हैं। तो मेरी स्पष्ट शब्दों में गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप इस तरफ तवज्जोह कीजिए और यह जो चीज पैदा होती है उनको रोकने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से।

दूसरी चीज जो मैं गुजारिश करूंगा वह जो जोधपुर युनिवर्सिटी में, अभी जैसा माननीय सदस्य लोढ़ा साहब ने सुबह कहा कि वहां कॉलेज में स्ट्राइक चल रही है और उनकी मांग जो यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन के बारे में है उस पर सुबह यहां मुख्य मन्त्री जी ने यह फर्माया कि वह लोग ऐसे गैर जिम्मेदार नहीं हैं जो स्ट्राइक करें या स्ट्राइक पर चले जायें। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि स्ट्राइक पर ऑलरेडी गए हुए हैं इस इश्यू पर। आप संजीदगी से गौर कीजिए और ऐसी कोशिश कीजिए कि उसका हल हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का तो स्वागत करता हूं लेकिन बुजुर्गवार से यह निवेदन करूंगा कि कमसे

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
कम हम एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन को जहर से बचाने की कोशिश करें और उस पर जो आप उसकी तरफ निष्क्रिय हो रहे हैं इन गतिविधियों पर इन पर तवज्जोह फरमावें।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम : (बोलने के लिए खड़े नहीं हुये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री भाबरमल सूडा !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल जी !

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मलाकुमारी !

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

"जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो रखा गया है मैं उसका तो स्वागत करती हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से प्रजातान्त्रिक भावनाओं का आधार बनाया गया है। हर विद्यार्थियों की समस्यायें होती हैं और खासतौर से युवकों की समस्यायें हैं। इन समस्याओं का सही समाधान तभी हो सकता है जब कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में विद्यार्थियों का भी हाथ हो अर्थात् उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए यह जो बिल पेश किया गया है वह सराहनीय है। परन्तु इसमें एक संशोधन चाहती हूं और वह संशोधन यह है कि सिण्डीकेट में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व मिले जिन्होंने हर संकाय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किये हों। उसमें मान्यवर, यह जो भोंडी राजनीति है उसका प्रवेश विश्वविद्यालय में नहीं हो पायेगा तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों अपने शिक्षण स्तर को और आगे बढ़ायेंगे। इसलिए अन्य किसी माध्यम से नहीं बल्कि अधिकतम अंक प्राप्त किए हों उसी आधार पर सिण्डीकेट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, आज के विश्वविद्यालय में 80 प्रतिशत निरक्षर जनता का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। वह नहीं जानती कि विश्वविद्यालय का क्या उपयोग है। केवल 20 प्रतिशत साक्षर जनसंख्या है वह यह जानती है कि विश्वविद्यालय जो है वह, वह स्थान है जहां पर बेकारों को ढाला जाता है। बेकारों की एक लाइन खड़ी की जाती है।

दूसरा मैं यह कहना चाहती थी कि आज जो विश्वविद्यालय के सभी जो

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)
प्राध्यापक हैं वह अपने आपको बुद्धिजीवी की श्रेणी में समझते हैं। वास्तव में वह सोसायटी की क्रीम हैं परन्तु उनके एक विशेष प्रकार के प्रदर्शन जो हैं वह हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। खासतौर से जोधपुर विश्वविद्यालय में आपको बात कहूं। आये दिन का जो प्राध्यापकों का प्रदर्शन उसी प्रकार दिखाई देता है जैसाकि एक सामान्य मजदूर, सामान्य कृषक या सामान्य विद्यार्थी का, इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। यद्यपि आप·······

(श्री प्रद्युम्नसिंह द्वारा XXX की आवाज)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर। विद्यार्थियों के लिए आप XXX कह रहे हैं without understanding the matter स्टूडेन्ट के खिलाफ XXX कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए·······

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य······ माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह से स्टुडेन्ट के खिलाफ आपत्तिजनक ढंग से XXX कहा जाय, प्राध्यापकों के लिए XXX कहा जाय इससे बड़ी XX की बात नहीं हो सकती कि बिना सोचे समझे XXX कहा जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय भारतीय जी ने जो कहा है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। माननीय प्रद्युम्नसिंह ने जो कुछ किया है, वह खेदजनक है। विद्यार्थी समाज की रीढ़ है उनके लिए इस प्रकार के शब्द कहें जायं यह अनुचित है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे भी तो अवसर दीजिये।

श्री सभापति : एक महिला बोल रही हैं···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है सभापति महोदय।

श्री मनोहरलाल : आप अपने शब्द वापिस लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो शब्द कहे गए हैं उनको एक्सपंज किया जाय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं निवेदन करता हूं कि अगर कोई शब्द प्रोसीडिंग्स में लिए गए हों तो उनको एक्सपंज किया जावे।

श्री सभापति : एक्सपंज किये जावें।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने प्राध्यापकों के बारे में कहा है···

श्री सभापति : वह एक्सपंज हो गए हैं।

XXX शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो भारतीय जी ने कहा है उसके अनुसार शब्द वापस लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मुझे तो बोलने दें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : मुझे तो बोल लेने दें। सभापति महोदय, इनको स्पष्टीकरण का मौका बाद में दिया जाय। मैं क्या कहती हूं उसको सुन लें पहले....

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जब यह कहा कि प्राध्यापक वहां पर मजदूरों के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं....

श्री मनोहरलाल : आपने विद्यार्थियों का कहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने बोला क्या है यह तो जानकारी कर लें। माननीय भारतीयाजी का जोधपुर विश्वविद्यालय से कोई सम्बन्ध हो सकता हो लेकिन वह इस तरह से बिना सोचे समझे बात करते हैं। क्या कहा माननीय सदस्या ने यह तो सुन लेते।

श्री राजेन्द्र भारतीय : आप बोलते नहीं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जब यह कहा कि वहां पर प्राध्यापक मजदूरों की भांति प्रदर्शन करते हैं तो उसके ऊपर कहा है। एक प्रकार से प्रोफेसर, टीचर्स इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं तो उनसे लड़कों को क्या शिक्षा मिलेगी उसके आधार पर कहा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय सभापति महोदय, ऑन ए पॉइंट ऑफ क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी चीज है। मैं यह कहना चाहता हूं....

(समय 6.01 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने कहा कि हड़ताल पर जाते हैं और किसी तरह का काम करते हैं लेबर तो यह तो उनका गारन्टीड प्रेलिमिनरी अधिकार है। इसके लिए उनका अन्डर एस्टीमेट नहीं कर सकते हैं वह अपने अधिकारों के लिए इन चीजों को करते हैं तो उनको आपको अन्डर एस्टीमेट करने का अधिकार नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्षजी एक व्यवस्था का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका दें। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उस पर व्यवस्था दें....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : व्यवस्था यह चाही है कि जब माननीय सदस्या बोल रही थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जोधपुर विश्वविद्यालय के कुछ प्राध्यापक मजदूरों की भांति वहां पर प्रदर्शन करते हैं××तो कुछ विधायकों ने कहा मुझ सहित तो उस वक्त माननीय भारती-

× शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्य विवरण से निकाले गये।

Page No 132

(132)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
याजी ने उसके ऊपर आब्जेक्शन उठाया तो सभापति महोदय, जो उस वक्त यहां पर आपसे पहले विराजमान थे उन्होंने बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किये उनको एक्सपन्ज करने के आदेश दे दिये। क्या यह इतनी अपमानजनक बात थी कि जिसके आधार पर एक्सपन्ज किया गया। आप प्रोसीडिंग्स देखने के बाद व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि मजदूर आज इस देश का सम्मानीय नागरिक है "

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मजदूर जो इस देश का नागरिक है और मेरी निगाह में वह माननीय सदस्य से ज्यादा वकत रखता है.........

श्री गुमानमल लोढ़ा : Very good.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उसका मुकाबला दूसरे विश्वविद्यालय के टीचर्स से इस प्रकार की हीनता की दृष्टि से करते हैं कि मजदूरों की भांति तो क्या आप मजदूर को हीन समझते हैं? वह इस देश का निर्माता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वह इस तरह से उनके प्रति मजदूरों के प्रति एक हीनता की भावना प्रकट करते हैं और इस फोरम पर किसी एक वर्ग को, इस तरह से एक क्लास को डेरोगेट किया है, सबसे बड़ी बात यह है....

श्री मनोहरलाल : शेम, शेम।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मान्यवर महोदय,

(व्यवधान)

....जब चेयर द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है तो उसको फिर से किस प्रकार से चैलेन्ज किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे बढ़ने दी जाय असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य का। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आसन से यह व्यवस्था दी जा चुकी कि इन शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया जाय। उसके बाद में आसन की व्यवस्था के बारे में इस प्रकार से कुछ कहना मैं समझता हूं कि कम से कम बहुत ही दुराग्रह है। माननीय सदस्य ने यह निवेदन किया है आपसे कि आसन ने कोई व्यवस्था दे दी ऐसी व्यवस्था उचित नहीं है। ऐसी व्यवस्था को बदल दिया जाय और प्रोसीडिंग्स को देखें। मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय सदस्या ने कहा कि मजदूर किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हैं वैसा प्रदर्शन वे प्राध्यापक करते हैं तो यह एक तरह से मजदूरों पर एक्सपर्शन किया गया है जो कि उचित नहीं है। आसन ने एक्सपन्ज कर दिया जो उनके हक में था। अब कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय,

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के बारे में कुछ

(श्रीमती निर्मलकुमारी शक्तावत)

नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा कि उनका प्रदर्शन बुरा है। मैंने कहा कि इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं जो कि सोसाइटी का क्रीम हैं। यह बात मैंने कही कि इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। मैंने कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। माननीय सदस्यों को समझने में भ्रान्ति हो गई है। मैं स्पष्टीकरण करना चाहती हूं कि इस प्रकार के सुशिक्षित व्यक्ति हैं वे इस प्रकार से प्रदर्शन आदि का तरीका अपनाते हैं तो जो विद्यार्थी उनके पास पढ़ते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : मैं बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी भावना क्लियर कर दी वह ठीक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वे बोल रही थीं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आप विराजिये।

अभी बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस बात पर आपत्ति की थी और मेरे से पहले माननीय सभापतिजी ने जो इस सम्बन्ध में कुछ आदेश दिये हैं। मैं समझता हूं कि यह स्वभाविक है कि बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य की भावनाओं को उन्होंने जिस ढंग से उनकी बात को लिया है, ठेस पहुंची हो, उसके बारे में माननीय सदस्या ने जो कि बोल रही थीं अपनी मनोभावनाओं को और भी अधिक स्पष्ट किया है, और उन्होंने इस बात को सदन के सामने विशेष रूप से रखा है कि उनकी कोई इस तरह की भावना नहीं थी कि मजदूर वर्ग या किसी वर्ग के प्रति किसी प्रकार के अपमानजनक शब्द कहे जांय। इसके अतिरिक्त मेरे से पूर्व माननीय सभापतिजी ने स्पष्ट रूप से यदि इन शब्दों से किसी भी तरीके से किसी भी माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस लगी हो तो उनको एक्सपन्ज करने के आदेश दिये हैं। मैं समझता हूं कि मौजूदा प्रसंग में जो कुछ भी रूलिंग दी है माननीय सभापतिजी ने वह बहुत ठीक है। उसके आधार पर और उसका स्पष्टीकरण माननीय सदस्या ने भी कर दिया है, मैं समझता हूं कि इस ढंग से माननीय सदस्य अपने रोष को समाप्त करेंगे। माननीय सदस्या!

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे कहने का अभिप्राय यही था कि एक विशिष्ट प्रकार के अध्यापकों द्वारा, एक शिक्षित वर्ग के द्वारा यह धमकी दी जाती है कि यदि हमारे वेतनमान युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिश के अनुसार नहीं किये गये तो हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। पहले जो बात हुई थी उसके साथ यह दूसरी चीज है। ऐसी स्थितियों में उन विद्यार्थियों के लिए जो कि भावी समाज का निर्माण करने वाले हैं, उनको एक विशेष सांचे में ढालने वाले अध्यापक वर्ग हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उनका इस प्रकार से धमकी देना युक्ति-संगत नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि वेतनमान में संशोधन नहीं होना चाहिए। वेतनमान में संशोधन अवश्य होना चाहिए। शैक्षणिक सेवाओं की तुलना उनकी तुलना हम प्रशासनिक सेवाओं या पुलिस सेवाओं से नहीं कर सकते हैं। उनके वेतनमान में संशोधन होना चाहिए, परन्तु एक

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

विशेष प्रकार के प्रार्थना करने के तरीके से होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि वे इस प्रकार से परीक्षाओं का बहिष्कार करें और एक विशेष प्रकार का प्रदर्शन करें। यह उनका कहना और करना युक्तिसंगत नहीं है। तो मेरे कहने का आधार यह है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा इस प्रकार के कदम उठायें, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के कदम जो हैं, नहीं उठाये जाने चाहिए थे क्योंकि सरकार इसके बारे में सोच रही है और बहुत जल्दी ही निर्णय वह ले लिया जायगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी मेरा यह निवेदन है कि उनके वेतनमान के संशोधन के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिएं ताकि एक विशेष प्रकार का शर्मनाक कदम या दूसरा स्टेप उस बुद्धिजीवी वर्ग को नहीं उठाना पड़े।

जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती थी कि भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों में रोटेशन ऑफ हैडिशप है परन्तु जोधपुर विश्वविद्यालय में यह नहीं है, तो इस प्रक्रिया को जोधपुर विश्वविद्यालय में भी अपनाना चाहिए।

तीसरी बात जो जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहती हूं, वह यह है कि वहां पर जो चयन होता है, जो अध्यापकों का सिलेक्शन होता है उसमें बहुत अधिक अनियमितताएं होती हैं। मान्यवर, अधिकतर उन व्यक्तियों को ले लिया जाता है जहां के हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट जो हैं वह रहने वाले हों। अर्थात् जोधपुर विश्वविद्यालय में आगरा, जबलपुर और बनारस के देखने को मिलते हैं, यहां तक कि क्लास फोर्थ भी वहीं से लिये जाते हैं। ऐसा मान्यवर, सुनने को मिला है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि ये सलेक्शन की जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। जोधपुर में एक कमला नेहरू वीमेन कॉलेज है, उसमें भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। वहां भी राजस्थान के जो लेक्चरार हैं उनका चयन नहीं करके वहां पर कुछ ऐसे ही युवकों का चयन किया गया है। यह कोई सराहनीय कदम नहीं है। इसलिए चयन का एक पैनल, तीनों युनिवर्सिटीज में सलेक्शन का एक पैनल बन भी गया है लेकिन मेरा सुझाव है कि लेक्चरार की जितनी भी पोस्टें हैं, उनका सलेक्शन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिए ताकि इस प्रकार के चयन में अनियमितताओं को दूर किया जा सके। और सलेक्शन करने से पूर्व मान्यवर, मेरा सुझाव इस क्षेत्र में यह है कि मुवारिनयन शिक्षा आयोग द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि शिक्षितों के लिए एक मार्ग दर्शन केन्द्र होना चाहिए जिसमें आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है जिसको जीवन की रूपरेखा बनानी है वह अपना अपना भविष्य निश्चित कर सके और इसके लिये उसको मार्ग दर्शन मिल सके। इस आयोग की सिफारिश के अनुसार आगरा, दिल्ली और बनारस आदि में मार्ग दर्शन केन्द्र खोले गये हैं और मेरा सुझाव है कि तीनों युनिवर्सिटीज में जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में इस प्रकार के मार्गदर्शन केन्द्र होने चाहिए जहां पर मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

तथा समाज शास्त्री नियुक्त हों और युवकों को भावी जीवन के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिल सके । क्योंकि हमारे प्रान्त के विश्वविद्यालयों में जो विद्यार्थी आते हैं उनमें से अधिकांश के परिवारों में शैक्षणिक परम्पराएं नहीं रही हैं इसलिए उनको कौनसा विषय चुनना है इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मान्यवर, मेरा बहुत सा सयम तो बातों में ही चला गया, इसलिये मुझे पूरा समय तो मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सिस्टम आफ मोड ऑफ एजुकेशन पर बोल रही है, यदि टॉपिक पर बोलें तो ठीक रहेगा ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : तो मान्यवर, मेरा निवेदन करना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा के विषय में और उनके भावी जीवन के निर्माण में सही मार्ग दर्शन मिलना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस प्रकार के मार्ग दर्शन केन्द्र तीनों विश्वविद्यालयों में खोले जाने चाहिए । इससे विद्यार्थियों की जो आज हम भटकाव की प्रवृत्ति है उससे उनको छुटकारा मिल सके । इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि यह एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है । इसके अलावा मान्यवर, मैं एक और कहना चाहती हूं, राजस्थान युनिवर्सिटी का क्षेत्र आज बहुत विस्तृत है, इसके क्षेत्र में जोधपुर और उदयपुर नगर को छोड़ कर राजस्थान का सारा क्षेत्र आ जाता है इस विषय में पहले भी मैं सुझाव दे चुकी हूं और शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन कर चुकी हूं परन्तु खेद है कि उन्होंने मेरे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया । यही एक ऐसा कारण भी है कि आये दिन विद्यार्थियों की हड़ताल और परीक्षाओं के बहिष्कार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और ऐसा हम सभी जगह देखते हैं । यदि इन विश्वविद्यालयों का क्षेत्र इसका कार्यक्षेत्र जोधपुर विश्वविद्यालयों का जोधपुर संभाग और उदयपुर विश्वविद्यालय का उदयपुर संभाग तक होना चाहिए जिससे आये दिन जो हमें विद्यार्थियों में परीक्षाओं के बहिष्कार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उससे छुटकारा मिल सकेगा । तीसरी बात विश्वविद्यालयों में टीचर्स की सभा में विभक्त होने के सम्बन्ध में है । विश्वविद्यालयों में दो प्रकार के ग्रुप हैं जिनमें अक्सर विवाद रहता है, एक वी. सी. पक्ष का है तो दूसरा उसके विपक्ष का है दोनों में ही संघर्ष का प्रवृत्ति देखने को मिलती है । तो इस तरह के नियम या प्रावधान होना चाहिए जिससे तीनों यूनिवर्सिटीज में एक से दूसरी में टीचर्स का ट्रान्सफर किया जा सके । ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों की जो भी गुटबन्दी है उसको समाप्त किया जा सकेगा और यह विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी बात होगी । इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में भारी भीड़ दिखाई देती है, विद्यार्थियों को एडमीशन के लिए भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं । इस भीड़ को कम करने के लिए वास्तव में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को एडमीशन दिया जाना चाहिए न कि दूसरों को जो केवल अपना समय और धन बर्बाद करना चाहते हैं । उनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए । इसके लिए मेरा सुझाव है कि प्री-यूनिवर्सिटी

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

टैस्ट होना चाहिए जिस प्रकार से मैडिकल कॉलेज में एडमीशन के लिए प्री-मैडिकल टैस्ट होता है उसी प्रकार से युनिवर्सिटीज में भी प्री-युनिवर्सिटी टैस्ट होना चाहिए जिससे जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनको दाखिला मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। और जो विद्यार्थी दाखिले से रह जायेंगे वे अपना ध्यान किसी व्यवसाय में लगा सकेंगे और इससे एडमीशन्स में जो भीड़ विद्यार्थियों की दिखायी देती है वह नहीं दिखाई देगी। अन्त में मैं ज्यादा नहीं कह कर यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं और यह कहना चाहती हूं कि विश्वविद्यालय की सिंडीकेट में जो विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है उसे संकायों में सर्वाधिक अंकों के आधार पर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो बिल सरकार इस सदन में लेकर आई है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मेजर है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की भावना को समझा गया है और हम काफी अर्से से इसको चाहते भी थे कि ऐसा किया जाय। हम चाहते थे कि राजस्थान के युनिवर्सिटीज एक्ट में अमेन्डमेन्ट हो और यह प्रावधान किया जाय। जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस बात के लिए बहुत लालायित भी थे कि उनको उनके अधिकार मिलने चाहिएं यह उनकी एक मांग भी थी। प्रजातन्त्र के अन्दर, मान्यवर, विद्यार्थियों को इस प्रकार के अधिकार दिया जाना आवश्यक भी है। यह एक स्वस्थ परम्परा है मैं ऐसा मानता हूं। आज सिंडीकेट में भी विद्यार्थियों को इलेक्ट करने की बात है इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवान विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व रहेगा तो विद्यार्थियों का जो आन्दोलन वगैरह होता है, वह कम हो जायेंगे और....

श्री उपाध्यक्ष : आपके ये सुझाव तो माननीय मन्त्रीजी ने मान लिये हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : I am to the point, Sir. तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, कि दो-चार पोइन्ट्स पूर्व वक्ताओं ने प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में मैं अपने विचार इस सदन में रखना चाहता हूं क्योंकि इससे अच्छा सुअवसर और नहीं मिल सकता कि आज हमारे तीनों विश्वविद्यालयों से यह आवाज उठाई जा रही है टीचर्स की तरफ से कि उनका यू.जी.सी. के ग्रेड मिलने चाहिएं, मान्यवर, मैं भी इस विचारधारा से पूर्णतया सहमत हूं। और चूंकि यह एक पैकेज प्रोग्राम है और सरकार विचार रखती है कि दूसरी सर्विसेज के मुकाबले में युनिवर्सिटी सर्विसेज अलग तरह की हैं। इन विद्या के मन्दिरों को हमने ठीक तरह से नहीं लिया तो आनेवाली पीढ़ियों के साथ में हम न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं सदन को भी कॉन्फीडेंस में लेना चाहता हूं। यू. जी. सी. अगर बढ़ाये तो यह जरूरी बात नहीं है। जिस प्रकार से और लोग 8 घण्टे बैठ कर काम करते हैं, यह ठीक है, उस प्रकार काम नहीं करते हैं। लेकिन ये हायली एजूकेटेड लोग होते हैं। हायली पेड पीपुल होते हैं। उनको अगर हमें देना पड़ेगा तो

(श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय)
यह हमारे कण्ट्री के प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि मैं भी जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिण्डीकेट के मेम्बर हैं। वहां पर रोटेशन हैडशिप को पास कर चुके हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रकार के प्रोग्रेसिव मेजर्स को सरकार को लेना चाहिये। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में दो विद्यार्थी सिण्डीकेट में लेने का प्रावधान है। जोधपुर में एक ही विद्यार्थी को भेजने का प्रावधान उसमें रखा है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें समान रूप से विद्यार्थियों को भेजें। हमें इस भावना पर आपत्ति नहीं है। यदि शिक्षा मन्त्री जी मेरी यह बात मान लें तो मैं उनका अनुगृहीत होऊंगा। इससे अन्य विद्यार्थियों में दूसरे प्रकार की भावनाएं पैदा नहीं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में....

एक माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश कहां से आ गया ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसका जो जोधपुर विश्वविद्यालय नाम है, यह मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह जोधपुर विश्वविद्यालय नहीं है। यह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय है। जोधपुर विश्वविद्यालय इसका केवल नाम ही रखा गया है। इसमें चपरासी से लेकर डीन तक सभी उत्तर प्रदेश के हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वकीलों की योग्यता बताई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बड़े अफसोस की बात है। राजस्थान के विश्वविद्यालय के बारे में इस प्रकार से कहा जाये। यह उचित नहीं है। उसका जो सही नाम है, वही माननीय सदस्य को लेना चाहिये।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गुमानमल लोढ़ा : अजी आप तो बैठिये। (श्रीमती निर्मलाकुमारी से)

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : माननीय सदस्य बिलकुल सही बोल रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय का सही नाम ही बोलना चाहिये। मैं माननीय सदस्य श्री प्रद्युम्नसिंह की बात का समर्थन करती हूं।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप पहले बोल लीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप थक गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट नियुक्त हुये हैं। जो एडवोकेट हैं, वह जानते हैं कि उसके लिए 5, 7 साल का तजुर्बा भी होता है।

एक माननीय सदस्य : 10 साल का।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हाईकोर्ट में एडवोकेट लगाये गये हैं। उनमें एक श्री अरोड़ा हैं, गंगानगर के। एक सिसोदिया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
हैं, चित्तौड़ से। मेरे ख्याल से उनको जो भ्रम हो रहा है, वह यहां जयपुर, जोधपुर कण्ट्रोवर्सी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो शिक्षा मन्त्री जी ने कहा था, उससे अधिक हो तो आप बता दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : शिक्षा मन्त्री जी ने अरोड़ा का नाम नहीं बताया था।

एक माननीय सदस्य : 13 में से 3।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप क्या कृषि मन्त्री जी की ओर से उत्तर दे रहे हैं?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट में जो वकालत कर रहे हैं, उन्हीं में से लिये जाते हैं। इसमें जयपुर, जोधपुर का कोई सवाल नहीं है। चित्तौड़ के श्री सिसोदिया हैं। एक मेहता हैं बांसवाड़ा से। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। यहां पर उपाध्यक्ष महोदय, दुःख इस बात का है पिछले दो सत्रों में मैंने निवेदन किया है, 40 प्रोफेसर्स में से केवल तीन प्रोफेसर राजस्थान के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करें। आजादी के इतने अर्से के बाद में जबकि राजस्थान के विद्यार्थियों का स्तर इतना ऊंचा हो गया है। उसके बाद भी 40 में से केवल 3 राजस्थान के हैं। बाकी सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं, या और कहीं बाहर के हैं। 5 डीन हैं, उसमें से एक राजस्थानी है। एक वाइस चांसलर है। रजिस्ट्रार चक्रवर्ती है। डिप्टी रजिस्ट्रार मेहता साहब हैं। यह सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान में बुद्धिजीवियों का, प्रतिभा का, और लोकल टेलेण्ट का बिल्कुल अभाव था क्या? जो इस प्रकार से लाकर वहां रखे गये हैं। इस सारे मामले को लेकर बार बार आपत्तियां उठाई गई हैं, जिस प्रकार से वहां पर चयन होता है। मैं इस बारे में निवेदन करूं कि वह गलत तरीका है। यह अमेन्डमेंट लेकर आये हैं। लेकिन आप हर सत्र में लेकर आते हैं। लेकिन मूल बात उपाध्यक्ष महोदय, यह है, मेरा सुझाव है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टॉफ के लिए और अन्य अपॉइन्टमेंट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन अलग बनाना चाहिए। बिहार और मध्यप्रदेश के अन्दर एजूकेशनल विंग के अन्दर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज के अन्दर अपॉइन्टमेंट करने के लिए इस प्रकार का प्रावधान है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी एक राजस्थान यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सर्विस कमीशन पब्लिक कमीशन नहीं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप कुछ भी कह लें।

ऐसा एक कॉमन केडर हो जाए। सीनीयरिटी और फिक्सेशन, यह सब मिला कर एक ही जगह होगा। तो जो राजस्थान का लोकल टेलेन्ट है, उसको भी काम मिलेगा। आज यह स्थिति है कि जो भी है, वह गोरखपुर का है या उसके आसपास का है। किसी के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रमोशन्स दिये हैं। 6-6 एडवांस इन्क्रीमेंट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दिये हैं। इस प्रकार की धांधली चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की धांधलियां उसके अन्दर हुई तो उस समय के जो हमारे मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने एक गट्टानी कमीशन की नियुक्ति की, गट्टानी कमीशन ने पत्रों में यह सूचना निकलवाई कि जिनको जो जो ऑब्जेक्शन हों वह आ कर कहें। जिनके जो ग्रिवेन्सेज हों वह आ कर कहें। उस समय जिन लोगों को कहना था, वह आ कर उन्होंने कहा। उन सारी चीजों को पेश किया।

और गट्टानी कमीशन, गट्टानी साहब रिटायर हुए हैं उसके बाद गट्टानी कमीशन आया। वह इसलिए बनाया गया कि वह चाहते थे, इसकी रिपार्ट आ जाय। मेरी इन्फोर्मेशन है कि गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास बहुत पहले प्रस्तुत की जा चुकी है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके समक्ष गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है इसके बारे में शिक्षा मंत्री जी अपने उत्तर में हां या ना में उत्तर दें। मेरे पास समाचार है, उसके हिसाब से पेश की जा चुकी है। वह वाल्यूमनस रिपोर्ट है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रोमीशन, प्रमोशन, सलेक्शन, अपॉइन्ट–वह सब दिये गये हैं। मैं नहीं समझ पाता, शिक्षा मंत्री जी और प्रशासन–शिक्षा मंत्री जी वैसे जिम्मेदार नहीं हैं, दोनों का कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वह गट्टानी कमीशन की रिपार्ट अलमारी के अन्दर बन्द करके क्यों छोड़ रखी है। हजारों रुपया व्यर्थ व्यय हुआ, इतना समय गया, लोगों ने एवीडेंस सारी रिकॉर्ड कराई, रिकॉर्ड इधर उधर हुआ, लेकिन इसका जा निचोड़ दिया, जो रिपार्ट आयी, जो काम हुआ, उसका नतीजा आया, उस नतीजे को सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं समझते, न उस पर आपने कार्यवाही का है, न उसका इम्प्लीमेन्टेशन किया है।

दूसरी चीज यह है, पहली चीज जो राजस्थान सर्विस कमीशन की है, अपॉइन्टमेन्ट, प्रोमोशन की है, दूसरी चीज है, गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट सदन पटल पर रखनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री को और माननीय शिक्षा मंत्री को उसे प्रकाशित करनी चाहिए। उसके बाद जितने लेप्सेज, प्रोमीशन, कमीशन स्केन्डल बताये हैं, उसके लिए पूर्ण कार्यवाही की जानी चाहिए। यह नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है, शिक्षा मंत्री या प्रशासन उसको दबाये रखना चाहता है। गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट को सदन पटल पर क्यों नहीं रखते हैं इसका कारण बताता हूं, उदाहरण स्वरूप मैं देना चाहता हूं, जोधपुर यूनिवर्सिटी में अभी अभी कुछ समय पहले इंजीनियरिंग संकाय के अन्दर जितने प्रोफेसर की पोस्ट हैं, उनके बारे में अनुसंधान करना पड़ा। उन्होंने दस बारह प्रोफेसर अपॉइन्ट कर दिये। सवाल खड़ा हुआ, अपॉइन्टमैंट कहां से कर लिए, कितनी पोस्ट हैं, सैंक्शन्ड कितनी पोस्ट हैं। तो उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, इसकी जानकारी करने के लिए कि कितनी पोस्ट इंजीनियरिंग संकाय के अन्दर सैंक्शन्ड प्रोफेसर की पोस्ट हैं। अगर यह कहें कि विधान सभा के सदस्यों का एक इन्क्वायरी कमेटी बैठायें, जो यह जानकारी करे कि डिप्टी सेक्रेटरी की कितनी पोस्ट हैं। इसके बारे में कमेटी बैठे तो आप अन्दाज लगाइये, इससे मालूम होगा, कि यहां बिल्कुल

Page No 140

(१४०)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
अंधेरा है। जिस संस्थान को पता नहीं कि कितनी पोस्ट हैं, अपॉइन्टमैंट पहले हो जाता है। इतना ही नहीं, वह कमेटी अपॉइन्ट की गई यह जानकारी करने के लिए कि कितनी पोस्ट हैं, लेकिन उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। अमृतलाल जी गहलोत उसके सदस्य हैं, उनको पता नहीं लगा और उन्होंने अपने आप बिना मीटिंग किये लैटर भेज दिया, हमने जांच कर ली है, यहां पर पोस्ट दस बारह हैं। इस प्रकार की कार्यवाही आज भी की जा रही है। यह इसलिए किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, अपने लोगों को लाकर अपॉइन्टमैंट कर लिया, उनको रेगुलेराइज करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। हमारे यहां पर वाइस चान्सलर नियुक्त किया गया, वाइस चान्सलर एडहॉक, टेम्प्रेरी नियुक्त किया गया, उसका सलेक्शन होना बाकी था। उसके पहले ही स्वयं की पोस्ट पर प्रोफेसर अपॉइन्ट कर दिया, पन्द्रह दिन में अपॉइन्टमैंट करवा दिया....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जो माननीय सदस्य ने अभी निवेदन किया, श्रीमान के सामने....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : जोधपुर यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट है, उसके द्वारा अपॉइन्ट की हुई कमेटी है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आप पूरी बात का मुलाहिजा नहीं फर्मायें, उसके पहले कैसे कह देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया, आप जोधपुर यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं। सिण्डीकेट या किसी एजेंसी के बारे में जो इर्रेगुलेरिटी हैं उनकी ओर संकेत किया, यह इर्रेगुलेरिटी रही है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : This is not the point, Sir. सिण्डीकेट की कार्यवाही गोपनीय है। कमेटी की प्रोसीडिंग गोपनीय है, वह प्रोसीडिंग सदन में किस प्रकार रख रहे हैं, आप सोर्स बतायें कि किस सोर्स से मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्फोर्मेशन चाहते हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : वह भी साइट कर देता हूं, वह पॉइन्ट है, मैं साइट कर देता हूं, कोई बात कही जाती है उसकी आथेन्टीसिटी नहीं है, then I am there as a member of the Syndicate. ट्रान्सफर होकर अपोजीशन के पास जाती है, Let us know the source of information.

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, आप सिण्डीकेट के मेम्बर हैं। यह माननीय सदस्य जानते हैं कि आप सिंडीकेट के सदस्य हैं। आपको इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। ऑर्डर प्लीज ! जो बात कह रहे हैं, माननीय सदस्य वह अपनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर कह रहे हैं। मन्त्री महोदय जवाब देंगे कि सही है या गलत है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरी ड्यूटी है, He should let me know the source of information.

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे चेम्बर में आ कर पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : पुनीत कर्त्तव्य का निर्वहन कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्य मेरे चेम्बर में आ जायं, मैं बता दूंगा इन्फोर्मेशन का सोर्स। मैंने कहा था कि मीटिंग नहीं हुई, आप भी कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई। मेरा निवेदन है, बिना मीटिंग हुए रिपोर्ट बना दी गई, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। माननीय सदस्य वहां जायेंगे तो उनको मिल जायेगी और पता लग जायेगा, सिण्डीकेट के मेम्बर होते हुए उनकी तरफ से लेप्स नहीं हुआ, उधर की तरफ से लेप्स है यह बता रहा हूं। वहां जो चल रही है प्रवृत्ति, वह प्रस्तुत कर रहा था। मैं निवेदन करना चाह रहा था, हमारे यहां पर वाइस चान्सलर जिस वक्त एडहॉक टेम्प्रेरी थे, उस समय उनको अधिकार नहीं था, उस समय रजिस्ट्रार का अपॉइन्टमेंट किया गया। आपत्ति यह उठाई गई कि आप परमानेन्ट वाइस चान्सलर नहीं होते तब तक आपको अधिकार नहीं होता। अगर कर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यह क्यों किया गया, इसके पीछे षड़यंत्र है। मैंने निवेदन किया, जोधपुर विश्वविद्यालय का नामांकरण यू. पी. विश्वविद्यालय करना चाहिए, ताकि जनता भ्रम में न रहे, इसका नाम जोधपुर यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पर नेपोटिज्म हो रहा है, फेवरिटिज्म हो रहा है। वहां एक मिस्टर वर्मा लेक्चरार हैं, पॉलिटिकल साइन्स में रिसर्च असिस्टेन्ट की नियुक्ति कराना चाहते थे, इंगलिश के लेक्चरार हैं। सत्यदेव श्रीमाली का फर्स्ट क्लास आया था, उनको नहीं लिया गया वहां पर और उनके फ्रैण्ड की पत्नी थी, मिस्टर वर्मा ने उसको रिसर्च असिस्टेन्ट बना दिया, फिर लेक्चरार अपॉइन्ट कर दिया गया। फर्स्ट क्लास फर्स्ट जो आया था बाटोनी में, उसको नहीं लिया गया, उसको लेक्चरार नहीं रखना चाहते हैं और उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति मेरिट में कम्पेरिजन में नहीं था उसको बाहर से लाकर रख दिया गया। इसी प्रकार मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एम. बी. ए. में सलेक्शन होता है, वहां पर लोकल टेलेन्ट्स का स्थान नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यार्थी को कोई उत्तर प्रदेश, बम्बई में जगह मिले—यह सम्भव नहीं है। दो तरह के लोग पा सकते हैं, या तो पॉलिटिकल सफरर हों या राजस्थान गवर्नमेंट का जहां रिजर्वेशन है, जैसे जम्मू काश्मीर में दो सीट हैं, वहां वह जा सकते हैं....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : रेलेवेन्सी का पाइन्ट माननीय सदस्य का क्या है। क्या रेलेवेन्सी है जिस कारण माननीय सदस्य को चौगुना वक्त दिया है। हम रेलेवेन्ट बात कहते हैं फिर भी श्रीमान की तरफ से हमें अवसर नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अहसानमन्द हूं, आपने मेरे कर्त्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके बावजूद जो माननीय सदस्य इरेंगुलेरिटि बता रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। जिससे मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, इसलिए इन्हें बोलने का अवसर दिया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत: यानि मैं बोली थी, वह सारा इर्रेलेवेन्ट था, इनका रेलेवेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रेलेवेन्सी का सवाल नहीं है। इर्रेगुलेरिटी की बात बता रहे हैं।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : आपके बारे में रेलेवेन्सी और इर्रेलेवेन्सी का सवाल नहीं हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : ये इर्रेग्यूलेरिटी का सवाल बता रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एम. बी. ए. के अन्दर 15 विद्यार्थी लिए गए केवल 3 वहां के लिए गए, बाकी सारे के सारे राजस्थान के बाहर से लिए गए। मैंने पहले भी निवेदन किया था, उस समय मुख्य मन्त्री ने इस बात के लिए कहा था कि ऐसा रास्ता निकालेंगे कि राजस्थान की टेलेंट को स्थान मिलें। विद्यार्थियों में भी और लेक्चरर्स में भी या तो वह कम्पलसरी करना चाहिए कि राजस्थानी भाषा कम्पलसरी हो जिस कारण से कम से कम उनको प्रिफ्रेंन्स मिल सकें, आज स्थिति यह है कि हमारे यहां टैलेन्ट को बाहर स्थान नहीं मिल सका और यहां पर नहीं मिला तो भटकता हुआ कहां जाएगा ? इस संदर्भ में हमारी जोधपुर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से और गड़बड़ घोटाले कांड चल रहे हैं उनके बारे में सारे के सारे मैटर्स को स्पष्ट रूप से लेना चाहिए। एक नार्मसिंह रीडर थे, उसके साथ में क्लास IV कर्मचारी वह भी उत्तर प्रदेश से आया जो आज भी वहां पर है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

वहां एक डीन ऑफ फैकल्टी ने कलेक्टर और एस. पी. को यह लिखकर दिया कि मुझे जान का खतरा है क्योंकि वाइस चान्सलर ने मुझे इस बात की धमकी दी है कि आपको मरवा दूंगा, पिटवा दूंगा। यदि कोई विद्यार्थी कहता या जनता का आदमी कहता है तो उस बारे में हो सकता है कि दुर्भावना से इल्जाम लगाया हो लेकिन डीन ऑफ फैकल्टी लिखित रूप से एस. पी. और कलेक्टर के सामने इस प्रकार की दरखास्त दे कि जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने इस बात की धमकी दी है कि आपको पिटवाऊंगा या मरवाऊंगा तो क्या यह हमारे लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है। हमारे शिक्षा मन्त्री कहेंगे कि यह तो उनका कार्य है कि किसको वाइस चांसलर बनायें, किसको डीन बनायें, उस बारे में किसी प्रकार का दखल हम करना नहीं चाहते लेकिन इमेज तो अच्छी होनी चाहिये, टीम वर्क की भावना हो। आज वहां पर स्थिति यह है कि वहां पर टीचर्स के अन्दर आपस में फूट डलवाई जाए। जैसे चित्तौड़गढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया, वहां पर इस प्रकार के ग्रुप्स हैं और बनवाए जाते हैं, डिवाइड और रूल की नीति वहां अपनाई जाती है जिससे आपस में लड़ते रहें, विद्यार्थियों को भी लड़वाया जाता है। अभी भी जो जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं राजकुमार ओझा उस पर जोधपुर में कातिलाना हमला हुआ यूनिवर्सिटी प्रेमिसेज में। एक कमरे में जब मीटिंग कर रहे थे विद्यार्थियों की उस समय हुआ। तो यूनिवर्सिटी अथोरिटीज एलर्ट रहे, सब प्रकार की विजीलेन्स रखें तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी अथोरिटीज भी बेदाग नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है। उस समय यूनिवर्सिटी को रक्षक कहा गया था। किसने मीटिंग का प्रबंध किया था। जो प्रोक्टर होता है हॉस्पिटल में वह क्या करता था ? एडवाइजर था उसने बीच बचाव का प्रयास क्यों नहीं किया ? इस अमेंडमेंट के लिए भी पहले कई आंदोलन हुए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी कुछ बातें कही गई जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में। हमारे जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के अन्दर आर. एस. एस. और जनसंघ का आधिपत्य है और शिक्षा मंत्री का उनसे संबंध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. एस. एस. या जनसंघ या अन्य कोई संस्था हो, संविधान में जब तक वैधानिक स्थिति उनकी है तो आर. एस. एस. के लोग विद्यार्थियों के रूप में विश्वविद्यालयों में चुनकर आते हैं अध्यक्ष के रूप में उन पर न तो गफ्फारअली जी रोक लगा सकते हैं, न शिक्षा मंत्री, न मैं रोक सकता हूं। यह तो सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद् से संबंधित कार्यकर्त्ता विश्वविद्यालय सभापति बने हुए हैं। हो सकता है कि इसमें विभिन्न लोगों को, किसी को प्रसन्नता हो, किसी को खेद हो लेकिन इस कारण से यह कहा जाए कि चूंकि ये लोग विशिष्ट संस्था से संबंध रखते हैं, विद्यार्थी परिषद् से संबंध रखते हैं, इसलिए सारा एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे लोग उनका उनको वहां पर लेने में किसी प्रकार का हाथ है तो यह उनकी दुर्भावना है। राजस्थान विश्वविद्यालय में यह स्थिति है, जोधपुर और उदयपुर विश्वविद्यालयों में भी यही स्थिति है। यह इल्जाम भी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाया है कि जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने बड़ी रकम इकट्ठी कर ली है। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के राजकुमार को जानता हूं। वह बहुत ही योग्य कार्यकर्त्ता है जो रात दिन विद्यार्थियों की सेवा में लगा रहता है और उसका आदर्श व त्याग सराहनीय है। उससे पहले जो अध्यक्ष थे पत्र सिंह वह भी ऐसा ही था। उस पर सरकार ने नाना प्रकार के मुकदमे चलाए हैं—110 का मुकदमा जिसके खिलाफ यहां चर्चा हुई थी। अब, नए कानून बनने के बाद देखें क्या होता है। इस प्रकार से करेंगे तो जन आक्रोश बढ़ेगा। उस भावना के कारण से जो स्थितियां पैदा होंगी उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। इस प्रकार से यहां पर सदन में जहां बात हो रही है विद्यार्थियों को रिप्रेजन्टेशन देने की, वहां यह कहना कि उसमें आनंद मार्गी लोग बैठे हैं, ठीक नहीं है। आनंद मार्गियों का क्या संबंध है ? आनन्द मार्गी अपने आप में एक वैधानिक संस्था है। जब तक सरकार उसको अवैधानिक न बनाये तब तक चाहे आनन्द मार्गी हों, चाहे मुस्लिम लीग हो, उनको कैसे रोक सकते हैं ? आप केरल मुस्लिम लीग से प्रेमालाप कर रहे हैं........

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आपका संबंध कैसा है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप आनन्द मार्गी हैं क्या ? मेरा संबंध सबसे है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ग्राप उनकी वकालत करते हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं सबकी वकालत करता हूं । यदि साम्प्रदायिक संस्था कोई है भारत में तो वह कांग्रेस पार्टी है । वह ग्राज मुस्लिम लीग के साथ बैठ कर केरल में शासन चला रही है जिसने हिन्दुस्तान के ग्रन्दर दो टुकड़े करवाये, पाकिस्तान बनाया ग्रौर ग्राज केरल में मुसलमानों के लिए ग्रलग जिला बनाया ग्रौर उत्तर प्रदेश में····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हिन्दुस्तान ग्रौर पाकिस्तान के टुकड़े ग्रापने करवाए ।

श्री दीपंकर : जनसंघ की तरफ से चन्दा लिया जाता है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ग्रापने चन्दा लिया था मुख्यमंत्री के ग्रागमन पर, उसकी सूचियां मैंने पेश कीं कि कहां कहां से लिया गया ग्रौर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ग्राज जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें दूसरी संस्थाग्रों को घसीटना उचित नहीं है । ग्रार. एस. एस. एक राष्ट्रव्यापी संस्था है । जब चीन का हमला हुग्रा, दिल्ली में परेड हुई तो उनको बुलाया कि ग्राप ग्राग्रो । जिस समय हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के दंगे हो रहे थे तो सरदार पटेल ने उनको दिल्ली में बुलाया ग्रौर कहा कि सजग रहो, हमें सजग रखो, हमारी रक्षा करो, पाकिस्तान का जिस समय काश्मीर पर हमला हुग्रा····

(शोरगुल)

श्री दीपंकर : लोढ़ा साहब क्यों झूठ बोल रहे हो ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : राष्ट्रपिता की हत्या के काले हाथ धुल नहीं पाए हैं ।

श्री दीपंकर : क्या राष्ट्रीयता की वकालत कर रहे हो ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जिन्होंने देश के साथ में गद्दारी की, जिन्होंने करोड़ों लोगों को बेघरबार कर दिया····

श्री दीपंकर : ऐसी जमातों की तरफ से बोल रहे हैं इससे बढ़ कर लज्जा की बात क्या हो सकती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा . उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने देश के दो हिस्से करवाये वही ग्राज हमें राष्ट्रीय एकता के पाठ पढ़ाना चाहते हैं । जो पार्टी केरल में मुस्लिम लीग से पैक्ट कर सकती है ग्रौर वहां पर मुस्लिम लीग के कहने से वहां पर एक जिला मुस्लिम लीग के लिए बनाया जा रहा है । ग्रौर देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं । हिन्दुस्तान के टुकड़े इस कांग्रेस ग्रौर मुस्लिम लीग ने कराये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस ग्रौर मुस्लिम लीग देश को बर्बाद करके रहेंगे । ग्रौर जो देश की राष्ट्रीयता को कायम रखने को तत्पर रहती है उस ग्रार. एस. एस. ग्रौर जनसंघ को साम्प्रदायिकता फैलाने को कहा जा रहा है ।

(व्यवधान-ग्रश्रव्य)

श्री दीपंकर : ग्रापका यह भगवा झण्डा देश की एकता को कायम रखने में काम में नहीं ग्राने वाला है क्योंकि ग्रब दीपक बुझ रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जनसंघ वाले तो देश के दो ही नहीं चालीस टुकड़े करवा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जोधपुर में साम्प्रदायिकता के झगडे करवाये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बहुत बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर जो देश के टुकड़े करवाने के जिम्मेदार है, जो कश्मीर को गंवाने वाले हैं, राष्ट्र की अखण्डता को खण्डित करने वाले हैं वही हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं जो अपनी कुर्सी कायम रखने के लिये केरल में मुस्लिम लीग से संबंध स्थापित कर सकते हैं वह आज हमें राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने की जुर्रत करते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : नोआखाली में हजारों लोगों को मरवाने वाली यह आर. एस. एस. की संस्था थी।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज श्री लोढ़ा साहब आप समाप्त करिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो समाप्त कर रहा हूं पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो याह्याखां की बन्दूक चूमली।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जब चीन ने भारत पर हमला किया था तो इन्हीं कम्युनिस्टों ने यह कहा था कि यह चीन ने हमला नहीं किया है यह तो बोर्डर डिस्प्यूट है। कोई वार नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की यह जानकारी में होना चाहिए यह हमारी वाली पार्टी नहीं थी यह आपके पास माननीय सदस्य श्री मोहरसिंह जो बगल में बैठे हैं उनकी पार्टी ने कहा था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस वक्त दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी एक ही थी उस वक्त आपके दो टुकड़े कब हुए थे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं साम्प्रदायिक तत्वों के कारण भारत के दो टुकड़े हुए। और यह अब और देश के टुकड़े करवाने के लिये तुले हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में इन्टरप्ट नहीं करें। माननीय सदस्य श्री लोढ़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दलील नहीं कर रहा हूं, मैं तो माननीय सदस्य जो जौहरी बाजार क्षेत्र से आये उन्होंने जो कहा उसका जवाब दे रहा हूं। अभी वह सदन में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप जल्दी समाप्त करें। Please conclude it.

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर. एस. एस.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आर. एस. एस. और जनसंघ और

(146)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
आनन्द मार्ग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको एक ही जगह से चन्दा मिलता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप कौन से मार्ग की बात करते हैं जयपुर में कई मार्ग हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या जोधपुर विश्वविद्यालय में जो झगड़े हुए हैं वह जनसंघ की वजह से नहीं हुए ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े ही खेद के साथ कहनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटीज में जब अध्यक्ष वगैरहा चुने जाते हैं और उस वक्त अगर विद्यार्थी परिषद् का कोई केण्डीडेट जीत जाता है तो माननीय सदस्य इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें करने से जन आक्रोश बढ़ता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में तो इस प्रकार की हार जीत होती रहती है इसमें आर. एस. एस. और जनसंघ के केण्डीडेट की बात नहीं; आज विद्यार्थी परिषद् के तीनों विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं—जोधपुर जयपुर, और उदयपुर में····

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : (श्री दीपंकर की ओर देखकर) आपको हर वक्त रात को दिन में और स्वप्न में भी आर. एस. एस. का भूत नजर आता है।

श्री दीपंकर : क्योंकि आप देश के टुकड़े करवाने में लगे हो !

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य समाप्त कर रहे हैं या मैं आपको दो मिनट के बाद समाप्त करने के आदेश दे दूं। आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समाप्त कर ही रहा हूं। लेकिन माननीय सदस्यों को इतना अविवेकपूर्ण नहीं होना चाहिये। यह यूनिवर्सिटीज में चुनाव होते रहते हैं और इस बार अगर तीनों ही विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद् से हो गये तो क्या हुआ यह छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं इसमें चूंकि कोई अध्यक्ष अगर विद्यार्थी परिषद का हो जाता है और आप उसको ब्लैक मेल करते हैं, उस पर केस वगैरहा चलाते हैं तो यह एक अच्छी बात नहीं है। इससे तो जन आक्रोश बढ़ता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ यहां जो प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय उसका मैं विरोध करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आज ही पारित किया जाय। और जिस तरह आप राजस्थान विश्वविद्यालय में दो स्टूडेन्ट्स को सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन दे रहे हैं उसी तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी में भी दो स्टूडेन्ट्स को सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन दिया जाना चाहिये। क्योंकि जोधपुर में भी एफीलियेटेड कॉलेजेज हैं जैसे लाचू कॉलेज वगैरहा जो कि स्वयं सेवी संस्थायें हैं उनके टीचिंग स्टाफ का भी इसमें रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। अब आप चूंकि रिप्रेजेन्टेशन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में दे ही रहे हैं उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। बस धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों

(147)

(श्री खेतसिंह)
का अत्यन्त ही आभारी हूं जिन्होंने कि इस बिल की सदन में सराहना की है और मुझे धन्यवाद भी दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको धन्यवाद नहीं दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नहीं, आपको नहीं दिया, हमने तो शिक्षा मन्त्री जी को दिया है। अच्छा चलो आपको ही दिया।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इस बिल के बारे में ज्यादा माननीय सदस्यों को नहीं कह कर सिर्फ उन मुद्दों पर ही निवेदन करना चाहूंगा जिन पर कि माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने शिक्षा बिल लाने के बारे में कहा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिल अभी ड्राफ्टिंग हो रहा है और ऑर्डिनेन्स से कोई बिल लाना हम उचित नहीं समझते क्योंकि ऑर्डिनेन्स से बिल लाने से सदन में काफी बार इसका विरोध किया गया है इसलिये इस बारे में अगले सत्र में वह बिल रखूंगा। जहां तक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने गट्टाणी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कहा उसके बारे में क्या कमीशन ने रिपोर्ट दी और वह अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं हुई, इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के पास अभी तक गट्टाणी कमीशन की रिपोर्ट आयी नहीं है। मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार से पूछा भी कि क्या गट्टाणी कमीशन की रिपोर्ट आ गयी तो उन्होंने कहा कि गट्टाणी कमीशन की कोई रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं है। क्योंकि वह रिपोर्ट अभी तक मुकम्मिल नहीं हो सकी है और चूंकि रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं है इसलिये मैं उसके बारे में कुछ भी कहने की हैसियत में नहीं हूं। शायद जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य को इस बारे में कहीं से पता लग गया हो। लेकिन राज्य सरकार के पास अभी तक वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ही पूरे हिन्दुस्तान में पहला राज्य है जिसने कि स्टूडेन्ट्स को सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन दिया है। अन्य किसी भी स्टेट ने विद्यार्थियों को सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा जो कि बून्दी से आने वाले हैं कि आपने जयपुर विश्वविद्यालय में तो दो विद्यार्थियों को रिप्रेजेन्टेशन दिया है, राजस्थान युनिवर्सिटी में, लेकिन आपने जोधपुर और उदयपुर युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एक-एक रिप्रेजेन्टेशन ही क्यों दिया है? इसका कारण यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के स्टूडेन्टस के लिये एक विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी जो कि एफीलियेटेड कॉलेजेज हैं, जो कि करीब 100 से ज्यादा हैं उनमें से एक विद्यार्थी को रिप्रेजेन्टेशन दिया जायेगा बाकी के युनिवर्सिटीज के एफीलियेटेड कॉलेजेज नहीं के बराबर हैं उनका एक एक रिप्रेजेन्टेशन ही सिण्डीकेट में जायेगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर विद्यार्थियों ने सिण्डीकेट में अच्छा काम किया तो हम उनको आगे एकेडेमिक कौन्सिल और फाईनेन्शियल कमेटीज में भी उनको रिप्रेजेन्टेशन दे सकते हैं।

(148)

(श्री खेतसिंह)

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि वाइस चान्सलर का सलेक्शन जो होता है वह पार्टी बेसिस पर होता है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है·········

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैंने पार्टी की बात नहीं की, मैंने तो फासिस्ट लोग·····

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं आप सुनिये। इसमें तो जैसा आपने समझा वह आपने कहा और उन्होंने समझा वह अपने तरीके से कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मगर जो गलत समझते हैं उन्हें सही समझाना तो पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कर लीजिये बाद में। आप अपनी अक्ल के पैमाने से सबको नापते हैं, यह मुश्किल है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कोई आनन्दमार्गी है तो कोई क्या मार्गी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इतने बड़े पद के लिए आपको इतनी आसानी से रिमार्क पास नहीं करना चाहिये और माननीय सदस्यों के लिये यह उपयुक्त भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सलेक्शन हुआ करता है उसमें एक यू. जी. सी. का रिप्रेजेन्टेटिव हुआ करता है, एक चान्सलर का हुआ करता है और एक रिप्रेजेन्टेटिव सिण्डीकेट का हुआ करता है। तीनों रिप्रेजेन्टेटिव शामिल होकर मीटिंग करके पेनल भेजते हैं फिर उसके बाद चान्सलर साहब यानि अपने गवर्नर साहब उसका सलेक्शन करते हैं। इतना होने के बाद आपको किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा न हो तो यह आपका नजरिया है। मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं चित्तौड़ से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है आपको मार्क्स के हिसाब से डिविजन देखकर रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिये। उनका कहना है कोई लड़का अगर गोल्ड मेडेलिस्ट है तो उसको सिण्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं प्रजातन्त्र में क्वालिटि का ध्यान नहीं, क्वान्टिटि का ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से हर जगह रिप्रेजेन्टेशन हुआ करता है और इसमें वही रिप्रजेन्टेशन पायेगा जिसका बहुमत होगा, जो वोट अधिक पायेगा वही रिप्रेजेन्टेशन भी पायेगा। अच्छा गोल्ड मेडेलिस्ट है तो उसको आगे जाकर जोब में फायदा मिलता है।

वेतन मानों के बारे में मैंने आज ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और निवेदन किया था कि अभी तक सरकार के विचाराधीन है। यू. जी. सी. के ग्रेड्स दिये जायं या संशोधित वेतन मान दिये जायं या पूरे के पूरे दिये जायं, कितना दिया जाय, कैसे दिया जाय यह सारा पैकेज डील है। किस प्रकार से किया जाय, यह अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैंने निवेदन किया था अन्तिम निर्णय होने पर आपको मालूम हो सकेगा।

जहां तक रोटेशन ऑफ हैड शिप का सवाल है, इसका बूंदी से आने वाले मान-

(149)

(श्री खेतसिंह)

नीय सदस्य ने जवाब दे दिया था इसलिये आपने यह प्रश्न उठा दिया वरना आमतौर पर विश्वविद्यालय के बारे में जितने विषय उठाये हैं उनमें खासतौर से इन्टरनल जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वह अकाउन्टस के बारे में हों चाहे वह नियुक्तियों के बारे में हों उनसे ज्यादा सरोकार सिन्डीकेट का है। हम कोई भी इन्टरफियर करेगे तो वह इन्टरफियर की श्रेणी में आयेगा। हम नहीं चाहते हैं विश्वविद्यालय में राजनीति लायें, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे विधान सभा के दो माननीय सदस्य एक चित्तोड़ से आने वाली माननीय सदस्या और एक बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य दोनों ही सिन्डीकेट के मेम्बर हैं और आप दोनों महानुभाव जो कुछ माननीय सदस्यों ने इन्टरनल मामलों में या नियुक्तियों के बारे में यहां पर जो कुछ बातें कही गई है, मैं समझता हूं सिन्डीकेट की आगामी बैठकों में जब वे बैठे तो इस बारे में भी विचार विमर्श करें और जहां तक सम्भव हो सके विश्वविद्यालय में ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करें जिससे भविष्य में कोई दिक्कतें पैदा न हों। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमको मौका दिया जाय।

श्री खेतसिंह : आमतौर से बाहर के व्यक्तियों को ज्यादा स्थान दिया गया है। यू. पी. की श्रेणी दे दी और कहा यह विश्वविद्यालय जोधपुर का नहीं यू. पी. का कहना चाहिए। यह बात सही नहीं है। कई प्रोफेसर बाहर के हैं, यू. पी. के हैं लेकिन फिर भी पिछले सत्र में राजस्थान युनिवर्सिटीज टीचर्स एन्ड ऑफिसर्स (कन्डीशन ऑफ सर्विसेज) एक्ट, 1974 पास करवाया था। मैं समझता हूं ऐसा अवसर प्रदान करदें और जो भावना व्यक्त की है मैं भी शरीक हूं और यह आशा की जाय कि आने वाले वर्षों में जो सलेक्शन हो वह निष्पक्ष तरीके से हों। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह निवेदन करूंगा इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : डिटेल में आ गया सब।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैंने तीनों स्पेसिफिक नाम दिये हैं, मैं यह जानना चाहता हूं उनका हकीकत क्या है, If you know it....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, आप तशरीफ रखिये।

एक माननीय सदस्य : अभी तो आपको सुनना पड़ेगा....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : डॉक्टर रामा का दिया था....

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आप बताइये, तीनों के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब आप तशरीफ रखिये। प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन विधे-

(श्री उपाध्यक्ष)
यक), 1975 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

विधेयक पर विचार एवं पारण

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह : (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने....

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोलना चाहता हूं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई अन्तर नहीं है, आप पहले बोल लें। हमारे पास बहुत अकमोडेशन है।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने व प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव

1. (विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव)

"उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय"

2. (विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी)।

श्री **मनोहर कोठारी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का प्रश्न है, इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है कि विश्वविद्यालय के प्रजातान्त्रिक तरीके के अध्ययन और उपाय के नाते यह संशोधन लाया जा रहा है। जहां तक विश्वविद्यालय के संगठन, वहां की व्यवस्था तथा शासन प्रणाली में यदि राज्य सरकार सही मायने में प्रजातान्त्रिक ढंग से कोई पद्धति का परिवर्तन करना चाहती है तो वह स्वागत योग्य है और उसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व दिया जाना तो और भी स्वागत् की बात है। लेकिन प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब उदयपुर विश्वविद्यालय की जो विस्फोटक स्थिति बनी हुई है वहां पर विवादास्पद वाइस चान्सलर को आपने बैठा रखा है उसके होते हुये क्या आप यह सम्भव समझते हैं कि उदयपुर विश्वविद्यालय में प्रजातान्त्रिक ढांचे पर कोई कार्य किया जा सकता है? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं उस स्थिति में आपकी ये भावनायें पूरी नहीं होंगी।

(समय 4.10 बजे सायंकाल)

(श्री भानुकुमार शास्त्री सभापति, पीठासीन)

उसके कई उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वह व्यक्ति वाइस चान्सलर जैसे गरिमामय पद पर बैठे, यह हमारे राज्य सरकार के लिये शोचनीय है। अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वाइस चान्सलर जैसे गरिमामय पद के लिए सदन में इस तरह की भाषा काम में नहीं लानी चाहिए। मैं जानता हूं कि यदि सही माने में अच्छे लोगों की नियुक्ति हो और वह लोग इस योग्य हों तब तो उनके प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन यदि किसी व्यक्ति के बारे में सार्वजनिक तौर पर आरोपों के अम्बार हों उसकी तस्वीर बिगड़ चुकी हो और जिस पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप सिद्ध हो गए हैं और उसके बाद भी वह व्यक्ति वाइस चान्सलर के पद पर बैठा रहे तो निश्चय ही यह विचारणीय प्रश्न अवश्य है।

(समय 7.00 बजे रात्रि)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, राज्य सरकार को इस बात की पूरी पूरी जानकारी है और राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन से सम्बन्धित कागजात और जानकारी भी प्राप्त करली है। जहां तक मेरी सूचना है, उसमें यह स्पष्ट है कि उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर डॉक्टर पी. एस. लाम्बा पहले मध्यप्रदेश शासन में डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे। वहां उन्होंने कीटनाशक औषधियों की खरीद में भारी घोटाला किया। जिस व्यक्ति पर 8 लाख रुपये का घपला और गबन करने का आरोप हो और इसके बारे में जब

152

(श्री मनोहर कोठारी)

ऑडिट रिपोर्ट में यह सूचना मिली तो मध्यप्रदेश शासन ने यह प्रश्न वहां के विजिलेन्स कमीशन को सौंपा। विजिलेन्स कमीशन हमारे यहां राजस्थान की तरह मध्यप्रदेश में नहीं है बल्कि वहां पर स्टेच्यूटरी कमीशन है जहां पर हाईकोर्ट के जज के केडर का आदमी उस कमीशन में बैठता हैं। उस कमीशन ने इस बात की पूरी जांच करने के बाद, उन गम्भीर आरोपों की जांच करने के बाद राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिये और उसमें दो तरह के एक्शन्स लेने के निर्देश थे। एक तो गम्भीर आरोप इस नेचर का है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके ऊपर पीनल कोड के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमा चलाये जाने की सिफारिश की गई है और उसके सेक्शन्स भी विजिलेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नोट कर दिये वह हैं धारा 409, 420, 120 (बी) और 477 (ए)। दूसरी साधारण अनियमितताओं के सम्बन्ध में विभागीय जांच की बात कही गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कि आप स्वयं भी एक अच्छे एडवोकेट रहे हैं। इन सेक्शन्स की नोइयत को देखिये, इन सेक्शन्स की गम्भीरता को अनुभव कीजिए और फिर सोचिये कि क्या ऐसे व्यक्ति को वाइस चान्सलर के पद पर रखना हमारे प्रदेश के लिए शोभा की बात होगी? इसके बाद मध्यप्रदेश शासन ने एक और ऑर्डर, एक और अन्तिम आदेश पारित कर दिया है और उसमें वहा डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के अ. डॉक्टर लाम्बा को दोषी पाकर 5 हजार रुपये की शास्ती आरोपित की। रिलेवेन्ट पोरशन है लेटर का पैराग्राफ नम्बर 3 जिसमें लिखा है "चूंकि इस प्रकार उन्होंने अपनी कालावधि में शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती तथा अनुशासन हीनता का प्रमाण दिया है। राज्य शासन ने अन्तिम रूप से निर्णय लिया है कि डाक्टर लाम्बा को 5 हजार रुपये वसूली का आर्थिक दण्ड दिया जाये" और यह सूचना भी राज्य सरकार को उपलब्ध हो चुकी है। गत सत्र में भी इस प्रश्न पर राजस्थान की इसी विधान सभा के इसी सदन में बड़ी जोरदार चर्चा रही और एक सिरे से माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत सेक्शन (ए) के अधीन जो भी गम्भीर बातें उदयपुर विश्वविद्यालय में हो रही हैं या हुई हैं उनको लेकर डॉक्टर लाम्बा के विरुद्ध जांच की जाये लेकिन तब भी यह विश्वास दिलाया गया था कि हम जांच करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन सभापति महोदय, दुख इस बात का होता है कि इतना लम्बा समय निकल जाने के बाद भी अभी तक राज्य सरकार ने जांच के आदेश प्रसारित नहीं किये। यही प्रश्न उभरकर बारबार मध्य प्रदेश की विधान सभा में आते हैं और अभी जब कि हम लोग यहां बजट सेशन में बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश की विधान सभा के बजट सेशन में 19 फरवरी 1975 को इस बात की फिर चर्चा उठी और कई अखबारों में जिनकी कटिंग मेरे पास है, माननीय सभापति महोदय, उसमें वह रिपोर्ट पब्लिश हुई है। मैं इसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। यह है नव भारत हिन्दी दैनिक जबलपुर। उसमें श्री होमीदाजी ने अपने पूरक प्रश्न में आरोप लगाया

(श्री मनोहर कोठारी)

कि आई. ए. एस. में जातिवादी लाबी का जोर है और इसी कारण डा. लाम्बा को प्रश्रय मिला है। होमीदाजी का कहना था इतनी अनियमितता करने वाले• डॉ. लाम्बा को राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय में कुलपति पद की प्रति नियुक्ति पर भेजा गया है। चेतावनी देने के बावजूद डा. लाम्बा की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में वृद्धि की गई।

श्री शिवसिंह (कांग्रेस) ने पूछा कि क्या डॉ. लाम्बा को गिरफ्तार किया जायेगा? शीतला सहाय की मांग थी कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर बहस का समय दिया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री श्री सेठी ने कहा डॉ. लाम्बा आई. ए. एस. अधिकारी नहीं हैं। उन पर कार्यवाही का अन्तरिम निर्णय शासन ने लिया है। जरूरत हुई तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

मैं इन अन्तिम शब्दों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आप यह पसन्द करेंगे कि राजस्थान के किसी उप-कुलपति को मध्य प्रदेश की पुलिस आकर गिरफ्तार करे? उनके खिलाफ जैसे संगीन चार्जेज हैं, जैसे संगीन उनके खिलाफ आरोप हैं कि उनकी इससे मुक्ति नहीं है। यह होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी काफी देरी हो चुकी है अब भी उस पर एक्शन ले लिया जाये और राजस्थान के लोगों में यह भावना न जागृत हो कि यहां पर बिना सोचे समझे ऐसे आदमियों को वाइस चान्सलर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है कि जिनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैं समय लूंगा। जो प्रमाण हैं उस आधार पर बातें निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का सुप्रीम कोर्ट में एक एक केस का जो जजमेंट हुआ है, जो निर्णय हुआ है उसकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह के वाइस चान्सलर के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। ए. आई. आर. 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज नम्बर 292। इसमें कुरुक्षेत्र युनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर को निलम्बित किया गया और उसके बाद उन्हें डिसमिस किया गया। वाइस चान्सलर का नाम था डॉ. श्री बूलचन्द। और उनके प्रश्न को लेकर इस आदेश के विरूद्ध वह सुप्रीम कोर्ट में गये उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देशक तत्व और सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। उन्होंने यह कहा है। वैसे वाइस चान्सलर श्री बूलचन्द के खिलाफ तो इतने गम्भीर आरोप भी नहीं थे। डॉ. बूलचन्द एक आई. ए. एस. ऑफिसर थे मध्य प्रदेश में और जब वह कलेक्टर थे उस स्थिति में उन्होंने कोई एक लोहे की अलमारी या सेफ जीरापुर में जब वह कलेक्टर थे तो वहां से उठाकर अपने घर पर रख ली और उन्होंने उसका उपयोग किया। यह उनके खिलाफ आरोप था और उस आरोप पर उनको वहां से डिसमिस किया गया। पहले उन्हें सस्पेण्ड किया गया और इन्क्वायरी की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं। कि इस साधारण सी बात को लेकर जब कि यह सरदार उज्जवलसिंह जी ने किया जब वह गवर्नर थे यह निर्णय किया था इस केस में

Page No 154

154

(श्री मनोहर कोठारी)

और राजस्थान में जो हमारे डॉक्टर लाम्बा साहब के मामले में तो जमीन आसमान का अन्तर है। उनके साथ इससे भी ज्यादा सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय आज ही इसी सदन में इस बात की घोषणा करें कि वे डॉ. लाम्बा को निलम्बित कर रहे हैं ताकि इंक्वायरी करने में भी सुविधा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, और भी माननीय सदस्य बोलेंगे जिसमें वे अध्यापकों में किस तरह से फूट डाल रहे हैं और तीन तीन अध्यापक संघों का निर्माण कराकर विद्यार्थियों में किस तरह से फूट डाली उसका उल्लेख भी होगा। उस सबका पिष्ट पेषण मैं नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर लाम्बा ने खासकर वहां के अध्यापकों के साथ जिस तरह का वर्ताव किया है या कर रहे हैं वह एक बेमिसाल और अनहोनी घटना है। जो लोग डॉक्टर लाम्बा का समर्थन नहीं करते उनको चुन 2 करके या तो सस्पेंड किया जाता है या उन्हें हटाया जा रहा है या उनको एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानान्तरित किया जा रहा है इस बात की चिंता किए बगैर कि वहां पर उनका कोई उपयोग भी है या नहीं, वहां पर स्कीम चल रही है या नहीं। इस तरह से सरकार के लाखों रुपयों के अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले उनके शिकार हुए डॉ. के. एल. कोठारी। डा. के. एल. कोठारी की नियुक्ति उदयपुर विश्वविद्यालय में एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट पर हुई। उनको मेज पर रिसर्च के लिए नियुक्त किया गया था। उनके साथ साक्षात्कार में और भी व्यक्ति थे किन्तु रिजेक्ट करके डॉक्टर कोठारी को नियुक्त किया गया और नियुक्त करने के बाद जब एक दूसरे व्यक्ति डॉक्टर बाबूलाल सिराघना को नम्बर दो पर पैनल में रखा गया। यह सोच कर कि सलेक्सन के बाद यदि पहले नम्बर का कैंडीडेट नहीं आए तो दूसरे नम्बर के कैंडीडेट की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन हुआ यह, सभापति महोदय, कि पहले नम्बर ने जोईन कर लिया और दूसरे नम्बर का नाम रह गया। उसके बाद एक रीडर इन कूकरबिट के पद पर उनको नियुक्त कर दिया। नियुक्ति करने के बाद ही यह स्कीम (कूकरबिट) वह क्योंकि अब समाप्त हो रही थी पी. एल. 480 की स्कीम समाप्त हो गई और इसकी जानकारी डॉक्टर लाम्बा को पहले से ही थी, उनको यह मालूम था कि क्योंकि यह स्कीम खत्म हो रही है इसलिए जानबूझ कर डॉक्टर सिराघना को, जो उनके खुद के विद्यार्थी रहे हैं उनके साथ जिनका सम्पर्क है उनके लिए डॉ. के. एल. कोठारी को वहां से डिसलॉज किया गया, उसके बजाय उन्हें वहां पर नियुक्त करने के लिए एक केलकूलेटेड साजिश की गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कि डॉक्टर कोठारी की योग्यता, प्रतिभा के अतिरिक्त उन पर लोगों को विश्वास था। अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उन्हें वहां से जानबूझकर और डिजाइण्ड वे में वहां से हटाया गया। यहां तक कि इस विधान सभा में यह प्रश्न पहले भी आया तो माननीय मंत्री महोदय की सलाह पर हमारे राज्य के शिक्षा आयुक्त ने एक सम्मति के तौर पर उनसे कहा कि इस तरह इर्रेगुलरिटि के बारे में विधान सभा में बड़ी चर्चा होती है

(श्री मनोहर कोठारी)

आप इस पत्रावली पर अंतिम निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को प्रेषित करें। लेकिन सभापति महोदय, राज्य सरकार की एडवाइज की जो कीमत हुई उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा तो एजूकेशन कमिश्नर साहब के उस पत्र पर 24 अप्रेल, 1974 की मीटिंग यह कर कि वे हमारी आँटोनोमी में व्यवधान डालते हैं, इन्टरफियरेंस करते हैं, उसकी भर्त्सना की। राज्य सरकार ने फिर उनको सूचित किया कि आप फाइल सरकार के पास भेज दीजिए। तो फाईल सरकार के पास भेजने के बजाय उन्होने वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी में से एक सब-कमेटी निर्माण करवाई और उसमें मेरे स्वयं के एक प्रिंसिपल श्री एस. एस. सक्सेना साहब को उसका सभापति नियुक्त किया। एस. एस. सक्सेना साहब को जब सारी वस्तु:स्थिति का ज्ञान हुआ उन्होंने उसी वक्त यह कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा और वे राज्य सरकार के पास गये ही नहीं। लेकिन उनके चहेते लोग जो उनके पक्ष में हैं, जो उनकी हर उचित अनुचित बात का समर्थन करते हैं वे लोग सरकार के पास अवश्य पहुंचे, उन्होंने क्या क्या कहा यह मैं नहीं जानता।

डॉक्टर कोठारी का चार्ज भी किस तरह से दिलाया गया यह भी एक बड़ी ऐसी स्थिति है माननीय सभापति महोदय, कि जिस पर मैं समझता हूं कि सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। डॉक्टर कोठारी ने उदयपुर में एक दावा सिविल कोर्ट में कर दिया था। टेम्प्रेरी इन्जेक्शन कोर्ट ने नहीं देकर उन्हें कहा कि यह ऐसी बात नहीं है, युनिर्वसिटी का मामला है हम एक शो काज नोटिस दे देते हैं। मैं इसका एक टैक्स्ट पढ़ रहा हूं। शो काज की सूचना 11 बजे विश्वविद्यालय को मिल जाती है, उपकुलपति जी को मिल जाती है लेकिन जब यह सूचना मिल जाती है उसके बाद भी वाइस चांसलर ने इंटरफियर करके और पौन बजे यानि 12 बजकर 45 मिनिट पर डॉ. सिराधना को चार्ज-एज्यूम करा दिया जावे यह कहकर उन्होंने डॉक्टर सिराधना को चार्ज एज्यूम कराया। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसे मामलों में जिसमें कि इस प्रकार के बड़े अधिकारियों के साथ भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। वे कम से कम कानूनी प्रश्न पर तो संतोष करके देख लेते तो भी ठीक थे कानून के पास जब मामला सब ज्यूडिश है उस मामले में विचार करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन उन्होने यह विचार नहीं किया। कोर्ट ने.......

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : संक्षेप में कहिए।

श्री मनोहर कोठारी : कोर्ट ने अंत में यह निर्णय दिया। कोर्ट में यद्यपि टेम्प्ररी इंजेक्शन ग्राण्ट नहीं हुआ था इस बिना पर पहले चार्ज दिया गया, एजम्पशन हो गया था कोर्ट ने अपील में अपने निर्णय में इस बात का जिक्र भी किया है। मैं समझता हूं कि उस जिक्र के बाद भी यदि कोई यह न समझें कि यह कितना भयंकर मामला है तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

"It is clear that on May 31, 1973 before the order of the court, Shri Sardhana has taken

(श्री मनोहर कोठारी)

over charge of the post on the intervention of the Vice Chancellor on 12.45 P. M. on May 31, 1973."

1 तारीख को उसकी सुनवाई होनी थी। गर्मी के दिन थे। एक बजे तक के ग्रॉफिस ग्रावर्स थे ग्रौर 12.45 पर चार्ज एज्यूम करने की बात वाइस चांसलर ने कही ग्रौर उसका रिकार्ड पर इसका उल्लेख है क्योंकि वहां के रजिस्ट्रार के पास मामला गया। उसके पहले के एल. जैन हैं उन्होंने इस बात की सूचना दी कि ग्रॉर्डर तो हो गए, डॉक्टर कोठारी छुट्टी पर हैं। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि वाइस चांसलर से कंसल्ट करने की जरूरत है इसलिए इसको रख दिया जावे। वाइस चांसलर ने टेलीफोन किया कि डॉ. सिराधना को चार्ज एज्यूम करा दिया जाय।

"There was a telephone from the Vice-Chancellor at 12.45 P.M. that the charge report of Shri Sirdhana should be accepted as we cannot wait for the officer who has to hand over. Accordingly, his charge report was accepted as per instructions."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट ने यद्यपि यह माना है कि इन्टरचेन्जेबल पोस्ट नहीं थी, यह ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद इस तरह की धांधली-बाजी जब युनिवर्सिटी में होती है ग्रौर वाइस चान्सलर खुद करता है तो उसके लिए जरा दुःख होता है। ग्रौर तो ग्रौर क्योंकि यह बात पहले भी सदन में ग्रा चुकी थी ग्रौर यह कहा गया था कि युनिवर्सिटी की यह स्कीम खत्म हो रही है, ग्रौर यह जवाब भी माननीय मन्त्री महोदय ने दिया था क्योंकि वह स्कीम खत्म हो रही थी ग्रौर यह जानते थे। इसलिए उसके, पहले ही डॉ. कोठारी को सस्पेंड किया ग्रकारण ही, कोई मौका दिये बगैर ही डिसमिस कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों का यह हस्र है उदयपुर विश्व-विद्यालय में। ग्राप राजस्थान के टेलेन्ट्स को मौका देने की बात कहते हैं। मन्त्री महोदय ने ग्रभी घोषणा की है कि राजस्थान के टेलेन्ट्स को मौका मिलेगा। ग्राज राजस्थान के टेलेन्ट्स की हत्याएं हो रही हैं तो उस पर जरा विचार करें। उसके बारे में सोचने की नितान्त ग्रावश्यकता है। मैं खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके बाद डॉ. बी. के. श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया बिना किसी चार्ज शीट तैयार किये, बिना उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशन्स के होते हुए, उनको सस्पेंड कर दिया ग्रौर यह कहा कि एन्क्वायरी को फेसिलिटेट करने के लिए हम तुमको सस्पेंड करते हैं। कितने ग्राश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक कोई चार्जशीट तैयार नहीं हो सकी। क्योंकि इनके खिलाफ कोई चार्जेज नहीं थे ग्राखिर मोटीवेटेड करके उदयपुर के एक एडवोकेट से सम्पर्क किया गया ग्रौर एक हजार रुपये उसकी फीस दी, ग्रौर जो उनके खिलाफ कागजात बनाये थे उनके ग्रनुसार उन्होंने 199 चार्जेज लगाये। ग्रब ग्राप ग्रन्दाजा लगाइये 199 चार्ज लगाये उस व्यक्ति के खिलाफ जो डाइरेक्टर ग्रॉफ

(श्री मनोहर कोठारी)

एग्रीकलचर एक्स्टेन्शन रहा हो, और 199 चार्ज भी सब बेसलेस, व्यर्थ के चार्ज। नतीजा यह हुआ कि डॉ. बी. के. श्रीवास्तव हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने उनकी रिट एडमिट करली। उसके बाद स्टे एप्लीकेशन एड्मिट कर ली, और यह कहा कि सस्पेंन्शन के पीरियड की पूरी तनख्वाह दी जाय। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि एक तरफ राजस्थान के पास में पैसे का अभाव है। राजस्थान सरकार युनिवर्सिटी को ग्रान्ट देती है ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और वैज्ञानिकों की तरक्की हो उसके बजाय उन लोगों को जलील और परेशान किया जाय, उन पर जुल्म तोड़े जाएं, उन्हें सस्पैंड किया जाय और फिर पूरी तनख्वाह भी दी जाय। यह हमारे इस विश्व-विद्यालय की ही एक विशेषता है।

यही नहीं बल्कि और भी इसके अतिरिक्त डॉ. सुधीर कुमार और डॉ. चक्रवती इन दोनों रीडर्स को सस्पेन्ड किया। सस्पेन्ड भी किस बिना पर किया? केवल इस बिना पर, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि सब युनिवर्सिटीज में रोटेशन ग्राफ हैड-शिप कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने चहते को इनके पुराने हैड्स को ही दुबारा नियुक्त कर दिया। डॉ. सुधीर कुमार कोर्ट में गये। इन्जेक्शन का दावा किया, और दावा करने के बाद जब उनको स्टे मिल गया, वह लोग रखे गये तो उसको जलील करने के लिए, उनसे निपटने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को भी सस्पेंड कर दिया गया। आप अन्दाज लगाइये कि इस तरह की चीजें वहां हो रही हैं। यह दोनों वैज्ञानिक भी हाई कोर्ट में गये। इनकी पूरी तनख्वाहें दिये जाने का आदेश हुआ, और तनख्वाहें पूरी दिये जाने के आदेश के बावजूद भी पोजीशन यह है कि डॉ. सुधीर कुमार जिन्होंने दावा किया था उन्हें आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। उन्होंने हाई कोर्ट में कन्टेम्प्ट की एप्लीकेशन पेश की है। उसका निर्णय तो आखिर हाईकोर्ट करेगी, लेकिन मैं वहां की वस्तुस्थिति की ओर इंगित कर रहा हूं कि किस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं इनके सामने लोग परेशान हैं इसको थोड़ा देखने का आवश्यकता है।

श्री सभापति : आप शीघ्र समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसा है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री रणजीत सिंह : इनको और समय दें हम बैठे रहेंगे और नहीं बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, थर्ड रीडिंग की स्टेज पर माननीय उपाध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है कि कोई भी सदस्य बोल सकता है, तो हम भी इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : यह डॉक्टर सुधीर का प्रश्न है।

जहां तक दूसरे अध्यापक का विक्टेमाईजेशन किया जा रहा है उनके बारे में अन्दाज लगाइये। इन 60 अध्यापकों को जिन्होंने कलेक्टोरेट के बाहर धरना दिया था और मांग की कि डॉ. लाम्बा को निलम्बित करो, डॉ. लाम्बा को हटाओ और विश्व विद्यालय की जांच करो, शान्तिपूर्वक धरना

(श्री मनोहर कोठारी)

था वह। तो उन 60 अध्यापकों में से एक को भी एक्जामिनर नियुक्त नहीं किया गया। एकेडेमिक कौन्सिल ने उनके नाम एक्जामिनरशिप में लिखे और कहा कि वे एक्जामिनर बनाने के लिए कम्पीटेन्ट हैं। लेकिन वाइस चान्सलर ने उस लिस्ट में इन्टरफियर करके बदल दिया और एक्जामिनरशिप उनसे छीन ली और कई लोगों को इधर-उधर स्थानान्तरण किया गया। उसमें एक श्री एम. के. वर्मा निमेटोलॉजिस्ट थे उनको जोबनेर भेजा गया, क्योंकि इन्होंने भी धरने में भाग लिया। जोबनेर में जिस जगह पर यह काम कर रहे हैं वह निमेटोलॉजिस्ट की जगह नहीं है। वहां उनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती है कि वे रिसर्च कर सकें, लेकिन उन्हें सबके सिखाने की वजह से कि वाइस-चान्सलर के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, इनकी हिम्मत न हो इसलिए सब कुछ किया गया है।

दूसरा, और तो ठीक है, सभापति महोदय, लेकिन जो महिलाएं अध्यापक हैं उनका भी बहुत भयंकर और बेरहमी से ट्रान्सफर किया गया। मिस सरोज धवन जो बायोकेमिस्ट हैं इन्हें सुमेरपुर भेजा गया जहां इस सम्बन्ध में कोई सुविधा ही नहीं है। श्री रजा अहमद को उदयपुर से बांसवाड़ा भेज दिया गया जो पिछले 4-5 वर्षों से बेक्ट्रियोलाजी में अच्छा काम कर रहे थे, और बांसवाड़े में उनका कोई उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन वहां भेजा गया। आर. सी. सक्सेना जो मेज स्कीम में कार्य कर रहे थे उन्हें वहां से हटाकर दूसरी स्कीम में भेज दिया जिसका उन्हें अनुभव नहीं है। वह स्कीम बन्द की जा रही है और खास तौर से जब कि देश में खाद्यान्न की समस्या है, कृषि विद्यालय जैसी संकाय में इस तरह की हेठी बातें की जाती हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सभापति महोदय।

डॉ. मिसेज शान्ति पोरवाल को जिस पद के लिए उनका चयन हुआ था वहां से उनको हटाकर दूसरी टेम्पोरेरी स्कीम में ट्रान्सफर कर दिया। और डराने-धमकाने की तो ऐसी कई स्थितियां हैं। डा. मिसेज पी. सुन्दरम् को वाइस-चान्सलर ने ऐसी फोश और वाहियात गालियां बकीं कि वह विधवा अपने मुँह से उनका बखान नहीं कर सकती। ऐसे लोग जिन को तो थानेदार बनाना चाहिए था वह वाइस चान्सलर के पद पर नियुक्त हैं। यह राज्य सरकार के सोचने की बात है, और उनकी जांच करेंगे तो यह बात साबित हो जायगी कि उन्होंने एक महिला के साथ कितनी अभद्रता का व्यवहार किया और उन्हें किस तरह से फोश गालियां दीं।

अब एडहॉक एपाइन्टमेंट्स की कहानी सुनिये। एक निर्मला मोहता, सी. एन. माथुर और किशोर गेहरा, इनको 1-7-74 से एपाइंटमैंट दिया जब कि उन्होंने एक्चुअली 2-8-74 को ज्वाइन किया। इस प्रश्न पर लीगल एडवाइजर से भी परामर्श किया गया। इसका एक कोरीजेन्डा और निकाल कर दिया गया कि इनकी नियुक्ति कानून के विरुद्ध जब तक दूसरे अधिकारी न आयें तब तक कर दी जाय। यह कोरीजेन्डा 31-12-74 का है और उसके पहले 21 जुलाई, 1974 को अपने यहां से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक उदयपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश जारी हो

(श्री मनोहर कोठारी)
चुका था, और उसके अनुसार इस प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हो सकती थी। रीडर की नियुक्ति इस तरह से एडहॉक तौर पर नहीं हो सकती हैं सिलेक्शन कमेटी के बिना, लेकिन फिर भी उसमें परिवर्तन करके यह कह दिया गया कि इनको जब तक दूसरे आदमी नहीं आते हैं या पहले से नियुक्त आदमी ज्वाइन नहीं करते हैं, जो भी अर्लियर हो यह काम करेंगे। फिर इसको बाद में बदल कर यह कर दिया कि जब तक दूसरे आदमी ज्वाइन न करें तब तक करेंगे। इस तरह से एडहॉक का 4 माह का पीरियड निकाल दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं काफी समय दे चुका हूं। दो-तीन माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री मनोहर कोठारी : मैंने कई माननीय सदस्यों से निवेदन कर उनका समय भी लिया है मैं वैसे भी बहुत कम बोलता हूं।

इसमें निवेदन करना है कि लीगल ओपीनियन ली गई तो लीगल एडवाईजर ने यह स्पष्ट लिखा है—

"The joining report of the candidates is also of 2nd August, 1974, but the appointment order No. MBC/AE/282/56672-88, dated 24/28 August, 1974 makes the appointment effective from 1-7-1974 for a period of four months or till a selected candidate Joins. This anamoly be reconciled and, if necessary, corrected. An ordinance, 'The Rajasthan University Teachers and Officers (Special Conditions of Service) Ordinance, 1974' was promulgated by the Governor of the State of Rajasthan on 21st July, 1974.

Section 3 provides that 'no teacher or officer of the University can be appointed in a manner other than one provided in this Ordinance and appointments made in contravention of this section to be null and void.

Sub-clause (3) of section 3 however enables the University to appoint a teacher or an officer as a stop gap arrangement for a period of six months.

In view of this restriction we can extend the period of temporary appointment of these teachers for a maximum period of six months w. e. f. 2nd August, 1974, the day when these teachers joined duty and the day from which their appointments became effective."

लेकिन माननीय सभापति महोदय, लीगल एडवाइजर ने भी कहा है कि इनको टेम्पोरेरी एपॉइमेंट दिया गया है और वह आज भी बैठे हुए हैं।

जहां तक डॉ. मिस वेलिंगटन का सवाल है

(श्री मनोहर कोठारी)
उनकी तरक्की करके एपॉइन्ट कर दिया। उनको कर दिया लेकिन वह स्टैट्यूट 49 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। यह केन्डीडेट उदयपुर युनिवर्सिटी में सलेक्ट नहीं हुआ।

The argument that the candidate has been selected as Reader in Pant Nagar Univeraity" कह कर उन्हें गैर वैधानिक ढंग से नियुक्त कर दिया

यह उनके आरग्यूमेण्ट हैं। किसी और विश्वविद्यालय में उनका सेलेक्शन हो गया इसलिए सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से घोटाले की और भी स्थितियां हैं।

एक हैं, डॉ. एस. एल. माथुर, उनको ट्रेनिग में अहमदाबाद भेजा गया। इनके एक अपने जाति के आदमी को लेना है। इन्होंने क्या किया कि पहले तो उनको लिखा कि आप ट्रेनिंग न करके ज्वाइन कर सकते हैं क्या ? उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा है। लेकिन हुआ क्या तब तक दूसरे इन्होंने अपॉइन्ट कर लिया।

"In the case of an appointment as Reader in Extension, the Vice Chancellor informed the Ex. Com. that he had asked the candidate (an internal one serving in the same department but who was under training at Indian Institute of Management: Ahmedabad) whether he could join immediately if selected; the candidate had declined to be immediately available. On the basis of this he has not been selected though he was head and shoulders above the other candidates: two of whom have been selected".

आप यह देखिये कि जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड था, सबसे ज्यादा योग्य था, उस व्यक्ति को मौका नहीं दिया। उसको यह कह कर टाला गया कि वह इमीजिएटली टेकओवर नहीं कर सकता था, मैं यह निवेदन करता हूं:—

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, और भी कई इर्रेग्यूलरेटीज हैं। जिन पर बार बार ध्यान आकर्षण करता रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा, जो इनफोर्मेशन मिल रही हैं, उस पर वह सदन में जवाब नहीं दें, वर्ना यह स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो जायेगी। मैं निवेदन करूंगा, उनके खिलाफ आज ही इन्क्वायरी इन्सटीट्यूट कीजिये। उनको सस्पेण्ड कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ यह जो बिल आया है, इसकी भावना शुभ है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनका नाम है। शास्त्री जी का।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसा संकल्प था।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : ये प्रद्युम्नसिंह जी बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : ठीक है। श्री प्रद्युम्नसिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : आपकी शख्शियत ही ऐसी है कि कोई ऐतराज कर नहीं सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जो बिल आया है और उसमें जो प्रावधान किया गया है, वह बहुत ही स्वागत के योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मेरा कोई बोलने का इरादा तो नहीं था किन्तु जिस प्रकार से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की फाइण्डिंग्स रखी गई है, वहां की वादविवाद की फाइण्डिंग्स रखी गई है और जो वहां की कॉपी पेश की गई है उससे एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी, उदयपुर के वाइस चांसलर के खिलाफ काफी गम्भीर मामला बन गया है। इसलिए इस पर राज्य सरकार को प्रकाश डालना काफी लाजमी हो जायेगा। राज्य सरकार के डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी की फाइण्डिंग्स हैं, उनके बारे में राज्य सरकार को जानकारी निश्चित होगी। अगर राज्य सरकार के पास जानकारी नहीं है तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि वह तुरन्त जानकारी करें। नहीं तो मध्य प्रदेश शासन के अन्दर राज्य सरकार की बहुत ही अजीब स्थिति बन जायेगी। जैसा कि कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। घोषणा नहीं, यह कहा है कि अगर आवश्यक हुआ तो हम वाइस चांसलर को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो क्या यह हमारी सरकार के लिए उचित होगा जिसका गवर्नर के द्वारा एप्वॉइण्टमेण्ट होता है, ऐसे व्यक्ति के यहां से हथकड़ी पड़ कर जायें। सारे हिन्दुस्तान के लोग राजस्थान सरकार के बारे में क्या सोचेंगे ? राजस्थान सरकार ने जानते हुए भ्रष्ट आदमी को वाइस चांसलर एप्वॉइण्ट किया है। तो माननीय सभापति महोदय, हम यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार के सदन में आरोप लगाये गये हैं, उससे माननीय सदस्यों के दिमाग के अन्दर, मैं यह कहूंगा, वह सोचेंगे कि क्या यह भी औचित्य है। इस पर विस्तार से प्रकाश डाला जाये। जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाये हैं, अगर वह सच हैं तो उस आदमी को तुरन्त ही सस्पेण्ड किया जावे। वाइस चांसलर का पद एक कॉम्पीटेण्ट पद है। अभी लखनऊ युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वहां के गवर्नर ने डिसमिस किया है। एक और युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी गवर्नर ने डिसमिस किया है। वह अपील में सुप्रिम कोर्ट में गये हैं। इसी प्रकार से उदयपुर युनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनको गवर्नर साहब सस्पेण्ड करने में सक्षम हैं। जिस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं वैसे तो यह एक प्रशासनिक मामला है। ऐसे मामले में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो आरोप लगाये गये हैं, जिस विषय की जगह खाली थी, उस विषय के एक्सपर्ट को न लगाकर दूसरे आदमी को लगाया गया है। काला पीला जो भी चांसलर कर दे, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। टीचर्स की ग्रिवेंसेज हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार द्वारा अपने लेविल पर किसी रिटायर्ड वाइस चांसलर से इसकी जांच करवाई जाये। ऐसे व्यक्ति से उनकी जांच करानी चाहिये इसके अलावा हमें उम्मीद है, हलांकि काफी समय हो चुका है, शिक्षा मंत्री महोदय को

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सदन को विश्वास में लेना पड़ेगा। यह साबित हो चुका है और राजस्थान सरकार के सामने मध्य प्रदेश सरकार की फाइंडिंग्स मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमको सदन के अन्दर सारी सूचना देने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : हम लोगों ने कायदे से बहुत संक्षेप में, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉ. लाम्बा के विरुद्ध यहां पर सदन में चार्जेज लगाये थे। उस पर यह ऐतराज किया गया था, क्योंकि व्यक्तिगत आक्षेप लगाये जा रहे हैं इसलिए जब तक लिखित रूप में न दे दिया जाय, वह नहीं लगा सकते। और हमको उस रूलिंग को मानना चाहिए, और मानना पड़ा। आज खुश किस्मती है, जो चार्जेज उन पर लगाये गये हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। इसलिए यह अब बाधा पैदा नहीं होती। मैंने निवेदन किया कि डॉ. लाम्बा के खिलाफ सिर्फ एक चार्ज है, जो एक बड़ी रकम 22 लाख की डील करके 8 लाख का गबन किया और उस सिलसिले में जो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हुई उसमें उस सिलसिले में 5 हजार जुर्माना किया गया यह आक्षेप ही काफी है कि उनको रहने नहीं दिया जा सकता है। अभी कुछ क्षण पहले शिक्षा मंत्री ने बहुत दुख: के साथ कहा था, हम लोग बहुत हल्केपन से नहीं कहें। अब उस तरीके का सख्त कड़वा घूंट भी पीना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे पश्चताप और अफसोस है क्योंकि वाइस चांसलर के ऊपर चीटिंग का मुकदमा करें, या मिस एप्रोप्रिशन की 406 की बात कहें, तो क्या शान रहेगी राज्य सरकार की ? जब 406 के क्राइम में पेश किये जायेंगे, 420 बेलेबल ऑफेन्स है, 406 में जिस वक्त जायेंगे, उस वक्त शिक्षा मंत्री को शर्म आयेगी। उस वक्त मैंने स्पेसिफिक नाम लिया था। मैं चाहता था, उस नाम के बारे में पूछा है, वह मैं दोहराना नहीं चाहता डॉ. लाम्बा के मुतल्लिक, श्री कोठारी ने जो कुछ कहा है, उससे मालूम होता है, एक बार नहीं अनेक बार हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया गया है। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसको फ्लाउट किया गया है, कुछ समय उसको दबा कर अच्छे अच्छे लोगों को खत्म किया गया है। हाईकोर्ट के फैसलों को जिसने फ्लाउट किया है, उसने वह सब आपकी सुरक्षा में किया है। उसके लिए आप ब्रीफ होल्ड करें और फर्मायें, हमें हल्केपन से नहीं कहना चाहिए। मैं संजीदगी से कहना चाहता हूं, क्या जवाब है आपका, जो उन पर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के सिलसिले में पांच हजार रुपये का जुर्माना कर दिया, मैं समझता हूं कि 18 जनवरी को फैसला हुआ उसके बाद आपने क्या कदम उठाया उन लोगों के हित में जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। जिनकी एक नहीं अनेक मिसालें कोठारी साहब ने पेश की हैं, उनको क्या राहत दी, क्या रिलीफ दिया ? आप यह महसूस करते हैं कि हम वाइस चांसलर को रखेंगे, चाहे और जितने भी सर्वोडिनेट के साथ कितने ही जुल्म होते रहें। मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा, वहां सवाल पूछा गया, ऐसा आदमी जो चरित्रहीन है, ऐसा आदमी, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश की विधान सभा में इस तरह का सवाल उठाया जाय, क्या उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उसका क्या जवाब दिया चीफ

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

मिनीस्टर ने कि अगर साबित हुआ तो यह भी हो सकता है कि गिरफ्तार उसको कर लिया जाय। आज हिटलर मुसोलीनी मर गये, यह डिक्टेटर जिन्दा है इन्टेलेक्चुअल फील्ड में। मेरे पास काफी कागजात थे, में कहना चाहता था, कुछ उस्तादों ने प्रोटेस्ट के तौर पर लिख कर दिया, हमारे पर्चे हमें कॉन्फीडेंस में लिये बिना बदल दिये गये, यह हमारे साथ बहुत बेइन्साफी की गई है, ऐसे लोगों को पर्चे सेट करने के लिये दे दिये गये जो क्वालिफाइड नहीं हैं। उसका जवाब वाइस चान्सलर खुद नही लिखते हैं, पी.ए. लिखता है, हिज मैजेस्टीइज प्लीज्ड टू ऑर्डर, यह आदेश दे दिया गया, मावदौलत को आपकी यह हरकत बहुत नापसन्द है। यह मुगले आजम को आपने वाइस चांसलर बना कर भेज दिया, वह खुद कम्युनिकेट नहीं करता है, सेक्रेटरी के मार्फत कहता है कि नाशाइस्ता लोगों की हरकत है। पन्द्रह बीस लोगों ने आपके सामने लिख कर दिया कि हमारे साथ यह गुस्ताखी की। अब शिक्षा मन्त्री ने कैसे उनको संरक्षण दिया है ? शिक्षा मन्त्री फाइल मंगाते हैं तो फाइल भेजना वह अपनी शान से खिलाफ समझते हैं इसलिए कि वाइस चान्सलर हैं और यह मामूली शिक्षा मन्त्री हैं, क्या है, वह मावदौलत के हुक्मात को फ्लाउट तो नहीं कर सकते। मैं निवेदन किया चाहता हूं, जा घटनायें आपके सामने आई हैं, मेहरबानी करके जिनके साथ में बेइन्साफी हुई है, उनके साथ इन्साफ कीजिये, जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनको तनख्वाह तो दीजिये। और इन बुजुर्गवार को बहुत बड़े ओहदे पर कायम करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिपब्लिकन के सदरे जमूहरियत को लिखे, यह आदमी गैर मामूली काबलियत का है, इसकी यह फितरत है, इसको वाकई में कमाण्डर इन चीफ होना चाहिये। इन्हें यहां से हटाया जाय। ऐसे सख्त आदमी को कहीं एसी जगह भेजें जहां यह फिट हो सके। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा, हम इस पूरी युनिवर्सिटी को इस आदमी से निजात दिलाना चाहते हैं। फिर कितने ही बड़े ओहदे को इनके सुपुर्द करना चाहें, तो आप कर दीजिये, चाहे अपना ओहदा दे दें, मुझ ऐतराज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जो शिक्षा मन्त्री····

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : इतनी जानकारी नहीं मिली।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं इस पर कैसे बोलूं जिसकी जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : आप बोलिये !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने सूचना दी, जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल है, जिसको सीनेट कहते हैं, उसमें दो-दो स्टुडेंट पहले थे, एक प्रेसीडेंट था, उसकी जगह देकर विद्यार्थियों का प्रतिनिधि बढ़ा कर किया है, इसके लिए धन्यवाद ! इसी प्रकार से एक्जीक्यूटिव है, जिसको सिण्डीकेट कहते हैं, उसमें भी उन्होंने दो विद्यार्थी एक सम्बन्धित कॉलेज और एक युनिवर्सिटी के कॉलेजेज से लेकर वहां पर प्रतिनिधित्व

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया है। इसके लिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। पर वहां पर विद्यार्थी, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, उसकी कोई मीटिंग में वह भाग नहीं ले सकेंगे। तो जहां तक एक्जामिनर कौन होगा, उसकी मीटिंग में विद्यार्थी भाग न लें। मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें वह भाग लें, जैसे जो फाइनेन्स का मसला है, फाइनेन्सियल मैटर है, उनमें विद्यार्थी भाग नहीं लेगें, इस बात पर शिक्षा मन्त्री की बात से अपने को अलग करते हुये निवेदन करना चाहता हूं, विद्यार्थियों को फाइनेन्स के मैटर में लिप्त कर लेंगे तो यह होगा कि बार-बार विद्यार्थी मांग करते हैं, हमारी यह चीज मानें हमारी वह मांगे मानें। फिर आप कहते हैं कि विश्वविद्यालय के पास पैसा नहीं है, इसलिए खर्च नहीं कर सकते। विद्यार्थी शामिल होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि पैसा है तो काम करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिये। इससे जो गुरूजन हैं, जो विद्यार्थियों से अधिक योग्य हैं, उनके प्रति सहयोग की भावना पैदा होगी। इन लोगों को मिला कर, विद्यार्थी और गुरूजनों को मिला कर जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात है, वह भी लागू हो सकेगी। मेरा निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री इन दो बातों पर भी विचार करें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय बनाया गया। आज जब हमारा प्रांत कृषि प्रधान है तो इस समय वहां का जो विश्वविद्यालय है उसका महत्व बढ़ जाता है और वहां जो कुछ हालात सुनने को मिले और भी इस प्रकार की बातचीत हुई तो राज्य सरकार को उसका सुधार करना चाहिए। उदयपुर में विश्वविद्यालय के अन्दर एक मिल्क पाइलट स्कीम चलती है, वहां पर भी गबन और घोटाले कम नहीं हैं। केवल 1200 लिटर दूध आए और वह विश्वविद्यालय में ही समाप्त हो जाता होगा, जनता को क्या मिलता होगा? जो उदयपुर विश्वविद्यालय है वह पूरा कृषि विश्वविद्यालय हो, इस प्रकार का भी अधिकार प्राप्त नहीं है।

एक गबन और घोटाले की तरफ शिक्षा मन्त्री को ध्यान देना चाहिए। जोबनेर में कृषि कॉलेज है।

"Boys Fund Account was never audited after 1962 *i. e.* since the formation of the University."

इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ और 2 लाख का गबन हुआ, "Shri C.L. Jain, Cashier, was mainly responsible for commiting this embezzlement."

श्री सी. एल. जैन पर आरोप लगाया है। यह मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है।

"He committed embezzlement by doing mistakes in totalling, by doing mistakes in carry forwarding amount and also by transferring money from cash column of the cash book to the bank column, thereby reducing cash in hand and increasing the amount in bank."

तो मेरी प्रार्थना है कि इसमें आगे यह भी कहा गया है कि—

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

The Dean and Assistant Registrar also did not care to see that the Bank reconciliation is done regularly and this factor was-also responsible for committing embezzlement."

(8.02 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मेरा निवेदन है कि ऐसा उदयपुर विश्वविद्यालय में गबन हुआ, घोटाला हुआ, उसको भी रोकना चाहिए और जैसे शिक्षा मंत्री से निवेदन किया गया है कि विद्यार्थियों को इस संशोधन विधेयक के द्वारा प्रतिनिधित्व तो दिया परन्तु फाइनेन्शियल मैटर्स में भी उनको भाग लेने के लिए अनुमति देंगे तो विश्वविद्यालय का प्रशासन बढ़िया हो सकेगा। बाकी बिल का तो मैं स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह राठौड़ !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूंडा !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली) !

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मलाकुमारी !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय का यह संशोधन बिल एक व्यवस्था सुधारने के लिए विद्यार्थियों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेने के लिए रखा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जिस व्यवस्था को सुधारने के लिए यह बिल रखा गया है कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था सुधरे, उसके विपरीत आज सदन में माननीय सदस्यों ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के विरोध में रखा है। मध्यप्रदेश सरकार के अन्दर जो इस प्रकार की घटनायें घटीं, मैं उन्हें फिर से रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार इस प्रकार गंभीर आरोपों के मामले में भी ध्यान नहीं देती क्योंकि पहले भी यह मामला एक बार सदन में आ चुका है और उस समय कहा गया था कि मध्यप्रदेश सरकार से जांच करके सदन में रखेंगे। तो राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह पता लगाए कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ? राज्य सरकार प्रारम्भ में उत्पन्न हुई अव्यवस्था के बारे में ध्यान नहीं देती फिर बढ़ती-बढ़ती पुराने रोग का रूप धारण करके बन जाती है। आज हमारा शिक्षा मंत्रालय जिसके अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय भी है, ऑटोनोमस बॉडी होते हुए भी जो उनके अधिकारी हैं वे इस प्रकार के बन चुके हैं कि मान लो कोई शिकायत करे, शिक्षा आयुक्त को पत्र लिखे फिर भी कोई जवाब नहीं। रेसपॉन्स मिला तो भी वैसा ही। अपनी जिम्मेदारी को शिफट कर देते हैं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

दूसरों पर। मैंने एक पत्र शिक्षा आयुक्त को इस सम्बन्ध में लिखा था इस विश्वविद्यालय के अन्दर चल रही अनियमितात्रों के बारे में, उन्होंने जवाब दिया कि मेरा सम्बन्ध ही नहीं है। क्योंकि यह कृषि विभाग देखता है इसलिए मैंने आपकी एप्लीकेशन उनको फावर्ड कर दी है। लाखों रुपए का गबन हो, मैं उन गबन की रिपोर्ट, अनियमितताओं की रिपोर्ट और अव्यवस्थाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार को करूं और राज्य सरकार की तरफ से मुझे उत्तर ऐसा मिले अपना उत्तरदायित्व दूसरों के कंधे पर शिफ्ट करते हुए कहें कि हमारा सम्बन्ध नहीं है हमने कृषि विभाग को सौंप दिया है। कृषि विभाग से उत्तर आया जिसमें उन्होंने कहा कि यह शिक्षा से सम्बन्धित है, इसलिए आपका पत्र उनको भेज दिया है। मैंने दोनों पत्र आपके पास रख दिए जो आज भी मैं सदन में रख सकता हूं। मूल प्रतियां मेरे पास हैं। यह कैसी व्यवस्था है ? यदि उस समय जांच हो जाती तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। आशा है शिक्षा मंत्री इस बारे में विशुद्ध विवेचन करेंगे। यह बिल जब हमारे सामने आया है उसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है सिवा एक दो कमेटियों में। एक से तो मैं सहमत हूं कि एक्जामिनरशिप चेंज करने की जो कमेटी है, उसमें उनको नहीं रखा गया है लेकिन जो फाइनेन्स कमेटी है उसमें विद्यार्थियों को रखा जा सकता है। उससे यह लाभ होगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान होगा तो उसीके अनुसार वे मांगे रखेंगे। आज ज्यादा आंदालन इसी कारण से होते हैं कि सही पिक्चर का उनको ज्ञान नहीं है कि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति क्या है ? इसलिए विद्यार्थियों को उस कमेटी पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

उदयपुर नगर के फार्म में अनियमिततायें हुई और उन अनियमितताओं को लेकर विश्वविद्यालय में एक नाग कमेटी बनी। उसके बाद में एक व्यक्ति को सस्पैंड किया गया। उसके बाद फिर दूसरी कमेटी—कक्कड़ कमेटी बैठी उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला, फिर राणावत कमेटी बैठी। आखिर कितनी कमेटियां बनाना चाहते हैं ? 8, 10, 20 बना दीजिए। बी. के. श्रीवास्तव का क्या करना है ? निर्णय शीघ्र होना चाहिए। एक तरफ यह और दूसरी और पाइलट मिल्क स्कीम के अन्दर कितना गबन है ? मैंने विधान सभा में गत वर्ष भी बताए थे। एक क्लर्क पैसा उठा कर ले गया, खा गया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको सस्पैंड करके फिर रीइन्सटेट किया गया। आज सरकार की दृष्टि से यह समझा जा रहा है कि उदयपुर में पाइलट मिल्क स्कीम से जनता को दूध वितरण करने की आवश्यकता नहीं। उदयपुर शहर के अन्दर एक भी बूथ दूध के नाम से नहीं है। जितने भी लगे हुए थे वह सब कॉलेज में रख दिये गये हैं। केवल 1200 लीटर दो लाख की जन संख्या में आता है। इस पर राज्य सरकार का कितना खर्चा हुआ, 24 लाख रुपये से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको बन्द कर दिया जाय। और दूसरी जगह जैसी व्यवस्था है उसी तरह से उदयपुर के लिए भी होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन करने का यह है कि राज्य सरकार इतनी इनएक्टिव है,

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इतनी निष्क्रिय है कि इतना कहने के बाद भी भगवान का रूप धारण किये हुए है, उनके कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं और आंखें भी हैं फिर देखते नहीं हैं।

श्री फूलचन्द जैन : और भगवान के सब कुछ न होते हुए भी सुन लेता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हां, वह तो फिर भी सब कुछ करने में सक्षम है। दूसरा सुझाव मैंने यह रखा था कि उदयपुर कृषि कॉलेज के अन्दर विश्वविद्यालय में एक लीडरशिप ओरियन्ट करने के लिये एक स्कीम बनाई जानी चाहिए। एक लेक्चरार के अनुसार स्कीम बनाई भी गई जिस पर 25 हजार रुपये लगाये गये और वहां पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब ने विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के लिये निःशुल्क व्यवस्था भी की थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों के बावजूद विश्वविद्यालय इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था कर सकी और फिर भी वह सारा का सारा रुपया उन्होंने अपने पास रख लिया। मुझे आश्चर्य होता है यह जानकर कि आखिर किसी न किसी पर कुछ न कुछ एक्शन तो होना ही चाहिए। यही कारण है कि अव्यवस्थाएं बढ़कर हमारे सामने आती हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज लाखों रुपयों का व्यय इस विश्वविद्यालय में हो रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। उदयपुर को इसका कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। यह भी आश्वासन दिया गया था कि उदयपुर में स्नातकोत्तर प्रणाली में टैक्नोलॉजी का कोर्स भी प्रारम्भ किया जायगा परन्तु वह कोर्स आज तक नहीं खोला गया है। दूध की मशीनरी चलती नहीं है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि उन सारी बातों को ध्यान में रखकर एन्क्वायारी, एज ए होल, सारे विश्वविद्यालय पर बिठाइये। मैं एन्क्वायरी कमीशन की जांच करते हुए इस बिल का स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी!

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जो बिल मैंने सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिए सर्व सम्मति से एक ही राय जाहिर की गई है कि यह एक बहुत ही प्रगतिशील बिल है। मुझे तो जो माननीय सदस्य नाथद्वारा से आये हैं, राजाखेड़ा, हवा महल और उदयपुर से आये हैं सभी ने एक ही बात कही है कि उनको डॉक्टर लाम्बा के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। पत्र-व्यवहार से और अखबारों की कटिंग्स भी वह दिखा रहे हैं और इस बारे में पत्र भी दिखाकर सुनाया गया। डॉक्टर लाम्बा यहां आने से पहले मध्य प्रदेश के अन्दर डाइरेक्टर थे उस वक्त में उन्होंने खरीद के समय कुछ घोटाले किये और मध्य प्रदेश सरकार ने विजिलेन्स कमीशन से इसकी एन्क्वायरी करवाकर उन पर जुर्म साबित करके उन पर पांच हजार रुपया जुर्माना भी किया। इस प्रकार का प्रश्न पिछले सत्र में भी रखा गया था और उसके बाद हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से पत्र-व्यवहार किया और हमको जो पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें उन्होंने बतलाया है कि उनको शो-कॉज-नोटिस दिया गया है और डॉक्टर लाम्बा ने इसका जवाब भी दे दिया

(168)

(श्री खेतसिंह)

है परन्तु अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है। जब वहां से उत्तर प्राप्त हो जायगा तो उसी के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सेक्शन 8 के तहत वे एन्क्वायरी करवाना चाहते हैं, मैंने इसको भी देखा है–

"The State Government may cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the Univesity, its buildings, laboratory equipment and of any institution maintained by the University, and cause an enquiry to be made in like manner in respect of any other matter concerning the administration and finances of the University"

जो प्रोसेस है उसी के अनुसार मैं भी चाहता हूं कि एन्क्वायरी करवाई जाय लेकिन एन्क्वायरी करवाने से पूर्व चान्सलर को यह सेटिसफाई करवाना भी अत्यन्त आवश्यक होगा कि जो चार्जेज लगाये गये हैं उनको साबित भी करने लिये सबूत प्रस्तुत करने पड़ते हैं। उन्होंने गत सत्र में इस प्रकार की चर्चा की थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर भी हमने कार्यवाही वाइस चान्सलर से की थी और उनके जवाब भी हमारे पास आये थे। उसके अनुसार डॉ. कोठारी, डॉ. सुधीर, डॉ. श्रीवास्तव और डॉ. चक्रवती के खिलाफ वाइस चान्सलर ने एक्शन भी लिये। उनके बारे में युनिवर्सिटीज की तरफ से कमेन्ट्स भी हमारे पास आ गये हैं। दो केसेज में कमेन्ट्स प्राप्त हो गये हैं उनको हम एग्जामिन करवा रहे हैं अगर उसके बाद उनके खिलाफ चार्जेज निश्चित होते हैं तो जो इर्रेग्यूलिरेटीज, अनियमितताएं पाई जावें तो उनके लिए एन्क्वायरी बैठा दी जायगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। एग्जामिन हो जाने के बाद ही ऐसा करना उचित रहेगा, उससे पूर्व मैं उसको उचित नहीं समझता क्योंकि राज्य सरकार को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जावे तब तक पहले से महज अखबारों की कटिंग्ज और जो वक्तव्य दिये गये उनके आधार पर ही एन्क्वायरी अगर बिठा दी जाती है तो वाइस चान्सलर के लिए और हमारे लिये भी यह कोई शोभनीय बात नहीं होगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मनोहर कोठारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप जब तक एन्क्वायरी नहीं करायेंगे तो यह पता कैसे चलेगा कि उन्होंने गबन घोटाले किये भी हैं और जब तक आप जांच नहीं बैठायेंगे तब तक आपको सन्तोष कैसे होगा? समझ में नहीं आता कि आप क्यों नहीं प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी बिठाते? सेक्शन 8 में यह प्रावधान है कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अनियमितताएं पाई जावें तो उसकी जांच कराई जा सकती है। हमने इस विधान सभा में जो आरोप लगाये हैं उनके सम्बन्ध में आप जांच कराइये। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिर उनको पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड दिया है और यह कहा है कि बाद में आवश्यकता हुई तो हम अरेस्ट भी करेंगे, क्या यह बात सही नहीं है? इतने गम्भीर आरोप होते हुए भी, भ्रष्टाचार के आरोप

(श्री मनोहर कोठारी)

साबित होते हुए भी आप लीपा-पोती करके उनको छोड़ना चाहते हैं तो क्या यह उचित होगा ? इतने भ्रष्टाचार के चार्जेज उनके खिलाफ हैं ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों को काफी सन्तोष दिलाने का प्रयास किया है । मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि एक वाइस चान्सलर की हैसियत वाले व्यक्ति के खिलाफ महज इस प्रकार के वक्तव्य देने से और अखबारों की कटिंग्ज लाने से ही, यह काफी नहीं है कि उनके खिलाफ सेक्शन 8 में एन्क्वायरी बिठा दी जावे । मध्य प्रदेश सरकार ने उनको शो-कॉज नोटिस दे दिया है, और उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया है और सब बातें हो रही हैं उसके बाद वह भी उसके अनुसार एक्शन लेंगे । एक्शन फाइनल होने पर अगर चार्जेज साबित हो जाते हैं तो अवश्य कार्यवाही की जायगी, महज इतना कह देना ही इसके लिये काफी नहीं है । इसलिए कुछ रोज और ठहरना पड़ेगा । क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के विजिलेंस कमिश्नर ने इस वाइस चान्सलर के खिलाफ में 5000 हजार रुपये के जुर्माने के लिये सिफारिश की है और मध्य प्रदेश सरकार उस पर विचार कर रही है तो क्या राज्य सरकार ऐसी हालत में जिसके खिलाफ में इतनी अनियमितताओं की शिकायतें हैं उसके खिलाफ में कोई एन्क्वायरी बैठाने के लिये आप तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ विजिलेन्स कमिश्नर की सिफारिश के अनुसार जब तक मध्य प्रदेश कोई एक्शन नहीं लेती है तब तक हम क्या कर सकते हैं । क्योंकि हम भी उनसे पत्र व्यवहार कर रहे हैं । इसके अलावा जहां तक यहां की आप बात कर रहे हैं हमने उनसे जवाब मांगे हैं । जब तक पूरे फैक्ट्स का पता नहीं लगेगा तब तक हम क्या कह सकते हैं । दो के जवाब आये हैं और दो जवाब आने वाले हैं जब पूरे जवाब आ जायेंगे, और हम सैटिसफाइड हो जायेंगे कि वाकई में कोई गड़बड़ हुई तो हमें उनके खिलाफ में इन्क्वायरी बैठाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री फूलचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में चाहे वह कोई हो चाहे वाइस चान्सलर ही क्यों नहीं हो, अगर प्राईमाफेसी केस बन जाता है और चूंकि प्राईमाफेसी केस विजिलेन्स कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश ने मान कर उनके खिलाफ में पांच हजार रुपये जुर्माने की सिफारिश मध्य प्रदेश सरकार को की है तो फिर ऐसी कौनसी बात रह जाती है । इसके अलावा आपने जिन जिन केसेज में उनसे जवाब मांगे हैं जिनके जवाब आ गये हैं चाहे दो के ही हों उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एक वाइस-चान्सलर के खिलाफ में इतने सीरियस चार्जेज हैं और आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है तो मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बात है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ में कोई इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने को तैयार नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ

(श्री फूलचन्द जैन)
में सैक्शन 8 के तहत इन्क्वायरी क्यों नहीं बैठा रहे हैं ? इस तरह आपके वाइस चान्सलर के खिलाफ में इतने सीरियस चार्जेज होते हुए आपको उनके खिलाफ में इन्क्वायरी नहीं बैठाने से जनता में आपकी बदनामी होती है और जनता का आपमें कॉन्फीडेन्स शेक होता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ मध्य प्रदेश विजिलेन्स कमिश्नर ने ही इन वाइस चान्सलर के खिलाफ में चार्जेज को ही नहीं माना हमारे यहां भी उदयपुर विश्वविद्यालय में पचासों गबन और घोटाले के केस बने हुए हैं आज आप उदयपुर विश्वविद्यालय की ऑडिट रिपोर्ट को देखें जोबनेर में लाख रुपये का गबन हुआ है, और लोगों को सस्पेन्ड किया गया है इनके खिलाफ में आपको सैक्शन 8 के अन्तर्गत इन्क्वायरी बैठाने में क्या आपत्ति है, आप इन्क्वायरी बैठा सकते हैं।

श्री नानाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को इतना अधीर होने की क्या जरूरत है ? उनको वाइस चान्सलर के खिलाफ में जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी बैठाने की घोषणा करने में क्या दिक्कत है। आपको घोषणा कर देनी चाहिये।

श्री जयनारायण रोत : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जब वाइस चान्सलर साहब को लैटर्स भेजे हैं उनसे जवाब तलब किए हैं और इसमें उन्होंने जिन लोगों को सस्पेन्ड कर दिया है, लोगों ने रिप्रजेन्टेशन्स किए हैं, शिक्षा मन्त्री को जवाब भी प्राप्त हो गये 2-3 मामलों में कुछ बाकी हैं तो जिनमें राज्य सरकार के पास उत्तर आ चुके हैं फिर भी मन्त्री महोदय उनके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए इतनी डिले क्यों करते हैं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिले करने की कोई बात नहीं है अभी दो महीने हुए हैं रिप्रजेन्टेशन्स आए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज्योंही हमें सेटिसफैक्शन हो जायेगा हम उनके खिलाफ में सैक्शन 8 के तहत इन्कवायरी बैठा दगे। अभी तो सिर्फ दो महीने ही हुये हैं पूरे फैक्ट्स का तो पता लगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव सदन में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(प्रस्ताव अस्वीकार किया गया)

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार एवं पारण

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया गया

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 3-3-75 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8-26 बजे सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की की गई)

Page No 172

172

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 223 की सूची)

बाड़मेर जिले को सितम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 तक किया गया खाद्यान्न का आवन्टन एवं भौतिक रूप से उपलब्धि (आँफटेक)

मात्रा टनो में

क्र. सं.	नाम माह	आवन्टित मात्रा		भौतिक रूप से उपलब्ध	
		गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
1.	सितम्बर, 74	120	750	120	750
2.	अक्टूम्बर, 74	140	900	140	900
3.	नवम्बर, 74	230	1750	230	1750
4.	दिसम्बर, 74	220	1250	219	1245
5.	जनवरी, 74	223	1350	223	1000
6.	फरवरी, 75	1115	1050	उठाने का कार्य जारी है	

भाग 3 की सूची

जैसलमेर जिले में सितम्बर, 74 से फरवरी, 75 तक प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अनाज वितरण की सूची ।

नाम माह	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
सितम्बर, 74	2 से 4 किलो	7 किलो
अक्टूबर, 74	2 किलो	7 किलो
नवम्बर, 74	5 किलो	7 किलो
दिसम्बर, 74	6 किलो	7 किलो
जनवरी, 75	6 किलो	7 किलो
फरवरी, 75	6 किलो	6 किलो

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

छीपाबड़ौद में कन्या सैकेण्डरी स्कूल

228. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है की छीपाबड़ौद कस्बे में जिसकी आबादी 10 हजार है सिर्फ लड़कियों के लिए मिडिल स्तर तक ही शिक्षा का प्रबन्ध है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद ने इस स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किए जाने हेतु 6000) रु. की लागत से अतिरिक्त भवन बना कर तैयार कर रखा है ? यदि हां, तो इसे कब क्रमोन्नत किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है। जब सरकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करेगी, इस पर भी विचार किया जायेगा।

बंगला शरणार्थी कैम्प, देवली

229. श्री अजीतसिंह : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बंगला शरणार्थी कैम्प, देवली, जिला टोंक पर कुल कितना खर्चा होता है ? इसके लिये केन्द्र से कितनी सबसीडी मिलती है व राज्य सरकार कितना व्यय करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कैम्प में राशन में दिये जाने वाले चावल की 1974 में कहां कहां से खरीद की गई ? किस किस्म के किस दर से किस अधिकारी द्वारा किस तारीख को क्रय किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त कैम्प गोदाम पर रखने से पहले खरीदे हुये चावल का तोल किया जाता है और स्वीकृत किस्म की जांच होती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा जांच की जाती है ?

(4) उक्त कैम्प के लिये खरीदे गये चावल में 1973-74 में कितनी घटोतरी हुई ?

(5) राज्य सरकार उक्त कैम्प में रहने वाले शरणार्थियों को कब तक बसा देगी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनी है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बंगला शरणार्थी कैम्प, देवली, जिला टोंक पर जितना व्यय होता है वह पूरा का पूरा सबसीडी के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होता है। 1970-71 से 1974-75 (12/74) तक कुल व्यय रु 88,31,757.53 हुआ है जिसमें से

(श्री पुनर्वास मंत्री)

79,98,472.59 की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। शेष 8,33,234-96 में से 19,539.21 रु. की राशि राज्य सरकार ने वहन की है। शेष राशि के लिये भारत सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु पत्र व्यवहार चल रहा है। वर्षवार व्यय व प्रतिपूर्ति की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कैम्प में राशन में दिये जाने वाले चाँवल की 1974 में भारतीय खाद्य निगम से खरीद की गई थी। सूची सदन का मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, कमाण्डेन्ट द्वारा चांवल की किस्म की जाँच की जाती है।

(4) 24 क्विन्टल 75 किलो 200 ग्राम चाँवल की घटोतरी हुई।

(5) इन शरणार्थियों को बसाने की कोई पक्की तिथि निश्चित नहीं की गई है। क्योंकि उन्हें बसाये जाने की विभिन्न योजनाएं भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य विचाराधीन है। अतः योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं होता।

देवली शिविर के खर्च की सूची

वर्ष	देवली शिविर का कुल खर्चा	भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि	राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि	बकाया राशि जो भारत सरकार से प्राप्त की जानी है
1	2	3	4	5
1970-71	24,31,866-00	24,31,866-00	—	—
1971-72	20,85,331-59	17,92,287-59	19,539-21	1,93,584-79
1972-73	15,48,908-00	15,47,619-00	—	1,289-00
1973-74	14,97,002-98	14,82,827-00	—	14,175-98
1974-75 (दिसम्बर 74) तक	13,48,648-98	7,43,873-00	—	6,94,775-98
योग.—	88,31,757-55	79,98,472-59	19,539-21	8,13,745-75

विस्थापित शिविर देवली के विस्थापितों को आवन्टित किये गये चावलों की सूची

माह	किस्म चावल	दर (प्रति. क्वि.)	मात्रा क्वि.	किलो	ग्राम	स्थान	तारीख	द्वारा
1	2	3	4			5	6	7
जनवरी, 74	ग्राई. ग्रार. 8 लॉग बोण्ड रा. राइस	140+3% बिक्री कर	306	16	100	कोटा	17-1-74	कमान्डेन्ट विस्थापित शिविर, देवली
,,			73	83	900	हनुमानगढ़ (गंगानगर)	30-1-74	
फरवरी, 74	,,	,,	380	00	000	,,	21-2-74	,,
मार्च, 74	,,	,,	380	00	000	,,	14-3-74	,,
ग्रप्रेल, 74	,,	,,	380	00	000	,,	18-4-74	,,
मई, 74	,,	,,	237	16	800	,,	19-5-74	,,
,,	,	,,	79	56	300	जयपुर	29-5-74	,,
,,	,,	,,	56	33	600	सवाई माधोपुर	31-5-74	,,
जून, 74	,,	,,	200	00	000	जयपुर	18-6-74	,,
जुलाई, 74	,,	,,	600	00	000	फिरोजपुर (पंजाब)	15-7-74	,,
ग्रगस्त, 74	,,	,,	400	00	000	ग्रजमेर	21-8-74	,,
सितम्बर, 74	,,	,,	301	55	000	ग्रजमेर	20-9-74	,,
,,	,,	,,	98	54	100	,,	25-9-74	,,
ग्रक्टूबर, 70	,,	,,	395	64	000	,	22-10-74	,,
नवम्बर, 74	,,	,,	206	83	500	,,	21-11-74	,,
,,	,,	,,	193	16	500	,,	25-11-74	,,
दिसम्बर, 74	,,	,,	39	13	800	,,	21-12-74	,,
,,	,,	,,	80	00	000	गंगानगर	23-12-74	,,
,,	,,	150+3% बिक्रीकर	250	00	000	हिसार (हरियाणा)	3-1-75	,,

176

जिला एवं तहसील स्तरीय खाद्यान्न समितियों की बैठक

230. श्री मीठालाल : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि गत विधान सभा सत्र में सरकार द्वारा जिलाधीशों को जिला व तहसील स्तरीय खाद्यान्न सलाहकार समितियों को आवश्यक रूप से बुलाने का स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद अधिकांश जिलों व तहसीलों में उक्त समितियों की बैठकें नहीं बुलाई गईं ? यदि हां, तो क्यों तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) जयपुर जिले की कौन-कौन सी तहसीलों में इस प्रकार की समितियों की बैठकें नियमानुसार नहीं बुलाई जा रही हैं ? और क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत विधान सभा सत्र में जिलाधीशों को जिला एवं तहसील स्तरीय खाद्यान्न सलाहकार समितियों की बैठक नियमित रूप से बुलाये जाने के आदेश दिये जाने के पश्चात् जिलों में बैठक नियमित रूप से बुलाई जा रही है।

(2) सूची संलग्न है।

सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	तिथि जब-जब बैठक बुलाई गई	महीने जब-जब बैठक नहीं बुलाई गई
(1)	जयपुर	6-5-74, 28-5-74, 5-6-74, 1-7-74, 21-11-74	9. अगस्त/सितम्बर, अक्टूबर दिसम्बर, 74 एवं जनवरी, 75
(2)	सांगानेर	9-4-74	मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 74 एवं जनवरी, 75
(3)	चाकसू	27-5-74, 26-8-74, 28-1-75	जून, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 74
(4)	बस्सी	28-5-74, 1-7-74, 22-8-74 21-11-74	जून, सितम्बर, अक्टूबर, दिसम्बर, 74 एवं जनवरी, 75
(5)	अजमेर	26-9-74	मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 74 एवं जनवरी 75
(6)	रामगढ़	3-9-74	,, ,, ,,

Page No 177

(177)

1	2	3	4
(7)	दौसा	30-4-74, 23-6-74, 30-10-74 2-11-74, 5-12-74, 17-2-74	मई, जून, जुलाई, सितम्बर, जनवरी, 75
(8)	बसवा	27-4-74, 20-5-74, 23-8-74, 7-12-74, 8-1-75	जून, जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 74
(9)	सिकराय	25-4-74, 20-1-75, 22-2-75	मई, 74 से दिसम्बर, 74 तक
(10)	लालसोट	20-4-74, 6-12-74, 15-2-75	मई, 74, से नवम्बर, 74 तक एवं जनवरी, 75
(11)	सांभर	30-4-74, 20-12-74, 13-1-75	मई, 74 से नवम्बर 74 तक
(12)	फागी	13-12-74	मई, 74 से नवम्बर, 74 तक एवं जनवरी, 75
(13)	दूदू	31-1-75	मई, 74 से दिसम्बर 74 तक
(14)	कोटपूतली	9-5-74, 20-8-74, 7-10-74 19-12-74 (स्थगित)	जून, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर 74 एवं जनवरी, 75
(15)	बैराठ	15-6-74, 28-9-74	मई, 74, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 74 एवं जनवरी, 75

उदयपुर रूरल इन्स्टीट्यूट में कर्मचारियों के वेतन में से काटी गई प्रोविडेन्ट फन्ड की राशि

231. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर के रूरल इन्स्टीट्यूट में कर्मचारियों के वेतन से 'प्रोवीडेन्टफन्ड' की राशि की कटौती की जाती है ? यदि हां, तो कब-कब कितनी राशि काटी गई ?

(2) क्या यह राशि डाक घर में जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कब ? और नहीं तो यह राशि कहां है और अब तक क्यों नहीं जमा कराई गई ?

उत्तर

(1) जी हां । राशि हर माह उनके वेतन में से काटी जाती है, जुलाई, 74 तक

(श्री शिक्षा मंत्री)

प्रोवीडेन्ट फन्ड की कुल राशि 5,11,322 रुपये हैं।

(2) जुलाई, 1974 तक की प्रोवीडेन्ट फन्ड की राशि डाक घर में जमा करायी जा चुकी है बाद की राशि पोस्ट ऑफिस में जमा कराने हेतु पत्र व्यवहार जारी है यह वेतन से काटी जाती है और रूरल इन्स्टीट्यूट के कर्मचारियों को वेतन माह सितम्बर, 74 तक का ही दिया गया है।

चूरू जिले के विकास की योजना

232. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में रेगिस्तान के विस्तार को रोकने तथा उस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है ? विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

चूरू जिले में क्षेत्रीय विकास के लिये डी. पी., ए.पी. योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार व्यय करने का प्रस्ताव है।

(रु. लाखों में)

1. कृषि	15.00
2. भू-जल	46.00
3. पशु व दुग्ध उत्पादन	80.00
4. भेड़ व ऊन विकास	100.00
5. लघु सिंचाई योजना	5.00
6. वन एवं चरागाह विकास	100.00
7. अभिकरण एवं निष्पादन	4.00
8. अन-कमीटेड	1000.00

पूरी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चूरू जिले में 4.50 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। परियोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बन्ध मोरेल सागर को नहरों में आई भूमि का मुआवजा

233. श्री भरतलाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बन्ध मोरेल सागर, जिला सवाई माधोपुर की नहरों में जिन जिन काश्तकारों की खेती जमीन आई हुई है उन काश्तकारों को आज 16 साल से बराबर लगान लग रहा है, और न ही उन्हें उस जमीन का मुआवजा दिया गया है ?

यदि हां, तो कब तक इन काश्तकारों का लगान माफ कर इन्हें मुआवजा दिलाने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1973 के पूर्व का लगान इन्द्राज कर दिया गया है और 1973 से भू-राजस्व मुस्तकिल मांग से कम कर दिया गया है।

(2) लगान माफ किया जा चुका है। मुआवजा के लिए काश्तकारों की मांग नहीं है।

जवाजा पंचायत समिति में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कार्य

234. श्री केसरीमल (ब्यावर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजमेर जिले के ब्यावर उपखण्ड में जवाला पंचायत समिति को केन्द्रीय सरकार ने डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में सम्मिलित किया है? यह हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्य के तखमीने तैयार कराये गये तथा कुछ कार्यों की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को भेजा गया? यदि हां, तो क्या इनकी स्वीकृति मिली या नहीं? जिन कार्यों के तखमीने बनवाये व केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेजे उसकी सूची कृपया सदन के पटल पर रखें? उपरोक्त कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर जिले की ब्यावर तहसील को डी. पी. ए. पी. के लिये चुनी गयी है और जवाजा पंचायत समिति इस तहसील का भाग है।

(2) ब्यावर तहसील के सम्बन्ध में पूरा प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है और न ही तखमीने तैयार करवाये गये हैं। वर्ष 1974–75 में निम्न प्रकार से इस तहसील में व्यय करने का प्रस्ताव बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अनुदान में कमी कर देने के कारण 4.00 लाख से घटाकर 3.85 लाख रुपये कर दी गयी है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति का प्रयत्न किया जा रहा है।

1. कृषि	1.75
2. पशु दुग्ध उत्पादन विकास	0.50
3. भेड़ विकास	0.50
4. वन एवं घास विकास	0.25
5. सिंचाई	0.50
6. अधिकरण एवं निस्पादन	0.10
7. अन-कमिटेट	0.40
योग रु. लाख	4.00

विद्यार्थियों को सस्ती स्टेशनरी की व्यवस्था

225. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विद्यार्थियों के लिए कागज, कॉपी व स्टेशनरी बड़े महंगे भाव पर उपलब्ध हो रही है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा हर तहसील स्तर पर सस्ते कागज व स्टेशनरी का भण्डार स्थापित करवा कर प्रत्येक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ उपभोक्ता भण्डार स्थापित करवाया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

(श्री शिक्षा मंत्री)

राज्य सरकार ने सस्ते व नियंत्रित मूल्य की कॉपियां बनवाकर स्कूलों, सहकारी समितियों व पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से नियंत्रित दामों पर बिकवाने का प्रबंध किया है। तहसील स्तर पर भंडार स्थापित करना आर्थिक-दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

जिला जालौर के असहाय व्यक्तियों को सहायता

236. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर के असहाय व्यक्तियों के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु कलेक्टर, जालौर द्वारा ऐसे व्यक्तियों कि सूची सरकार को भेजी गई थी? अगर हां, तो कब व कितने असहाय व्यक्तियों की सूची सहायता दिलाने हेतु भेजी गई थी?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सहायता विभाग द्वारा उस सूची के अनुसार सहायता प्रदान नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो पूरी सूची के अनुसार कुल माहवार कितनी धनराशि मंजूर की गई है एवं वह सहायता किस माह से दी जावेगी?

(3) वास्तविक असहाय व्यक्तियों की सूची में कटौती क्यों और किस आधार पर की गई है? क्या सरकार अब पूरी सही सूची के अनुसार सहायता प्रदान करना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नहीं, जिलाधीश, जालौर द्वारा ऐसे व्यक्तियों की कोई सूची राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

गंज थाना अजमेर के एस. एच. ओ. के विरुद्ध कार्यवाही

237. श्री शंकरसिंह (नसीराबाद): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती गुमानी, निवासी भूडोल की मृत्यु दिनांक 7-1-75 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुई?

(2) क्या यह सही है कि उसी दिन 10 बजे करीब डॉक्टर सीताराम मित्तल ने एस. एच. ओ. श्री माणकचन्द, थाना कोतवाली गंज को लिखित में दिया कि श्रीमती गुमानी की मृत्यु हो चुकी है और कार्यवाही की जावे?

(3) क्या यह भी सही है कि थानेदार ने दिन भर चीर घर में लाश पड़ी रहने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की और शाम के करीब 8 बजे चीर पत्र डॉक्टर द्वारा लिखने के पश्चात् अस्पताल आए?

(4) क्या यह भी सही है की श्रीमती गुमानी का पोस्टमार्टम दिनांक 8-1-75 को करीब 9.45 पर किया गया?

(5) क्या जो कार्यवाही पुलिस द्वारा दिनांक 7-1-75 को रात्रि के 8 बजे अथवा 8-1-75 को की गई यह 7-1-75 को प्रातः डॉक्टर के सूचना देने पर ही नहीं की जा सकती थी?

(6) यदि की जा सकती थी तो लाश को 24 घन्टे चीर घर में पुलिस की लापरवाही से क्यों रखा गया?

(श्री शंकरसिंह)

(7) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा श्री माणकचन्द एस. एच. ओ. के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्रीमती गुमानी के मृत्यु की प्रथम सूचना के जरिये टेलीफोन दिनांक 7-1-75 को 10.30 बजे सुबह डॉक्टर मित्तल द्वारा पुलिस थाना सिविल लाइन्स, अजमेर को दी गई थी। लेकिन पुलिस द्वारा पूछने के बावजूद भी मृतक के मरने में कोई शंका का कारण नहीं बताया। इसके बाद 11.30 बजे सुबह डॉक्टर मित्तल ने थाने पर लिखित सूचना भेजी कि मृतक की लाश को चीर घर में रखा गया है तथा पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही की जावे।

(3) पुलिस द्वारा टेलीफोन व लिखित रिपोर्ट करने के बावजूद भी डॉक्टर ने मृतक के मरने में कोई शंका होना नहीं बताया इसलिए कोई पुलिस कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि पुलिस कार्यवाही तभी होती है जब किसी मृत्यु में कोई शंका हो। स्वभाविक मृत्यु में कोई पुलिस कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) जी हां।

(5) पुलिस कार्यवाही तारीख 7-1-75 को इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट से पुलिस कार्यवाही का कोई कारण नहीं बनता था परन्तु डॉक्टर के बार-बार आग्रह करने पर व मृतक के परिवार की परेशानी को मद्देनजर रखते हुये पुलिस को दूसरे दिन वहां जाकर कार्यवाही करना आवश्यक हो गया।

(6) लाश के 24 घण्टे लाश घर में पड़े रहने में पुलिस की कोई लापरवाही नहीं पाई गई। क्योंकि स्वाभाविक मृत्यु में पुलिस का कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं होता है तथा अस्वाभाविक मृत्यु के बारे में न तो डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दी व और न किसी अन्य व्यक्ति ने।

(7) जी नहीं।

गन्ने की फसल को क्षति और कृषकों से वसूली

238. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष गन्ने में बीमारी लग जाने से एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा जो खर्चा किया गया वह गत वर्ष कृषि-विभाग द्वारा किये गये खर्चे से कई गुना अधिक हुआ ? यदि हां, तो कई गुना अधिक लागत काश्तकार को वर्दाश्त करनी पड़ेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसकी जानकारी तक काश्तकार को नहीं दी गई और न ही उनकी इसके लिए रजामंदी ली गई ? क्या एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन को यह राशि चुकानी होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष कृषि विभाग द्वारा कुल गन्ने की बीमारी के लिये प्रमाणित क्षेत्र 9,957.05 एकड़ में कुल

(श्री कृषि मंत्री)
खर्चा 3,24,435.93 रुपये हुआ था। इस वर्ष निगम द्वारा कुल प्रमाणित क्षेत्र जिसमें छिड़काव किया वह 11,875 एकड़ है। इसमें कुल खर्चा 4,12,839.86 रुपये हुआ। सबसीडी की छूट मिलने पर गत वर्ष काश्तकारों से वसूल होने वाली राशि 1,68,798.34 रुपये थी। इस वर्ष सबसीडी की रकम अलग करने के बाद काश्तकारों से वसूल करने योग्य रकम 2,49,290.62 रुपये हुई जो कि प्रति एकड़ रु. 21/- है। पिछले वर्ष यह रकम 15.75 रुपये प्रति एकड़ थी। पिछले वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि 30% है।

(2) जिला स्तर पर जिलाधीश, बूंदी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कृषि उत्पादन समिति के सदस्यों की बैठक में गन्ने की बीमारी की रोकथाम के लिए हवाई छिड़काव का निर्णय लिया गया। इसी आधार पर पिछले वर्ष भी छिड़काव किया था और किसानों ने उसकी उचित कीमत चुकाई थी। अतः इस वर्ष भी उसी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित है।

जोधपुर में सोडियम सल्फाइड फैक्टरी का भवन

239. श्री अमृतलाल गहलोत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा स्थापित भगत की कोठी रेल्वे स्टेशन के पास सोडियम सल्फाइड फैक्टरी का भवन और भूमि जो अभी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के काम आ रहा है, विलय के समय राज्य सरकार की थी।

(2) क्या यह सही है कि इस समय उपरोक्त सम्पत्ति के स्वामित्व का दावा कोई प्राईवेट पार्टी कर रही है? यदि हां, तो उपरोक्त स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में कैसे चला गया?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उद्योग विभाग की जानकारी में नहीं है। भूतपूर्व जोधपुर राज्य द्वारा सम्पत्ति का बेचान कर दिया गया था।

आर. एच. जे. एस. के पदों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति का आरक्षण

240. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने पद आर. एच. जे. एस. के हैं? इनमें से कितने पद आज की तारीख में रिक्त हैं?

(2) क्या उक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति सेवारत हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वांछित प्रतिशत में उक्त जाति के व्यक्ति सेवा में हैं? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है और क्या सरकार इसकी पूर्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजस्थान में आर.एच.जे.एस. के कुल 48 स्थाई और 5 अस्थाई पद हैं

(श्री विधि मंत्री)
जिनमें आज की तारीख तक 2 पद रिक्त हैं।

(2) उक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कोई व्यक्ति सेवारत नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का एक भी व्यक्ति आर. एच. जे. एस. में सेवारत न होने के कारण यह है कि जब-जब भी आर. एच. जे. एस. में सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अभी तक उस योग्यता एवं अनुभव के व्यक्तियों की कुछ कमी सी रही है। जिसके फलस्वरूप चयन नहीं हो पाया है। अब भविष्य में योग्य व्यक्तियों की उपलब्धि पर पूर्ति सम्भव हो सकेगी।

बांसवाड़ा जिले के अकालग्रस्त गांव

241. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है ? यदि हां, तो इस जिले में कितने गांव हैं और उनमें से गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांव अकालग्रस्त और कितने अकाल-ग्रस्त नहीं माने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अब तक कोई रिलीफ कार्य चालू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस जिले में कुल गांवों की संख्या 1474 है उसमें से 1362 ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं। गिरदावरी के आधार पर 1381 ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव था। 19 ग्राम अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। बांसवाड़ा में इस समय 31 कार्य चल रहे हैं जिनमें 24 डी. पी. ए. पी. के कार्य एवं 7 प्लान रोड्स हैं। इसके अलावा माही परियोजना पर भी कार्य हो रहा है।

सूची उन ग्रामों की जो जिलाधीश बांसवाड़ा द्वारा सम्वत् 2031 की फसल खरीफ में खराबा होने के कारण प्रस्ताव भेजे गए मगर उन्हें सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त घोषित न किया गया।

नाम तहसील 1	गांव का नाम 2	अभावग्रस्त घोषित न करने का कारण 3
बांसवाड़ा	1. पठानपुरा	आधे से कम खराब होने के कारण
	2. लोधा	,,
	3. गरनावट	,,

Page No 184

(184)

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

1	2	3
	4. नवाटापरादेवा	आधे से कम खराब होने के कारण
	5. देवगढ़	,,
	6. मकनपुरा	,,
घाटाल	7. कानजी का गढ़	खरीफ से रबी का रकबा सामान्य वर्ष में अधिक होने के कारण
	8. गणेशपुरा	,,
	9. गरडा	,,
	10. पाड़िया	,,
	11. भारका	,,
बागीडोरा	12. कातरिया	आधे से कम खराबा होने के कारण
	13. कालिजरा	,,
	14. हमीरपुरा, छोटा	,,
	15. भगतपुरा	,,
	16. यरकनी	,,
	17. भारमी	,,
	18. पाटन	,,
	19. सावलिया	,,

गंगानगर क्षेत्र में भूमि के स्थाई आवंटन के अधिकार

242. श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कलेक्टर गंगानगर को गंग नहर क्षेत्र में भूमि के स्थाई आवंटन सम्बन्धी जो अधिकार प्राप्त थे, क्या उन्हें उसने उप-कलेक्टर, करनपुर को डेलीगेट कर रखा था और ता. 22-8-67 को विथड्रा कर लिया था ?

(2) उसके पश्चात् श्री रोशनलाल, एस. डी. ओ. रेवेन्यू, करनपुर ने कितनी, किसको और कब-कब भूमि आवंटन की ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये और बतलाया जाय कि श्री रोशनलाल के विरुद्ध उपरोक्त नाजायज आवंटन के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उपरोक्त आवंटित भूमि में से कितनी-कितनी भूमि किसके द्वारा कब-कब बेची गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये और बतलाया जाय कि उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य सरकार ने विज्ञप्ति संख्या 6 (40)

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

रेव/बी/61 दिनांक 7-11-63 द्वारा उपजिलाधीशों को राजस्थान कोलोनाईजेशन (गंग कैनाल परमानेन्ट अलॉटमेंट एण्ड सेल) रूल्स, 1956 के तहत जिलाधीश के अधिकार प्रदत्त किये जो राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 22(40) रेव/कोल/65, दिनांक 12-8-68 द्वारा वापिस ले लिए गये।

(2) श्री रोशनलाल, एस.डी.ओ. करनपुर ने 22-8-67 के पश्चात्, जो भूमि आवंटन की, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जहां 2 आवंटन में अनियमितता पाई गई उन मामले में श्री रोशनलाल एवं अन्य संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) उपरोक्त आवंटित भूमि श्री हजारी राम पुत्र आशाराम ने दिनांक 9-5-69 को श्री मुन्नीलाल-पन्नालाल अग्रवाल को विक्रय कर दी तथा मुन्नीलाल पन्नालाल ने यही भूमि दिनांक 25-6-71 को श्री कश्मीरसिंह आदि को विक्रय करदी। इस सम्बन्ध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 व 14 के तहत, अतिरिक्त जिलाधीश, श्री गंगानगर की अदालत में मामला विचाराधीन है।

सूची पुख्ता अलोटीयान भूमि जिन्हें दिनांक 22–8–1967 के पश्चात् उप-जिलाधीश, करनपुर द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया ।

क्रम सं. 1	नाम अलॉटी मय वल्दियत व सकूनत 2	तारीख आवंटन 3	ग्राम चक 4	तादाद भूमि विवरण 5
		तहसील पदमपुर		
1.	श्री चन्दुराम पुत्र कबराराम विश्नोई, सा. 59 एल.एन.पी.	27-2-68	63 एल. एन. पी.	12-10 नहरी
2.	श्री भगवानराम पुत्र गनेशाराम, सा. नरसिंहपुरा	30-3-68	29 एल. एन. पी.	15-10 बारानी
3.	श्री फताराम पुत्र बहरूराम मेघवाल, सा. 12 आर. बी.	30-3-68	10 आर. बी. बी.	12-18 नहरी
4.	श्री तारासिंह पुत्र वतनसिंह, सा. 30 आर. बी.	12-4-68	5 ई. ई. ए. 42 एल. एन. पी.	9-01 बारानी 7-00 नहरी
5.	श्री भागीरथ पुत्र गुरदयाल कुम्हार सा. लेने वाला	16-4-68	79 एल. एन. पी.	11-10 बारानी
6.	श्री भागीरथ पुत्र गुरदयाल कुम्हार सा. लालेवाला	19-4-68	79 एल. एन. पी. 82 एल. एन. पी. 71 एल. एन. पी.	12-02 बारानी 23-16 बारानी 26-12 बारानी
7.	श्री प्रभु पुत्र हुकमा विश्नोई, सा. घर्मोडिया	24-4-68	73 एल. एन. पी.	7-14 नहरी
8.	श्री मनीराम पुत्र मियाराम विश्नोई, सा. 79 एल.एन.पी.	24-4-68	21 बी. बी.	12-17 बारानी

1	2	3	4	5
9.	श्री ज्ञानसिंह पुत्र कुमनसिंह जटसिख, साई डी.डी.	1-5-68	1 डी. डी.	5-18 नहरी
	तहसील करनपुर			
10.	श्री नत्थुराम पुत्र श्रीराम विश्नोई	7-5-68	7 एफ. सी.	14-05
11.	श्री भगतसिंह पुत्र श्यामसिंह	23-8-67	1 एक्स.	32-10
12.	श्री प्रकाशचन्द पुत्र इन्द्र मेहरा	23-8-68	2 ई. 6 एम.	5-00 12-00
13.	श्री मंगलसिंह पुत्र जेठूसिंह जटसिख सा. 39 एल.एन.पी.	26-12-67	54 जी. जी.	5-00
14.	श्री प्रेम प्रकाश पुत्र छजुराम	13-12-67 31-1-68	5 एफ. एफ. 4 एफ. एफ. 3 एफ. एफ. 3 एफ. एफ.	12-00 10-00 4-00) 5-00) 9.00
15.	श्री ताराचन्द पुत्र अरूड़चन्द	14-3-68	52 एफ.	25-000
16.	श्री हजारीराम पुत्र आशाराम, सा. मुकमं	5-9-67	16 ओ.	24-10
17.	श्री आत्मासिंह पुत्र गुरदितसिंह	30-8-67	56 एफ.	40-17

पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार

243. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) एवं **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि जनवरी, 75 में दो पत्रकारों के साथ डी. आई. जी. कोटा, श्री पुरी ने थाने में बुलाकर अभद्र व्यवहार किया और पिटाई भी की ?

यदि हां तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच के तत्काल आदेश किये गये और श्री पुरी का स्थानान्तरण भी किया गया।

जयपुर जिले के मिडिल स्कूल

244. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में कुल कितने मिडिल स्कूलें हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील चाकसू एवं फागी में मिडिल स्कूलों में अध्यापकों के कितने स्थान हैं और कब से रिक्त हैं व इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या तहसील चाकसू एवं फागी में सरकार और मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 429 मिडिल स्कूल हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मिडिल स्कूलों में प्रायः कक्षा 1 से 5 तक 40 छात्र संख्या पर 1 अध्यापक एवं कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक सेक्शन पर एक अध्यापक के हिसाब से अध्यापकों को लगाया जाता है। तहसील चाकसू तथा फागी में सम्बन्धित शाला में छात्र संख्या के हिसाब से अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शालाओं में अब कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) अभी राज्य सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है।

NO. OF MIDDLE SCHOOLS IN JAIPUR DISTRICT

1973-74

URBAN AREA	No. of Schools
(1) Bandikui	2
(2) Chaksu	2
(3) Chomu	2
(4) Jaipur	76
(5) Jobner	3
(6) Phulera	2
(7) Kotpootli	1
(8) Dausa	1
(9) Sambhar	1
(10). Amber	1

(श्री जयकिशनलाल तासावड़ा)

RURAL AREA (Panchayat Samities)

(11)	Amber	23
(12)	Berath	30
(13)	Bandikui	22
(14)	Bassi	20
(15)	Chaksu	14
(16)	Dausa	22
(17)	Govindgarh	25
(18)	Jothwara	12
(19)	Jamwaramgarh	28
(20)	Kotpootali	18
(21)	Lalsoth	21
(22)	Dudu	22
(23)	Phagi	17
(24)	Sanganer	13
(25)	Shahpura	18
(26)	Shikarai	16
(27)	Sambhar	22

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

245. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में अकाल राहत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है? अगर हां, तो इसके अन्तर्गत लाडनूं तहसील में कौनसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है तथा उसकी लागत क्या है? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि लाडनूं तहसील में ग्राम रोड़ू से रींगण तक, गत वर्ष अकाल में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम में सड़क मंजूर शुदा थी और वह नहीं बनी? क्या अब सरकार का इरादा डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत इस सड़क को बनाना है जो लाडनूं तहसील को सीकर जिले से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है?

उत्तर

(1) यह सही है, नागौर जिले में अकाल राहत कार्य कराये जा रहे हैं। लाडनूं क्षेत्र में लाडनूं निम्बी जोधा सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जिसकी लंबाई 12 कि. मी. है। वर्तमान में 5 कि. मी. तक का ही कार्य हाथ में लिया गया है जिसकी लागत 1,60,500) रु. है।

(2) यह सही नहीं है। डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य अब नहीं होता। यह कार्य सड़क योजना के अन्तर्गत होगा।

बीड़ रानी का वास की भूमि

246. श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा से बड़ाना रोड़ पर बीड़ रानी का वास में 700 बीघा व ग्राम बैरवा में 1900 बीघा भूमि जयपुर के महाराजा को घोड़ों की घास के लिए दी गई थी? यदि हां, तो अब उक्त भूमि किस-किस के कब्जे में हैं तथा क्या-क्या पैदावार किन की इजाजत से की जा रही है सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि लीज पर अन्य व्यक्तियों को दी जा चुकी

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

है जिस पर वे खेती आदि करते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त भूमि महाराजा जयपुर से वापस लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार इस भूमि को अनधिकृत रूप से अन्य व्यक्तियों को लीज पर दे दिए जाने के फलस्वरूप महाराजा जयपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि 5 साल के लिए 340) रुपये बीघा के हिसाब से उक्त भूमि श्री गोविन्दसिंह को लीज पर दे दी है ? यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन सेटलमेंन्ट रेकार्ड पर ग्राम फार्म दर्ज है और उक्त भूमि की कीमत 5000) रुपये बीघा के लगभग है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । बीड़ रानी का वास (ग्राम दौसा) में केवल 515 बीघा 6 बिस्वा व ग्राम बड़वा (बंरवा) में केवल 1701 बीघा 1 बिस्वा ग्रास फार्म के नाम दर्ज है । यह रकबा भूतपूर्व महाराजा के व्यक्तिगत जायदाद मुताबिक इन्वेन्टरी प्लॉन नं. 6 (सी) के अनुसार था । अब इस पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है । ग्राम दौसा (रानी वास का बीड़) पर काबिज व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर हैं । ग्राम बड़वा की सूचना एकत्रित की जा रही है । इसमें बाजरा, ज्वार, मूंग आदि की फसल बोई जाती है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा यह भूमि किसी को लीज पर नहीं दी गई है । महाराजा द्वारा यह किन्ही व्यक्तियों को लीज पर दी गई थी अथवा नहीं इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है । इस भूमि को अधिग्रहण करने का राज्य सरकार विचार रखती है ।

(3) भूतपूर्व महाराजा द्वारा यह आराजी अन्य व्यक्तियों को लीज पर दी है अथवा नहीं यह सूचना राज्य सरकार को नहीं है । ग्राम दौसा (रानी का बास) की आराजी को अधिग्रहण करने के आदेश दिये जा चुके हैं । ग्राम बड़वा के आराजी की बाबत विचार महाराजा जयपुर की अन्य आराजीयात के साथ किया जायेगा ।

(4) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(5) जी हां, उक्त जमीन भू-प्रबन्ध अभिलेख में ग्रास फार्म के नाम से दर्ज है । वर्तमान में इसकी कीमत प्रति बीघा रु. 2000) से रु. 5000) के लगभग है ।

(१९४)

भूमि रानीवास, कस्बा दौसा के अतिक्रमियों की सूची वर्ष 2031 तह. दौसा

क्र. स.	नाम आसामी	खसरा नम्बर	रकबा	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	नारदसिंह पुत्र गुमानीसिंह राजपूत आ. जीरोता	519	16 ।।।)2	
2.	पूनीदेवी धर्मपत्नी सोहनलाल केरीयात, सा. देह	,,	10)	
3.	अमरसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत पटेलमार्ग, सी. स्कीम, जयपुर	,,	8)	
4.	भीमसिंह पुत्र जगनसिंह राजपूत, सा.	,,	7 ।।)	
5.	सूबेदार जगदीशसिंह	,,	10)	
6.	मुनवरखां पुत्र हसनखां, सा जयपुर	,,	3)	
7.	अयुबअली पुत्र रपीमखां, सा. देह	,,	15)	
8.	अब्दुल रसीद पुत्र रहीमखां, सा. देह	,,	10)	
9.	अयुबखां पुत्र अलाउद्दीनखां, सा. देह	,,	10)	
10.	अनवरखां पुत्र मिश्रीखां, सा. देह	,,	8)	
11.	हनुमानसहाय पुत्र श्योनारायण मीणा, सा. नांगलखेरली	,,	10)	
12.	मंगलसिंह पुत्र मानसिंह पंजाबी, सा. देह	,,	4)	
13.	देवीसहाय भगवानसहाय पुत्र मांगीलाल व कल्याणसहाय पुत्र कन्हैयालाल लुहार, सा. देह	,,	25 ।।)	
14.	बाबूलाल पुत्र कल्याणसहाय लुहार सा. देह	,,	4)	
15.	मानबाबा पुत्र रामसहाय मीना, सा. नांगलखेरली	,,	9 ।)	
16.	श्रीनारायण पुत्र गंगाराम मीना, सा. देह	,,	11 ।।)	
17.	रामफूल पुत्र मूला मीना, सा. देह	,,	10)	
18.	रामसहाय पुत्र गंगाराम मीना, सा. देह	,,	10)	
19.	रामसहाय पुत्र जयनारायण मीना, सा. देह	,,	5)	
20.	जगन्नाथ पुत्र रामचन्दर मीना, सा. मेदापुरा	,,	15)	
21.	हिमेसरा मानसिंह पुत्र भेरूसिंह, साकिन दौसा	,,	15)	
22.	रामेश्वरप्रशाद ठाकरप्रसाद पि. भौंरीलाल सर्राफ, साकिन देह	,,	12)	
23.	कल्याणसिंह पुत्र भवानीसिंह, सा. सीरोता	,,	10)	
24.	मन्ना पुत्र गोबिन्दा मीना, सा. देह	,,	10)	
25.	हरसहाय पुत्र कल्लु मीना, सा. देह	,,	8)	

1	2	3	4	5
26.	गंगासहाय पुत्र कल्लु मीना, सा. देह	519	8)	
27.	भूरालाल पुत्र बिरदा मीना, सा. देह	,,	5)	
28.	किशनलाल पुत्र रामफूल मीना, सा. देह	,,	5)	
29.	सरवण पुत्र गंगाधर मीना, सा. देह	,,	10)	
30.	सावल्या पुत्र गेंदा मीना, सा. देह	,,	5)	
31.	मानसिंह पुत्र त्रिलोकसिंह वि. रतनसिंह, सा. देह	,,	30)	
32.	हरदेवसिंह पुत्र बिशनसिंह, सा. देह	,,	10)	
33.	जगदीशसिंह पुत्र सज्जनसिंह, सा. देह	,,	10)	
34.	माताप्रसाद पुत्र रामशरन महाजन, सा. बड़ागांव	486	1॥)	
35.	प्रभुदयाल पुत्र मूलचन्द, साकिन देह	,,	10)	
36.	हरदेव पुत्र रामनाथ मीना, सा. देह	,,	10॥)	
37.	मुरली पुत्र रामचन्दर बलाई, सा. प्यारीवास	,,	7)	
38.	प्रभुदयाल पुत्र चुनीराम, बलाई, सा. प्यारीवास	,,	5)	
39.	रामस्वरूप पुत्र रामचन्दर बलाई, सा. प्यारीवास	,,	4)	
40.	रामफूल पुत्र भौरीलाल, हजारी पुत्र पूनिया, घनसी पुत्र रामकृष्ण, राधाकिशन पुत्र श्योबक्श, रामसुखा पुत्र श्योबक्श, मेवा मुकन्दा पि पांचू मीना, साकिन देह	482	41॥)	
41.	रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द लुहार, सा. खैरवाल	,,	10)	
42.	रामेश्वरप्रसाद पुत्र जयचन्द, सत्यनारायण पुत्र भगवानसहाय महाजन, सा. देह	,,	10)	
43.	शंभुदयाल पुत्र ओमीलाल, कजोड़ पुत्र रामस्वरूप सर्राफ, सा. देह	,,	8)	
44.	प्रभुदयाल पुत्र रामसहाय मीना, सा. देह	,,	5)	
45.	रेवड़ सेडू पि. घासी बलाई, सा. प्यारीवास	,,	9)	
46.	रमेश पुत्र लादूराम बलाई, सा. प्यारीवास	,,	5)	
47.	नारायण पुत्र बल्ला बलाई, सा. प्यारीवास	,,	9)	
48.	महादेव पुत्र रामचन्द बलाई, सा. प्यारीवास	,,	5)	
	योग....		432।)2	

गृह विज्ञान विषय में महिला रीडर की नियुक्ति

237. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान महाविद्यालय में एक महिला रीडर के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गई थी? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय के अधिनियमों में रीडर के पद पर इस तरह नियुक्त करने का प्रावधान है?

(2) क्या उक्त महिला को इसी पद पर विश्व विद्यालय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार करने पर अयोग्य पाया है?

उत्तर

(1) जी, हां। विश्वविद्यालय के अधिनियमों के अनुसार रीडर के पद पर चयन समिति की सिफारिश पर कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्ति का जा सकती है।

(2) जी, हां!

ए. पी. पी. की पदोन्नति का आधार

248. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार पूर्व में पी. आई. (P. I.) या पी. एस. आई. (P. S. I.) कहलाने वाले कर्मचारियों को उनके ऑप्शन पर पुलिस विभाग में रखने का विचार रखती है?

(2) क्या ए. पी. पी. (A. P. P.) ग्रेड 'अव्वल' व ग्रेड 'टू' के वेतनमानों में कोई परिवर्तन करने का सरकार विचार रखती है? ए. पी. पी. (A. P. P.) ग्रेड 'अव्वल' पर नियुक्त अधिकारियों के प्रमोशन भविष्य में किस प्रकार से कैसे पदों पर किये जाने की सरकार की योजना है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ए. पी. पी. ग्रेड प्रथम से सम्बन्धित सेवा नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है जिसमें इनके लिए पदोन्नति सम्बन्धी प्रावधान भी रखा जा रहा है।

कस्बा भेंड़ का स्कूल

249. श्री हनुमान सहाय व्यास (वैराठ): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के ग्राम भेंड़, करीरी, साहीवाड़ घानौता, खोटालाड़खानी आदि ग्रामों की जनता ने सैकेण्ड्री स्कूल क्रमोन्नत किये जाने की मांग की है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार द्वारा इन स्थानों की उपयोगिता एवं आवश्यकताओं की जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच के परिणाम के अनुसार किन-किन स्थानों को उपयुक्त नहीं पाया और उनके क्या कारण हैं? तथा कब तक इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का विचार है?

(2) क्या यह सच है कि कस्बा भेंड़ की जन संख्या, भौगोलिक स्थिति एवं विभाग के क्राइटेरिया के अनुसार फीडर

Page No 194

(194

(श्री हनुमान सहाय व्यास) मिडिल स्कूलों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस विद्यालय को क्रमोन्नत करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां। इसी सत्र में। वर्तमान में राज्य सरकार ने नये सैकेण्डरी स्कूल खोलने पर अभी निर्णय नहीं लिया है। जब क्रमोन्नत करने की योजना होगी तब इन प्रस्तावों पर जांच करके उचित कार्यवाही की जावेगी।

(2) सरकार की जानकारी में ऐसा नहीं है।

पाली तहसील के गांवों में भू-खण्डों का आवंटन

250. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा घोषित अभियान के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1975 तक पाली तहसील के किन-किन गांवों में किस-किस जाति के कितने परिवारों को किन-किन अधिकारियों द्वारा रहवास के भू-खण्ड आवंटित किये गये ? सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) इस प्रकार के आवंटन में किन-किन गांवों में किस-किस प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए और उनका निपटारा किस प्रकार किया गया ? संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि अकाल की स्थिति के कारण बहुत से ग्रामीण परिवार अपने गांवों से बाहर होने के कारण इस लाभ से वंचित रह गये हैं ? ऐसे परिवारों का भी भू-खण्ड दिये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 225 की सूची)

जागीरदारों में बकाया भू-राजस्व सम्वत् 2011 से 2030 तक जिला—सवाई माधोपुर।

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम	नाम माफीदार	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सवाई माधोपुर	भगवतगढ़	श्री जयसिंह	26308	वसूली का केश चल रहा है।
2.	"	पीपलवाड़ा	श्रीमती जादन जी बेवा उमरावसिंह	1964	कार्यवाही वसूली जारी है।
3.	गंगापुर	रामपुर	नवाब श्री मुकर्म अली	2534	जयपुर तहसील की माफी वसूली की गई है।
4.	बामनवास	अमारवा	श्री मेजकंवर/ठा. देवीसिंह	17234	जागीर चाह कुर्क है।
5.	"	"	ठा. देवीसिंह पुत्र भवानीसिंह	10047	कार्यवाही वसूली जारी है।
6.	"	"	माजी साहब रखात कंवर	3663	"
7.	"	खुड़नाला	श्री गोविन्दसिंह	1983	"
8.	करोली	राजोर	महाराज कुमार सुरेन्द्रपाल	7711	"
9.	"	पदमपुरा	श्री मोतीपाल	2720	"
10.	"	परीता	मन्दिर श्री मदनमोहन जी	11999	"
11.	"	रघुवंशी	दिवान श्री मांगीलाल	4348	"
12.	"	भांद[illegible]	राजा बहादुर	1770	"
13.	"	गोपालपुर	श्री राधा बाई	731	"
14.	"	मेरई	श्री केसर विलास	346	"
15.	"	मकनपुरा	श्री जसराज कुमारी	301	"

(195)

Page No 196

(196)

1	2	3	4	5	6
16.	„	महुबा खेड़ी	श्री दुखमोचन सिंह	414	„
17.	„	करोली	भू. पू. महाराजा श्री गोपाल	21742	हाई कोर्ट का स्टे है ।
18.	माडोली	शहर	खुड़ाचेनपुरा श्री भोजराजसिंह	3355	माफीदारी की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है ।
19.	„	केमा	„	6168	„
20.	„	गुढ़ाचन्दर जी	श्री बलभद्रशरण सिंह	207000	„
21.	सपोटरा	जोडली	श्री दुर्गासिंह	97	वसूली की कार्यवाही जारी है ।
22.	„	रामपुर पासाय	प्रभुपाल/हीरापाल	1134	„
23.	„	बाजना	श्री घुडराजसिंह	831	„
24.	„	खिमर	श्री नारायण सिंह	458	„
25.	„	„	श्री लालसिंह	350	„
26.	„	„	श्री हुपमसिंह, उम्मेदसिंह	155	„
27.	„	जटवाड़ी	श्री मानसिंह	595	„
28.	„	मिभोरा	श्री भगवान बाई	217	„
29.	„	बाजना	श्री मानसिंह	174	„
30.	„	रामठरा	श्री कमल कुमारी	4525	„
			कुल योग....	1,54,376	

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची)

कैम्प बिग्गा हफ्ता 16-6-69 से 30-6-69 तक भुगतान जिनके समक्ष किया गया है का विवरण

क्र. सं	मस्टर रोल संख्या	गैंग नं.	प्रतिनिधि का नाम व पद जिनके समक्ष भुगतान किया गया है	नाम वल्दियत	सकूनत	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	23632 से 29	33	(1) दानाराम मेंट	लादूराम मेघनाता	धीरदेसर चोटीयान	वल्दियत व सकूनत का विवरण मस्टर रोल पर अंकित नहीं है।
			(2) मुलतान शर्मा सरपंच			
2.	236333 से 35	34	(1) टीकुराम मेंट	भीसाराम	धीरदेसर	....
			(2) मुलतान शर्मा सरपंच	—	—	वल्दियत व सकूनत का विवरण मस्टर रोल में अंकित नहीं है।
3.	236330 से 32	35	(1) नारायनसिंह मेंट	सावन्तसिंह	—	सकूनत अंकित नहीं है।
			(2) मुलतान शर्मा सरपंच	—	—	वल्दियत व सकूनत का विवरण मस्टर रोल में अंकित नहीं है।
4.	236325 से 27	36	(1) दानाराम मेंट	पीथाराम मेघवाला	धीरदेसर चोटियान	....
				—	—	वल्दियत व सकूनत का विवरण मस्टर रोल में अंकित नहीं है।

(197)

Page No 198

(198)

1	2	3	4	5	6	7
5.	236341 से 42	37	(1) गंगाराम मेंट	तुलछारा	धारावर	....
			(2) मुलतान शर्मा सरपंच	—	—	वल्दियत व सकूनत का विवरण मस्टर रोल में अंकित नहीं है ।
6.	236339 से 41	38	(1) भीनूसिंह मेंट	मुकनसिंह राजपूत	कोतासर ग्राम कोतासर	वल्दियत का नाम अंकित नहीं है ।
			(2) कासीराम ताई पंच	—	वीदानतान मुख्य बाई पंच	
7.	6981 से 82 और 6942	39	(1) चुचाराम मेंट	आसुराम पोषवाल	रामसरा	वल्दियत व सकूनत का विवरण अंकित नहीं है ।
			(2) पीथाराम	—	—	
8.	236438 से 39	40	(1) टीकुराम मेंट	दानाराम	घीरदेसर	वल्दियत व सकूनत विवरण अंकित नहीं है ।
			(2) मुलतान शर्मा सरपंच	—	—	

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

बीकानेर जिले में जनवरी 71 से दिसम्बर 71 तक खरीदी गई ऊन की सूचना

क्र.सं.	नाम केन्द्र	नाम क्लिप	मात्रा	औसत दर	विवरण
			किलोग्राम	रु.	
1.	गडियाला	मार्च 71	2172-500	6-47	
		सितम्बर 71	12398-250	6-81	
2.	गजनेर	मार्च 71	8093-500	6-54	
		सितम्बर 71	10554-000	6-75	
3.	कोलायत	मार्च 71	1073-400	6-65	
		सितम्बर 71	3743-450	6-82	
4.	नोखा	मार्च 71	612-550	6-79	
		सितम्बर 71	3967-550	5-82	
5.	लूणकरणसर	मार्च 71	3986-550	6-44	
		सितम्बर 71	5963-600	6-09	
6.	बीकानेर	मार्च 71	3988-450	6-69	
		सितम्बर 71	15858-200	6-83	
7.	नापासर	मार्च 71	4746-500	6-63	
		सितम्बर 71	9610-000	6-69	
8.	महाजन	मार्च 71	5612-900	5-51	
		सितम्बर 71	8463-100	5-65	
9.	सूरतगढ़	मार्च 71	17036-500	5-68	
		सितम्बर 71	16993-000	5-76	
10.	विजय नगर	मार्च 71	1178-000	6-37	
		सितम्बर 71	243-250	6-10	
11.	अनूपगढ़	मार्च 71	11306-000	6-49	
		सितम्बर 71	14919-500	5-92	
12.	रायसिंहनगर	मार्च 71	4679-100	5-90	
		सितम्बर 71	832-000	5-58	
13.	छतरगढ़	मार्च 71	1396-900	6-67	
		सितम्बर 71	6591-150	6-66	

(200)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची)

सूची पटवारियान जिनको नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई

क्र. सं.	नाम पटवारी मय नाम पिता
1.	भंवरसिंह पुत्र लखपत, सरमथुरा
2.	बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल, भरतपुर
3.	रेवती रमन पुत्र हरीचन्द शर्मा, भुसावर
4.	दिनेश कुमार पुत्र हरी शंकर
5.	माता प्रसाद पुत्र भगवानसिंह, धोलपुर
6.	सोनाराम पुत्र डालचन्द, वैर
7.	ओमप्रकाश अवस्थी पुत्र काका शंकर
8.	रामप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल, कांमा
9.	भूरेलाल पुत्र गोपालप्रसाद, धौलपुर
10.	हरीसिंह पुत्र शिवसिंह डीग
11.	प्रकाशचन्द पुत्र परसादीलाल, वैर
12.	प्रेमनारायन पुत्र शिवनारायण, धौलपुर
13.	रमेशचन्द पुत्र शिवलाल, महुआ
14.	हरामतअली खां पुत्र सुलतान अहमद खां, राजाखेड़ा
15.	तेजसिंह पुत्र घीसीसिंह, डागुर
15.	रामअवतारसिंह पुत्र गोकुलसिंह
17.	वरुनदास पुत्र मंगल, बसेड़ी
18.	मुन्नालाल पुत्र चिरंजीलाल, टोड़ाभीम
19.	मुकेश शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा, सावास
20.	देवीराम पुत्र नारायन, कांमा

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 116 की सूची)

सूची अपराध हत्यायें जो सन् 1973 व 1974 में सब डिवीजन छबड़ा में घटित हुई

1973 में मु. नं. तारीख	नाम थाना	नाम फरयादी	नाम मुल्जिम	नतीजा
		सन 1973		
1-81, 26-10-73	अटरु	श्री राजेन्द्र राजपूत नि. सराडिला गुलजी	हनुमानसिंह, बजरंगसिंह, महावीरसिंह बलवीरसिंह, व चांदसिंह नि. कराड़िया मुखली	चालान
2-7, 23-1-73	छबड़ा	श्री छोटिया नि. आचोली	सुग्रीव नि. मांहांपुरी	चालान 17-3-73
3-82, 18-10-74	,,	श्री कजोड़ मीणा, नि. छबड़ा	रामचन्द्र मंगू	चालान 29-5-74
4-31, 21-4-74	हरनावदा	रामरतन	कैलास व पुन्या	चालान 22-11-73
5-48, 31-7-73	मोठपुर	हरीशंकर कोली नि. सवाई	भंवरलाल, लक्ष्मण कृष्ण शान्ती वगैराह	चालान 10-10-73
6-3, 25-1-73	,,	गोविन्दलाल नि. 153 ओ. पी. सवाई थाना मोठपुर	रामचन्द्र, किशनलाल	चालान 13-3-73
7-7, 29-1-73	छीपा बड़ोद	रामकिशन चमार नि. खेड़ला	—	चालान 4-4-73
8-73, 11-12-73	,,	त्रिलोकचन्द छावड़ नि. राजपुरा	लक्ष्मण रामनाथ बाबूलाल भील राजपुरा	चालान

1	2		3	4	5
			सन 1974		
1-63,	13-9-74	अटरु	रामदयाल छाबड़ा नि. कावरी	जगदीश, हरनारायण, भैरुलाल गांधी वल्लभ, किशनचन्द	चालान 26-11-74
2-74,	15-11-74	,,	गुलाबचन्द नि. अटरु	आनन्द ओम, उमाशंकर, सुन्दरलाल, कवरलाल, चौथमल	चालान 29-11-74
3-29,	22-6-74	भावना	पदम अहीर नि. संदन खेड़ी	हरप्रसाद, महाराजसिंह रामनारायण, लक्ष्मीनारायण, मूलचन्द	चालान 15-12-74
4-3,	2-2-74	,,	रामकिशन नि. खेमला	रामचरण साद् नि. खेमला	चालान 5-6-74
5-42,	24-8-74	,,	रामकिशन पुत्र गुलजी नि. बटावदा	पुनिया नि. बटावदा	चालान 27-9-74
6-18,	21-4-74	छीपा बड़ौद	मांगू नि. दिलेडी	मोजसिंह	रफाकार अदमसबूत 4-7-74
7-18,	18-3-74	,,	बन्शीलाल नि. बजरंगपुरा	कबरदा भवाना, अमरा, प्रभूलाल बख्शा, बदरीलाल, कांमा नि. बजरंगपुरी	चालान 15-8-74
8-87,	16-10-74	मोठपुर	जनार्दनसिंह झाला अलमदखां थाना मोठपुर	—	गैर तफतीश अ— नोट—
9-91,	21-10-74	मोठपुर	प्रेमचन्द राठी	छीतर, प्रभू, गनेश, विलाण, गोरधन नन्द किशोर	चालान 28-12-74
10-1,	28-1-74	हरनावदा	कृष्णगोपाल एसी गोपी मोठड़ा	—	रफाकार अदमसबूत 9-10-74
11-28,	23-7-74	,,	कबीम मोहम्मद मुसलमान	महोन खटीक	चालान 27-12-74

(203)

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति सं. 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2	ऊपर से 2	पड़ा है	पड़ी हैं।
34	ऊपर से 6	यह सही 2 है	यह सही है।
71	ऊपर से 15	निवेनद	निवेदन
73	ऊपर से 4	खतनाक	खतरनाक
79	ऊपर से 4	वेवन माने	वेतन मानों
101	ऊपर से 16	मांग का	मांग को
112	ऊपर से 8	मानतीय	माननीय
116	नीचे से 3	कारीख	तारीख
118	नीचे से 12	काम हरा है	काम कर रही है
124	ऊपर से 10	प्रसंशा	प्रशंसा
125	नीचे से 8	eampaign	campaign
125	नीचे से 6	होगा	होता
125	नीचे से 6	अधुरा	अधूरा
125	नीचे से 11	ट्राइन्स	ट्राइब्स
133	ऊपर से 4	डवलमेंट	डेवलपमेन्ट
133	ऊपर से 7	वाशे	वाले
133	नीचे से	जिए	लिए
141	नीचे से 16	पूर्ष	पूर्व
148	ऊपर से 16	तीन में	दूसरे में
150	नीचे से 20	का	को
152	ऊपर से 5	दोहा	दोही
153	,, से 3	हम अपने यहा	अपने यहां
153	,, ,, 3	इसका	इसकी
158	नीचे से 6	योजना की	योजना को
166	,, ,, 20	सादा	सौदा
166	,, ,, 5	दा महिने	दो महीने
171	,, ,, 17	पीटेगी	पीटेगा.
189	,, ,, 3	अप्रोजल	प्रपोजल
192	,, ,, 5	दो	जो

204

1	2	3	4
205	ऊपर से 3	बदलन ही बन सकता	बदल नहीं सकता
217	,, ,, 14	श्री शीवचरण माथुर	श्री शिवचरण माथुर
231	,, ,, 14	एडमिनिस्ट्रेव	एडमिनिस्ट्रेटिव
238	,, ,, 16	सेक्ट्री	सेक्रेटरी
243	,, ,, 3	सदम्य	सदस्य
245	,, ,, 1	श्री दीपंर	श्री दीपंकर
350	,, 9	यह हां	यदि हां